दशम माला, खंड 2, अंक 14

सोमवार, 29 जुलाई, 1991
7 श्रावण, 1913 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिंदी संस्करण

पहला सत्र

(दसवीं लोक सभा)

[खंड 2 में अंक 11 से 20 तक है]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

दशम माला, खण्ड 2, पहला सत्र, 1991/1913 (शक)

अंक 14, सोमवार, 29 जुलाई, 1991/7 श्रावण, 1913 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1—2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	2—30
*तारांकित प्रश्न संख्या : 183, 184, 186 और 188	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	30—119
तारांकित प्रश्न संख्या : 185, 187, 189 और 191 से 203	30—44
अतारांकित प्रश्न संख्या : 781 से 800 और 802 से 866	44—119
कावेरी जल विवाद के बारे में	119—137
सभा पटल पर रखे गए पत्र	137—143
मंत्री द्वारा वक्तव्य	143—144
कावेरी जल विवाद	
श्री विद्या चरण शुक्ल	144
समितियों के लिए निर्वाचन	
(एक) भारतीय विज्ञान संस्थान परिषद्, बंगलौर	144
(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद्	145
(तीन) दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद	145
(चार) राजघाट समाधि समिति	145
(पाँच) कर्मचारी राज्य बीमा निगम	146
(छः) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	146
(सात) भारतीय क्षयरोग संघ	146
(आठ) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली	147
(नौ) भारतीय नर्स परिषद्, नई दिल्ली	147
(दस) स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़	148
दिल्ली नगर पालिका विधि (संशोधन) विधेयक — पुरःस्थापित	152
मंत्री द्वारा वक्तव्य : सभा पटल पर रखे गए	
(एक) दिल्ली नगर पालिका विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1991	152
(दो) आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अध्यादेश, 1991	155
(तीन) जम्मू-कश्मीर दंड विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1991	158
आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक पुरःस्थापित	152—158
श्री एम० एम० जैकब	152, 154—158
श्री जार्ज फर्नान्डीज	152—158

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
जम्मू-कश्मीर दंड विधि संशोधन (दूसरा) संशोधनकारी विधेयक	156—158
पुर:स्थापित	
श्री एम० एम० जैकब	155, 157—158
श्री जार्ज फर्नान्डीज	156—158
लेखानुदानों की मांगें (सामान्य)—1991-92	159—163
विनियोग (लेखानुदान) संख्यांक 2 विधेयक, 1991	163—164
पुर:स्थापित करने के लिए प्रस्ताव	163
श्री मनमोहन सिंह	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	164
श्री मनमोहन सिंह	
खंडवार विचार	164
पारित करने के लिए प्रस्ताव	164
श्री मनमोहन सिंह	
बजट (सामान्य), 1991-92—सामान्य चर्चा	164—190
श्री जसवन्त सिंह	164
प्रो० के० वी० थामस	182
राज्यसभा से संदेश	190—191
नियम 193 के अधीन चर्चा	191—202, 202-
राजीव गांधी हत्याकांड के एक अभियुक्त श्री षण्मुगम का हिरासत से बच निकलना और बाद में उसकी मृत्यु हो जाना	
श्री अन्नाद्रासु इरा	191—195
श्री राम नाईक	195—197
श्री के० वी० तंगाबालू	197—199
श्री चन्द्रजीत यादव	199—202
श्री एम० रामन्ना राय	202—204
श्री विजय कुमार यादव	204—205
श्री श्रीमनाद्रीश्वर राव वाहडे	206—208
श्री वी० राजारवि वर्मा	209—210
श्री गुमानमल लोढा	210
श्री पीयूष तीरकी	211—213
श्री ई० अहमद	213—215
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री	215—216
डा० (श्रीमती) पद्मा	216
श्री के० राममूर्ति टिण्डिवणम	216—218
कार्य मंत्रणा समिति	
तीसरा प्रतिवेदन-प्रस्तुत	202

लोक सभा

सोमवार, 29 जुलाई, 1991/7 श्रावण, 1913 (शक)

लोक सभा 11 बजे मध्याह्न पर समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे बड़े दुःख के साथ आपको यह सूचित करना है कि इस सभा के भूतपूर्व विशिष्ट सदस्य डा० वी० के० आर० वी० राव का निधन हो गया है ।

डा० राव 1967-77 के बीच चौथी और पाँचवीं लोक सभा के सदस्य थे । उन्होंने भूतपूर्व मैसूर राज्य के बेल्लारी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया ।

बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी डा० राव एक सुविख्यात अर्थशास्त्री, शिक्षाविद और लेखक थे । उन्होंने राष्ट्र की आर्थिक गतिविधियों के संवर्धन के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया । देश की समस्याओं के अनुरूप देश की स्वदेशी आर्थिक विशेषता को विकसित करना उनका सबसे अद्वितीय योगदान था । वे ऐसे प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री थे जिन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक अध्ययन किया और दूसरों को इस दिशा में रास्ता दिखाया ।

डा० राव में अद्भुत प्रबंध क्षमता थी और वे अत्यन्त दूरदर्शी थे । उन्होंने देश में अत्यंत प्रतिष्ठित आर्थिक संस्थाओं की स्थापना की जिसमें "दिल्ली स्कूल आफ इकनोमिक्स" भी शामिल है और उसमें उन्होंने पहले निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला । अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उन्होंने जो भी कार्य किया है उसके परिणामस्वरूप सामाजिक शास्त्रों और नीति निर्धारणों के क्षेत्र में उनका अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया ।

डा० राव ने अपने सार्वजनिक जीवन में अनेक पदों यथा केन्द्रीय मंत्रीपद, दिल्ली विश्वविद्यालय के उप-कुलपति और योजना आयोग के सदस्य पद पर कार्य किया । इसके अतिरिक्त वे अनेक सरकारी तथा गैर-सरकारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के विभिन्न संगठनों से संबद्ध रहे ।

राष्ट्र के प्रति उनके सेवाभाव के सम्मान में उन्हें पद्मविभूषण से अलंकृत किया गया और अनेक भारतीय विश्वविद्यालयों ने उन्हें डी० लीट० की उपाधि से सम्मानित किया । वे अर्थशास्त्र के राष्ट्रीय स्तर के प्रोफेसर थे और उन्होंने कराधान, विदेशी सहायता और भारत के आर्थिक विकास आदि विषयों पर अनेक पुस्तकें लिखी थी ।

सुविख्यात सांसद होने के नाते उन्होंने लोक सभा की कार्यवाही में खासतौर से शिक्षा, आर्थिक और वित्तीय मामलों के संदर्भ में विशिष्ट योगदान दिया ।

डा० राव ने अनेक देशों का भ्रमण किया था।

डा० राव हमारे देश के उत्कृष्ट मूल्यों के प्रतीक थे। उनके निधन से हमने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के एक महामानव को खो दिया है।

डा० राव का देहावसान 83 वर्ष की आयु में 25 जुलाई, 1991 को बंगलौर में हुआ।

हम भारत के ओजस्वी सपूत और एक उत्कृष्ट व्यक्ति के निधन पर गहरा दुःख प्रकट करते है और मुझे विश्वास है कि पूरी सभा मेरे साथ शोक-संतप्त परिवार को सांत्वना देगी।

सभा के सदस्यगण मृतक के सम्मानार्थ थोड़ी देर के लिए मौन खड़े हो।

[तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

मकानों की कमी

*183. †श्री लाल कृष्ण आडवाणी
श्री अटल बिहारी वाजपेयी } : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों की अलग-अलग अनुमानतः कितनी कमी है;

(ख) इस कमी को दूर करने के क्या प्रस्ताव है तथा इसके लिए तैयार की गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के आरंभ से इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है तथा प्रत्येक वर्ष राज्य-वार, इसके क्या परिणाम निकले है; और

(घ) वर्ष 1991-92 के लिए राज्य-वार, क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

विवरण

(क) 1-3-90 की स्थिति के अनुसार 30.3 मिलियन रिहायशी एककों के लिए आवास की कमी का अनुमान लगाया गया है। जिसमें शहरी क्षेत्रों में 10 मिलियन रिहायशी एकक और ग्रामीण क्षेत्रों में 20.3 रिहायशी एकक शामिल है। (अनुलग्नक-क); और

(ख) तथा (ग) आवास राज्य का विषय है तथा आवास योजनाएं राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अपनी आवश्यकता, प्राथमिकताओं और संसाधनों के अनुसार बनाई तथा कार्यान्वित की जाती है। केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित योजनाओं और कार्यक्रमों द्वारा इनकी प्रतिपूर्ति की जाती है, जबकि आवास निर्माण के विस्तृत आकड़े सामान्यतः उपलब्ध नहीं है फिर भी सातवीं पंचवर्षीय योजना और 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत 1990-91 की राज्यवार उपलब्धियां अनुलग्नक-ख से ख-6 में दी गई है।

2. राष्ट्रीय आवास नीति प्रारूप के भाग और अन्य पूर्व उपायों के रूप में भारत सरकार ने भूमिहीन और निर्धनतम वर्गों को आवास, आवास वित्त, विकसित भूमि की आपूर्ति, भवन निर्माण सामग्रियां और प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने तथा कठिनाईयों को दूर करने के लिए कई उपाय आरंभ किए है। इनमें निम्नलिखित शामिल है :—

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन निर्धनों और कारीगर वर्गों के लिए मकानों के निर्माण हेतु निर्धारित परिव्यय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत मुहैया कराए जाते है, ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और मुक्त किए गए बंधुआ मजदूरों को मुक्त मकान मुहैया कराने के लिए इंदिरा आवास योजना, रैन-बसेरों का निर्माण और नेहरू रोजगार योजना के अंतर्गत शहरी निर्धनों के लिए आश्रय उन्नयन।

(ii) बैंकों तथा विद्यमान आवास वित्त संस्थानों के माध्यम से अधिक संसाधन जुटाने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना तथा नये संस्थानों को प्रोत्साहित करना।

(iii) आवास के लिए बैंकों, जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम और नियोक्ता भविष्य निधियों के लिए संसाधनों का अधिक प्रवाह।

(iv) वित्त आवास, भूमि विकास और शहरी मूलभूत सुविधाओं के लिए हुडको के प्रचालनों का पर्याप्त विस्तार।

(v) कम लागत की भवन निर्माण सामग्रियों के उत्पादन को बढ़ावा देना और प्रौद्योगिकी अन्तरण के लिए निर्मित केन्द्रों की स्थापना और कामगारों को प्रशिक्षण देना।

(vi) आवास में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कर-लाभ का विस्तार और आवास के लिए आवास वित्त संस्थानों द्वारा निधियां उपलब्ध कराना तथा कृषि जैसी बेकार सामग्रियों से भवन निर्माण सामग्रियों और घटकों के उत्पादन को प्रोत्साहित करना।

3. 1991-92 के बजट प्रस्तावों में भी आवास क्रियाकलाप को बढ़ावा देने के कई उपाय शामिल है।

4. सरकार राष्ट्रीय आवास नीति को अंतिम रूप देने, आवास के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को और बढ़ाने के उपाय करने, नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम में संशोधन करने, भाटक नियंत्रण कानूनों में सुधार करने, राज्य स्तरीय भाटक नियंत्रण न्यायाधिकरण की स्थापना करने तथा सामूहिक आवास के लिए अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम को लागू करने जैसी कई मुख्य नीति संबंधी पहल करने पर विचार कर रही है।

(घ) 20-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल स्कीमों और कार्यक्रमों के अलावा मकानों के निर्माण के लिए राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते है। 20-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1991-92 के लिए शहरी आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग (ई० डब्लू० एस०) तथा निम्न आय वर्ग (एल० आई० जी०) आवास के लिए लक्ष्यों को दर्शाने वाला विवरण (अनुलग्नक-ग) संलग्न है।

-90 की स्थिति के अनुसार) (मिलियन एकड़)

राज्य संघ राज्य क्षेत्र	ग्रामीण	शहरी	योग
	2	3	4
असम	3.47	0.24	3.71
आन्ध्र प्रदेश	1.78	1.39	3.17
बिहार	4.58	0.56	5.14
गुजरात	0.38	0.36	0.74
हरियाणा	0.09	0.14	0.23
हिमाचल प्रदेश	0.03	0.01	0.04
जम्मू व कश्मीर	0.12	0.11	0.23
कर्नाटक	0.63	0.62	1.25
केरल	0.67	0.42	1.09
मध्य प्रदेश	0.71	0.39	1.10
महाराष्ट्र	1.28	1.01	2.29
मणिपुर	0.13	0.04	0.17
मेघालय	0.17	0.03	0.20
नागालैण्ड	0.11	0.00	0.11
उड़ीसा	0.91	0.39	1.30
पंजाब	0.13	0.20	0.33
राजस्थान	0.31	0.33	0.64
सिक्किम	0.02	0.00	0.02
तमिलनाडु	0.53	1.50	2.03
त्रिपुरा	0.26	0.03	0.29
उत्तर प्रदेश	2.39	1.18	3.57
पश्चिम बंगाल	1.32	0.63	1.95
अ० नि० द्वीप समूह	0.02	0.00	0.02
अरुणाचल प्रदेश	0.13	0.01	0.14
चंडीगढ़	0.01	0.00	0.01
दादरा व नागर हवेली	0.02	0.00	0.02
दिल्ली	0.00	0.36	0.36
गोवा, दमण व दीयू	0.02	0.01	0.03
लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
मिज़ोरम	0.07	0.01	0.08
पाण्डिचेरी	0.01	0.03	0.04
योग :	20.30	10.00	30.00

अनुलग्नक-ख

सातवीं योजना और 1990-91 के दौरान 20 सूत्रीय कार्यक्रम के सूत्र सं० 14 तथा 15 के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों की वास्तविक प्रगति (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार)

(लाख में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सूत्र सं० 14 (क) आवास स्थलों का प्रावधान परिवार	सूत्र सं० 14 (ख) निर्माण सहायता	सूत्र सं० 14 (ग) इ० आ० अ० रिहायशी	सूत्र सं० 14 (घ) ई० डब्ल्यू० एस० हाउस एकक	सूत्र सं० 14 (ङ) नि० आय वर्ग मकान	सूत्र सं० 15 शहरी मलिन बस्तियों का पर्यावरणीय सुधार (मलिन बस्ती वासी)
1	2	3	4	5	6	7
1. आंध्र प्रदेश	9.48	7.13	0.36	0.50	0.03	20.68
2. अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
3. असम	0.49	0.49	0.06	0.12	0.00	0.56
4. बिहार	1.41	0.00	0.81	0.48	0.03	2.16
5. गोवा	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.10
6. गुजरात	2.55	2.17	0.22	0.30	0.14	2.29
7. हरियाणा	0.11	0.14	0.05	0.07	0.04	2.89
8. हिमाचल प्रदेश	0.01	0.00	0.03	0.00	0.01	0.49
9. जम्मू तथा कश्मीर	0.02	0.03	0.05	0.05	0.00	2.22
10. कर्नाटक	2.58	2.62	0.21	0.23	0.08	0.10
11. केरल	0.39	0.94	0.33	1.68	0.13	1.26
12. मध्य प्रदेश	4.03	1.30	0.35	0.45	0.12	8.44
13. महाराष्ट्र	1.14	0.93	0.29	0.90	0.66	19.36
14. मणिपुर	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.10
15. मेघालय	0.00	0.05	0.00	0.00	0.01	0.42
16. मिजोरम	0.00	0.02	0.01	0.01	0.01	0.22
17. नागालैंड	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
18. उड़ीसा	2.17	0.28	0.26	0.14	0.11	0.86
19. पंजाब	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	7.38
20. राजस्थान	2.70	2.66	0.28	0.30	0.17	2.86
21. सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
22. तमिलनाडु	17.19	1.86	1.20	1.09	0.26	4.66
23. त्रिपुरा	0.23	0.36	0.01	0.01	0.00	0.58
24. उत्तर प्रदेश	5.44	5.37	1.13	1.36	0.35	13.36
25. पश्चिम बंगाल	0.75	0.21	0.35	0.05	0.01	7.68

अनुलग्नक-ख—जारी

1	2	3	4	5	6	7
केन्द्रीय प्रशासित प्रदेश :						
1. अंडमान निकोबार	0.03	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02
2. चंडीगढ़	0.03	0.00	0.00	0.08	0.00	0.15
3. दादर और नगर हवेली	0.22	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
4. दमन और दियू	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. दिल्ली	0.11	0.03	0.00	0.02	0.00	15.31
6. पांडीचेरी	0.09	0.09	0.01	0.04	0.00	0.74
योग :	**50.95**	**26.79**	**6.05**	**7.88**	**2.19**	**119.12**

अनुलग्नक ख-I

सूत्र सं॰ 14(ख) के अंतर्गत वास्तविक प्रगति—सातवीं योजना (1985-90) और 1990-91 के दौरान आवास-स्थलों का आवंटन

(परिवार लाख में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5	6	7
1. आंध्र प्रदेश	2.41	1.80	2.47	1.26	0.96	0.58
2. असम	0.10	0.10	0.10	0.03	0.05	0.11
3. बिहार	0.36	0.22	0.24	0.26	0.17	0.16
4. गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. गुजरात	0.31	0.42	0.44	0.43	0.53	0.42
6. हरियाणा	0.07	0.03	0.00	0.01	0.00	0.00
6A. हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
7. जम्मू तथा कश्मीर	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
8. कर्नाटक	0.46	0.45	0.47	0.42	0.40	0.40
9. केरल	0.11	0.08	0.06	0.05	0.04	0.04
10. मध्य प्रदेश	0.61	0.44	0.48	1.16	1.02	0.38
11. महाराष्ट्र	0.24	0.24	0.23	0.20	0.20	0.02
12. उड़ीसा	0.80	0.29	0.53	0.17	0.23	0.15
13. पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13A. राजस्थान	0.65	0.44	0.45	0.39	0.40	0.37
14. तमिलनाडु	1.88	2.32	2.71	2.87	3.33	4.08
15. त्रिपुरा	0.06	0.05	0.06	0.01	0.03	0.02
16. उत्तर प्रदेश	0.89	0.88	0.75	0.71	1.24	0.97
17. पश्चिम बंगाल	0.19	0.18	0.15	0.13	0.05	0.05
संघ राज्य क्षेत्र :						
1. अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	0.01	0.02	0.00	0.90	0.00	0.00
2. चंडीगढ़	0.00	0.60	0.00	0.03	0.00	0.00
3. दादरा तथा नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00		
4. दिल्ली	0.05	0.04	0.02	0.00	0.00	0.00
5. पांडिचेरी	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.00
योग :	**9.22**	**8.03**	**9.19**	**8.09**	**8.67**	**7.75**

अनुलग्नक ख-II

सूत्र सं० 14(ख) के अंतर्गत वास्तविक प्रगति—आठवीं योजना (1985—90) और 1991 के दौरान निर्माण अहायता

(परिवार)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5	6	7
1. आंध्र प्रदेश	142.556	153,794	127.831	128.074	83,689	77,310
2. अरुणाचल प्रदेश	435	300	1,276	776	849	477
3. असम	9.551	10.000	10.000	2,897	5,320	11,103
4. गोवा			201	134	197	99
5. गुजरात	37.484	39.994	37.688	40.973	30.833	30,018
6. हरियाणा	4.254	2.900	3.300	1.620	1,600	898
7. हिमाचल प्रदेश						173
8. जम्मू तथा कश्मीर	102	1,971	649	256	120	119
9. कर्नाटक	51,639	54,858	42,293	41,206	36,010	36,019
10. केरल	3,237	3,656	16,854	32,105	8,983	29,203
11. मध्य प्रदेश	20.116	25,589	29,241	22,537	14,207	18,349
12. महाराष्ट्र	15,269	18,029	18.057	20,076	18,987	1,700
13. मेघालय	97	150	150	545	1,815	2,232
14. मिजोरम			260	260	260	480
15. उड़ीसा	6,667	3.523	3,340	3,032	3,350	7,546
16. राजस्थान	32.418	30,188	66.472	85,915	37,059	14,312
17. सिक्किम	30	125	274	4,075	395	6,000
18. तमिलनाडु	42.248	48.553	23,000	17,690	23,520	30,000
19. त्रिपुरा	5.333	7.252	7,796	6,000	6,500	3,395
20. उत्तर प्रदेश	32.708	31 158	16,669	164,087	133,503	158,085
21. पश्चिम बंगाल	4,667	4,154	5,004	3,655	1,325	441
संघ राज्य क्षेत्र						
1. अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	84	92	—	20	55	—
2. दादरा तथा नगर हवेली	1,631	969	574	94	733	989
3. दिल्ली	1.000	1,000	213	17	—	—
4. दमन तथा दीव	238	—	—	30	30	—
5. पांडिचेरी	1,802	1,460	1,785	1,986	1,084	917
योग :	413,616	439,715	412,927	578,860	410,974	423,865

अनुलग्नक ख-III

सातवीं योजना (1985–90) तथा 1990-91 के दौरान सूत्र सं० 14(ग) इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत की गई वास्तविक प्रगति

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5	6	7
1. आंध्र प्रदेश	3.321	19.483	12.832	9.948	7.232	5.434
2. अरुणाचल प्रदेश	0	1	34	84	62	60
3. असम	65	0	1.991	719	1.443	1.816
4. बिहार	1.585	18.932	24.028	15.655	20.361	21.155
5. गोवा				102	95	52
6. गुजरात	4.707	5.571	4.553	4.044	4.334	4.665
7. हरियाणा	390	1.019	1.422	1.216	1.495	859
8. हिमाचल प्रदेश	0	412	0	763	645	351
9. जम्मू तथा कश्मीर	0	638	0	1.487	822	582
10. कर्नाटक	3.533	1.542	9.670	865	5.279	5.857
11. केरल	5.716	14.888	11.040	8.554	14.434	9.824
12. मध्य प्रदेश	0	1.964	10.033	6.857	8.247	13.658
13. महाराष्ट्र	6.404	12.198	7.431	7.613	6.500	6.146
14. मणिपुर	0	12	160	111	277	71
15. मेघालय	0	156	0	205	26	0
16. मिजोरम	0	27	37	70	98	1.264
17. नागालैण्ड	84	182	130	251	0	0
18. उड़ीसा	0	4.485	7.091	5.958	3.493	8.568
19. पंजाब	0	669	1.366	0	624	1.287
20. राजस्थान	46	2.120	10.180	4.027	3.739	7.893
21. सिक्किम	112	150	0	150	99	96
22. तमिलनाडु	9.291	34.030	24.535	26.977	41.847	27.079
23. त्रिपुरा	599	1.208	404	391	239	266
24. उत्तरप्रदेश	16.467	25.191	25.709	23.871	32.529	25.300
25. पश्चिम बंगाल	0	6.711	8.014	6.178	13.980	4.374
संघ राज्य क्षेत्र						
1. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	7	70	41	59
2. चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
3. दादरा व नगर हवेली	0	0	80	59	130	53
4. दिल्ली	0	0	0	0	0	0
5. दमण व दीव	0	0	0	0	16	10
6. लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
7. पांडिचेरी	0	0	97	84	205	62
योग :	**52,320**	**1,51,589**	**1,60,844**	**1,26,309**	**1,68,292**	**1,46,84**

अनुलग्नक ख-IV

छठवीं योजना (1985—90) और 1990-91 के दौरान सूत्र सं० 14(घ) आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग आवास के अन्तर्गत की गई वास्तविक प्रगति

(रिहायशी एकक)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5	6	7
1. आंध्र प्रदेश	7.443	9.659	9.503	9.086	9.258	5.080
2. असम	2.589	2.285	2.890	2.095	1.241	1.298
3. बिहार	11.785	10.461	14.888	10.116	283	427
4. गोवा	0	0	180	126	160	160
5. गुजरात	7.251	10.438	4.080	4.656	2.942	1.407
6. हरियाणा	1.944	2.000	360	154	1.114	729
7. जम्मू और कश्मीर	395	1.043	1.079	1.169	1.232	240
8. कर्नाटक	5.959	6.064	2.381	1.862	2.441	3.607
9. केरल	21.996	1.03.322	15.774	15.662	6.409	4.865
10. मध्य प्रदेश	6.498	7.824	17.427	5.784	3.766	3.713
11. महाराष्ट्र	15.291	20.083	11.930	18.170	12.814	6.212
12. मणिपुर	138	0	32	40	266	0
13. मेघालय	33	33	43	91	216	0
14. मिजोरम	260	260	200	200	200	0
15. नागालैंड	0	0	0	0	41	0
16 उड़ीसा	1.630	3.109	2.510	2.301	2.338	1.544
17. राजस्थान	9.946	6.000	4.993	3.142	2.910	2.708
18. सिक्किम	0	0	0	14	200	0
19. तमिलनाडु	16.660	12.221	10.622	45.126	8.498	14.420
20. त्रिपुरा	195	338	99	118	166	193
21. उत्तर प्रदेश	27.122	24.409	20.364	17.104	27.407	19.088
22. पश्चिम बंगाल	1.329	1.893	502	1.015	573	130
संघ शासित प्रदेश						
1. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0	38	0	0		40
2. चंडिगढ़	1.000	995				
3. दिल्ली	612	0	0	1.264	620	0
4. दमण और दीव	0	0	0	0	1	
5. पांडिचेरी	1.308	1.366	592	236	64	8.290
योग :	**1.41.384**	**2.23.841**	**1.20.449**	**1.39.631**	**85.235**	**74.281**

अनुलग्नक ख-V

सातवीं योजना (1985—90) और 1990-91 के दौरान सूत्र सं० 14(ङ) निम्न आय वर्ग आवास के अन्तर्गत की गई वास्तविक प्रगति

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	257	1,501	1,239	18
असम	122	159	142	108
बिहार	1,156	710	643	478
गोवा	70	40	120	99
गुजरात	4,672	4,756	3,358	670
हरियाणा	664			
हिमाचल प्रदेश	165	194	197	240
जम्मू और कश्मीर	4	39	22	44
कर्नाटक	1,564	1,033	1,306	3,728
केरल	989	2,762	5,536	3,870
मध्य प्रदेश	2,974	2,663	3,205	2,654
महाराष्ट्र	17,613	18,367	17,541	12,739
मणिपुर	40	40	215	0
मेघालय	74	25	405	0
मिजोरम	27	320	320	40
नागालैंड	0	0	0	0
उड़ीसा	5,192	2,028	2,133	2,395
पंजाब	550	550	420	340
राजस्थान	5,038	5,184	3,604	3,125
सिक्किम	30	0	0	0
तमिल नाडु	1,553	1,916	10,991	12,469
त्रिपुरा	27	0	85	145
उत्तर प्रदेश	7,926	7,054	12,190	8,251
पश्चिम बंगाल	230	270	60	0
संघ राज्य क्षेत्र				
अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह		345	220	141
चंडीगढ़		250	0	0
दिल्ली	36	19	19	5
दमन और दीव		0	3	0
पांडिचेरी	20	15	19	0
योग:	**50,993**	**50,494**	**65,459**	**52,192**

टिप्पणी — इस योजना पर 1-4-1987 से निगरानी रखी जा रही है।

अनुलग्नक ख-VI

सातवीं योजना (1985—90) और 1990-91 के दौरान सूत्र सं० 15 के अंतर्गत की गई स्कीमों में पर्यावरणीय सुधार की वास्तविक प्रगति

(स्लम निवासी लाखों में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	5.38	3.90	3.54	3.64	2.21	3.01
असम	0.13	0.10	0.10	0.09	0.06	0.07
बिहार	0.37	0.40	0.38	0.43	0.33	0.25
गोवा	0.03	0.02	0.01	0.02	0.01	0.00
गुजरात	0.39	0.13	0.24	0.35	0.77	0.41
हरियाणा	0.73	0.37	0.53	0.49	0.38	0.39
हिमाचल प्रदेश	0.05	0.05	0.06	0.08	0.10	0.14
जम्मू और कश्मीर	0.13	1.32	0.23	0.16	0.27	0.10
कर्नाटक	0.55	0.67	0.66	0.61	0.80	0.80
केरल	0.30	0.08	0.16	0.21	0.19	0.26
मध्य प्रदेश	0.93	1.68	1.62	1.40	1.63	1.17
महाराष्ट्र	1.90	2.93	3.09	3.25	4.14	4.04
मणिपुर	0.01	0.02	0.04	0.04	0.03	0.00
मेघालय	0.06	0.08	0.05	0.07	0.07	0.08
मिजोरम	0.07	0.00	0.00	0.05	0.05	0.05
उड़ीसा	0.27	0.12	0.10	0.10	0.10	0.18
पंजाब	1.91	1.81	1.50	0.70	0.75	0.71
राजस्थान	0.74	0.24	0.32	0.39	0.48	0.68
सिक्किम	0.02	0.04	0.05	0.05	0.05	0.02
तमिलनाडु	0.72	0.64	0.74	0.80	0.80	0.96
त्रिपुरा	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10
उत्तर प्रदेश	2.06	2.08	1.91	1.86	2.16	2.36
पश्चिम बंगाल	1.70	1.36	1.08	1.23	0.98	1.16
संघ राज्य क्षेत्र						
अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00
चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00
दिल्ली	1.92	1.75	0.92	4.51	3.97	2.29
पांडिचेरी	0.11	0.12	0.12	0.15	0.12	0.12
योग	20.57	20.00	17.56	20.93	20.56	19.35

अनुलग्नक-ग

शहरी क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग आवास हेतु 1991-92 के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम के लिए लक्ष्य

(रिहायशी एकक)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग	निम्न आय वर्ग
आन्ध्र प्रदेश	6.100	1.500
असम	2.076	504
बिहार	660*	1.300*
गोवा	100	50
गुजरात	1.200	900
हरियाणा	500	700
हिमाचल प्रदेश	50	140
जम्मू तथा कश्मीर	900*	50*
कर्नाटक	4.000	2,000
केरल	12.554	3,500
मध्य प्रदेश	4.000	2,000
महाराष्ट्र	6,800	9,500
मणिपुर	300	220
मिजोरम	120	260
मेघालय	142	48
उड़ीसा	1.500	3.000
पंजाब	100*	350*
राजस्थान	1.500*	3,500
सिक्किम	40	0
तमिलनाडु	8.209*	10.728*
त्रिपुरा	160*	85*
उत्तर प्रदेश	18.000*	7,500*
पश्चिम बंगाल	295*	664*
संघ राज्य क्षेत्र		
अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	30	100
दिल्ली	8.300	42
चंडीगढ़		750
दमन और दीव		4
योग :	77,636	49,391

*लक्ष्य अभी अनन्तिम है ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, पहली पंचवर्षीय योजना में आवास के लिए 54 प्रतिशत निवेश किया गया । छठी योजना में यह निवेश घटकर 8 प्रतिशत हो गया । इस प्रश्न का जो उत्तर दिया गया है उससे भी आवास के लिए निवेश की इस तीव्र गिरावट की पुष्टि होती है और इसमें इस बात को स्वीकार किया गया है कि 1 मार्च, 1990 को 30.3 मिलियन आवासीय इकाइयों की कमी थी जिसमें 20.3 मिलियन ग्रामीण क्षेत्रों में है और 10 मिलियन शहरी क्षेत्र में है । सरकार इस कमी को कैसे पूरा करना चाहती है और इस बात को सुनिश्चित करना चाहती है कि इस शताब्दी के अंत तक यह कमी और अधिक न हो जाए, जैसा कि उत्तर में ही कहा गया है कि सरकार राष्ट्रीय आवास नीति को अंतिम रूप देना चाहती है जिसका मसौदा अनेक वर्ष पहले जारी किया गया था और जिसे अभी अंतिम रूप दिया जाना है ? सरकार आवास की इस कमी को पूरा करने के लिए कैसे और कब तक इस आवास नीति को अंतिम रूप देना चाहती है ?

श्री एम० अरुणाचलम : महोदय, माननीय सदस्य को ज्ञात है प्रारूप राष्ट्रीय आवास नीति 1988 में संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी गई थी । राज्य सभा ने इसे स्वीकार भी कर लिया था । तथापि आठवीं योजना में सरकार की नई प्राथमिकताओं और संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए इसके प्रारूप में संशोधन करना आवश्यक है । नीति के विभिन्न पहलुओं के बारे में भिन्न-भिन्न मंत्रालयों से परामर्श करना भी आवश्यक है । सरकार का यह प्रस्ताव है कि यह सब कार्यवाहियां पूरी करके इस वर्ष के अंत तक इससे संबंधित दस्तावेज़ संसद के समक्ष रख दिए जाएं ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मुझे याद है कि प्रारूप राष्ट्रीय आवास नीति में इस तथ्य को स्वीकार किया गया था कि आवासीय गृहों-भवन निर्माण आदि से संबंधित जो अनेक कानून देश में प्रचलित हैं उनमें संशोधन करने की आवश्यकता है ताकि किरायेदारों के हितों और गृह-निर्माण कार्यों के संवर्धन की आवश्यकताओं के बीच संतुलन रखा जा सके । क्या सरकार के पास इस प्रकार का संतुलन बनाए रखने के लिए कोई विशिष्ट योजना है ? इस उत्तर में यह भी कहा गया है कि सरकार का विचार किराया नियंत्रण कानूनों में सुधार करने का भी है । इनमें किस प्रकार का सुधार किए जाने का विचार है ?

श्री एम० अरुणाचलम : सरकार शहरी भूमि सीमा अधिनियम और किराया नियंत्रण अधिनियम आदि में संशोधन करना चाहती है । और मेरे विचार से हम इसे इस वर्ष के अंत तक अंतिम रूप दे देंगे तथा इसे समापटल पर रख देंगे ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यह शब्द 'किराया नियंत्रण नियम' है न कि केवल 'शहरी सीमा' है ।

श्री एम० अरुणाचलम : हम दोनों पर विचार कर रहे है ।

प्रो० के० वी० थामस : महोदय, 1969 में केरल में जो एक लाख आवासों की योजना शुरू की गई थी वह पूरे राष्ट्र में मुख्य आवास योजना है । उसके बाद से आवास योजना के मामले में आगे रहे हैं । इस वर्ष राज्य सरकार ने एक मिलियन आवास एकल योजना शुरू करने का निर्णय लिया है जिसमें प्रति वर्ष दो लाख आवास तैयार होंगे । उन्होंने भारत सरकार से हुडको जैसी आवास एजेंसी के माध्यम से यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए केरल राज्य की सहायता करने का अनुरोध किया है । मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार इस संबंध में कौन से कदम उठाएगी ?

श्री एम० अरुणाचलम : जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि आवास राज्य का विषय है । हम उनके प्रयासों में सहायता दे रहे हैं । हम आपके अनुरोध पर विचार करेंगे और हम 'हुडको' से आपके अनुरोध पर विचार करने के लिए कहेंगे ।

श्री छन्ना जोशी : भूमि सीमा अधिनियम में कौन से संशोधन करने का प्रस्ताव है और क्या सरकार इस सत्र अथवा अगले सत्र में वह संशोधन लाने के लिए संशोधनकारी विधेयक लाना चाहती है ?

मेरा दूसरा प्रश्न है कि पिछली सरकार ने शहरी भूमि सीमा अधिनियम का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित की थी ताकि वह इस अधिनियम में संशोधन करने के लिए सिफारिश करे । मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह प्रतिवेदन सरकार को मिल गया है । यदि वह प्रतिवेदन सरकार को मिल गया है तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या है ?

श्री एम. अरुणाचलम : शहरी भूमि सीमा अधिनियम के बारे में हम विभिन्न राज्य सरकारों से परामर्श कर रहे है । हम इसे इस वर्ष के अंत तक अंतिम रूप दे देंगे और शरदकालीन सत्र में इसे समापटल पर रख देंगे ।

समिति की रिपोर्ट का जहां तक सवाल है, वह हमें प्राप्त हो गई है । हम उस रिपोर्ट का विश्लेषण कर रहे हैं ।

श्री मनोरंजन भक्त : माननीय मंत्री जी मेरे अच्छे मित्र हैं परन्तु अपने वक्तव्य में उनके द्वारा दिया गया उत्तर सच्चाई से काफी परे है । मैंने यह देखा है कि छोटे प्रदेशों को मंत्रियों के हाथों हमेशा कठिनाई झेलनी पड़ती है ।

अपने उत्तर में उन्होंने कहा है कि अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूह में शहरी क्षेत्रों में आवास की कोई कमी नहीं है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 0.02 प्रतिशत की कमी है । अनुबन्ध ख-1 में बीस सूत्रीय कार्यक्रम के 14(क) के अन्तर्गत प्रगति के बारे में यह उल्लेख किया गया है कि 0.03 लाख परिवारों को आवास-स्थलों का आबंटन कर दिया गया था । सं० 14(ख) के अन्तर्गत भी निर्माण सहायता के सम्बन्ध में कुछ आंकड़ों का जिक्र किया गया है । सं० 14(ग) इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत कुछ आंकड़ों का उल्लेख किया गया है । सूत्र सं० 14(ङ) निम्न आय वर्ग के आवास के अन्तर्गत कुछ आंकड़ों का उल्लेख किया गया है । ये सभी बीस सूत्रीय कार्यक्रम के सूत्र सं० 15 के अन्तर्गत आते हैं ।

वक्तव्य के अनुसार वर्ष 1986-89 के दौरान 0.02 लाख परिवारों को आवास स्थलों का आबंटन किया गया है । वर्ष 1987-88, 1988-89 तथा 1989-90 में कोई आबंटन नहीं किया गया है । वर्ष 1988-89 में अनुबन्ध ख-II में दिये गये वक्तव्य के अनुसार बीस परिवारों को निर्माण सहायता प्रदान की गई है तथा वर्ष 1989-90 में 55 परिवारों को निर्माण सहायता दी गई है ।

मेरी यह चुनौती है कि ये आंकड़े सत्य नहीं है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वह दिल्ली के किसी अधिकारी को इन सभी तथ्यों की जांच करने के लिए प्रतिनियुक्त करेंगे जिससे यह निर्धारित किया जा सके कि यह सूचना सही है अथवा नहीं तथा सभा पटल पर वास्तविक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये ।

श्री एम. अरुणाचलम : माननीय सदस्य द्वारा बताये गये आंकड़े वर्ष 1981 की जनगणना पर आधारित हैं तथा यह आंकड़े राष्ट्रीय भवन संगठन की प्रतिवेदन पर आधारित हैं । यदि इसमें किसी को कोई संदेह है तो मैं निश्चित रूप से अपने लोगों से वहां जाने तथा स्थिति का जायजा लेने के लिए कहूंगा ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : दिनांक 1-3-1990 तक आवास की कमी 30.3 करोड़ इकाई थी । इस समस्या का समाधान करने के लिए हमें इस सम्बन्ध में कोई व्यापक तरीका अपनाने की आवश्यकता है । सभा में आवास नीति प्रस्तुत करने अथवा उसे अन्तिम रूप देने से पूर्व क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि

देश में राष्ट्रीय आवास अधिकार अभियान के अन्तर्गत भारी अभियान चलाया जा रहा है जिसके प्रतिनिधि विभिन्न राजनैतिक दलों, स्वैच्छिक संगठनों, व्यापार संघों, किसान आंदोलनों इत्यादि को परस्पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने कई नये विचार संचारित किए हैं ताकि आवास के अधिकार को संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी जा सके। क्या सरकार को इस बात की जानकारी है तथा यदि है तो क्या सरकार इन संगठनों द्वारा दिये गये प्रस्तावों पर विचार करने जा रही है? वे वास्तव में संसद सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु एक विधेयक का मसौदा तैयार कर रहे हैं।

मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस संगठन जो राजनैतिक दलों तथा जन-संगठनों के साथ आदान प्रदान कर रहा है, द्वारा दिये गये सभी प्रस्तावों तथा सुझावों के बारे में एक व्यापक दृष्टिकोण अपनायेगी।

अपनी नीति को अन्तिम रूप देते समय क्या आप इन सभी प्रस्तावों को ध्यान में रखेंगे तथा क्या आप आवास को संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देंगे?

श्री एम. अरुणाचलम: मैं पूरी तरह से प्रश्न को समझ नहीं पाया हूं। क्या माननीय सदस्य प्रश्न दोहरायेंगे?

श्री सैफुद्दीन चौधरी: राष्ट्रीय आवास अधिकार अभियान नामक एक संगठन जो इस समय देश में कार्यरत है उसके कार्यकर्ता राजनैतिक दलों तथा व्यापारिक संगठनों, किसान संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों तथा युवा संगठनों जैसे जन संगठनों को प्रभावित कर रहे है तथा उन्होंने आवास को संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने के लिए एक विधेयक का मसौदा तैयार किया है। अपनी नीति का प्रारूप तैयार करते समय क्या आप उस संगठन को तथा जो भी उसे कहना हो उन सब बातों को अपने विश्वास में लेकर ही उनके साथ कुछ सम्पर्क करेंगे तथा वास्तव में इस नीति को एक यथार्थवादी नीति बनायेंगे ताकि आवास की व्यवस्था उन सभी 30.3 करोड़ लोगों के लिए की जा सके जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं तथा क्या आप इसे तुरन्त महत्वपूर्ण समझ कर इस पर विचार करेंगे?

श्री एम. अरुणाचलम: जी हां। सरकार विभिन्न संगठनों के साथ आवास के अधिकार को मान्यता देने के लिए सम्पर्क बनाए हुए हैं तथा हम इसे मूलभूत सिद्धान्तों में सम्मिलित करेंगे। यदि माननीय-सदस्य का कोई सुझाव है तो उन्हें इसे देने का पूरा अधिकार है तथा हम उन्हें इस बारे में सूचित करेंगे।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे: उत्तर में दिये गये आंकड़ों के बारे में मुझे संदेह है। अनुबन्ध ख-II में यह बताया गया है कि वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 में आन्ध्र प्रदेश में 83,000 मकानों तथा लगभग 77,000 मकानों का निर्माण किया गया था। आन्ध्र प्रदेश में श्री एन० टी० रामाराव सरकार के सत्ता से हटने के बाद इस वर्तमान सरकार ने कमजोर वर्गों के लिए स्थायी रूप से आवास कार्यक्रम के अन्तर्गत गृह-निर्माण का कार्य आरम्भ नहीं किया है। इसी के परिणामस्वरूप यहां पर कामकाज लगभग ठप्प हो गया है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इन आंकड़ों की सत्यता का पता लगाने के लिए किसी को वहां भेजें क्योंकि सभी में गलत आंकड़े नहीं दिये जाने चाहिए। मैं आपके ध्यान में यही बात लाना चाहता हूं।

सभापति महोदय: आप प्रश्न से अलग जा रहे हैं।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे: मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वह इस सम्बन्ध में किसी को सच्चाई का पता लगाने के लिए भेजेंगे। वर्तमान किराया नियंत्रण अधिनियम मकान मालिकों के

लिए प्रोत्साहनवर्धक नहीं रह गया है।

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न पहले ही पूछा जा चुका है।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाहडे: मैं संबंधित प्रश्न पर ही आ रहा हूं। काफी समय लिया जा चुका है। शहरीकरण सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग द्वारा काफी समय पूर्व अपनी रिपोर्ट दे दी गई है और राष्ट्रीय आवास बैंक की पहले ही स्थापना की जा चुकी है। प्रस्तावित विधान जिसमें ये सभी मुद्दे शामिल हैं जिनका आपके उत्तर में जिक्र किया गया है उसको प्रस्तुत करने का यही सही समय है।

अध्यक्ष महोदय: राव जी, कृपया सम्बन्धित प्रश्न ही पूछिये।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाहडे: क्या आप इसी सत्र में अथवा कम से कम अगले सत्र में संशोधन लेकर आयेंगे ताकि राष्ट्रीय आवास बैंक घर निर्माण करने में गरीबों की मदद कर सके?

अध्यक्ष महोदय: इस सम्बन्ध में दो प्रश्न हैं। आपने जो आंकड़े दिए हैं क्या आप उनकी सत्यता की जांच करेंगे तथा क्या आप किराया नियंत्रण अधिनियम में संशोधन करने के लिए कोई विधान लायेंगे?

श्री एम. अरुणाचलम: जहां तक आंकड़ों का सवाल है वे आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा दिये गये हैं।

जहां तक विधान में संशोधन लाने का सवाल है, ऐसा इस सत्र में संभव नहीं है। हम इस बारे में अगले सत्र में विचार करेंगे।

श्री चन्द्रजीत यादव: यह सच है कि इस देश में आवास की समस्या ने एक गंभीर राष्ट्रीय समस्या का रूप धारण कर लिया है तथा विशेष रूप से निम्न आय वर्ग के लोगों को इस गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मैं जानता हूं कि केवल सरकार ही हर व्यक्ति को आवास की सुविधा प्रदान नहीं कर सकती। किराया नियंत्रण अधिनियम पुराना हो गया है।

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी ने पहले ही इसका उत्तर दे दिया है।

श्री चन्द्रजीत यादव: निजी क्षेत्र में अधिकांश व्यक्ति जो घर बनाना चाह रहे हैं वे नये घर बनाने के लिए पैसा नहीं लगा रहे हैं क्योंकि वे इस सच्चाई से वाकिफ है कि उन्हें मकान किराया आदि कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है तथा समझौते के मुताबिक किराएदार मकान खाली नहीं कर रहे हैं। इन सभी समस्याओं को तथा वित्त मंत्री द्वारा अगले ही दिन की गई घोषणा कि आवास क्षेत्र में लोग और अधिक पूंजी लगायें इसके लिए कुछेक ठोस कार्य किए जा रहे हैं, इसको ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय राष्ट्रीय आवास योजना को यथाशीघ्र अन्तिम रूप देने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे ताकि इस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए ठोस कदम उठाये जा सकें।

श्री एम. अरुणाचलम: मैंने इससे पूर्व कहा था कि इस वर्ष के अन्त तक सभा पटल पर आवास नीति का मसौदा प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री प्रतापराव जी. भोंसले: अध्यक्ष महोदय, यहां पर कुछ सजैस्शन्स दिये गये हैं। हमारे यहां मकानों की प्रौब्लम है—देहातों में करीब 20 लाख और शहरों में करीब 10 लाख की कमी है, लेकिन मुझे लगता है कि यह आंकड़ा भी सही नहीं है, मकानों की आवश्यकता इससे कहीं ज्यादा है। दूसरे, जो सजैस्शन्स यहां दिये गये हैं, उनमें एक सुझाव यह आया है कि सरकार को सस्ते मकान बनाने पर ध्यान देना चाहिये,

फ़्लाई ऐश का इस्तेमाल होना चाहिये, मैं इसी तारतम्य में मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हमारे यहां महाराष्ट्र में एक एजेंसी सीके सीपोरैक्स है जो नई तकनीक को अपना कर मकान निर्माण करने का काम करती है और उसकी डेवलप्ड तकनीक के आधार पर दो महीने में उतना निर्माण कार्य हो सकता है, जितना साधारणत: एक साल में होता है। हर साल महाराष्ट्र सरकार का 10 परसेंट हाउसिंग का काम इसी एजेंसी को दिया जाता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी जायेगी। आप कोई विशिष्ट प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, दार्जिलिंग, आसाम तथा डोआर क्षेत्रों में चाय की खेती करने वाले क्षेत्रों में आवास-गृहों की भारी कमी है। भारत सरकार, चाय-बागानों के मालिकों तथा संघ के साथ यह एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ था जिसके अन्तर्गत प्रतिवर्ष दस प्रतिशत आवास गृहों का निर्माण किया जायेगा। परन्तु इसका पालन नहीं किया जा रहा है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम, 'हुडको' तथा शहरी विकास मंत्रालय सहित अन्य संगठनों के सहयोग से एक योजना बनायेगी ताकि आवास-गृह की समस्या विशेष रूप से चाय की खेती करने वाले क्षेत्रों में जहां पर यह समस्या काफी गंभीर है, का समाधान किया जा सके।

श्री एम० अरुणाचलम : जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं आवास राज्य का विषय है। आवास योजनायें राज्य सरकारों द्वारा ही बनाई जाती हैं तथा क्रियान्वित की जाती हैं। केन्द्रीय सरकार का हस्तक्षेप गरीब तथा कमजोर वर्गों के लिए विशेष योजनायें बनाने हेतु हुआ है। माननीय सदस्य द्वारा दिये गये सुझावों पर निश्चित रूप से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विचार किया जायेगा।

श्री राम कापसे : अध्यक्ष महोदय, यहां इस बात का उल्लेख किया गया है कि जहां तक महाराष्ट्र का सम्बन्ध है 10 लाख आवासीय ईकाइयों की कमी है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह समझा जाता है कि झुग्गियों में रहने वाले लोगों के भी अपने आवास हैं क्योंकि आवास सम्बन्धी जो भी योजनायें हैं उनमें महाराष्ट्र के लिए सबसे अधिक ईकाई है। आप जानते हैं कि मुंबई और अन्य नगरों में झुग्गियों में रहने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है। क्या ऐसा समझा जायेगा कि झुग्गियों में रहने वाले लोगों को आवास सुविधा मिली हुई है?

श्री एम० अरुणाचलम : कम लागत वाली सफाई योजना आदि की भांति हमने झुग्गियों के विकास हेतु अनेक योजनायें बनायी हैं...

श्री राम कापसे : क्या उन्हें बेघर समझा जायेगा अथवा ऐसा समझा जायेगा कि उन्हें आवासीय ईकाई प्राप्त है?

श्री एम० अरुणाचलम : उन्हें झुग्गी निवासी समझा जायेगा। (व्यवधान)

श्री राम कापसे : यदि आंकड़ा दस लाख है तो निश्चित रूप से यह गलत है। सिर्फ महाराष्ट्र में ही लाखों लोग झुग्गियों में रह रहे हैं। यदि आप उन्हें बेघर माने सिर्फ तभी आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपने आंकड़े दिए हैं।

श्री एम० अरुणाचलम : यही तो मैंने कहा है। हमने झुग्गी विकास बोर्ड गठित किया है।

श्री अन्ना जोशी : मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या उन्हें आपकी आवासीय नीति में सम्मिलित किया गया है। क्या आप उनके लिए भी आवास की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं?

श्री एम० अरुणाचलम : सुधारक योजना के लिए हमने एक विभाग खोला है । हम इसे लागू कर रहे हैं ।

डा० उमा रेड्डी वेंकटेश्वरालु : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ जानकारी हासिल करना चाहता हूँ । इस आवासीय कार्यक्रम का अन्तराल बहुत अधिक है । ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय कोलोनियों के निर्माण हेतु कृषि योग्य भूमि अधिग्रहीत की जा रही है । इन आवासीय कोलोनियों के निर्माण हेतु कुल कितनी कृषि योग्य भूमि अधिग्रहीत की गयी है ? इससे पिछले एक दशक में देश में कृषि उत्पादन में कितना नुकसान हुआ है ? क्या सरकार के पास आन्ध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में, तूफान-ग्रस्त क्षेत्र में आवास निर्माण हेतु इन्दिरा आवास योजना की भाँति कोई अन्य कार्यक्रम है ?

श्री एम० अरुणाचलम : आवास निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण राज्य सरकार कर रही है । जहाँ तक तटीय क्षेत्र का सम्बन्ध है उसके लिए हमने इन्दिरा आवास योजना बनाई है और राज्य सरकार द्वारा हम इसे लागू कर रहे हैं । (व्यवधान)

श्री उमा रेड्डी वेंकटेश्वरालु : मैंने पूरे कृषि योग्य भूमि के सम्बन्ध में पूछा था । उन्होंने आँकड़े नहीं दिये हैं । क्या इसे बाद में भेजा जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : वे इस प्रकार से आँकड़े नहीं बता सकते हैं । अगर संभव हुआ वे आपको आँकड़े भेज देंगे ।

[हिन्दी]

श्री मदनलाल खुराना : अध्यक्ष जी, जो अनेकश्चर फिजीकल प्रोग्रेस का दिया गया है अगर आप उसमें देखें तो दिल्ली में वर्ष 1986-87 में जीरो, 1987-88 में जीरो और वर्ष 1990-91 में जीरो दर्शाया गया है । अर्थात् तीन सालों में वीकर सेक्शन के लिए एक भी मकान नहीं बना, यानी 5 सालों में से 3 सालों में दिल्ली में वीकर सैक्शन के लिए एक भी मकान न बनाने का क्या कारण है ? मेरे प्रश्न का पार्ट ए तो यह है और पार्ट बी लास्ट ईयर दिल्ली प्लानिंग बोर्ड की मीटिंग हुई, उसके अंदर यह फैसला किया गया था कि एक प्लान के अंदर हम जिसमें अम्बेडकर योजना, ग्रुप हाउसिंग योजना और एम सी डी आदि के अंदर साढ़े सात लाख मकानों का टारगेट रखा गया, यानी एक प्लान में साढ़े सात लाख मकान बनने थे जिसका सीधा अर्थ यह है कि एक साल के अंदर डेढ़ लाख मकान बनने थे और अध्यक्ष जी, 8.5 थाउजेंड मकान बने हैं, तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर हाउसिंग की प्राबलम को और खासकर वीकर सैक्शन को और झुग्गी-झोंपडी एरिया के लोगों को प्लॉट देने के लिए या उनकी हवेलिंग यूनिट्स को बढ़ाने के लिए क्या योजना बन रही है और....

अध्यक्ष महोदय : दिल्ली के लिए क्या कर रहे हैं, बस यही बतलाइए । खुराना जी ऐसा नहीं चलेगा । आप तो एक के बाद एक प्रश्न पूछते ही जा रहे हैं । मंत्री जी सिर्फ यह बताइए कि दिल्ली के लिए क्या कर रहे हैं और क्या इस कार्य के लिए निर्धारित पैसा कहीं डाइवर्ट किया है, इनके सिर्फ इन दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।

[अनुवाद]

श्री एम० अरुणाचलम : जैसा कि माननीय सदस्य महोदय अच्छी तरह जानते हैं कि दिल्ली का विकास दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है । दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जमीन का अधिग्रहण

किया जा रहा है और सोसायटियों को जमीन दी जा रही है तथा निर्धन वर्गों के लिए प्लाट आवंटित किये जा रहे हैं।

आंकड़ों के बारे में मैं आपको बता दूंगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : तथ्यों और आंकड़ों से इस समस्या के बारे में पता चलता है कि 10 मिलियन आवासीय इकाइयों के निर्माण की आवश्यकता है जिसका अर्थ है सात करोड़ परिवारों को आवासीय इकाइयों की आवश्यकता है। मेरा पहला प्रश्न है कि देश में कितने परिवार हैं जिनमें से इन सात करोड़ को आवास की सुविधा देनी है। यह प्रश्न का पहला भाग है। इसमें झुग्गीवासी शामिल नहीं किए गए हैं। मुझे पता है कि किसी भी समाज में पायी जाने वाली समस्याओं में आवासीय समस्या अन्तिम समस्या है। यह समस्या इतनी बड़ी है कि मैं सरकार को इस दृष्टि से दोषी नहीं ठहरा सकता हूं। सरकार जब यह कहती है कि काले धन को शामिल किया जायेगा, उसे आवासीय क्षेत्र में लगाया जायेगा तो इससे सरकार का क्या पूर्वानुमान है? इस काले धन के निवेश द्वारा चालू बजट में वे कितने आवासीय इकाइयों के निर्माण का अनुमान लगा रहे हैं? यह प्रश्न का भाग है। **(व्यवधान)** मैं पटरी पर रहने वाले लोगों की बात कर रहा हूं। पटरी पर जीवन बसर करना एक बिल्कुल भिन्न समस्या है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया स्पष्ट प्रश्न पूछिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : फुटपाथ पर रहने वाले लोगों के लिए शहरी क्षेत्रों में कितने शरण स्थलों के निर्माण का प्रस्ताव है और कितने ऐसे लोगों को जिनके पास कोई आवासीय इकाई नहीं है, उसमें शामिल किया जएगा, क्योंकि ऐसे बड़े शरण स्थलों जिनमें सोने की उचित व्यवस्था हो, के निर्माण पर जोर नहीं दिया गया है?

श्री एम॰ अरुणाचलम : आवासीय इकाइयों की कमी से सम्बन्धित विवरण उत्तर में ही दे दिया गया है। माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए अन्य मामलों के सम्बन्ध में मैं आंकड़ों को इकठ्ठा करके सदन के समक्ष प्रस्तुत करूंगा।

शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना

*184. **श्री भाग्ये गोवर्धन** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार अनुसूचित जनजाति के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की पर्याप्त सुविधा देने हेतु अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को निर्देश जारी करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, तथा जनजातीय भाषाओं के संवर्धन और विकास के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

संविधान के अनुच्छेद 350-क में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य व राज्य के अन्तर्गत प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की

पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए प्रयास करेंगे । तदनुसार भारत सरकार की यह नीति रही है कि जहां एक स्कूल में कम से कम 40 या एक कक्षा में 10 चाहे अल्पसंख्यक के छात्र, इस प्रकार की सुविधाएं चाहते हों तो वहां ये सुविधाएं प्रदान की जाएं ।

2. चूंकि स्कूली शिक्षा का प्रबंध राज्यों द्वारा किया जा रहा है, इसलिए वे कुल मिलाकर इस नीति का अनुसरण करते रहे हैं और उन्होंने अपने स्तर पर कार्रवाई प्रारंभ कर दी है । इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर श्रव्य, दृश्य व संगणक जैसे अन्य माध्यमों के जरिए भाषा पाठ्यपुस्तकें व शिक्षण सामग्री तैयार करता है, कई जनजातीय भाषाओं में व्याकरण, शब्दकोश, प्रवेशिका आदि तैयार करता है, शिक्षण सामग्री आदि के प्रयोग में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करता है । यह संस्थान, उन द्विभाषी प्रवेशिकाओं को भी तैयार करता है जिनसे जनजातीय बच्चों की जनजातीय भाषा में शिक्षा प्रारम्भ होती है और धीरे-धीरे वे प्राथमिक स्तर के अंत तक राज्य की भाषा को अपना लेते हैं ।

श्री भाग्ये गोवर्धन : माननीय मंत्री महोदय द्वारा सभा पटल पर रखा गया उत्तर अस्पष्ट है, न केवल अस्पष्ट है बल्कि आंशिक रूप से झूठा भी है ।

प्रश्न के भाग (क) के सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय ने सिर्फ आधे भाग में ही भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 (क) का उल्लेख किया है जब कि मैंने यह आशा की थी कि वे पूरे भाग के सन्दर्भ में इसका उल्लेख करेंगे । ऐसा इस कारण है कि उत्तर का प्रथम भाग वास्तव में उस संवैधानिक उपबन्ध के द्वितीय भाग से सम्बन्धित है ।

मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या अनुसूचित जनजाति के बच्चों की उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने के निर्देश भारत के राष्ट्रपति द्वारा सभी राज्यों को दिए गये हैं । यह प्रश्न है । लेकिन यहां माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इस प्रकार की भी एक नीति है कि इन क्षेत्रों में जहां भी विद्यालय है और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक बच्चे वहां हैं, यदि एक विद्यालय में उनकी कुल संख्या 40 है और एक वर्ग में ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 10 या उससे अधिक है तो यदि वे चाहें तो उन्हें ऐसी सुविधा मिल जायेगी । मैं एक बहुत ही स्पष्ट प्रश्न करना चाहूंगा । क्या माननीय मंत्री जी इस बात को जानते हैं कि वर्ष 1984 में अनुसूचित जनजातियों के विकास पर कार्य करने वाले दल ने एक नीति अपनाये जाने के सम्बन्ध में विशेष सिफारिश की थी । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह एक व्याख्यान होता जा रहा है ।

श्री भाग्ये गोवर्धन : ठीक है । मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि उन आठ राज्यों में जो अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र है, वहां प्राथमिक विद्यालयों में अनुसूचित जनजाति के छात्रों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाती है अथवा नहीं ।

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, मैं माननीय सदस्य महोदय को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि मुझसे गलती हो सकती है लेकिन मेरे पास जो भी जानकारी है उसे मैं लोक सभा में प्रस्तुत करूंगा । यदि ऐसा होगा तो मैं जाने की अनुमति चाहूंगा और पुनः आऊंगा । प्रश्न वैसा कि माननीय सदस्य महोदय ने स्पष्ट किया है कि इस समय हम किस स्तर तक अनुसूचित जनजाति के लोगों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दे पाने में सक्षम हुए हैं । मैं स्पष्ट रूप से यह स्वीकार करता हूं कि जिस स्तर तक यह किया जाता था और जिस स्तर तक यह किया जाना है वह लक्ष्य अभी प्राप्त नहीं हो पाया है । मैं इसे छोड़ नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि यह बहुत ही स्पष्ट है । इसमें कुछ कठिनाई उत्पन्न हो गयी है । मैंने ध्यानपूर्वक इस मुद्दे का अध्ययन किया है और मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य महोदय को यह बताना चाहूंगा कि इस सत्र में ही मैं इस सभा के अनुसूचित जाति के सभी माननीय सदस्यों से एक साथ मिल बैठने का यह अनुरोध कर रहा हूं कि ताकि हम यह

सुनिश्चित कर सकने का कोई रास्ता निकल सके कि इस सम्बन्ध में दिये गये निदेश लागू किये जा सकें और यह देख सकें कि उनका पालन किया जा रहा है या नहीं और अन्य क्या उपाय किये जाने की आवश्यकता है। *ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता हूं।*

श्री भाग्ये गोवर्धन : माननीय मंत्री ने हमें आश्वासन दिया है, इसके लिए मैं उनका आभारी हूं। इसके साथ ही मैं एक और प्रश्न पूछना चाहूंगा। मैं जानना चाहूंगा कि 11 जुलाई के राष्ट्रपति के भाषण में और माननीय वित्त मंत्री के बजटीय भाषण में प्राथमिक शिक्षा के स्तर का जो उल्लेख किया गया था क्या उसका आशय यह है कि सिर्फ इस वर्ष ही राशि नहीं दी जाएगी अपितु आने वाले वर्षों में भी बेहतर प्राथमिक शिक्षा के लिए राशि दी जाएगी। इसमें संविधान के अनुच्छेद 350-ए के अनुसार प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के द्वारा शिक्षा देना भी शामिल है जिसके लिए स्वर्गीय पण्डित नेहरू द्वारा 1956 में 7वां संशोधन लाया गया था।

श्री अर्जुन सिंह : जहां तक राशि का प्रश्न है यह मुख्यत: राज्य सरकार के क्षेत्र में आता है। मैं नहीं बता सकता कि विभिन्न राज्यों में किस प्रकार की राशि उपलब्ध कराई जा रही है। यह स्पष्ट है कि संसाधन की समस्या सारे देश में ही है और सभी राज्य और केन्द्र में भी यह समस्या है। मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि मैं अपने वित्त मंत्री को प्रभावित करने के लिए ताकि वे मेरी सहायता करें, इस सभा के माननीय सदस्यों की भावनाओं को उन तक पहुंचाऊंगा।

[हिंदी]

श्री कमला दास : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो अभी उन्होंने यह कहा कि आदिवासियों को उनकी भाषा में शिक्षा मिले, उसके लिये उन्होंने एश्योरेंस दिया है कि सब के साथ बैठ कर वह कोई योजना बनायेंगे लेकिन अनुसूचित जन जातियों के विद्यार्थियों को शिक्षित करने के लिये सरकार ने क्या कोई विशेष कदम उठाये हैं, कितने उनके लिये होस्टल खोले हैं, क्या उनको विशेष सुविधायें दी जा रही हैं, क्या उनको ऐसा कोई प्रोत्साहन दिया जा रहा है जिस के कारण वह ज्यादा आकर्षित होकर शिक्षित हों और अपने पैरों पर खड़े हो सकें?

श्री अर्जुन सिंह : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इसकी मुझे सूचना मिलते ही मैं जरूर माननीय सदस्य तक जानकारी पहुंचा दूंगा।(व्यवधान)

श्री कमला दास : मेरा यह कहना है कि अनुसूचित जन जाति के विद्यार्थियों को ऐसी कोई सुविधायें प्राप्त नहीं होती हैं ----(व्यवधान)-----

अध्यक्ष महोदय : यह प्राइमरी स्कूल अलग-अलग स्टेट्स में होते हैं। उसके स्टैटिस्टिक्स और इनफर्मेशन स्टेट से कलैक्ट करनी होती है। ऐन वक्त पर ऐसा प्रश्न पूछने के बाद मिनिस्टर के पास इनफर्मेशन होना मुश्किल बात है।

(व्यवधान)

[अनुवाद] :

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न को अस्वीकृत कर रहा हूं।

[हिंदी]

श्री सत्य नारायण जटिया : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को शिक्षा के क्षेत्र में काफी अनुभव है। जैसा कि उन्होंने कहा कि हम इस क्षेत्र के अन्दर कुछ नया करने जा रहे हैं, परन्तु साथ-साथ यह भी

कहा गया है कि धन के अभाव में बहुत सारी बातें ठीक नहीं हो पाती हैं। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा एक प्राथमिक और मौलिक आवश्यकता है और इस दृष्टि से उन लोगों को जिन तक शिक्षा नहीं पहुंच पाती है यानी कि अनुसूचित जन जाति के लोगों तक, उनको उनकी मातृभाषा में शिक्षा दे करके प्रोत्साहित करने के लिये निश्चित रूप से नई योजनाओं को बनाने की आवश्यकता है। इसलिये मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इसके लिये यदि धन की भी आवश्यकता हो तो क्या उसे केन्द्र सरकार देगी?

श्री अर्जुन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्वयं कहा कि जहां तक धन का सवाल है, राज्यों की तरफ से यहां कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसमें माननीय जटिया जी का जो प्रभाव क्षेत्र है, वह उसका फायदा जरूर उठा सकते हैं लेकिन धन के मामले में जो वर्तमान स्थिति है, उन सीमाओं के अन्दर ही हम काम कर सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री वल्लभ पाणिग्रही : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि कुछ भाषाएं ऐसी हैं जो आदिवासियों की एक बड़ी संख्या द्वारा बोली जाती है, वे आदिवासी भाषाएं नहीं हैं, किन्तु इन भाषाओं में ऐसी विशेषताएं है कि उन्हें अलग भाषा माना जाए और ऐसी भाषाओं को मान्यता नहीं मिली हुई है। ऐसी भाषाओं में प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को शिक्षा नहीं दी जाती। इसलिये इससे मुश्किल पैदा हो रही है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछें।

श्री वल्लभ पाणिग्रही : महोदय, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। उदाहरण के लिए, उड़ीसा में सम्बलपुरी पाँच से अधिक जिलों में एक करोड़ से अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है जिसमें पचास लाख आदिवासी भी सम्मिलित हैं। इसलिए, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार प्राथमिक स्तर पर शिक्षा देने के उद्देश्य से उस भाषा को मान्यता देने के प्रस्ताव पर विचार करेगी?

अध्यक्ष महोदय : नहीं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दी जाएगी।

श्री इन्नान मोल्लाह : महोदय, यह प्रश्न आदिवासी क्षेत्रों में मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने के बारे में है। जैसा कि हम जानते है कि अनेक आदिवासी भाषाएं बोली जाती हैं पर उनकी कोई लिपि नहीं है। महोदय, आप यह भी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में .....

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछें, क्योंकि कई अन्य सदस्य भी प्रश्न पूछना चाहते हैं।

श्री इन्नान मोल्लाह : पश्चिम बंगाल में अलचिकी के लिए और त्रिपुरा में कोकबोर्ग के लिए लिपियाँ विकसित की गई हैं और वे लिपियाँ पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में भी शुरू की गई हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कि कितने राज्यों में, केन्द्रीय सरकार की सहायता से, आदिवासी भाषा को और इसकी लिपि को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है?

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह प्रासंगिक नहीं है। प्रश्न संख्या 185।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 186 ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : *महोदय, माननीय मंत्री प्रश्न संख्या 185 का उत्तर पहले ही दे चुके हैं ।* **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : वह प्रश्न नहीं पूछा गया था । मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं । वह प्रश्न नहीं पूछा गया था । प्रश्न संख्या 186, श्री मदन लाल खुराना ।

मलेरिया की जांच के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली एक ही सुई के प्रयोग से एड्स होना

*186. **श्री मदन लाल खुराना :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की डिस्पेंसरियों तथा अन्य डिस्पेंसरियों में मलेरिया की जांच के लिए रोगियों की उंगलियों से खून लेने के लिए एक ही सुई को काम में लाया जाता है और उसे रोगाणुमुक्त नहीं किया जाता तथा उस सुई से एड्स के फैलाव को रोकने के लिए उचित उपाय नहीं किए जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्दार्थ) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

1. दिल्ली नगर निगम/नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा मलेरिया नियंत्रण के उद्देश्य को लेकर नियुक्त किए गए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों के मलेरिया कार्यकर्ता आजकल रक्त-स्मीयर लेने के लिए उंगली को छेदने हेतु एक विशेष सुई (लैंसेट) का इस्तेमाल करते हैं । रुई में सोखी गई स्प्रिट में सुई को डुबोकर उसे रोगाणुमुक्त किया जाता है । ग्रामीण क्षेत्रों में रक्त-स्मीयर बहु-उद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा लिए जाते हैं । रक्त-स्मीयर लेने के लिए एक विशेष सुई इस्तेमाल की जाती है और इसे रोगाणुमुक्त करने के लिए स्प्रिट का इस्तेमाल किया जाता है ।

2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने हाल ही में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्वास्थ्य सेवा निदेशालयों के मलेरिया कार्यकर्ताओं द्वारा अपनाए जाने वाले जीवाणुनाशन के तरीकों के बारे में निर्देश जारी किए गए हैं ।

(हिंदी)

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, पहले तो मेरा कहना यह है कि जो जवाब मुझको आया है कि दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका, तो मैंने सिर्फ दिल्ली के बारे में नहीं पूछा है, मैंने सारे देश के बारे में पूछा है ।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी शिकायतें आपको मिली हैं कि एक ही सुई को कई-कई व्यक्तियों को, जो प्रोफेशनल्स खून देने वाले हैं, जैसे बेचारे रिक्शावाले हैं, गरीब आदमी हैं, असली जो प्रॉब्लेम

है, जिनको रोटी नहीं मिलती है, काम नहीं मिलता है, बेरोजगार हैं तो वह प्रोफेशनल खून देने वाले बन गये हैं, वह खून देकर पैसा लेते हैं, उनको जो इंजेक्शन लगाया जाता है, उनका जो खून लिया जाता है, उनमें अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं, वह बीमारियां उस खून के जरिये दूसरे शरीर में पहुंच जाती हैं। आपने *अपने उत्तर में यह कहा है कि हमने ऐसी इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं, मेरा स्पैसिफिक सवाल यह है कि पिछले एक* साल में पूरे देश में ऐसी कितनी शिकायतें आपको मिली हैं, जिसके परिणामस्वरूप अनेक बीमारियां जन्म लेती हैं और उनमें से कितनी सच निकली हैं ? जो शिकायतें आपको मिली हैं, क्या आपने उनकी कोई जांच कराई और जांच कराई तो उनमें सच्चाई कितनी थी ? सरकार ने इसके बारे में क्या कार्रवाई की है ? जैसा मैंने कहा कि जो प्रोफेशनल खून देने वाले हैं, उनसे जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, उनको रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम०एल० फोतेदार) : (अनुवाद) : मैं नहीं जानता कि हिंदी में उत्तर दूं कि उर्दू में।

[हिंदी]

माननीय सदस्य श्री से मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे पास अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है कि जहां निडल के जरिये खून लिया जाय, उंगली से और उससे एड्स की बीमारी लग जाती है या डाइबिटीज लग जाती है, अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। लेकिन यह बात सही है कि जो मलेरिया के वर्कर्स हैं, जो फील्ड में जाते हैं, वह खून लेने के लिए एक ही निडल सब लोगों पर इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, इसके बारे में कुछ शिकायतें आई थीं कि इसका क्या असर होगा। हमने डायरेक्टर जनरल, हैल्थ सर्विसिज़ की तरफ से इस बारे में यह आदेश दिया है कि निडल कैसे इस्तेमाल की जाय एक वक्त में एक ही व्यक्ति पर ये निडल इस्तेमाल किया जाए और अगर दूसरे व्यक्ति पर वह नीडल इस्तेमाल किया जाए तो उसके लिए क्या-क्या प्रीकोशन लेने चाहिएं।

श्री मदन लाल खुराना: अध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने इंसट्रक्शन तो दे दिए कि एक निडल एक ही व्यक्ति पर इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन आपका टारगेट एक साल में कितने बच्चों को या कितने मलेरिया के रोगियों को इंजेक्शन लगाने के लिए, कितने निडल्स देने का है और जितने निडल्स की उनको जरूरत होती है, क्या आप उतने नीडल्स उनको देते हैं ? मेरा कहना यह है कि टारगेट तो आपका है एक लाख निडल देने का और निडल दिए जाते हैं सौ या एक हजार जितने, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जितने निडल्स की उनको जरूरत होती है उतने निडल्स उनको प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते हैं। अगर उनको निडल्स ठीक तरह से प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि एक-एक इंजेक्शन उस निडल के द्वारा कइयों में जाता है। अध्यक्ष जी, बीच में एक प्रश्न है जिसका जवाब नहीं आया, इस निडल का इस्तेमाल आप खून लेने के लिए भी करते हैं, इसके लिए भी आप इसी सुई का इस्तेमाल करते हैं। (व्यवधान) मेरा यह कहना है कि एक ही सुई का इस्तेमाल बार-बार टेस्ट के लिए न लगे, इसके लिए आपका क्या टारगेट है। इसके लिए आप कुछ करने वाले हैं ?

[अनुवाद]

श्री एम० एल० फोतेदार : महोदय, माननीय सदस्य ने प्रत्यक्षतः यह नहीं पूछा कि क्या एक सुई एड्स के मरीजों के लिए या एच० आई० वी० के मरीजों के लिए प्रयुक्त होती है। उन्होंने विशेषतः यह पूछा है कि क्या लोगों की उंगलियों से खून निकालने के लिए जो सुई प्रयुक्त होती है उसके द्वारा एड्स को फैलने से रोकने के लिए क्या उचित सुरक्षात्मक कदम नहीं उठाये जाते। यह ऐसा परीक्षण नहीं है जो शिराभ्यन्तर नहीं होता। जब हम खून लेते हैं तो इसे अंतःशिरा ढंग से नहीं लेते।

आपने उंगली से लिए जाने वाले रक्त के बारे में प्रश्न पूछा है; क्या हम इसके लिए सुरक्षात्मक उपाय

अपना रहे हैं या नहीं । मैंने कहा है कि उसके लिए, हमने पहले ही आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं *क्योंकि हमें पक्का लगा है कि एक ही सुई का प्रयोग नहीं करना चाहिए । अगर यह प्रयुक्त की जाती है, तो कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए । यह पहला है ।*

दूसरे, यह भी सुझाव दिया गया है कि हमें एक व्यक्ति के लिए विसर्जनीय सुई का प्रयोग करना चाहिए । आपकी बात सही है; किन्तु एक विसर्जनीय सुई की कीमत लगभग 2 रुपए है । हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा कि एक व्यक्ति के रक्त परीक्षण के लिए सिर्फ उंगली से खून लेने के लिए प्रति सुई 2 रुपए दिए जाएं । यह दूसरा प्रश्न था ।

श्री योगेन्द्र झा : क्या दोबारा प्रयोग करने से पूर्व सुई को रोगाणु रहित नहीं किया जा सकता ?

श्री एम० एल० फोतेदार : हां, मैं आपको बता रहा हूं । अगर आप निर्देश चाहते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि अगर हम सामान्य सुई प्रयोग करते हैं, तो यह खतरा है कि इससे एच० आई० वी० या एड्स हो सकता है । उन्होंने कुछ निर्देश जारी किए है । हमने इन पर ध्यान दिया है । हमने दिल्ली में सभी सी० जी० एच० एस० औषधालयों को निर्देश जारी किए हैं । और हमने सभी राज्यों की स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशकों को पर्याप्त सावधानी बरतने के लिए लिखा है ।

अगर आप चाहें तो, मैं उन निर्देशों को सभापटल पर रख सकता हूं, जो हमने इस संबंध में विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं को दी हैं ।

जहां तक एच० आई० वी० का संबंध है, मैं आपको बता दूं कि उसमें अंत:शिरा ढंग से सुई द्वारा खून लिया जाता है । वह बात नहीं है । मुझे बताया गया है कि हमें लगभग 8 करोड़ सुईयां प्रतिवर्ष चाहिए । 80 मिलियन सुईयों का अर्थ है कि हमें सिर्फ उंगलियों से खून का परीक्षण करने के लिए ही 16 करोड़ रुपए चाहिए ।

जहां तक एच० आई० वी० के परीक्षणों का संबंध है, उसके लिए हमने पर्याप्त सावधानियां बरती है ताकि एड्स के कारण कोई संक्रमण न हो ।

डा० रामचन्द्र डोम : अध्यक्ष महोदय, कई बार सुई के देश के दौरान, विशेषकर यकृतशोथ के मरीजों की जांच के समय जब अंत:शिरा ढंग से खून निकाला जाता है तो विसर्जनीय सिरिंज और सुईयां अनिवार्य होती हैं । यकृतशोथ एक घातक रोग है जो दूसरों तक संक्रमित होता है और घातक सिद्ध होता है । महोदय, मेरा विशेष प्रश्न है कि क्या सरकार ने सी० जी० एच० एस० औषधालयों और अस्पतालों में यकृतशोथ के मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त पत्र दिए हैं अथवा नहीं और क्या विसर्जनीय सिरिंजों और सुईयों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है और क्या पर्याप्त निवारणात्मक कदम उठाए गए हैं । इस संबंध में सामान्य जनता को वही सुविधाएं मिल रही हैं जो अतिविशिष्ट लोगों को मिलती है ?

अध्यक्ष महोदय : वे पहले ही इस प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं । उन्होंने कहा है कि कुछ मामलों में सुईयां दी जाती हैं और कुछ मामलों में निर्धारित निर्देशों का पालन किया जाता है ।

डा० रामचन्द्र डोम : महोदय, यह उत्तर नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : शायद, जब उन्होंने उत्तर दिया तो आपने ध्यान नहीं दिया ।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : महोदय, वे विशेष रूप से यकृतशोथ और विसर्जनीय सुईयों के बारे में पूछ रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मलेरिया से संबंधित है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस तरह नहीं। आप दूसरे सदस्यों का समय ले रहे हैं। श्री दाऊ दयाल जोशी।

[हिंदी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : *अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य खुराना जी ने स्पष्ट प्रश्न किया था कि* ग्रामीण हेल्थ वर्कर्स को जो निडल्स दी जाती हैं, वे कितनी दी जाती हैं? मांग कितनी है और कितनी दी जाती हैं?

अध्यक्ष महोदय : उसका आन्सर दे दिया है।

श्री दाऊ दयाल जोशी : केवल उसका आन्सर दिया है कि एक करोड़ 72 लाख सुईयों की आवश्यकता है, लेकिन उसके मुकाबले में क्या उतनी दी जाती हैं—यह प्रश्न है? मेरा तो यह कहना है कि ब्लड की पॉजिटिव या नैगेटिव जांच करने के लिए आपके डिपार्टमेंट्स द्वारा जो निडल्स दी जाती हैं, शहरी क्षेत्रों में तो भले ही दी जाती हों, लेकिन ग्रामीण हेल्थ वर्कर्स को इस प्रकार की निडल्स प्रोवाइड नहीं की जाती हैं। इस कारण से परिणाम अच्छे नहीं निकलते हैं, गलत निकलते हैं। मंत्री महोदय, आपने जो वर्तमान में निर्देश दिए हैं, क्या उसमें आप इस प्रकार की समुचित व्यवस्था करेंगे या नहीं? डिमांड के आधार पर पूर्ति करते हैं या नहीं?

[अनुवाद]

श्री एम० एल० फोतेदार : मैं माननीय सदस्य श्री खुराना को बता दूं और हम सभी भी अच्छी तरह यह जानते हैं—कि स्वास्थ्य मुख्यतः एक राज्य का विषय है। हम सिर्फ राशि और आवश्यक निर्देश देते हैं। जहां तक सुईयों का संबंध है, विसर्जनीय सुइयां नहीं दी जातीं और मैंने कहा है कि यह आर्थिक कठिनाई के कारण है। इसलिए, आर्थिक कठिनाई के कारण हमारे लिए यह संभव नहीं है कि मलेरिया के परीक्षण के लिए विसर्जनीय सुईयां दी जा सकें। (व्यवधान)

[हिंदी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : गांव में उसका कैसे उपयोग किया जाए? . . . (व्यवधान) . . .

श्री एम० एल० फोतेदार : उसके लिए स्टरलाइजेशन किया जाए और उसी से दूसरे का टेस्ट किया जाए। . . . (व्यवधान) . . .

श्री दाऊ दयाल जोशी : गांव में निडल्स होती नहीं, मिलती नहीं। . . . (व्यवधान) . . .

श्री एम० एल० फोतेदार : स्टरलाइजेशन का मतलब यह है कि उसको गरम पानी में बीस मिनट उबालना और उसी सुई को दूसरे के लिए इस्तेमाल करना। . . . (व्यवधान) . . .

श्री दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मलेरिया फैल रहा है। मलेरिया समाप्त होने वाला नहीं है। . . . (व्यवधान) . . .

श्री एम० एल० फोतेदार : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह इंप्रेशन—"मलेरिया फैल रहा है"—मैं दूर करना चाहता हूं। मलेरिया फैल नहीं रहा है, मलेरिया पर काफी कन्ट्रोल हो गया है। . . . (व्यवधान) . . .

वन में आग लगना

*188. श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान, किन राज्यों में वनों में आग लगने के मामले के समाचार मिले थे; और

(ख) आग लगने के इन मामलों के कारण वन-सम्पदा का अनुमानित नुकसान कितना हुआ ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और पश्चिम बंगाल ने 1989-90 के दौरान वनों में आग लगने की सूचना दी है । राज्यों से गत दो वर्षों के बारे में ब्यौरे प्राप्त किए जा रहे हैं और उनको सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दिया जाएगा ।

[हिंदी]

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और सिक्कम आदि में आग से हुई हानि के जो आंकड़े हैं, उनके अनुसार क्या राज्य सरकारों की तरफ से सहायता की कोई मांग की गई है ?

श्री कमल नाथ : अध्यक्ष महोदय, पिछले 2 सालों में हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से कोई सूचना नहीं आई है । मेरे पास 1988-89 के आंकड़े हैं । 1988-89 में हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक आग पूरे देश के अन्य राज्यों के मुकाबले में लगी और 24070 हेक्टर क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में आग लगी थी । पिछले दो सालों के आंकड़े अभी तक नहीं पहुंचे हैं, हमने मंगवाए हैं ।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब से हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है . . . । (व्यवधान)

मैं यह जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को किस तरह से आग से मुकाबला करने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए थी वह उसने नहीं की और हिमाचल प्रदेश के बहुत से जंगल बरबाद हो गए, क्या यह बात सही है । राज्य सरकार ने "वन लगाओ—रोजी कमाओ" की नीति लागू करनी चाही है, मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस बात की जांच सीबीआई द्वारा या आप अपने स्तर पर करवाएंगे कि हिमाचल प्रदेश की जो असली जंगल बैल्ट है वह इस साल बिल्कुल खत्म कर दी गई है और कारपोरेशन का जो नुकसान हुआ है वह करोड़ों में है । क्या आप इस बात की जांच करवाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को लिखेंगे ? इसी तरह से अन्य राज्यों में भी वन लगाने का जो काम हो रहा है, वह कितने परसेंट तक कामयाब है, क्या इसकी जानकारी आप हमको दे सकेंगे । मैं यह जानना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जितनी आग बीजेपी सरकार ने लगाई है, क्या उसका कोई बंदोबस्त आप करेंगे या नहीं ?

श्री कमल नाथ : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा है कि हमने हिमाचल प्रदेश से जानकारी मंगवाई है । जैसे ही पिछले 2 सालों के आंकड़े हमारे पास आएंगे, उनको देखते हुए यदि आवश्यक समझा जाएगा तो अवश्य जांच करवाई जाएगी ।

[अनुवाद]

श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी : महोदय, माननीय मंत्री मानेंगे कि पेड़ वनरोपण और तत्पश्चात् लगने वाली आग में एक निकट संबंध है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या उनके पास ऐसे आंकड़े हैं जिनमें भारत में हर वर्ष लगाए जाने वाले वृक्षों की संख्या और आग से जलने वाले वृक्षों की संख्या हो।

श्री कमल नाथ : महोदय, जो वन लगाए जाते हैं उनकी एक अलग संख्या है और जो वृक्ष आग से जल जाते हैं उनकी संख्या अलग है। मुझे नहीं पता कि माननीय सदस्य का यह कहने का क्या मंतव्य है कि वे एक दूसरे के बराबर हैं।

श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी : महोदय, मैं इसे स्पष्ट करूंगा। अगर वनरोपण का एक कार्यक्रम है तो, कुछ पेड़ लगाए जाते हैं और गर्मियों में वे जल जाते हैं। वास्तव में यह वनरोपण सिर्फ कागजों पर ही होता है। ये जमीन में नहीं लगाए जाते। इसलिए, हालांकि प्रतिवर्ष आप लाखों पेड़ लगाते हैं किन्तु वर्ष के अंत में वन की आग का आयोजन करके आप इन्हें जला देते हैं।

श्री कमल नाथ : महोदय, वन की आग को रोकने की प्रक्रिया काफी व्यापक है। वन की आग सिर्फ एक कागज के टुकड़े पर लिखकर उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। निश्चित रूप से, मैं माननीय सदस्य के इस कथन से सहमत हूं कि वनरोपण उतना नहीं होता जितना कि होना चाहिए। हम कदम उठा रहे हैं और यह देखेंगे कि इस वर्ष जो पेड़ लगाए जाएँ वे भूमि पर ही लगें और फाइलों पर ही नहीं।

[हिंदी]

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय ने हिमाचल प्रदेश के बारे में 1988-89 की जानकारी दी है। 1989-90 और 1990-91 की जानकारी आने पर हो सकता है कि इस बारे में वहां पर बहुत अच्छा काम हुआ हो और हानि कम हुई हो। मेरा सवाल यह है कि यदि 1989-90 और 1990-91 में आग कम लगी हो और नुकसान कम हुआ हो तो इस बात के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो प्रिवेंटिव मेजर्स लिए होंगे, उसके लिए क्या आप राज्य सरकार को कुछ विशेष सहायता देंगे ?

श्री कमल नाथ : सर, 1989-90 और 1990-91 के लिए अभी कोई प्रोवीजनल आंकड़े नहीं आए हैं। अगर राज्य सरकार अपनी सफलता के आधार पर कोई सहायता चाहे तो वह प्रोपोजल जरूर भेज दे। इसको सिम्पोथैटिकली देखा जाएगा।

प्रो० प्रेम धूमल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया है कि हिमाचल सरकार अगर मांग करेगी तो केन्द्र सरकार की ओर से पूरी सहायता दी जाएगी। इकोलॉजीकल टास्क फोर्स हिमाचल प्रदेश में देने का निर्णय 1983 में हुआ था, क्या सरकार इसको जल्दी देने वाली है ? अपने माननीय सदस्य श्री सुल्तानपुरी को भी समझायेंगे कि जो आग लगी वह कांग्रेस राज में लगी थी, बी० जे० पी० सरकार आने के बाद इनके दिल में जो आग लगी है, उसको क्या बुझाने का काम करेंगे।

श्री अर्जुन सिंह : आग लगने लगाने का सवाल नहीं है, यह पेड़ों का सवाल है।

अध्यक्ष महोदय : आग सिर्फ पेड़ों में लगने तक आप सीमित रहें।

श्री कमल नाथ : [अनुवाद] मैं स्वयं को इस तक ही सीमित रखूंगा, हालांकि मैं दूसरे मुद्दे लेने का भी प्रयास कर रहा हूं।

Nehru Memorial Museum and Library N2,31 N91
Acc. No. J 248 152 5N11.2,2

[हिंदी]

इकोलॉजीकल टास्क फोर्स की जो हिमाचल प्रदेश की स्वीकृति दी थी, वह बन नहीं सकी, भविष्य में हिमाचल प्रदेश को प्राथमिकता जरूर दी जाएगी। जहाँ तक प्रश्न है आग लगने का, जंगल की आग लगने का, मैं हिमाचल सरकार से फिर से निवेदन करूंगा कि जल्दी जल्दी अपने आंकड़े भेज दे, मैं हाउस में पेश कर दूंगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

आयुर्वेदिक औषधियों की कारगर क्षमता

*185 **डा० अमृतलाल कालिदास पटेल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्मरण शक्ति और पढ़ाई में आयुर्वेदिक औषधियों की कारगर क्षमता के संबंध में देश में कोई प्रयोग किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो ये प्रयोग किन संस्थाओं में किये गये हैं और उनका क्या निष्कर्ष निकला है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद; केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ; बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी; गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर; राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर और कस्तूरबा गांधी मेडिकल कालेज, मणिपाल में मेध्य रसायन के रूप में ब्राह्मी, मंडूकपर्णी, ज्योतिषमति, शंखपुष्पी जैसे औषधीय पादपों और "स्मृति सागर रस" नामक सम्मिश्रित आयुर्वेदिक संपाक की प्रभावकारिता का अध्ययन किया गया है। इन औषधों को स्मरण शक्ति और पढ़ाई में सुधार करने के संबंध में कारगर पाए जाने की सूचना मिली है।

भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् पर नियंत्रण

*187. **श्री शंकर सिंह वघेला** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विदेश यात्राओं तथा निर्वाह भत्ते के संबंध में भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद पर कोई नियंत्रण है;

(ख) यदि हां, तो किस रूप में; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान मंजूर की गई विदेश यात्राओं और उनके लिए दिए गए निर्वाह भत्तों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) तथा (ख) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद संसाधन सामग्री के संग्रह, किसी सेमिनार अथवा सम्मेलन में पेपर प्रस्तुत करने से संबंधित विदेशी दौरों के लिए अध्येताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह सहायता इस उद्देश्य के लिए परिषद द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार इसकी अनुसंधान परियोजना समिति द्वारा संस्वीकृत की जाती है। अनुसंधान परियोजना समिति में सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं है और प्रत्येक संस्वीकृति के लिए सरकार का अनुमोदन आवश्यक नहीं है।

(ग) परिषद ने पिछले तीन वर्षों के दौरान 79 अध्येताओं को विदेश यात्रा अनुदान संस्वीकृत किए।

अब तक 57 अभ्येताओं को सहायता प्रदान की जा चुकी है । परिषद ने अनुरक्षण पर 2,17,464.00 रुपये और इन अभ्येताओं की यात्रा पर 5,92,820.00 रुपये खर्च किए हैं ।

खेलों में भारत के खिलाड़ियों का घटिया प्रदर्शन

*189. *श्री विजय नवल पाटिल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :*

(क) क्या खेल-कूद और युवा गतिविधियों में दूसरे देशों की तुलना में भारतीयों के घटिया प्रदर्शन, धन और प्रशिक्षण सुविधाओं की कमी के कारण है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार का 1991-2000 के दशक के दौरान देश में खेलों पर कितना धन खर्च करने का प्रस्ताव है; और

(ग) खेल-कूदों के स्तर मे सुधार लाने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) हमारे देश में खेल-कूद तथा अन्य युवा कार्यकलापों के विकास में कई कठिनाइयाँ हैं । धन तथा अपेक्षित प्रशिक्षण सुविधाओं की कमी निश्चित रूप से दो प्रमुख कठिनाइयाँ हैं ।

(ख) 8वीं योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है । 8वीं और 9वीं पंचवर्षीय योजनाओं में उपलब्ध कराये जाने वाले निश्चित प्रावधानों की भविष्यवाणी करना कठिन है ।

(ग) सरकार 8वीं पंचवर्षीय योजना में अधिक संसाधन उपलब्ध कराकर और उनकी लागत का प्रभावी उपयोग करके, खेल-कूद के विकास में आने वाली वर्तमान कठिनाइयों को दूर कर उनके संवर्धन को उचित प्राथमिकता देना चाहती है ।

[हिंदी]

न्यूनतम मजदूरी

*191. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी दर क्या है और विशेषरूप से कृषि श्रमिकों को कितनी मजदूरी दी जा रही है;

(ख) श्रमिकों को सांविधिक न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार न्यूनतम मजदूरी के भुगतान से इन्कार करने को संज्ञेय अपराध घोषित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० राममूर्ति) : (क) उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासनों द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दरें अनुलग्नक में दी गई हैं ।

(ख) न्यूनतम मजदूरी की अदायगी सुनिश्चित करने के लिए अधिकांश मामलों में संबंधित राज्य सरकारें/संघ क्षेत्र प्रशासन उपयुक्त सरकारें हैं । श्रम विभाग के स्टाफ द्वारा निरीक्षणों के माध्यम से,

शिकायतों इत्यादि की जांच-पड़ताल से प्रवर्तन सुनिश्चित किया जाता है।

(ग) और (घ) न्यूनतम मजदूरी की अदायगी करने से इनकार करने पर इसे संज्ञेय अपराध बनाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। यद्यपि न्यूनतम मजदूरी की अदायगी के संबंध में दावों को निपटाने के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 20 में व्यवस्था है।

विवरण

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी और लागू होने की तारीख
1	2	3
	राज्य	
1.	आन्ध्र प्रदेश	15.00 रु० से 19.25 रु० प्रतिदिन (क्षेत्रों के अनुसार) (8-4-91)
2.	अरुणाचल प्रदेश	18.00 रु० से 21.00 रु० प्रतिदिन (क्षेत्रों के अनुसार) (1-11-90)
3.	आसाम	25.00 रु० प्रतिदिन (1-8-89)
4.	बिहार	16.50 रु० प्रतिदिन (16-10-90)
5.	गोवा	12.00 रु० प्रतिदिन (1-7-86)
6.	गुजरात	15.00 रु० प्रतिदिन (1-8-90)
7.	हरियाणा	27.75 रु० भोजन के साथ या 31.75 बिना भोजन के (1-1-90)
8.	हिमाचल प्रदेश	20.00 रु० प्रतिदिन (26-1-90)
9.	जम्मू और कश्मीर	15.00 रु० प्रतिदिन (24-3-89)
10.	कर्नाटक	12.00 रु० से 17.65 प्रतिदिन (12-7-88)
11.	केरल	12.00 रु० प्रतिदिन हल्के कामों के लिए, 15.00 रु० प्रतिदिन भारी कामों के लिए (1-6-84)
12.	मध्य प्रदेश	17.03 रु० प्रतिदिन (1-4-90)
13.	महाराष्ट्र	12.00 रु० से 20.00 रु० प्रतिदिन (क्षेत्रों के अनुसार) (1-5-88)
14.	मणिपुर	26.70 रु० प्रतिदिन पहाड़ी क्षेत्रों के लिए और 23.70 रु० प्रतिदिन गैर-पहाड़ी क्षेत्रों के लिए (1-12-88)
15.	मेघालय	25.00 रु० प्रतिदिन (1-6-90)
16.	मिजोरम	28.00 रु० प्रतिदिन (1-11-87)
17.	नागालैंड	15.00 रु० प्रतिदिन (18-5-87)
18.	उड़ीसा	25.00 रु० प्रतिदिन (1-7-90)
19.	पंजाब	35.55 रु० प्रतिदिन बिना भोजन के या 31.55 रु० प्रतिदिन भोजन के साथ (1-9-90)
20.	राजस्थान	22.00 रु० प्रतिदिन (2-7-90)

विवरण—जारी

1	2	3
21.	सिक्किम	14.00 रु० प्रतिदिन (1-10-87)
22.	तमिलनाडु	14.00 रु० प्रतिदिन (3-4-89)
23.	त्रिपुरा	17.80 रु० प्रतिदिन (1-10-90)
24.	उत्तर प्रदेश	18.00 रु० प्रतिदिन (24-4-89)
25.	पश्चिम बंगाल	22.88 रु० प्रतिदिन बिना भोजन के या 19.68 रु० प्रतिदिन दो मुख्य भोजन के साथ (1-10-90)
	संघ राज्य क्षेत्र	
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	20.00 रु० प्रतिदिन (अंडमान), 21.00 रु० प्रतिदिन (निकोबार) (12-7-89)
2.	चंडीगढ़	29.30 रु० प्रतिदिन भोजन के साथ, 35.30 रु० प्रतिदिन बिना भोजन के
3.	दादरा और नागर हवेली	14.00 रु० प्रतिदिन (5-10-89)
4.	दिल्ली	34.00 रु० प्रतिदिन (1-2-90)
5.	लक्ष्यद्वीप	10.00 रु० प्रतिदिन (1-9-88)
6.	पांडीचेरी	
	(i) पांडीचेरी क्षेत्र	14.00 रु० प्रतिदिन (2-1-90)
	(ii) गाही क्षेत्र	12.00 रु० प्रतिदिन हल्के कामों के लिए और 15.00 रु० प्रतिदिन भारी कामों के लिए (7-4-87)
	(iii) यनम क्षेत्र	11.00 रु० प्रतिदिन (15-3-88)
	(iv) करैकाल क्षेत्र	8.00 रु० प्रतिदिन (16-5-86)

बख्तावत आयोग की रिपोर्ट

*192 **श्री राम विलास पासवान** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों ने बख्तावत आयोग की रिपोर्ट कार्यान्वित की है : और

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस रिपोर्ट को बिल्कुल लागू नहीं किया अथवा आंशिक रूप से लागू किया है तथा इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० राममूर्ति) : (क) और (ख) विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त सूचना के आधार पर विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में समाचार पत्र प्रतिष्ठानों द्वारा बख्तावत वेतन बोर्डों की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बारे में स्थिति नीचे दी गयी है :—

1. पूरी तरह से लागू किया : गोवा, चंडीगढ़, पांडिचेरी
2. आंशिक रूप से लागू किया : आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा,

हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली ।

3. लागू नहीं किया : जम्मू एवं कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम और त्रिपुरा ।

4. अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, दादरा और नागर हवेली, लक्षद्वीप और दमन एवं दीव के संघ राज्य क्षेत्रों में बछावत वेतन बोर्डों की सिफारिशों के अन्तर्गत आने वाला कोई समाचार पत्र प्रतिष्ठान नहीं है ।

5. समाचार पत्र प्रतिष्टान द्वारा सामना की जा रही वित्तीय परेशानियों और बछावत वेतन बोर्डों की सिफारिशों के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित रिट याचिकाओं को समाचार पत्र प्रतिष्ठानों द्वारा सिफारिशों लागू न करने के मामले में मुख्य कारण माना जा रहा है ।

न्यू पैटर्न हुडको स्कीम, 1979

[अनुवाद]

*193 **श्री रामनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **शहरी विकास** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण,न्यू पैटर्न हुडको स्कीम,1979 के अंतर्गत, पंजीकृत आवेदकों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल रहा है :

(ख) यदि हां, तो अनावश्यक विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) ऐसे प्रत्येक पंजीकृत आवेदक को अगले दो वर्षों में आवासों का आबंटन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण नवीन पद्धति योजना, 1979 (न्यू पैटर्न स्कीम) के अंतर्गत पंजीकृत आवेदको की पूरी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सका है । इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत कुल 1,71,272 आवेदकों में से अब तक 1,06,669 फ्लैट आबंटित किए गए है ।

(ख) भूमि उपलब्धता और मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण शेष पंजीकृत व्यक्तियों को अभी तक फ्लैट आबंटित नहीं किए जा सके।

(ग) 1994-95 तक इस योजना के अंतर्गत पिछले बकाये को पूरा करने के लिए ठोस योजनाएं बनाई गई है ।

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की सहायता संबंधी योजना

194 **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की श्रेणीवार अनुमानित संख्या कितनी है और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की सहायता संबंधी योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान केंद्रीय सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की थी; और

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की गई ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) 3223 लाख रू०।

(ग) 3162.32 लाख रू०।

विवरण

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (रा० न० स० सं०) द्वारा 1981 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 120 लाख लोग किसी न किसी प्रकार की शारीरिक विकलांगता से पीड़ित हैं। श्रेणीवार अलग-अलग विवरण निम्नानुसार है :—

54.3 लाख	—	लोकोमोटर विकलांगता
34.7 लाख	—	दृष्टि विकलांगता
30.2 लाख	—	श्रवण विकलांगता
17.5 लाख	—	वाणी विकलांगता

योजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है :—

1. **सहायक साधन/उपस्कर खरीदने/लगवाने के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता :**

3600 रू० तक की लागत के सहायता साधन और उपस्कर विकलांग व्यक्तियों को यदि उनकी आय 1200 रू० प्रति माह से कम हो तो नि:शुल्क और यदि उनकी आय 1200—2500 रू० के बीच हो तो लागत के 50 प्रतिशत पर प्रदान किए जाते हैं।

हर वर्ष लगभग एक लाख व्यक्तियों को बैसाखियों, कैलीपरों, कृत्रिम अंगों, पहियेदार कुर्सियों, ब्रेल उपस्करों, श्रवण सहायक साधनों आदि जैसे 3600 रू० तक की लागत के सहायक साधन और उपकरण उपलब्ध करवाए जाते हैं। इस समय देश में 152 कृत्रिम अंग लगाने के केन्द्र हैं।

2. **विकलांग व्यक्तियों के लिए छात्रवृत्तियां :**

भारत सरकार विकलांगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए हाई स्कूल (कक्षा-9) से आगे एक छात्रवृत्ति योजना का संचालन करती है।

3. **विकलांग व्यक्तियों के लिए संगठणों को सहायता :**

विकलांगों के कल्याण कार्यक्रम अधिकांशत : गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से लागत प्रभावी और लचीले ढंग से चलाए जाते हैं। देश में इस क्षेत्र में कार्यरत लगभग 1500 गैर-सरकारी संगठन हैं। इस योजना के माध्यम से विकलांगों को शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वास सुविधाएं प्रदान करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को 90% तक वित्तीय सहायता दी जाती है।

(1) **विकलांगों को पैट्रोल/डीजल सहायता अनुदान, राष्ट्रीय पुरस्कार और अन्य विविध योजनाएं : पैट्रोल/डीजल सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत, मोटरयुक्त वाहन रखने वाले विकलांग व्यक्तियों को उनके द्वारा खरीदे गए पैट्रोल/डीजल के वास्तविक व्यय पर 50% का सहायता अनुदान दिया जाता है।**

4. राष्ट्रीय संस्थान :

विकलांग जनसंख्या की बहु-आयामी समस्याओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए विकलांग के प्रत्येक प्रमुख क्षेत्र में निम्नलिखित 4 राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की गई है :—

(1) राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, कलकत्ता.

(2) राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, देहरादून.

(3) राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद.

(4) राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, बम्बई.

ये संस्थान अपने-अपने क्षेत्र में विकलांगों की शिक्षा, जनशक्ति के विकास, प्रशिक्षण, व्यवसायिक मार्गदर्शन, परामर्श, अनुसंधान समुचित सेवा माडलों के विकास और कम लागत के पुनर्वास सहायक यंत्रों के लिए प्रमुख शीर्षस्थ स्तर के संगठन हैं । दो अन्य संगठन अर्थात :—

(1) विकलांग जन संस्थान, नई दिल्ली ।

(2) राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, उड़ीसा

शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए सेवा केन्द्र हैं जो फिजियोथ्रेपिस्ट, आकुपेशनल थ्रेपिस्टस, प्रोस्थेटिक तकनीशियनों आदि को प्रशिक्षण देने की सुविधाएं प्रदान करते हैं ।

(5) ग्रामीण पुनर्वास की जिला पुनर्वास केन्द्र योजना :

ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक पुनर्वास सेवाओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, जहां अधिकांश विकलांग जनसंख्या रहती है, जिला पुनर्वास केन्द्र नामक एक योजना 1983 में आरंभ की गई थी और तब से विभिन्न राज्यों में ऐसे 12 केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है ।

(6) विकलांगों को रोजगार :

रोजगार योग्य विकलांगों की सहायता के लिए देशभर में 23 विशेष रोजगार कार्यालय, सामान्य रोजगार कार्यालयों में 55 विशेष कक्ष तथा 17 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र काम कर रहे हैं । यद्यपि, ये सभी श्रम मंत्रालय के अधीन है, कल्याण मंत्रालय द्वारा विशेष सैलों के लिए शत-प्रतिशत के आधार पर और विशेष रोजगार केन्द्रों के लिए 50% के आधार पर निधियां प्रदान की जाती हैं । व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र पूर्णतया श्रम मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किए जाते हैं ।

(7) विकलांगो के पुनर्वास हेतु टेकनौलोजी के प्रयोग पर मिशन मोड में एस एण्ड टी परियोजना :

प्रोद्योगिकी के लाभ विकलांगो के जीवन तक पहुंचाने जिससे कि उनकी सचलता, उत्पादकता दैनिक जीवन की कोटि बेहतर हो सके और वे समाज में एकीकृत हो सकें । देश भर में चयनित संस्थानों के माध्यम से मिशन मोड में एस एण्ड टी परियोजना की स्कीम के अधीन अनुसंधान परियोजनाओं को समर्थन दिया जा रहा है ।

उड़ीसा के जाजपुर में "साइट म्यूजियम" और उप-कार्यालय की स्थापना।

*195. श्री अनादि चरण दास : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बौद्ध और जैन धर्म के महत्वपूर्ण प्राचीन स्मारकों की बेहतर देखभाल और उनके संरक्षण हेतु उड़ीसा के कटक जिले स्थित जाजपुर में "भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण" के "साइट म्यूजियम" और उप-कार्यालय की स्थापना की कोई मांग की गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) जी हाँ।

(ख) (i) जब तक जमीन उपलब्ध न हो, तब तक सरकार स्थल संग्रहालय बनाने की मांग पर विचार करने में असमर्थ है।

(ii) इस समय जाजपुर में उप-मंडल खोलना आवश्यक नहीं समझा गया है।

"मुंबई और ठाणे में प्रदूषण"

*196. प्रो॰ राम कापसे : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ठाणे क्षेत्र में प्रदूषण से प्रभावित आदिवासियों की संख्या कितनी है; और

(ख) मुंबई और ठाणे क्षेत्रों में प्रदूषण को कम करने अथवा नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय किये गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) ठाणे क्षेत्र में आदिवासी आबादी पर प्रदूषण के व्यापक प्रभाव पड़ने की कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन एक मामले में धातु के जहरीला होने के कारण 38 व्यक्तियों और 445 पशुओं के प्रभावित होने की रिपोर्ट मिली है।

(ख) मुंबई और ठाणे क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) परिवेशी वायु और जल गुणवत्ता मानक निर्धारित किए गए हैं।

(2) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत वायु और जल प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं।

(3) उद्योगों के स्थान निर्धारण और प्रचालन के लिए पर्यावरणीय दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं।

(4) केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार के परामर्श से प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार की है, जिसके अंतर्गत प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों से 31 दिसम्बर, 1991 तक मानकों का पालन करने की अपेक्षा की गई है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत राज्यों को शक्तियों का प्रत्यायोजन

*197. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत विकास परियोजनाओं के लिये वन-भूमि में पेड़ काटने की स्वीकृति प्रदान करने के लिए राज्यों को शक्तियों का प्रत्यायोजन करने और वनों की क्षतिपूर्ति हेतु वनरोपण करने पर बल न देते हुए 25 अक्तूबर, 1980 से पूर्व आरम्भ की गई परियोजनाओं को उक्त अधिनियम के क्षेत्राधिकार से बाहर रखने का भी है;

(ख) क्या इस प्रकार मंजूरी देने में हुए विलम्ब के कारण परियोजनाओं के लागत मूल्यों में वृद्धि हुई है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इस प्रयोजन के लिए शीघ्र मंजूरी देने का है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के संबंध में सरकारिया आयोग द्वारा की गई सिफारिशें क्या हैं; और

(च) उस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं । यदि वन क्षेत्रों के अनारक्षण अथवा उपयोग में लाने संबंधी विशेष आदेश 25-10-1980 के पूर्व जारी किए गए हों तो प्रस्तावों पर केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी लेनी अपेक्षित नहीं होगी ।

(ख) से (घ) परियोजना प्रस्तावों को निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप हर तरह से पूरा करके प्रस्तुत किए जाने पर इस प्रकार के मामलों को शीघ्र निपटा दिया जाता है और इन पर लागत अधिक नहीं आती है । अधूरे प्रस्तावों को राज्य सरकार को वापस भेज दिया जाता है ताकि वे जरूरी ब्यौरों सहित उन्हें पुनः केन्द्र सरकार को प्रस्तुत कर सकें । अधिनियम के अन्तर्गत वन भूमि को उपयोग में लाने के प्रस्तावों के बारे में राज्य सरकारों द्वारा पूरी सूचना भेजी जाने के बाद ही उनके गुणावगुण के आधार पर मंजूरी दी जाती है ।

(ङ) और (च) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(ङ) वनों के संबंध में सरकारिया आयोग ने कुछ सिफारिशें दी हैं । संबंधित पैराओं को निम्नानुसार उद्धृत किया जाता है :—

15.5.01 : वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अन्तर्गत बन्द किए गए अनेक मामलों को प्रस्तुत किए जाने के कारण उनकी समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है ताकि कारणों का पता लगाया जा सके । पर्यावरण वन और वन्यजीव मंत्रालय के किसी वरिष्ठ अधिकारी को ऐसे सभी मामलों की जांच करनी चाहिए जिन्हें बन्द कर दिया गया है तथा इनके कारणों का पता लगाकर राज्यों को सूचित किया जाना चाहिए । जिन मामलों पर राज्यों के साथ कार्रवाई की जानी है उन्हें फिर से खोला जाए और संबंधित राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करके गुण-दोष के आधार पर उनपर निर्णय लिया जाए ।

15.5.02 : 5 हैक्टेयर तक आरक्षित वन भूमि को विशेष आवश्यक सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाने के लिए राज्यों को शक्तियां प्रत्यायोजित की जानी चाहिए ।

15.5.03 : वन संसाधनों का संरक्षण और सुधार राष्ट्र के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है । केन्द्र सरकार तथा राज्यों, दोनों द्वारा इस बारे में कार्रवाई करना अनिवार्य है । साथ ही यह सुनिश्चित किया जाना भी जरूरी है कि इनके विकास प्रयासों में बाधा न पहुंचे । प्रत्येक संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से लम्बित मामलों की दो वर्ष में पुनरीक्षा की जानी चाहिए । केन्द्र द्वारा राज्यों को प्रत्योजित किए जाने के लिए जिन शक्तियों की सिफारिश की गई है, उनके आधार पर मंजूरियों की पुनरीक्षा के लिए इस अवसर का उपयोग किया जाना चाहिए ।

15.5.04 : आरक्षित वनों के काफी क्षेत्र जलमग्न होने पर इनसे संबंधित बड़ी परियोजनाओं के मामले में, जहां तक संभव हो वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा 2 के अन्तर्गत इन वनों के वनेत्तर प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाने की अनुमति तथा केन्द्र सरकार द्वारा मंजूरी साथ-साथ दी जाए । परियोजना की तैयारी के शुरू से ही केन्द्र सरकार की एजेंसी को इस काम में शामिल

किया जाए ताकि न केवल आरक्षित वनों की क्षति की क्षतिपूर्ति के लिए पर्याप्त उपाय किए जाएं बल्कि प्रारम्भ से ही वन संसाधनों में सुधार किया जा सके।

(च) सरकारिया आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बारे में वर्तमान स्थिति : सरकार द्वारा वनों के संबंध में सरकारिया आयोग की रिपोर्ट की जांच की जा रही है। इस समय इस मामले को अन्तर राज्य परिषद् की रिपोर्ट पर उनके विचार जानने के लिए भेजा गया है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में सीटों की संख्या में वृद्धि करना

[हिन्दी]

*198. श्री दिलीप सिंह भूरिया: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मुम्बई, दिल्ली, मद्रास, कानपुर और खड़गपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में चालू शिक्षा सत्र में कुछ विषयों में सीटों की संख्या बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रत्येक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान समय समय पर अपने सभी कार्यक्रमों का मूल्यांकन करता है तथा उनका अनुश्रवण करता है और शैक्षिक सत्र के शुरू होने से काफी समय पहले प्रत्येक पाठ्यक्रम में दाखिले के संबंध में निर्णय ले लेता है। इन संस्थानों में संचालित विभिन्न कार्यक्रमों में स्थानों की संख्या में किसी भी प्रकार का परिवर्तन, कक्षा-कक्षों, छात्रावास के आवास, संकाय संख्या जैसी आधारभूत सुविधाओं के अधिकाधिक उपयोग को ध्यान में रखते हुए, किया जाना है।

केरल में त्रिचूर मेडिकल कालेज को मान्यता देना

[अनुवाद]

*199. प्रो. के. वी. थामस : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में त्रिचूर मेडिकल कालेज को मान्यता देने का है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम. एल. फोतेदार) : (क) से (ग) कालीकट विश्वविद्यालय, केरल से संबद्ध मेडिकल कॉलेज, त्रिचूर को कालीकट विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली एम.बी.बी.एस. डिग्री के संबंध में भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा तीन वर्षों अर्थात् 1988, 1989 और 1990 के लिए अस्थायी मान्यता प्रदान की गई थी।

स्थायी मान्यता प्रदान करने के लिए जुलाई, 1991 में भारतीय चिकित्सा परिषद् की ओर से एक

निरीक्षण किया गया था। परिषद ने सूचित किया कि निरीक्षण रिपोर्ट कार्यकारी समिति/परिषद द्वारा विचार करने के लिए लम्बित पड़ी है।

परिषद की विभिन्न समितियां दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में फिलहाल कार्य नहीं कर रही हैं। मामला उच्चतम न्यायालय में विचारार्थ लम्बित पड़ा है। इस संबंध में सरकार द्वारा अगली कार्यवाई भारतीय चिकित्सा परिषद की सिफारिश प्राप्त हो जाने पर की जाएगी।

उत्तर प्रदेश में मेडिकल कालेजों की स्थापना

[हिन्दी]

*200. **श्री संतोष कुमार गंगवार :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में किन-किन स्थानों पर मेडिकल कालेजों की स्थापना का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम. एल. फोतेदार) : उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि राज्य सरकार के पास साधनों की कमी की वजह से इस समय इस राज्य में किसी भी जगह राजकीय मेडिकल कालेज स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बांदा जिले में चित्रकूट के आसपास आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियां

201. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश में बुन्देलखण्ड क्षेत्र के बांदा जिले में स्थित चित्रकूट में और उसके आसपास आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियां पाए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उन जड़ी-बूटियों का पता लगाने और उनके संरक्षण के लिए कोई योजना तैयार की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम. एल. फोतेदार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद के अंतर्गत क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान ग्वालियर के एक भेषज-वानस्पतिक सर्वेक्षण दल ने वर्ष 1985 में चित्रकूट में पाए जाने वाले भेषजीय पादपों का सर्वेक्षण किया था। आयुर्वेदिक चिकित्सा में प्रयोग में लाए जाने वाले लगभग 39 महत्वपूर्ण भेषजीय पादप चित्रकूट क्षेत्र में पाए गए। इन भेषजीय पादपों की जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है। इनमें से बहुत से पादप स्थानीय लोगों द्वारा वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए एकत्र किए जाते हैं।

पर्यावरण और वन मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण के केन्द्रीय अंचल इलाहाबाद ने बुन्देलखंड क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर खोज कार्य की योजना तैयार की है। उनके द्वारा कई फील्ड दौरे भी किए जा चुके हैं।

विवरण

क्र० सं०	आयुर्वेदिक नाम	वानस्पतिक नाम
1	2	3
1.	निर्गुण्डी मूल	ऐलेक्टा पेरासाइटिका
2.	बिदारीकन्द	प्यूरेरिया ट्यबेरोसा
3.	वराहीकन्द	हायसकोरिया बल्बीफेरा
4.	मुसली सफेद	क्लोरोफिटम अराउडिनेकम
5.	मुसली काली	कुरकुलिंगो आर्किओइस
6.	शालपर्णी	डेस्मोडियम गेंगटेम
7.	कलिहारी	ग्लोरिओस्सा सुपर्बा
8.	केबुक	कॉस्टस स्पेसिओसस
9.	ज्योतिष्मती	सेलास्ट्स पनिकुलाटा
10.	कष्टकारि	सोलनम एक्सान्थीकारपम
11.	गोक्षुर	ट्रिबुलस टेररोस्टिस
12.	उशिर (खस)	विटिविरा जिजानिआइडस
13.	कुश	डेस्मोस्टाचय विप्पिनाटा
14.	नल (नरसल)	साकरम स्पाटेनियम
15.	बिल्व	एग्ले मारमेलोस
16.	श्योनाक	ओरोक्सीलम इंडिकम
17.	गम्भारी	जिमेलिना अर्बोरिया
18.	पाटला	स्टेरेओस्पेटमम सावेओलन्स
19.	अरणी	क्लेरोडेन्ड्रम फ्लोमोडइस
20.	अर्जुन	टरमिनालिया अर्जुन
21.	बुआसर	पेटेरोकारपस मारसपियाम
22.	असन	टरमिनालिया टेमन्टोसा
23.	बिभतक	टेरर्मिनालिया बलेरिका
24.	गुड़मार	जिमनिमा साइल्वेस्ट्रिस
25.	शतावरी	एपाराकस रासेमोसस
26.	लज्जालु	मियोसा पुडिका
27.	वासा	अधातोडा वासिका
28.	दुधिका	यूफोर्बिया हिर्ता
29.	निर्गुण्डी	विटेक्स नेगुडो
30.	शल्लकी	बोस्वेलिया सेराटा
31.	धव	अनोजेसस लटिफोलिया
32.	धिंगनी	ओडिना बुडियर
33.	धव	अनोजिसस लटोफोलिया
34.	कचनार	बउहिनिया वरिगटा
35.	श्लेष्मातक	कोर्डिया मिक्सा
36.	पारिजात	नाइक्टायस एपेंट्रिस्टिस

1	2	3
37.	कुटज	होलारहेनिया एंटीडाइसेंटेरिका
38.	श्वेत कुटज	रिघाटिया टोमेंटोसा
39.	सारिवा (अनन्तमूल)	हेमिडेस्मस इन्डिकस

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवायें

[अनुवाद]

*202. **श्री एन॰ डेनिस** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उठाये गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम॰ एल॰ फोतेदार) : ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों द्वारा प्रदान की जाती हैं। बहरहाल, केन्द्र सरकार ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों और उप केन्द्रों के लिए धन राशियां प्रदान करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की अनुपूर्ति करने के लिए विशेष कार्यक्रमों के अन्तर्गत केन्द्रीय धन राशियां भी प्रदान की जाती हैं। ऐसे विशेष कार्यक्रमों में व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रमों समेत ग्रामीण स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत ढांचे, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रमों और दृष्टिहीनता की रोकथाम और मलेरिया, कुष्ठ, क्षयरोग और काला-अजार जैसे रोगों के नियंत्रण से संबंधित कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाने के लिए क्षेत्रीय विकास परियोजनाएं शामिल हैं।

कालाजार को नियंत्रित करने के लिए बिहार को सहायता

[हिन्दी]

*203. **मोहमम्द अली अशरफ फातमी**
श्री राम लखन सिंह यादव } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृप करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान कालाजार रोग को नियंत्रित करने के लिए बिहार सरकार को कोई सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस रोग के कारणों का पता लगाने तथा इसे नियंत्रित करने के उपाय सुझाने के लिए एक दल बिहार भेजा था;

(घ) यदि हां, दल द्वारा दी गई रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस बारे में केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम॰ एल॰ फोतेदार) : (क) से (ङ) भारत सरकार कालाजार नियंत्रण के लिए बिहार सरकार को नगद और सामग्री के रूप में सहायता देती रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान दी गई सहायता इस प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

वर्ष	नगद	सामग्री	कुल
1	2	3	4
1988-89	150.00	135.74	285.74
1989-90	100.00	270.20	370.20
1990-91	—	389.49	389.49

भारत सरकार द्वारा डा० सी० पी० ठाकुर की अध्यक्षता में गठित एक विशेषज्ञ दल ने कालाजार नियंत्रण कार्यक्रम का आकलन करने के लिए बिहार राज्य के दरभंगा, साहेबगंज और पटना जिलों तथा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और कलकत्ता का दिसम्बर, 1990 में दौरा किया तथा 14-12-90 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस दल की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :—

—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और जिला स्तर पर नैदानिक सुविधाओं को सुदृढ़ करना और मेडिकल कालेजों के अस्पतालों को प्रशिक्षण और अनुसंधान केन्द्रों के रूप में कार्य करने के लिए तैयार करना।

—उपचार के दौरान और उसके बाद रोगियों की नियमित रूप से देखरेख।

—भारत सरकार द्वारा 1989 में गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा सुझाई गई उपचार विधि को अपनाना।

—डी डी टी का कारगर ढंग से तथा उपयुक्त समय पर छिड़काव सुनिश्चित करना।

—निधि को उपयुक्त और समय पर रिलीज करना।

—कालाजार नियन्त्रण कार्यकलापों में लगे स्वास्थ्य कार्मिकों के बार-बार तबादले न करना।

—कालाजार नियन्त्रण के लिए भारत सरकार द्वारा पूर्णत: वित्तपोषित एक अलग राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार करना और कार्यान्वित करना।

—प्रभावशाली स्वास्थ्य शिक्षा संगठित करना।

विशेषज्ञ दल की सिफारिशों के आधार पर, बिहार में वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, बेगुसराय, साहिबगंज और पूर्णिया के दस स्थानिकमारी वाले जिलों के लिए एक प्रचालन योजना तैयार की गई जिसमें जनवरी, 1991 में चार वर्षों के लिए 39.68 करोड़ रुपए की लागत शामिल है। 1991-92 की प्रचालन योजना संशोधित की गई और राज्य सरकार से परामर्श करके अप्रैल, 1991 में इसे अन्तिम रूप दिया गया।

इस योजना में आयातित औषध (पेंटामिडीन)/कीटनाशकों की खरीद और आपूर्ति तथा बिहार सरकार द्वारा खरीदी जाने वाली देशी निर्मित औषध (सोडियम स्टवो-ग्लुकोनेट) की लागत के लिए वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है। बिहार सरकार कालाजार नियन्त्रण कार्यों के लिए स्वास्थ्य केन्द्र (खंड स्तर)/उपकेन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्वास्थ्य कार्मिकों का पता लगाएगी और उपकेन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और जिला अस्पताल में उपचार के लिए सुविधाएं स्थापित करेगी। कालाजार नियन्त्रण कार्यकलापों और स्वास्थ्य शिक्षा में स्वास्थ्य कार्मिकों और चिकित्सकों का प्रशिक्षण बिहार सरकार द्वारा आयोजित किया जाएगा। राज्य स्तर का कालाजार नियन्त्रण बोर्ड स्थापित किया जाएगा।

बिहार सरकार को जून, 1991 तक समय पर डी डी टी के कारगर छिड़काव (दो बार) आयोजित करने थे। जुलाई, 1991 से जनवरी, 1992 के मध्य गहन रोगी परीक्षण, उपचार, चिकित्सा/अर्ध-चिकित्सा कार्मिकों के प्रशिक्षण और स्वास्थ्य शिक्षा कार्यकलाप आयोजित किए जाने थे।

1991-92 (10 जुलाई, 1991 तक) के दौरान, भारत सरकार ने (i) छिड़काव करने के लिए डी डी टी के 806.500 मेट्रिक टन और (ii) आयातित औषध (पेन्टामिडीन) की 10,000 शीशियां सप्लाई की।

प्राप्त हुई सूचना के अनुसार बिहार सरकार न तो दो बार कारगर छिड़काव करने में सक्षम रही है और न ही उन्होंने अबतक स्वीकृत प्रचालन योजना में किए गए उल्लेख के अनुसार संगठनात्मक ढांचे की स्थापना की है।

रामनगर में विकास कार्य

781. श्री कालका दास : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्लम विभाग द्वारा दिल्ली में रामनगर और शंकरनगर में गत दो वर्षों के दौरान किये गये विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस विभाग द्वारा इन स्थानों में अधिक शौचालयों के निर्माण के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं और इन स्थानों की जनसंख्या के अनुपात में वहां पर्याप्त शौचालय कब तक निर्मित कर दिये जायेंगे;

(ग) इन क्षेत्रों में इस विभाग द्वारा निर्मित समुदाय केन्द्र जनता के उपयोग के लिए कब तक खोल दिये जायेंगे;

(घ) इन क्षेत्रों में ऐसे समुदाय केन्द्रों की संख्या कितनी है, जिनका निर्माण पूरा हो गया है, किन्तु जनता के उपयोग के लिए नहीं खोले गये हैं; ये किन-किन स्थानों पर हैं और इन्हें जनता के उपयोग के लिए नहीं खोले जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इन क्षेत्रों में कुछ और समुदाय केन्द्र खोलने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो ये किन-किन स्थानों पर खोले जायेंगे; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्लम विंग ने इस क्षेत्र में पानी की लाइनें/सीवर लाइनें और कंक्रीट सीमेंट खड़ंजे, इत्यादि मुहैया कराने के लिए 8.5 लाख रुपये व्यय किए हैं। इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र में इसी प्रकार के विकास कार्य करने के लिए स्लम विंग द्वारा दिल्ली नगर निगम में 24 लाख रुपये जमा कराए गए हैं।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, दिल्ली विकास प्राधिकरण की विद्यमान जलमलाधार सीटों (डब्लू० सी० सीट) के रूपान्तरण के बाद 83 सीटों के साथ "भुगतान करें—उपयोग करें" (पे एंड यूज) जन सुविधा परिसर मुहैया कराने की योजना है। नए जन सुविधा परिसरों के निर्माण उपयुक्त स्थलों की उपलब्धता के साथ जुड़े हुए हैं जिसके लिए कोई सुनिश्चित समय-सीमा नहीं दी जा सकती।

(ग) से (च) कटरा नबी करीम में जनता के उपयोग के लिए एक समुदाय केन्द्र पहले से ही है। इसके अतिरिक्त, सम्पत्ति संख्या 6108 के स्थल पर एक और समुदाय केन्द्र निर्माणाधीन है। इस समुदाय केन्द्र का निर्माण कार्य पूर्ण होने की अंतिम अवस्था में है।

सरकारी अस्पतालों में रोगियों की सेवा-सुश्रुषा में गिरावट

[अनुवाद]

782. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के विभिन्न महानगरों में स्थित सरकारी अस्पतालों में रोगियों की उपलब्ध सेवा सुश्रुषा की सामान्य स्थिति में उचित दवाइयों एवं उपकरणों के अभाव तथा डाक्टरों एवं सर्जनों में सेवाभाव की कमी के कारण और अधिक गिरावट आई है;

(ख) क्या संबंधित सरकारी अधिकारी भारी मात्रा में धनराशि की उपलब्धता के बावजूद रोगियों के प्रति लापरवाही को रोकने में समर्थ नहीं है और न ही उन्होंने इस संबंध में कोई प्रभावी कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तत्संबंधी तथ्य तथा ब्यौरा क्या है; और

(घ) केंद्रीय सरकार द्वारा देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन अस्पतालों को धनराशि दी गई है उनके नामों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) से (ग) सामान्य तौर पर जनसंख्या वृद्धि, विशेषकर बड़े कस्बों में जनसंख्या वृद्धि के परिणामस्वरूप सरकारी अस्पतालों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की मांगों में सदा वृद्धि होती रही है । इससे कभी-कभी अस्पतालों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं में कुछ खामियों का पता चलता है । तथापि कुल मिला कर प्रदान की जा रही सेवाएं संतोषजनक हैं और उपकरण, दवाईयां, प्रयोगशाला सुविधाएं आदि आमतौर पर पर्याप्त हैं और उन्हें समय समय अद्यतन/बेहतर बनाया जाता है । तथापि इन अस्पतालों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं में सुधार की गुंजाइश है ।

(घ) जहां राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों पर राज्य सरकारों द्वारा धन खर्च किया जाता है, वहां संलग्न विवरण पिछले तीन वर्षों के दौरान कुछ प्रमुख अस्पतालों के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए बजट प्रावधान को दर्शाता है ।

विवरण

(आंकड़े लाख रुपये में)

संस्थाओं के नाम	बजट अनुमान 88-89		बजट अनुमान 89-90		बजट अनुमान 90-91	
1	2		3		4	
	प्लान	नॉन प्लान	प्लान	नॉन प्लान	प्लान	नॉन प्लान
सफदरजंग अस्पताल और सफदरजंग अस्पताल में स्थित पुनर्वास केन्द्र	185.00	1183.00	200.00	1350.00	210.00	1907.00
राममनोहर लोहिया अस्पताल	125.00	775.00	125.00	864.00	165.00	1062.00
केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची	23.00	.137.00	15.00	160.00	10.00	199.00
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (मुख्य)	480.00	2080.00	480.00	2528.00	600.00	3400.00

विवरण—जारी

1	2		3		4	
स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़	700.00	1392.00	646.00	1641.00	700.00	2050.00 (नशीली औषधों की लत छुड़ाने को छोड़कर)
जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी	90.00	310.00	175.00	381.00	100.00	555.00
लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेजों और श्रीमती सुचेता कृपलानी तथा कलावती सरन अस्पताल	95.00	830.00	120.00	960.00	58.00	1115.00

कालेज और विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजना के लाभ

783. **श्री कोड्डीकुनील सुरेश** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालेज और विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजना के कार्यान्वयन की तारीख से ही सेवारत कुछ प्राध्यापकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजना के लाभों से वंचित किया गया;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजना के कार्यान्वयन की तारीख को कार्यरत सभी अध्यापकों को इस योजना का लाभ मिले ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा 1-1-1986 से विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के शिक्षकों के वेतनमानों में संशोधन की योजना और उच्च शिक्षा में मानकों के अनुरक्षण के उपाय, जिनकी घोषणा 22-7-1988 को की गई थी, कार्यान्वित किए गए हैं । जहां तक राज्य विश्वविद्यालयों और कालेजों का संबंध है, राज्य सरकारों को सलाह दी गई थी कि वे स्थानीय स्थितियों को ध्यान में रखकर इस योजना को 1-1-1986 अथवा उसके बाद की किसी तारीख से कार्यान्वित करने के लिए अपने विवेकानुसार निर्णय करे । सभी राज्यों ने इस वेतन संशोधन की योजना को स्वीकार कर लिया है और सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, अधिकांश राज्यों ने इस योजना को 1-1-1986 से कार्यान्वित कर दिया है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों को अनुदान

[हिन्दी]

784. **श्री सत्य नारायण जटिया** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश में प्रत्येक विश्वविद्यालय को कितनी धनराशि का अनुदान स्वीकृत किया;

(ख) इन विश्वविद्यालयों के प्रत्येक विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेजों के नाम क्या हैं और वर्ष 1990-91 के दौरान उनमें कितने छात्रों को प्रवेश दिया गया ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और समापटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उन कालेजों की विश्वविद्यालयवार सूची, जिसमें उनके नाम और उनकी स्थापना का वर्ष दिए गए हैं, जिन्हें वि०अ०आ० अधिनियम की धारा 2(च) के अंतर्गत मान्यता प्रदान की जाती है, को एक मुद्रित दस्तावेज के रूप में प्रकाशित की है । आयोग द्वारा मार्च, 1990 में प्रकाशित सूची में 21 अगस्त, 1989 की स्थिति के अनुसार विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबद्ध 4070 कालेजों के नाम और उनकी स्थापना के वर्ष दिए गए हैं । इस प्रकाशन की प्रति संसद पुस्तकालय के लिए उपलब्ध करा दी गई है ।

शैक्षिक वर्ष 1991-92 में प्रत्येक संबद्ध कालेज में दाखिल किए गए छात्रों की संख्या के सम्बन्ध में आयोग के पास जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

राजस्थान में वन रोपण योजनाओं के लिए विदेशी सहायता

[अनुवाद]

785. **श्री दाऊदयाल जोशी :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में वन रोपण योजना के लिए कोई विदेशी सहायता दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) राजस्थान में दो विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं :—

(1) विश्व बैंक तथा यूसेड द्वारा सहायता प्राप्त राष्ट्रीय सामाजिक वानिकी परियोजना के भाग के रूप में राजस्थान की परियोजना, जिसमें कि 16 जिले शामिल हैं, 1985-86 से कार्यान्वित की जा रही है जिसके कि मार्च, 1993 तक जारी रहने की संभावना है । स्वीकृत परियोजना दस्तावेज के अनुसार इस परियोजना के लिए 25.2 मिलियन अमरीकी डालर विदेशी सहायता के रूप में हैं । मार्च, 1991 तक हुआ कुल व्यय 47.80 करोड़ रुपये है । विभिन्न वनीकरण कार्यकलापों के लिए 1,20,800 हेक्टेयर कुल लक्ष्य की तुलना में मार्च 1991 तक समस्त कार्यकलापों के अन्तर्गत उपलब्धि लगभग 1,07,543 हेक्टेयर है ;

(2) ओवरसीज इकॉनॉमिक कोआपरेशन फंड, जापान द्वारा सहायता प्राप्त "इंदिरा गांधी नहर के किनारे वनीकरण तथा चरागाह विकास परियोजना" नामक एक परियोजना, राजस्थान राज्य में कार्यान्वित किए जाने के लिए 5 फरवरी, 1991 को स्वीकृत की गई थी । परियोजना की कुल लागत 107.5 करोड़ रुपए है । इस परियोजना के लिए 7,869 मिलियन जापानी येन विदेशी सहायता के रूप में है । परियोजना के अन्तर्गत मार्च 1991 तक आरंभिक कार्यकलापों पर हुआ व्यय 2.69 करोड़ रुपए है ।

स्त्रियों के जन्म-अनुपात में गिरावट

786. **श्री गोविन्दराव निकम : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या 1991 की जनगणना के अनुसार देश में स्त्रियों की जनसंख्या में गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पुरुष और स्त्री का जन्म-अनुपात क्या है; और

(घ) क्या सरकार का पुरुष-स्त्री जन्म-अनुपात के अन्तर को कम करने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल-कूद विभाग तथा महिला और बाल-विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अनुसार पुरुषों और महिलाओं का अनुमानित जन्म-अनुपात जो 1981 में 107 था वह 1988 में 110 तक हो गया है ।

(घ) जी, हाँ ।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए हॉस्टल

[हिन्दी]

787. **श्री राम नारायण बेरवा :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के हॉस्टलों की स्थिति बहुत खराब है;

(ख) क्या यह सच है कि छात्रों के इन हॉस्टलों में अच्छा भोजन, कपड़े, बिजली और आवास जैसी आम सुविधाओं की कमी है;

(ग) क्या सरकार का छात्रों के इन हॉस्टलों की स्थिति सुधारने के लिए अधिक वित्तीय सहायता अथवा विशेष केन्द्रीय अनुदान देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लड़के/लड़कियों के लिए छात्रावासों की केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत, छात्रावासों के भवनों के निर्माण हेतु राज्य सरकारों के बराबर अनुदान के आधार पर केन्द्रीय सहायता दी जाती है ।

इन होस्टलों के संचालन तथा अनुरक्षण का व्यय राज्य सरकारों द्वारा दिया जाता है । भारत सरकार इस प्रयोजन हेतु कोई केन्द्रीय सहायता नहीं देती ।

गुजरात में फाल्सीपेरम मलेरिया के मामले

[अनुवाद]

788. **डा० के० डी० जेसवानी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) गुजरात राज्य में पिछले एक वर्ष के दौरान फाल्सीपेरम मलेरिया के कितने मामलों का पता चला है;

(ख) क्या गुजरात के कैरा जिले में एक मलेरिया अनुसंधान केन्द्र कार्य कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके कार्यकरण का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) वर्ष 1990-91 के दौरान गुजरात राज्य द्वारा बताए गए फाल्सीपेरम मलेरिया के रोगियों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	पी० फाल्सीपेरम के रोगी
1990	1,34,215
1991 (मार्च तक)	17,301

(ख) जी, हां । 1983 में गुजरात के नाडियाड तालुक, खेड़ा जिले में मलेरिया अनुसंधान केन्द्र का एक क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया था ।

(ग) यह क्षेत्रीय कार्यालय (i) मलेरिया के जैवपर्यावरणिक नियंत्रण, (ii) मच्छरों के पनपने के नियंत्रण पर अनुसंधान, (iii) स्वास्थ्य विभाग और सहयोगी अभिकरणों के स्टाफ का प्रशिक्षण, (iv) स्वास्थ्य विभाग को प्रौद्योगिकी का स्थानान्तरण, (v) उपचारी उपायों के प्रभाव का पता लगाने के लिए अनुवीक्षण पद्धति का विकास और (vi) पूरे जिले के लिए कार्य योजना तैयार करने से संबंधित प्रदर्शन कार्य में लगा हुआ है ।

भगवान जगन्नाथ मंदिर, उड़ीसा

[हिन्दी]

789. श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा सरकार से भगवान जगन्नाथ मंदिर की दीवारों में दरार पड़ने के बारे में कोई जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है और सरकार का चालू वर्ष के दौरान इस मंदिर के पुनर्निर्माण तथा मरम्मत के लिए कुल कितनी धनराशि स्वीकृत करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) विगत तीन वर्षों में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को भगवान जगन्नाथ, पुरी के मुख्य मंदिर में दरारों के बढ़ने के बारे में उड़ीसा सरकार से कोई विशिष्ट सूचना नहीं मिली है ।

विशेषज्ञों की सिफारिशों पर, पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर तथा छोटे देवालयों पर संरक्षण कार्य प्रगति पर है, जिसके लिए चालू वित्तीय वर्ष में 6.75 लाख रुपये का आवंटन किया गया है ।

भारतीय चिकित्सा पद्धति के स्नातकोत्तरों को स्नातकोत्तर भत्ता

[अनुवाद]

790. श्री रोशन लाल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत भारतीय चिकित्सा पद्धति के स्नातकोत्तर डाक्टरों को स्नातकोत्तर भत्ता दिया जाता है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का ऐसे डाक्टरों को स्नातकोत्तर भत्ता देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) ऊपर (क) को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते ।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निराशाजनक परीक्षा परिणाम

791. **डा० कृपासिन्धु भोई :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1990-91 में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दसवीं कक्षा की परीक्षाओं का परिणाम अत्यन्त निराशाजनक रहा;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उन विद्यार्थियों को अगली कक्षा में अस्थायी रूप से प्रवेश देने का विचार है जो बहुत ही कम अंकों से अनुत्तीर्ण रह गये हैं;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि स्कूलों द्वारा, विशेष रूप से राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक स्कूल, अशोक विहार, दिल्ली द्वारा अपने ही स्कूल के अनुत्तीर्ण हुए नियमित विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं कि अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों को उन्हीं स्कूलों में पुनः प्रवेश मिल सके जहां से उन्होंने परीक्षा में भाग लिया था ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं । के०मा०शि०बो० द्वारा आयोजित माध्यमिक (कक्षा X) स्कूल परीक्षा, 1991 की उत्तीर्ण प्रतिशतता 62.8% थी जबकि 1990 में यह प्रतिशतता 65.6 थी ।

(ख) लागू नहीं ।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(घ) तथा (ङ) कुछ स्कूलों द्वारा अनुत्तीर्ण छात्रों को दाखिला देने में इनकार सम्बंधी रिपोर्टें शिक्षा निदेशालय, दिल्ली प्रशासन को प्राप्त हुई । 19-7-91 को शिक्षा निदेशक, दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली/नई दिल्ली के सभी मान्यताप्राप्त, निजी और सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को एक परिपत्र जारी किया जिसमें उन्हें

निदेश दिया गया था कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके स्कूल के किसी भी अनुत्तीर्ण छात्र को स्कूल में दाखिला देने से इनकार न किया जाए । जहां तक राजकीय गर्ल्स उच्चतर माध्यमिक स्कूल, अशोक नगर, दिल्ली का सम्बंध है, उस क्षेत्र के दिल्ली प्रशासन के शिक्षा अधिकारी ने स्कूल का दौरा किया और सभी सम्बंधित छात्रों को आश्वस्त किया कि किसी भी अनुत्तीर्ण छात्र को स्कूल में दाखिला देने से इनकार नहीं किया जाएगा ।

ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम स्वास्थ्य गाइड

792. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने ग्रामीण लोगों के लाभ के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में "ग्राम स्वास्थ्य गाइड" योजना को प्रोत्साहित करने के लिए कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने ग्राम स्वास्थ्य गाइडों को दिये जा रहे मानदेय में वृद्धि करने का कोई निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डॉ० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) ग्रामीण स्वास्थ्य गाइड योजना अब भी जारी है । ग्रामीण स्वास्थ्य गाइड ग्रामीण समुदाय द्वारा चुने हुए स्वयंसेवी कार्यकर्ता हैं और वे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारम्भिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाएं प्रदान करते हैं । उनको प्रतिमाह 50 रुपये का मानदेय दिया जाता है ।

(ग) से (ङ) वित्तीय कठिनाई के कारण मानदेय को बढ़ाना और चिकित्सा किटों की व्यवस्था करना संभव नहीं हो सका है ।

उड़ीसा की परियोजनाओं को स्वीकृति

793. **श्री अज किशोर त्रिपाठी** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने "एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम" के अंतर्गत परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उद्देश्य के लिये कितनी धनराशि आवंटित करने का प्रस्ताव है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) से (ग) उड़ीसा सरकार ने नगर विकास के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने हेतु 1892 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत का एक प्रारम्भिक परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया था । इस मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव की जांच-पड़ताल की गई थी । यह पाया गया था कि प्रस्ताव में सांस्थानिक सामर्थ्य तथा प्रतिरूप निधिकरण के लिए राज्य सरकार का सामर्थ्य भी सुस्पष्ट नहीं किया गया था । इसलिए, एक सार्थक परियोजना तैयार करने के लिए प्रस्ताव उड़ीसा सरकार को लौटा दिया गया था । उड़ीसा सरकार से संशोधित परियोजना रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

दुर्गा पार्क, दिल्ली में भूमि पर अवैध कब्जा

794. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गा पार्क (नसीरपुर), दिल्ली में दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के सब-स्टेशन और बारात घर के लिए निर्धारित भूमि पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है अथवा करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि दुर्गा पार्क एक अधिकृत कालोनी है । दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अभी तक ना तो इस क्षेत्र के लिए कोई योजना बनाई है और ना ही दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के सब-स्टेशन अथवा बारात घर के लिए कोई भूमि चिन्हित की है । तथापि, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने सूचित किया है कि विद्युत सब-स्टेशन के निर्माण के लिए उन्हें दुर्गा पार्क वेलफेयर एसोसिएशन ने दो भूखण्डों का प्रस्ताव किया था । तदुपरान्त, एक भू-खण्ड पर अतिक्रमण हो गया था । अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की सूचना मिली है ।

कनाट प्लेस में पैदल चलने वालों के लिए योजना

795. **श्री बल्लभ पाणिग्रही** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका ने कनाट प्लेस में पैदल चलने वालों के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को योजना को लागू न करने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) तथा (ख) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि कनाट प्लेस क्षेत्र के समग्र नवीकरण के लिए एक योजना तैयार की गई है । इस व्यापक योजना में, क्षेत्र का सौन्दर्यकरण, उप मार्गों का निर्माण, पैदल चलने वालों के लिये पैदल पथ बनाना, बहुस्तरीय पार्किंग का निर्माण, अतिरिक्त जन सुविधाओं की व्यवस्था, कनाट प्लेस के मध्य से गुजरने वाले यातायात को हतोत्साहित करना, प्रमुख रेडियल सड़कों का सुधार, वायु तथा शोर प्रदूषण की मात्रा में कमी करना, कनाट प्लेस विशेषकर आन्तरिक सर्किल में वाहन यातायात को कम करना, आन्तरिक सर्किल रोड को वाहन यातायात और पैदल चलने वालों के लिये बन्द करना शामिल है । पैदल चलने वालों के लिये सुविधा इस योजना का एक घटक है ।

(ग) तथा (घ) नई दिल्ली नगर पालिका ने यह भी सूचित किया है कि कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं ।

(i) दि दिल्ली पेटोडीलर्स एसोसिएशन ने यह अनुरोध करते हुए एक पत्र लिखा था कि योजना को अन्तिम रूप देने से पूर्व उन्हें विश्वास में लिया जाना चाहिए ।

(ii) न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने एक पत्र लिखा कि पार्किंग लाट्स में परिवर्तित प्रवेश को केवल प्रयोग की अवधि में कार्यान्वित किया जाना चाहिए । इस एसोसिएशन के अवैतनिक सचिव ने एक और पत्र लिखा कि इस प्रयोग से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है । उन्होंने 18-7-1991 को एक तार भी यह व्यक्त करते हुए भेजा कि वे इस समझौते से अलग हो गये हैं और वे इस प्रयोग का प्रबल विरोध करते हैं ।

(iii) कनाट प्लेस रेजिडेन्ट्स एसोसिएशन ने गृह राज्य मंत्री को एक अभ्यावेदन भेजा कि उनको यह योजना पूर्णत: अस्वीकार्य है क्योंकि इसमें उनके हितों की उपेक्षा की है और आपातकालीन चिकित्सा आवश्यकता के लिये उनको नजदीक ही परिवहन साधन उपलब्ध नहीं होगा ।

(ङ) नई दिल्ली नगर पालिका ने यह भी सूचित किया है कि दिल्ली पेट्रोलियम एसोसिएशन को इस मामले पर बातचीत के लिये आमंत्रित किया गया था परन्तु उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया । उनसे मामले पर बातचीत करने का पुन: अनुरोध किया गया है । नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन के साथ नियमित बैठकें की गई थी और प्रयोग के पूरा हो जाने के पश्चात एक कार्यशाला आयोजित करने के लिए परस्पर सहमति हुई थी । नई दिल्ली नगर पालिका ने बताया है कि कनाट प्लेस रेजिडेन्ट्स एसोसिएशन की आशंकाएं निराधार हैं क्योंकि सभी ब्लाकों में पार्किंग सुविधाएं उपलब्ध है सिवाय इसके कि प्रवेश और निकास रेडियल सड़कों से है और पार्किंग सुविधाओं में कोई कमी नहीं हुई है ।

अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिये आरक्षण नीति की समीक्षा

[हिन्दी]

796. **श्री तेज नारायण सिंह** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आरक्षण नीति की समीक्षा का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्री (सीताराम केसरी) : (क) से (ग) संविधान के अनुच्छेद 334 के अंतर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार लोक सभा में तथा राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का पुनरीक्षण हर दस वर्षों के बाद किया जाता है । वर्तमान आरक्षण 25-1-2000 तक के लिए है ।

नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम में संशोधन

[अनुवाद]

797. **श्री काशीराम राणा**
श्री राम विलास पासवान } : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम में संशोधन करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) अधिनियम में संशोधनों के प्रस्तावों को प्रतिपादित कर लिया गया है। इन संशोधनों से विद्यमान त्रुटियों को समाप्त करने, अधिनियम के अधिक प्रभावी कार्यान्वयन में सहायता और खाली शहरी भूमि के और अच्छे उपयोग आदि की सम्भावना है। तथापि इन प्रस्तावों पर अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

राज्य-वार नवोदय विद्यालय

[हिन्दी]

798. **श्री मोरेश्वर सावे** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत अब तक कुल कितने नवोदय विद्यालय खोले गये तथा तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त विद्यालयों में छात्रों और अध्यापकों की अलग-अलग संख्या कितनी है; और

(ग) उक्त नवोदय विद्यालयों में कितने प्रतिशत छात्र पिछड़े वर्गों से संबंधित हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) अब तक देश में 275 नवोदय विद्यालय खोले जा चुके हैं। इनमें से 14 चालू शैक्षिक वर्ष में स्वीकृत किए गए हैं जहां छात्रों के दाखिले और शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। 275 नवोदय विद्यालयों का राज्य-वार ब्यौरा तथा 31-3-91 की स्थिति के अनुसार 261 विद्यालयों में छात्रों और शिक्षकों की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) इस प्रकार के आंकड़े नहीं रखे जाते। 31-3-91 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के छात्रों की प्रतिशतता नीचे दी गई है :—

अनुसूचित जाति	19 %
अनुसूचित जनजाति	11 %

विवरण

अब तक खोले गए विद्यालयों की राज्यवार संख्या, छात्रों की संख्या और शिक्षकों की संख्या के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	विद्यालयों की संख्या	31-3-91 की स्थिति के अनुसार 261 विद्यालयों में	
			छात्रों की संख्या	शिक्षकों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	20	5534	315
2.	अरुणाचल प्रदेश	5	418	67
3.	बिहार	25	7254	424
4.	गोवा	2	284	27
5.	गुजरात	9	1724	105
6.	हरियाणा	9	2654	145

विवरण—जारी

1	2	3	4	5
7.	हिमाचल प्रदेश	8	2280	146
8.	जम्मू और काश्मीर	14	2169	202
9.	केरल	10	3030	163
10.	कर्नाटक	18	4961	307
11.	मध्य प्रदेश	29	6022	419
12.	महाराष्ट्र	20	5758	332
13.	मणिपुर	7	1517	99
14.	मेघालय	4	320	48
15.	मिजोरम	2	154	26
16.	उड़ीसा	12	3502	211
17.	पंजाब	7	1880	125
18.	राजस्थान	21	5264	323
19.	सिक्किम	1	107	15
20.	नागालैण्ड	2	138	15
21.	त्रिपुरा	2	285	11
22.	उत्तर प्रदेश	35	7253	442
23.	अंडमान और निकोबार	2	298	34
24.	चंडीगढ़	1	173	15
25.	दादरा व नगर हवेली	1	137	17
26.	दमन और दीव	2	189	25
27.	दिल्ली	2	216	11
28.	लक्षद्वीप	1	114	10
29.	पांडिचेरी	4	882	63
	योग :	275	64517	4142

हरिनगर में अनधिकृत निर्माण

[अनुवाद]

799. श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के आवासों (दो मंजिले) के हरिनगर, नई दिल्ली के आवंटियों ने विशेष रूप से हरिनगर के पाकेट "बी" के प्रथम तल के आवंटियों ने अनधिकृत निर्माण कर लिये है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने आवासों में भूमि तल के पानी के टैंकों को अनधिकृत निर्माण द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया है/बदल दिया गया है; और

(घ) इस संबंध में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा क्या कार्रवाई की गई है अथवा करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) जी, हां ।

(ख) पाकेट-बी, हरिनगर, नई दिल्ली के 20 फ्लैटों में द्वितीय तल पर अनधिकृत निर्माण किया गया है ।

(ग) प्रथम तल के फ्लैटों के आबंटितियों द्वारा पांच मू तल फ्लैटों की पानी की टंकियों को द्वितीय तल के टैरेस पर स्थानान्तरित किया है ।

(घ) आबंटन/पट्टे की शर्तों के अनुसार उपरोक्त सभी मामलों में नोटिस जारी किए गए हैं ।

पेड़ काटने के लिए सजा

[हिन्दी]

800. श्री राजवीर सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वनों के अवैध कटान के लिये देश में चालू वर्ष के दौरान कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया ;और

(ख) उनके विरूध्द की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

रोहिणी में सेवा-निवृत्त व्यक्तियों को एल० आई० जी०/एम० आई० जी० फ्लैटों का आबंटन

[अनुवाद]

802. प्रो० प्रेम धूमल : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या रोहिणी के सेक्टर 18 में सेवा-निवृत्त सरकारी कर्मचारियों को आबंटित किये गये अधिकांश एम० आई० जी० और एल० आई० जी० फ्लैटों का, आबंटन के 18 माह की अवधि व्यतीत होने के बाद भी, उनके आबंटियों द्वारा इनका कब्जा नहीं लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है तथा इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) सेक्टर 18 में ए और बी ब्लाकों में एम० आई० जी० तथा सेक्टर 18 में डी एल० आई० जी० फ्लैटों का अभी तक कितने व्यक्तियों ने कब्जा लिया है; और

(घ) सरकार द्वारा आबंटियों को आबंटित फ्लैटों का कब्जा लेने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए इस सेक्टर में आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) सेक्टर 18, ब्लाक ए तथा बी में निम्न आय वर्ग/मध्यम आय वर्ग फ्लैटों के आबंटितियों को 1593 कब्जे के पत्र जारी किए गए हैं । 1273 आबंटितियों ने कब्जा ले लिया है ।

(घ) जल पूर्ति, सीवरेज, नालियां और बिजली जैसी सेवाएं पहले ही उपलब्ध होने की सूचना दी गई है ।

औद्योगिक और विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी न देना

803. **श्री सैयद शाहबुद्दीन**: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी औद्योगिक और विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, जिन्हें वर्ष 1990-91 के दौरान पर्यावरणीय कारणों से सरकार ने मंजूरी नहीं दी है;

(ख) मंजूरी न दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) मंजूरी न देने और प्रत्येक परियोजना के प्राप्त होने के बीच की समयावधि कितनी है; और

(घ) क्या आवेदकों को कोई उपचारात्मक उपाय का सुझाव दिया गया था ताकि मंजूरी देने हेतु उसकी फिर से समीक्षा की जा सके ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) प्रस्ताव को रद्द करने के कारणों की जानकारी प्रस्तावकों को दे दी गई है।

विवरण

1990-91 में प्राप्त औद्योगिक तथा विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा, जिन्हें सरकार ने पर्यावरणीय कारणों से मंजूरी नहीं दी है:

क्रम सं०	परियोजना का नाम	प्राप्ति की तिथि	मंजूरी न दिए जाने का कारण
1	2	3	4
	(क) औद्योगिक परियोजनाएं		
	आन्ध्र प्रदेश		
1.	गोदावरी टर्मिनल सुविधाओं से तेल उत्पादन—तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग	फरवरी, 91	मार्च, 91 में विचार किया गया। पूर्ण पर्यावरणीय डाटा और कार्य योजनाएं प्रस्तुत नहीं की गई। सूचना का एक भाग जुलाई, 91 में प्रस्तुत किया गया।
2.	काकीनाडा में डी. ए. पी. परियोजना—इग्सर लिमिटेड	नवम्बर, 90	अभयारण्य के समीप स्थित होने के कारण दिसम्बर, 90 में नामंजूर कर दिया गया।
	बिहार		
3.	बोकारो में बोकारो कन्वर्टर्स शॉप का पुनर्निर्माण, स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि.	अप्रैल, 90	अगस्त, 90 में विचार किया गया। पूर्ण पर्यावरणीय डाटा तथा कार्य योजनाएं प्रस्तुत नहीं की गई। सूचना का बाकी भाग जुलाई, 91 में प्राप्त हुआ।

विवरण—जारी

1	2	3	4
	गुजरात		
4.	नवागत डिसाल्टिंग प्लांट—तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग	अक्तूबर, 90	फरवरी, 91 में विचार किया गया । पूर्ण पर्यावरणीय डाटा तथा कार्य योजनाएं प्रस्तुत नहीं की गई । सूचना का एक भाग जुलाई, 91 में प्राप्त हुआ ।
5.	पी बी आर और पी पी विस्तार—आई पी सी एल	फरवरी, 91	मार्च, 91 तथा जून, 91 में विचार किया गया । पूर्ण सूचना अभी प्राप्त होनी है ।
6.	पी ए डी सी सुविधाएं तथा कार्बन फाइबर प्लांट—आई पी. सी. एल.	फरवरी, 91	—वही—
7.	हजीरा में पेट्रोकेमिकल काम्पलेक्स—रिलायंस पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड	मार्च 91	परियोजना को मई, 91 में नामंजूर कर दिया गया । क्योंकि पूर्ण पर्यावरणीय आंकड़ा प्रस्तुत नहीं किया गया था ।
	हरियाणा		
8.	पलवल में उर्वरक परियोजना—कृभको	फरवरी 91	मार्च, 91 में विचार किया गया । पूर्ण सूचना अभी प्राप्त की जानी है ।
9.	ऑटोमोबाइल संयंत्र का विस्तार—मारूति उद्योग लि.	मार्च, 91	जून, 91 में विचार किया गया संशोधित पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है ।
	कर्नाटक		
10.	पेलेटाइजेशन प्लांट (विस्तार) तथा बेनिफिसिएशन प्लांट (विस्तार)—के आई ओ सी एल	अक्तूबर, 90	नवम्बर, 90 तथा मई, 91 में विचार किया गया । संशोधित पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है ।
11.	ब्लास्ट फर्नेस काम्पलेक्स—बी आई एस एल	अक्तूबर, 90	नवम्बर, 90 में विचार किया गया । अतिरिक्त सूचना जुलाई, 91 में प्राप्त हुई ।
12.	मंगलौर में एल. पी. जी. भण्डारण सुविधा	मार्च, 91	परियोजना प्राधिकारियों के अनुरोध पर प्रस्ताव को विचार के लिए आस्थगित रखा गया ।
	केरल		
13.	रिफाइनरी का विस्तार—सी आर एल	नवम्बर, 90	फरवरी, 91 में विचार किया गया । अतिरिक्त सूचना जुलाई, 91 में प्राप्त हुई ।
	महाराष्ट्र		
14.	डिमिथाइल फार्माइड प्लांट—आर सी एफ	नवम्बर, 90	फरवरी, 91 में विचार किया गया । राज्य सरकार से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है ।
15.	एम डी आई परियोजना—एच ओ सी एल	जुलाई, 90	ब्यौरों की तथा अपेक्षित सूचना के अभाव के कारण सितम्बर, 90 में नामंजूर कर दिया गया ।

विवरण—जारी

1	2	3	4
	उड़ीसा		
16.	समेकित एल्युमिना काम्पलेक्स विस्तार—नेल्को।	फरवरी, 91	जुलाई, 91 में प्रस्तुत किए जाने के लिए अतिरिक्त सूचना प्राप्त की जानी है।
17.	तलचर में उर्वरक संयंत्र (आधुनिकीकरण)—एफ सी आई	दिसम्बर, 90	फरवरी, 91 में विचार किया गया और विस्तृत सूचना के अभाव में रद्द कर दिया गया।
	तमिलनाडु		
18.	कोयम्बटूर में कपड़ा मिल का विस्तार—राष्ट्रीय वस्त्र निगम	मार्च, 91	पूर्ण सूचना अभी प्राप्त की जानी है।
	उत्तर प्रदेश		
19.	औरिया में गैस क्रेकर काम्पलेक्स—जी ए आई एल	अक्तूबर, 90	अक्तूबर 90 में विचार किया गया। पूर्ण सूचना अभी प्राप्त की जानी है।
20.	ऋषिकेश में एन्टीबायोटिक्स यूनिट में डी जी सैट—आई डी पी एल	अप्रैल, 90	विस्तृत सूचना अभी प्राप्त की जानी है।
21.	स्टील स्ट्रिप्स—रोड मास्टर कम्पनी	मार्च, 91	—वही—
22.	रबड़ शीट्स, रबड़ सोल—कैलाश रबड़ कम्पनी	मार्च, 91	—वही—
23.	शाहजहांपुर बिंदल एग्रो-केमिकल्स लि० में उर्वरक संयंत्र	अक्तूबर, 90	विस्तृत सूचना प्राप्त नहीं हुई थी, अतः दिसम्बर, 90 में रद्द कर दिया गया।
	अन्य		
24.	एच बी जे पाइपलाइन का दर्जा बढ़ाना—जी ए आई एल।	मार्च, 91	मई, 91 में विचार किया गया अतिरिक्त सूचना जुलाई, 91 में प्रस्तुत की गई।

(ख) ताप विद्युत परियोजनाएं

	आन्ध्र प्रदेश		
1.	**गोदावरी गैस आधारित विद्युत परियोजना—800 मे० वा०, एन० टी० पी० सी०**	अप्रैल, 90	**अभयारण्य के समीप स्थित होने के कारण मई, 91 में रद्द कर दिया गया।**

विवरण—जारी

1	2	3	4
2.	जागुरपाडा में गैस आधारित ताप विद्युत परियोजना—2×135 मे० वा०, जी० टी०+1×135 मे० वा० एस० टी—आन्ध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	नवम्बर, 90	परियोजना पर दो बार विचार किया गया। पूर्ण पर्यावरणीय डाटा और कार्य योजनाएं प्रस्तुत नहीं की गई। अतिरिक्त सूचना अभी प्रस्तुत की जानी है।
	बिहार		
3.	चाँदिल ताप विद्युत परियोजना 2×500 मे० वा०—बिहार राज्य विद्युत बोर्ड/सी ई एस सी लि०	फरवरी, 91	मार्च, 91 में परियोजना पर विचार किया गया। अतिरिक्त सूचना प्रस्तुत की जानी है।
	गुजरात		
4.	नर्मदा ताप विद्युत परियोजना—2×500 मे० वा०—गुजरात विद्युत बोर्ड	फरवरी, 91	24.691 को परियोजना चर्चा करने का प्रस्ताव था। परियोजना प्राधिकारियों से चर्चा/विचार को स्थगित करने का अनुरोध किया गया।
5.	सिक्का ताप विद्युत परियोजना—2×210 मे० वा०—गुजरात विद्युत बोर्ड	फरवरी, 91	अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के निकट होने के कारण इसे मई, 91 में रद्द कर दिया गया।
	त्रिपुरा		
6.	अगरतल्ला में गैस पर आधारित बिजली परियोजना—6×90 मे० वा०—एन टी पी सी	दिसम्बर, 90	परियोजना का स्थान अभयारण्य के निकट होने के कारण प्रस्ताव को अप्रैल, 91 में अस्वीकार कर दिया गया।
	पश्चिम बंगाल		
7.	बजबज ताप बिजली परियोजना 2×250 मे० वा०—कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लि०	नवम्बर, 90	अतिरिक्त सूचना जुलाई, 91 में दी गई।

(ग) जल-विद्युत बिजली परियोजना

	हरियाणा		
1.	दादरपुर लघु जल स्कीम	जून, 90	पर्यावरणीय आंकड़े और कार्य योजनाएं अधूरी होने के कारण परियोजना को जून, 80 में अस्वीकार कर दिया गया।
	हिमाचल प्रदेश		
2.	धामवाड़ी हाइडल परियोजना	मई, 90	—वही—

विवरण—जारी

1	2	3	4
	जम्मू और कश्मीर		
3.	सेवा हाइडल परियोजना—चरण-3	अक्तूबर, 90	पर्यावरणीय आंकड़े और कार्य योजनाएं अधूरी होने के कारण प्रस्ताव को नवम्बर, 90 में अस्वीकार कर दिया गया ।
	केरल		
4.	बृथनकेट्टे सिंचाई परियोजना के तहत बिजली विकास	अप्रैल, 90	पर्यावरणीय आंकड़े और कार्य योजनाएं अधूरी होने के कारण प्रस्ताव को जून, 90 में अस्वीकार कर दिया गया ।
5	चम्बुकादावा लघु हाइडल परियोजना	अक्तूबर, 90	पर्यावरणीय आंकड़े और कार्य योजनाएं अधूरी होने के कारण प्रस्ताव को नवम्बर, 90 में अस्वीकार कर दिया गया ।
	मध्य प्रदेश		
6.	मतनार जल विद्युत परियोजना	जनवरी, 91	पर्यावरणीय आंकड़े और कार्य योजनाएं अधूरी होने के कारण प्रस्ताव को फरवरी, 91 में अस्वीकार कर दिया गया ।
	उत्तर प्रदेश		
7.	धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना—2	सितम्बर, 90	पर्यावरणीय आंकड़े और कार्य योजना अधूरी होने के कारण प्रस्ताव को अक्तूबर, 90 में अस्वीकार कर दिया गया ।
8.	गोरीगंगा जल विद्युतपरियोजना—चरण-1 और 2.	नवम्बर, 90	पर्यावरणीय आंकड़े और कार्य योजनाएं अधूरी होने के कारण प्रस्ताव को नवम्बर, 90 में अस्वीकार कर दिया गया ।
9.	बसुली लघु हाइडल स्कीम	अक्तूबर, 90	—वही—

जिला पिथौरागढ़ में चम्पावत में नवोदय विद्यालय खोलना

[हिन्दी]

904. **श्री जीवन शर्मा :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के जिला पिथौरगढ़ में चम्पावत में नवोदय विद्यालय खोलने के लिए भूमि का अधिग्रहण किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस विद्यालय के कब तक कार्य शुरू कर दिये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) नवोदय विद्यालय का खोलना संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकार, के प्रस्ताव पर आधारित होता है, जो विद्यालय खोलने के लिए निःशुल्क 30 एकड़ उपयुक्त भूमि और पर्याप्त भवन तथा अन्य अवस्थापना की व्यवस्था करती है। उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले के चम्पावत में नवोदय विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

नई श्रम नीति

805. **श्री विश्वनाथ शास्त्री**
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव } : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार नई श्रम नीति बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त नीति की घोषणा कब तक की जाएगी?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० राम मूर्ति) : (क) और (ख) अप्रैल, 1990 में आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन के 29 वें सत्र में एक नया औद्योगिक संबंध कानून बनाने के प्रश्न पर विचार किया गया था। इसकी सिफारिशों के अनुसरण में इससे संबंधित विशिष्ट प्रस्ताव तैयार करने के लिए श्री जी० रामानुजम की अध्यक्षता में एक द्विपक्षीय समिति का गठन किया गया था। भारतीय श्रम सम्मेलन के अगले सत्र में समिति की रिपोर्ट पर विचार करने का प्रस्ताव है।

विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास संबंधी राष्ट्रीय नीति

806. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आदिवासियों के विस्थापन को रोकने तथा पहले विस्थापित किये जा चुके आदिवासियों के पुनर्वास हेतु एक नई राष्ट्रीय नीति तैयार करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो राजस्थान में किन-किन क्षेत्रों की कितनी आदिवासी जनसंख्या इस योजना से लाभान्वित होगी?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) परियोजना विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु एक व्यापक राष्ट्रीय नीति विचाराधीन है।

अस्पताल खोलने के लिए केन्द्रीय सरकार के निर्देश

807. **श्रीमती सुमित्रा महाजन**
श्री प्रभु दयाल कठेरिया } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को निदेश जारी किये हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा सुविधाओं से संबंधित केन्द्रीय सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत क्षय रोग, कैंसर तथा अन्य खतरनाक बीमारियों के इलाज के लिए प्रत्येक जिले में ब्लॉक स्तर पर छोटे अस्पताल खोले जायें; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी॰ के॰ तारादेवी सिध्दार्थी) : *(क) और (ख) वर्तमान पैटर्न के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञ स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं प्रदान करने के लिए 80,000 से 1,20,000 आबादी पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किया जाता है ।* सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में कम से कम 30 पलंग और 4 विशेषज्ञ होते हैं जो काय, चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, बालचिकित्सा तथा प्रसूति और स्त्री रोग विज्ञान के होते हैं । सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा खोले और चलाए जाते हैं । सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र होते हैं जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा खोले और चलाए जाते हैं । ये केन्द्र 20,000 (आदिवासी क्षेत्र) से 30,000 (ग्रामीण क्षेत्र) आबादी को प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करते हैं । सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रथम स्तर के रेफरल अस्पताल हैं जो या तो किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का दर्जा बढ़ाकर अथवा स्थानीय उप जिला स्तरीय अस्पताल में स्थापित किए जाते हैं । सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध सेवाओं में एक्सरे सेवाएं, प्रयोगशाला सुविधाएं आदि शामिल हैं । सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अपने अन्तर्गत आने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के सहयोग से अपने स्थानीय क्षेत्र में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाएं प्रदान करते हैं जिनमें विभिन्न रोगों का उपचार भी शामिल है ।

भूमंडल का गर्म होना

[अनुवाद]

808. **श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र" तथा "टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान" (टी॰ई॰आर॰आई॰) द्वारा कराये गये अध्ययन के अनुसार भारत भूमंडल के गर्म होने के लिए उतना उत्तरदायी नहीं है जितना "विश्व संसाधन संस्थान" (डब्ल्यू॰आर॰आई॰) के अध्ययनों में बताया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हाँ ।

(ख) वर्ल्ड रिसोर्सेज इन्स्टीट्यूट की रिपोर्ट में विश्व के तापमान में वृध्दि के लिए भारत की जिम्मेदारी के बारे में दी गई टिप्पणियों की भारत में अब तक किए गए वैज्ञानिक अध्ययनों से पुष्टि नहीं होती है । यह एक ऐसा क्षेत्र है, जहां जलवायु परिवर्तन और विश्व के तापमान में वृध्दि के कारणों, उसकी गति एवं उसके प्रभाव के बारे में अत्यधिक वैज्ञानिक अनिश्चितता बनी हुई है । वैज्ञानिक और विशेषज्ञ इन पहलुओं पर गहराई से अध्ययन करने में पहले ही लगे हुए हैं । अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक तथा अन्य मंचों पर आयोजित चर्चाओं में भारत द्वारा किए गए अध्ययनों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है ।

सीतामढ़ी जिले में नवोदय विद्यालय

[हिन्दी]

809. **श्री नवल किशोर राय :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का निकट भविष्य में बिहार के सीतामढ़ी जिले में नवोदय विद्यालय की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो कब तक और तत्संबंधी योजना का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बिहार में कितने नवोदय विद्यालयों की स्थापना का विचार है, इनमें से कितने पहले ही खोले जा चुके हैं तथा वर्ष 1991-92 के दौरान कितने खोले जाएंगे और ये स्कूल किन-किन स्थानों पर खोले जाएंगे ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) नवोदय विद्यालय संबंधित राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर खोले जाते हैं । बिहार के सीतामढ़ी जिले में एक नवोदय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव हाल ही में प्राप्त हुआ है ।

(ग) नवोदय विद्यालयों की योजना में एक जिले में एक नवोदय विद्यालय खोलने की परिकल्पना की गई है । अब तक 275 नवोदय विद्यालय खोले जा चुके हैं उनमें से 25 बिहार में हैं । 1991-92 के दौरान बिहार के लिए उजैन, जिला सीवान में एक नवोदय विद्यालय स्वीकृत किया गया है ।

आगरा में प्रदूषण

810. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगरा में पर्यावरणीय प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयां किस प्रकार की हैं;

(ख) आगरा में प्रदूषण को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का ऐसा कोई विचार है कि इन उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों को लगाने से जो हानि हुई है, उसकी भरपाई हेतु प्रावधान किया जाए; यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आगरा में ऐसे उद्योगों की स्थापना की कोई योजना है जो पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं फैलाते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) आगरा में चर्म शोधन कारखाने, गत्ता मिलें, औषध निर्माण कारखाने, चमड़ा बोर्ड, इलैक्ट्रोप्लेटिंग और मांस संसाधन इकाइयां जल प्रदूषण और फाउन्ड्रीज वायु प्रदूषण फैला रही हैं ।

(ख) आगरा में प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित उपचारात्मक उपाय किए गए हैं :

1. राज्य सरकार के परामर्श से प्रदूषण के नियंत्रण के लिए एक समयबध्द कार्य योजना तैयार की गई है जिसके अन्तर्गत प्रदूषक इकाइयों के लिए 31 दिसम्बर, 1991 तक निर्धारित मानकों को पूरा करना अपेक्षित है ।
2. वायु प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को 1983 से आगरा में चलाए जाने की अनुमति नहीं है ।
3. फॉसिल ईंधन इस्तेमाल न करने वाले उद्योगों को चलाए जाने की अनुमति प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन करने के पश्चात ही दी जाती है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

राजस्थान में चित्तौड़गढ़ किले में स्थित प्राचीन स्मारक

[अनुवाद]

811. **श्रीमती महेन्द्र कुमारी :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में चित्तौड़गढ़, बूंदी और अलवर के किलों में स्थित प्राचीन स्मारकों के रख-रखाव के लिये पर्याप्त व्यवस्था की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपर्युक्त किलों में स्थित प्राचीन स्मारकों के फोटो खींचना पुरातत्व विभाग द्वारा प्रतिबंधित है; और

(घ) यदि हां तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) जी हां। चित्तौड़गढ़ किले एवं बूंदी किले में चित्रशाला के केन्द्रीय रूप से संरक्षित स्मारकों के उचित रखरखाव के लिए समुचित व्यवस्था कर दी गई है। अलवर स्थित किला एक केन्द्रीय रूप से संरक्षित स्मारक नहीं है।

ऊपर वर्णित स्मारकों के रखरखाव संरचनात्मक संरक्षण, रासायनिक परिरक्षण एवं उद्यान विस्तार हेतु यथोचित राशि आबंटित कर दी गई है।

(ग) और (घ) अभी तक हाथ के कैमरे (स्टैंड के उपयोग के बिना) से फोटोग्राफी करने की अनुमति है।

परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए प्रोत्साहन योजनाओं में संशोधन

812. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत चल रही प्रोत्साहन योजनाओं में संशोधन करने का है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या हाल के जनगणना निष्कर्षों को देखते हुए सरकार का विचार जन्म दर कम करने हेतु नई योजनायें शुरू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिध्दार्थी) : (क) देश में परिवार कल्याण कार्यक्रम के नवीकरण के लिए सम्पूर्ण नीति के एक भाग के रूप में, विभिन्न प्रस्ताव और विकल्प, जिनमें प्रोत्साहन और हतोत्साहन से संबंधित प्रस्ताव शामिल हैं, विचाराधीन हैं और इस संबंध में अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) और (ग) 2000 ईसवी तक जनसंख्या की सन्तुलित वृद्धि प्राप्त करना हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य है। अद्यतन जनगणना परिणाम यह दर्शाते हैं कि हमारी जनसंख्या की वर्तमान वृद्धि दर अभी भी 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक है और सरकार इस बारे में गम्भीर रूप से सोच रही है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की दृष्टि से नई पहल करना अत्यावश्यक समझा जाता है। इस संदर्भ में, परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। इसमें राज्य/संघ राज्य सरकारों के साथ गहन परामर्श

करके सम्पूर्ण कार्यान्वयन मशीनरी को दुरुस्त-दुरुस्त बनाना, जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रमों पर अधिक बल देना, नवीन सूचना, शिक्षा और संचार प्रयास शुरू करना, सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार, स्वीकारकर्ताओं के घर पर ही गर्भनिरोधकों की सप्लाई और वितरण की उचित व्यवस्था, गर्भधारण मे अन्तराल हेतु गर्भनिरोधक विधियों के अंतर्गत उच्च प्रजनन क्षमता वाले युवा दम्पत्तियों की कवरेज को बढ़ाना, अन्तर-सेक्टर समन्वय के लिए व्यवस्था का संस्थानीकरण और परिवार कल्याण सेवाओं के वितरण, पूरक और अनुपूरक सरकारी प्रयत्नों में गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी प्राप्त करने के लिए पहलशक्ति और इन सेवाओं की मांग को पैदा करना शामिल है।

दिल्ली में रहस्यमय रोग के कारण मौतें

813 श्री यशवंतराव पाटिल
प्रो॰ के॰ वी॰ थामस
: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक रहस्यमय रोग से दिल्ली में पिछले एक सप्ताह में 17 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई ;

(ख) क्या सभी मामलों में रोग के लक्षण समान थे ;

(ग) दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में इस रोग से पीड़ित कितने रोगियों को भर्ती कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो दिल्ली और उसके पड़ोसी क्षेत्रों में इस रोग को फैलने से रोकने हेतु क्या कार्रवाई की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी॰ के॰ तारादेवी सिध्दार्थ) : (क) से (घ) जून के आखिरी सप्ताह और जुलाई, 1991 के पहले 10 दिनों के दौरान दिल्ली के कुछेक अस्पतालों में तेज-ज्वर से पीड़ित तथा अर्ध-चेतन/अचेतन अवस्था में अनेक रोगी दाखिल किए गए। उनमें किसी विशेष रोग को प्रकट करने वाला कोई अन्य नैदानिक संकेत या लक्षण नहीं पाया गया। ये रोगी गर्मी के कारण अतिज्वर (हाइपर पाइरोक्सीया) से ग्रस्त पाए गए। अतः इसे रहस्यमय रोग नहीं कहा जा सकता है। जहां तक इस रोग को फैलने से रोकने पर कार्रवाई करने का संबंध है, विशेषज्ञों का यह मत है कि चूंकि यह एक संचारी किस्म का रोग नहीं है, अतः इसके फैलने की कोई आशंका नहीं है। संलग्न विवरण में दाखिल हुए और मृत रोगियों का अस्पताल-वार विवरण दिया गया है :—

विवरण

दाखिल हुए और मृत रोगियों का अस्पताल-वार विवरण

अस्पताल	भर्ती	मौतें
डा॰ राम मनोहर लोहिया अस्पताल	30	21
सफदरजंग अस्पताल	13	13
हिन्दू राव अस्पताल	1	1
लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज	2	2

विवरण—जारी

अस्पताल	भर्ती	मौतें
1	2	3
होली फैमिली अस्पताल	1	1
दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल	16	3
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान	4	4
कुल	67	45

बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास

814. **श्री भाग्ये गोवर्धन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंधित श्रम पध्दति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 को लागू करने की राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति क्या है :

(ख) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में बंधुआ मजदूरों की अनुमानित संख्या क्या है और अब तक उनमें से कितने लोगों की पहचान कर ली गई है;

(ग) 31 दिसम्बर, 1990 तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास किया गया है; और

(घ) बंधुआ मजदूरों की पहचान और उनके पुनर्वास के लिये स्वैच्छिक संस्थाओं की भागीदारी और योगदान क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के॰ राममूर्ति) : (क) से (ग) बन्धित श्रम पध्दति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत 25 अक्तूबर, 1975 से सारे देश में बंधुआ श्रम पद्धति समाप्त कर दी गयी है। अधिनियम में सभी बन्धुआ श्रमिकों को दासता से मुक्त करने और साथ ही उनके कर्जों के परिसमापन पर विचार किया गया है। अधिनियम को लागू करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित राज्य सरकारों की है। 31-3-91 की स्थिति के अनुसार राज्य सरकारों ने 2,55,608 बन्धुआ श्रमिकों की पहचान की सूचना भेजी है जिनमें से 2,22,935 को पुनर्वासित किया जा चुका है। 31-3-1991 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा पहचान किए गये तथा पुनर्वासित किए गये बंधुआ श्रमिकों की संख्या दर्शानेवाला विवरण संलग्न है।

(घ) "बन्धुआ मजदूरों की पहचान करने तथा उनके पुनर्वास में स्वयं सेवी एजेन्सियों की भागेदारी" योजना 30-10-1987 को आरम्भ की गयी थी। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि योजना के बारे में व्यापक रूप से प्रचार करें जिससे कि बन्धुआ श्रमिकों की पहचान तथा पुनर्वास के कार्य के लिए अधिक से अधिक स्वयंसेवी एजेन्सियां आगे आयें। अभी तक महाराष्ट्र तथा मध्यप्रदेश में एक-एक एजेन्सी इस कार्य के लिए आगे आयी है।

विवरण

क्रमांक	राज्यों का नाम	31-3-91 की स्थिति के अनुसार बंधुआ श्रमिकों की संख्या		31-3-91 की स्थिति के अनुसार पुनर्वास के लिए उपलब्ध शेष बंधुआ श्रमिक	पुनर्वास के लिए उपलब्ध नहीं
		पहचान किए गये	पुनर्वासित		
1	2	3	4	5	6
	आन्ध्र प्रदेश	35810	25397	10,413	—
	बिहार	12525	11378	31	1116
	कर्नाटक	68876	53835	6430	8611
	मध्य प्रदेश	12535	11236	390	909 †
	महाराष्ट्र	1382	1300	—	82 •
	उड़ीसा	49913	46654	73	3186
	राजस्थान	7300	7164	38	98
	तमिलनाडु	38347	38015	272	60
	उत्तर प्रदेश	27489	27048	441	—
	गुजरात	64	64	—	—
	हरियाणा	544	21	—	523 ••
	केरल	823	823	—	—
	योग	2,55,608	2,22,935	18,088	14,585

टिप्पणी : उपरोक्त आंकड़े उपलब्ध सूचना तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों की 24-4-91 को आयोजित बैठक में दी गई सूचना के आधार पर तैयार किए गये हैं।

† 893 बंधुआ श्रमिकों को उनके गृह राज्यों को प्रत्यावर्तित कर दिया गया है तथा 16 बंधुआ श्रमिकों की मृत्यु हो गई है।

• महाराष्ट्र सरकार ने बताया है कि 82 बंधुआ श्रमिकों को पुनर्वास सहायता की आवश्यकता नहीं है।

•• हरियाणा राज्य की सूचना के अनुसार 523 बंधुआ श्रमिकों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

124 बंधुआ श्रमिक स्वयं चले गये हैं। 96 हरियाणा राज्य से जाने के इच्छुक नहीं है। 2 बंधुआ श्रमिकों की स्वाभाविक रूप से मृत्यु हो गई है तथा 321 बंधुआ श्रमिकों को उनके गृह राज्य अर्थात उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश भेज दिया गया है। एक बंधुआ श्रमिक अभी सचिव, रेडक्रास, गुडगांव के कार्यालय में कार्य कर रहा है।

वन भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग

815. श्री भाग्ये गोवर्धन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-वन्य कार्यों के लिए वन-भूमि के उपयोग की प्रतिवर्ष औसत दर अब क्या है; और

(ख) वर्ष 1988 से गैर-वन्य कार्यों के लिए वर्ष-वार औसतन कितनी वन-भूमि का उपयोग किया गया ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के बनने से पूर्व वन भूमि के वनेतर प्रयोजन हेतु उपयोग में लाने की औसत दर प्रति वर्ष 1.5 लाख हेक्टेयर के रेंज में हुआ करती थी । अधिनियम के बन जाने से अब वन भूमि के वनेतर प्रयोजन की औसत दर घट कर लगभग 27000 हेक्टेयर प्रति वर्ष हो गयी है ।

(ख) 1988 से वन भूमि की वनेतर प्रयोजन के लिए उपयोग की वर्ष-वार स्थिति नीचे दी गई है :—

वर्ष	क्षेत्र हेक्टेयर में
1988	18765.35
1989	20365.05
1990	1,38551.33
1991 (30-6-1991 तक)	190.09

रणजीत नगर दिल्ली में क्वार्टरों की मरम्मत

[हिन्दी]

816. **श्री कालका दास** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने रणजीत नगर स्थित स्लम विभाग के टूटे-फूटे चार मंजिले क्वार्टरों की मरम्मत के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) दिल्ली में मलिन बस्ती उन्मूलन योजना के अन्तर्गत बनाये नये टैनामेन्टों के सम्बन्ध में चिरस्थाई पट्टा स्वामित्वाधिकार प्रदान करने के लिये भारत सरकार ने एक निर्णय लिया था । तत्पश्चात्, आबंटियों द्वारा अपने टैनामेन्टों का रख-रखाव अपनी लागत पर किया जाना था ।

दिल्ली में झंडेवालान देवी मन्दिर का विकास

817. **श्री कालका दास** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने जामा मस्जिद क्षेत्र के समूचे विकास के लिये एक विशाल धनराशि की मंजूरी दी थी और वहां से मलिन बस्ती को हटा दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार झंडेवालान देवी मन्दिर के विकास हेतु और वहां पर अनधिकृत निर्माणों और उसके आस-पास की मलिन बस्ती को हटाने के लिये भी उतने ही धन की मंजूरी देने का है जितने धन की इससे पहले जामा मस्जिद के लिये मंजूरी दी थी; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ अरुणाचलम): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वर्ष 1990-91 के दौरान 60.00 लाख रुपये के बजट प्रावधान की तुलना में 36.39 लाख रुपये व्यय किए। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भी इस प्रयोजनार्थ 15.00 लाख रुपये का बजट प्रावधान है।

(ग) और (घ) इस समय ऐसी कोई योजना नहीं है।

करोलबाग नई दिल्ली में कठपुतली कालोनी का विकास

[अनुवाद]

818. **श्री कालका दास**: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली में कठपुतली कालोनी (करोल बाग) के लिये कोई विकास योजना तैयार की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह योजना कब तैयार की गयी थी; और

(ग) यह विकास कार्य कब शुरू किया जायेगा तथा इसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ अरुणाचलम): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) डी॰ डी॰ ए॰ ने सूचित किया है कि उन्होंने कठपुतली कालोनी के नाम से सात झुग्गी झोपड़ी समूहों में रह रहे भूले बिसरे कलाकारों के लिए स्लम और अनौपचारिक आश्रम के उन्नयन के लिए एक योजना तैयार की है। यह योजना रोटरी क्लब आफ मिडवेस्ट के सहयोग से बनायी गयी थी जिन्हें 40 लाख का अंशदान करना था और इतनी ही राशि स्लम स्कंध द्वारा स्वयं मुहैया कराई जानी थी। योजना बनाते समय उस भूमि का भू-उपयोग, जिस पर यह समूह स्थित है, रिहायशी/प्राइमरी स्कूल के प्रयोजनार्थ था। यद्यपि, बृहत योजना 2001 के अनुसार अब इस स्थल का उपयोग मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिये किये जाने की सम्भावना है। यद्यपि, इस स्थल पर उन्नयन सम्भव नहीं है। अब इस समूह को स्थानान्तरित करने पर विचार किया जा रहा है जो कि वास्तविक और वित्तीय संसाधनों तथा वहां पर रह रहे लोगों के सहयोग पर निर्भर करता है।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 में संशोधन

[हिन्दी]

819. **श्री संतोष कुमार गंगवार**: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 में संशोधन करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार का आगे और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्दार्थी): (क) से (ग) सरकार को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के कुछ उपबंधों का संशोधन करने के लिए राज्य सरकारों/उपभोक्ता संघों/व्यापारिक संघों से प्राप्त किए गए अभ्यावेदनों की जानकारी है। इन अभ्यावेदनों में मुख्य प्रस्ताव इस प्रकार हैं :—

(i) "खाद्य पदार्थ" की परिभाषा और स्पष्ट होनी चाहिए।

(ii) उपभोक्ताओं को उसी प्रकार की शक्तियां दी जानी चाहिए जैसी कि खाद्य निरीक्षकों को दी गयी हैं।

(iii) उपभोक्ताओं के लिए नमूना प्रक्रिया को सरल बनाया जाए।

(iv) खाद्य मानकों की केन्द्रीय समिति को व्यापारियों को और अधिक प्रतिनिधित्व देना चाहिए।

(v) न्यायालयों में मुकदमें चलाने के लिए समय सीमा निर्धारित की जाए।

(vi) अपराधों की गम्भीरता के अनुसार दण्ड के उपबंधों का वर्गीकरण किया जाए।

करोल बाग, दिल्ली में भवनों का अनधिकृत निर्माण

[अनुवाद]

820. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 जून, 1991 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "बिल्डिंग इन करोल बाग डिमोलिश्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो करोल बाग दिल्ली के शेष अनधिकृत निर्माण कार्यों तथा दिल्ली के अन्य क्षेत्रों के अनधिकृत निर्माण कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा सभी अनधिकृत निर्माण कार्यों को गिराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली नगर निगम ने जून 1991 तक करोल बाग में अनधिकृत निर्माण कार्य के 1203 मामले दर्ज किए हैं। इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दिल्ली के अन्य भागों में इस अवधि के दौरान ऐसे 7563 मामलों की सूचना है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि जब अनधिकृत निर्माण कार्य/अतिक्रमण का पता चलता है, उनके द्वारा कानून के तहत तत्काल कार्रवाई की जाती है। वर्ष 1990-91 के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 6304 अनधिकृत निर्माण/अतिक्रमणों को हटाया और इस प्रकार अपनी 286.16 एकड़ भूमि वापस प्राप्त की।

वर्ष 1991 के दौरान नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में इस प्रकार के पता लगाए गए मामलों की संख्या 129 है।

(ग) अनधिकृत निर्माण/अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई करना एक सतत प्रक्रिया है। जब भी इस प्रकार का क्रिया-कलाप ध्यान में आता है, संबंधित प्राधिकरणों द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957, दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 तथा पंजाब म्युनिसिपल अधिनियम, 1911 (जैसा कि नई दिल्ली नगर पालिका के मामले में प्रयोज्य है) के तहत सील करने, गिराने, हटाने आदि जैसी कार्रवाई की जाती है।

दिल्ली में अनधिकृत भोज-कक्षों की संख्या में वृद्धि होना

821. श्री एम० वी० चंद्रशेखर मूर्ति
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद } : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में विशेषकर प्रीत बिहार में अनधिकृत भोज-कक्षों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का विचार इस बारे में क्या कदम उठाने का है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग) प्रीत बिहार में 4 भोज-कक्ष हैं। 25 भोज-कक्षों को बिना किसी वैध लाइसेंस के चलाए जाने की सूचना है। 16 भोज-कक्षों के मालिकों पर पहले ही से मुकदमा चलाया गया है तथा शेष 9 के विरुद्ध कार्रवाई आरम्भ की जा चुकी है।

धोबी समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित किया जाना

822. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ राज्यों में धोबियों द्वारा अपने समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित करने की कड़ी मांग की जानकारी है;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने उनके समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित करने की सिफारिश की है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्रवाई की है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) और (घ) निर्णय लेने से पहले भारत के महापंजीयक के परामर्श से सिफारिशों की जांच की जाती है।

अनुसूचित जाति की विद्यमान सूचियों में कोई भी संशोधन संविधान के अनुच्छेद 341(2) में क्या निर्धारित संसद के एक अधिनियम के माध्यम से ही किया जा सकता है।

• जनजातीय भाषाओं को प्रोत्साहन देना

823. श्री भाग्ये गोवर्धन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को निदेश दिया है कि भाषायी अल्पसंख्यक ग्रुपों के बच्चों को शिक्षा के प्रारम्भिक चरण में मातृ-भाषा में शिक्षा देने की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करायी जायें, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 350-क के अन्तर्गत निर्दिष्ट है;

(ख) क्या बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में बोली जाने वाली हो, मुन्डा, सन्ताल, महाली, बिरहड़ आदि जैसी अधिकांश जनजातीय भाषाओं को केन्द्रीय सरकार अथवा संबद्ध राज्य सरकारों के संरक्षण के अभाव में और उनका समर्थन न मिलने के कारण उपेक्षित रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) संविधान के अनुच्छेद 350(क) में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य और स्थानीय प्राधिकरण को राज्य के अंतर्गत भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को शिक्षा के प्रारंभिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए पर्याप्त सुविधा देने के लिए प्रयास करने चाहिए। इस व्यवस्था के अनुसरण में सरकार की यह नीति रही है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के छात्रों के लिए प्रारंभिक स्तर की शिक्षा मातृभाषा के माध्यम में हो, जबकि एक स्कूल में कम से कम 40 छात्र अथवा कक्षा के 10 छात्र इस प्रकार की सुविधा लेना चाहते हों। आमतौर पर अधिकतर राज्य इस नीति का अनुसरण कर रहे हैं। तथापि, विभिन्न मातृभाषाओं के माध्यम से शिक्षण प्रदान करने, लिपि का विकास, विभिन्न भाषाओं में पाठ सामग्री तथा संदर्भ पुस्तकों को तैयार करने, आदिवासी भाषाओं में दक्षता प्राप्त पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की उपलब्धता आदि के लिए प्रशासनिक तथा वित्तीय संभावनाओं के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

भाषा पाठ्यपुस्तकों, शिक्षण सामग्री और प्राइमरों के उत्पादन के लिए केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर के सहयोग से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि जनजातीय मातृभाषा के माध्यम से प्रारम्भिक स्तर में शिक्षा शुरू की जा सके और इसे धीरे-धीरे क्षेत्रीय भाषा में परिवर्तित किया जा सकें। इस संबंध में प्रशिक्षण और शिक्षक अनुस्थापन को भी शुरू किया जा रहा है।

दिल्ली में खुले मेनहोलों के कारण हुई मौतें

824. श्री मदन लाल खुराना : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकरण के संबंध में किसी प्रकार का मूल्यांकन किया गया है :

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है :

(ग) खुले मेनहोलों के कारण दिल्ली में कितनी मौतें हुई है :

(घ) क्या इस प्रकार हुई मौतों के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है और शोक संतप्त परिवारों को मुआवजा दिया गया है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) दिल्ली में अभी भी कितने मेनहोल ढके हुए नहीं है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) और (ख) निम्नलिखित समितियों/अभिकरणों द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकरण का मूल्यांकन किया गया है :—

(i) विशेषज्ञों की समिति (बवेजा समिति) (1976-78)

(ii) टाटा परामर्शी सेवा (1984-86)

(iii) सातवीं लोक सभा की प्राक्कलन समिति (1984-85)

(iv) दिल्ली के ढाँचे की पुनर्संरचना समिति (1987-89)

इन समितियों/अभिकरणों की सिफारिशों में इस बात पर बल दिया गया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण से वे सभी असम्बध्द कार्य हटा लेने चाहिए जो उसे व्यतिक्रम में प्रदत्त किए गए हैं तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण को दिल्ली के सुनियोजित विकास और भूमि के अधिग्रहण तथा विकास के अपने मुख्य उद्देश्य पर संकेन्द्रित होना चाहिए।

(ग) से (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा केवल दो मौतों की सूचना दी गई है, एक तो अप्रैल, 1987 में और दूसरी दिसम्बर, 1989 में। दिसम्बर, 1989 पीतमपुरा में, जहाँ एक बालिका की मृत्यु हुई थी, पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कर दी गई तथा परिवार के सदस्यों को दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों के प्रति कोई शिकायत नहीं थी। दूसरे मामले में, जिसमें एक 12 वर्षीय बालक की मृत्यु हुई थी, मामला न्यायालय में लंबित है तथा इस प्रकार इस समय कोई उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया जा सकता। दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्रों में खुले मेनहोलों के कारण कोई मृत्यु होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(च) दिल्ली में कोई खुले मेनहोल होने की सूचना नहीं है।

ला-मेरिडियन और हालीडे-इन होटलों के पट्टा-करार

825. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह**: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली क्षेत्र के होटल ला-मेरिडियन और होटल हालीडे-इन के पट्टाकरारों की शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नई दिल्ली नगर पालिका अथवा केन्द्र सरकार ने पट्टे की शर्तों में कोई ढील दी है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पट्टे की राशि, गृह-कर और अन्य प्रभारों में, दोनों होटलों के मामले में अलग-अलग, अब तक कुल कितना घाटा हुआ है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) सरकार ने पाँच तारा होटलों की स्थापना के लिए राय्सीना तथा जनपथ के क्रासिंग पर और बाराखम्भा रोड पर नई दिल्ली नगर

पालिका को भूमि लीज पर दी । नई दिल्ली नगर पालिका ने क्रम से इन प्लाटों को क्रमशः मैसर्स सी० जे० इन्टरनेशलन होटल्स लि० और मैसर्ज भारत होटल्स लि० को लाइसेंस पर दिया है । नई दिल्ली नगर पालिका और उपर्युक्त दो पार्टियों के मध्य लाइसेंस करारों की मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण में हैं ।

(ख) और (ग) सरकार ने नई दिल्ली नगर पालिका को पट्टा शर्तों में कोई ढील नहीं दी है, जहाँ तक इन दो पार्टियों को उनके लाइसेंस शर्तों में नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा ढील यदि कोई हो, देने का संबंध है, की सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) नई दिल्ली नगर पालिका की ओर पट्टा राशि का भुगतान बकाया है नई दिल्ली नगर पालिका से ब्याज सहित बकाया की वसूली की जाएगी । नई दिल्ली नगर पालिका से बकाये की शीघ्र वसूली के उपाय किए जा रहे हैं । जहाँ तक इन दो होटलों से नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा वसूल किए जाने वाले गृह कर और अन्य प्रभार से हुई हानि, यदि कोई हो, का संबंध है, सूचना एकत्र की जा रही तथा सभापटल पर रख दी जाएगी ।

विवरण

नई दिल्ली नगर पालिका व्दारा होटल ला मेरिडियन के साथ किए गए लाइसेंस करार की मुख्य विशेषताएं

1. लाइसेंस 99 वर्ष की अवधि के लिए 2.68 करोड़ रुपये वार्षिक लाइसेंस फीस अथवा वित्तीय वर्ष के दौरान लाइसेंसधारक के सकल विक्री (ग्रास टर्न ओव का 21%.) इनमें से जो भी अधिक हो, पर दिया गया है ।

   लाइसेंसधारक को वार्षिक लाइसेंस फीस के भुगतान के लिए समय-समय पर विलम्बन काल की अनुमति दी गई है । संचित लाइसेंस फीस किस्तों में देय है । लाइसेंस फीस का भुगतान न करने पर लाइसेंसधारक को 15% प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज सहित लाइसेंस फीस का भुगतान करना होगा ।

2. लाइसेंसधारक द्वारा लाइसेंस फीस अथवा उसकी ओर बकाया किसी अन्य भुगतान की अदायगी न किए जाने पर लाइसेंस जारी कर्ता को लाइसेंस रद्द, निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है ।

3. भूमि का पट्टा लाइसेंस जारी कर्ता के पास ही रहेगा और उस पर बनने वाले भवन भी इसमें शामिल होगा ।

4. भूमि का एफ० ए० आर० 150 से अधिक नहीं होगा ।

5. लाइसेंसधारक एशियन गेम्स 1982 शुरू होने से पूर्व निर्माण कार्य पूरा करेंगे और पांचतारा श्रेणी के होटलों के लिए निर्धारित सम्पूर्ण सुविधाओं युक्त कम से कम 100-150 कमरें तैयार करेंगे ।

6. लाइसेंसधारक उपर्युक्त पांचतारा होटल में वसूल किए जाने वाले शुल्क के बारे में पर्यटन महानिदेशक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेंगे ।

7. लाइसेंसधारक को स्थल पर निर्मित सम्पति को खरीदने के लिए भूमि का बाजार मूल्य घटाने के पश्चात् पूर्व-क्रय अधिकार होगा ।

8. आबंटन लाइसेंस आधार पर किया जाएगा तथा लाइसेंस-शुदा परिसर, निर्माण किए जाने वाले भवन सहित, लोक परिसर अधिनियम के आशय के अंतर्गत एक सार्वजनिक परिसर होगा ।

9. लाइसेंसधारक पाँचतारा होटल स्वयं चलायेंगे तथापि, लाइसेंसधारक कार पार्किंग, साईकिल-स्कूटर स्टैण्ड और शापिंग आर्केड, बैंक, कार्यालय (शापिंग आर्केड के अन्दर) आदि के लिए उप-लाइसेंस धारकों को अनुमति दे सकता है।

10. भवन पूर्ण हो जाने के पश्चात लाइसेंसधारक लाइसेंस जारीकर्ता की पूर्वानुमति के बिना कोई परिवर्धन/परिवर्तन नहीं करेंगे।

11. लाइसेंस की किसी भी शर्त और निबन्धन के उल्लंघन की स्थिति में लाइसेंस जारीकर्ता लाइसेंस को समाप्त और रद्द कर सकता है।

12. निर्धारित न्यूनतम वार्षिक केवल गारंटीशुदा राशि के संबंध में लाइसेंस फीस में प्रति 33 वर्ष के पश्चात वृध्दि की जाएगी बशर्ते कि वृध्दि के यथा-समय से शीघ्र पूर्व की लाइसेंस फीस से 100% से अधिक वृध्दि न हुई हो।

13. लाइसेंस फीस तथा देय अन्य भुगतानों की कुल बकाया राशि की वसूली भूमि राजस्व की बकाया राशि की वसूली की भांति की जाएगी।

14 शर्तों तथा निबन्धनों और इनके निर्वचन के संबंध में किसी प्रकार के सन्देह, विवाद अथवा मतभेद होने पर मामला दिल्ली के उपराज्यपाल के अनन्य मध्यस्थ-निर्णय के लिए भेजा जाएगा और मध्यस्थ द्वारा दिया गया अवार्ड लाइसेंसधारक और लाइसेंस जारीकर्ता के लिए बाध्यकारी होगा।

सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ इंडियन लैंगुएज, मैसूर

826. **श्री भाग्ये गोवर्धन :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आधुनिक भारतीय भाषाओं के संवर्धन और विकास के संदर्भ में मैसूर स्थित सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ इंडियन लैंगुएज का वर्तमान दर्जा क्या है :

(ख) क्या जनजातीय भाषाओं के संरक्षण संवर्धन और विकास में इंस्टीट्यूट का कोई योगदान है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) जनजातीय भाषाओं संबंधी कार्य के संबंध में इंस्टीट्युट से सम्बध्द अथवा इसमें सेवारत विशेषज्ञों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर शिक्षा विभाग का एक अधीनस्थ कार्यालय है और भारत सरकार की भाषा नीति को तैयार कर उसे कार्यान्वित करने तथा भारतीय भाषाओं के विकास को समन्वित करने में सहायता करने के लिए जुलाई, 1969 में इसकी स्थापना की गयी थी। केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान को भाषा विश्लेषण भाषा, शिक्षा शास्त्रीय, भाषा प्रौद्योगिकी तथा समस्या समाधान और राष्ट्रीय एकता के प्रति रुझान सहित भाषा के प्रयोग के क्षेत्रों में अनुसन्धान आयोजित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

(ख) तथा (ग) संस्थान ने जनजातीय और सीमावर्ती भाषाओं सहित अनुसन्धान और प्रशिक्षण के विभिन्न एकक स्थापित किये हैं। संस्थान ने जनजातीय भाषाओं सहित 75 भाषाओं पर काम किया है। विवरण संलग्न है।

(घ) जनजातीय भाषाओं से संबंधित कार्य संगठन के शैक्षिक स्टाफ द्वारा किया जाता है, जब कभी जरूरी होता है, संस्थान राज्य शिक्षा विभाग, जनजातीय अनुसन्धान केन्द्र और उत्तरपूर्व में साहित्यिक सोसायटी के साथ सहयोग करता है ।

विवरण

उन जनजातीय भाषाओं की सूची जिनमें केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर ने कार्य किया

I. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

1. कारनीकोबारेसी

II. अरुणाचल प्रदेश

2. अदी
3. अपातनी
4. मिश्मी
5. नोक्टे
6. टैगीन
7. मोनपा
8. निशी

अरुणाचल प्रदेश की भाषाएं

III. असम

9. बोडो
10. कारबी (मिकिर)
11. मिरि (मिसिंग)
12. थीमसा
13. राभा

IV. बिहार

14. कुरुख
15. मानादरी
16. माल्टा

V. दादरा और नगर हवेली

17. डुंगर वारली
18. दावर वारली

VI. हिमाचल प्रदेश

19. स्पिति
20. पहाड़ी

VII. जम्मू एवं कश्मीर

21. लद्दाखी (बोटी)

विवरण—जारी

22. पुरकी (बाल्टी)
23. शिना
24. प्रोक्सकट
25. गोजरी

VIII. कर्नाटक

26. जेनु कुरुब
27. सेलिगा

IX. लक्षद्वीप

28. महल

X. महाराष्ट्र

29. मारिया
कोलामी
सरली

XI. मणिपुर

30. मणिपुरी (मियेयी)
31. थाडोउ (कुकी)
32. थांगकुल
33. मिजो (लुशाई)
34. हमार
35. पेयटी
36. अनाल
37. गंगेरी
38. कोमरेम
39. रोंग्मेयी
40. वेयीफेयी
41. वाऊ
42. माओ

XII. मध्य प्रदेश

43. अबुज मारिया
44. डोर्ली
45. बिसन हार्न मारिया

XIII. मेघालय

46. खासी
47. गारो
48. जयंतिया

विवरण—समाप्त

XIV. मिजोरम

मीजो (लुसाई)

XV. नागालैंड

49. ए ओ
50. अंगामी
51. सेमा
52. लोथा
53. कोन्यक
54. जेमे
55. लियांगमई
56. रेंगमा
57. चोकरी
58. खेज्हे
59. फोम
60. चांग
61. संगताम
62. यिमचुंगेर
63. जिमसुईगंन
64. नागा पिदगिन

XVI. उड़ीसा

65. कुवी
66. स्वोरा
67. गुतोब
68. भूमिजी
69. हो
70. कोया

XVII. राजस्थान

71. वागड़ी (भिली)

XVIII. सिक्किम

72. सिक्किम भूटिया

XIX. तमिलनाडु

73. कोटा

XX. त्रिपुरा

74. कोक बरोक (त्रिपुरी)

XXI. पश्चिम बंगाल

75. संताली

एम० आय० जी० फ्लैटों के लिए धनराशि

827. **श्री मदन लाल खुराना**: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एस० एफ० एस० फ्लैटों की तुलना में एम० आई० जी० फ्लैटों का निर्माण करने के लिए अतिरिक्त पूंजी निवेश करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

जे० जे० पावर कनैक्शन्स ब्रीड इनक्रोचमेंट शीर्षक से समाचार

828. **श्री मदन लाल खुराना**: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 मार्च, 1991 के "इंडियन एक्सप्रेस में जे० जे० पावर कनैक्शन्स ब्रीड इनक्रोचमेंट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में विशेषज्ञों की सिफारिशों पर यदि कोई कार्यवाही करने का विचार है, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

मकानों के निर्माण में गैर-सरकारी क्षेत्र का सहयोग

829. **श्री मदन लाल खुराना**: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली विकास प्राधिकरण के मकानों को बनाने में गैर-सरकारी क्षेत्र का सहयोग प्राप्त करने का है :

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण का सभी पंजीकृत व्यक्तियों को 1993 के अंत तक किस प्रकार आवास प्रदान करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

हिमाचल प्रदेश में सिमेंट कारखाने

830. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी**: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में सीमेंट कारखाना लगाने की इच्छुक कंपनियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार ने पर्यावरण और वन के दृष्टिकोण से जिन कंपनियों को स्वीकृति दी है, उनका ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) भारत सरकार से प्राप्त सूचना से पता चलता है कि मैसर्स ए० सी०सी० लि०, गुजरात अम्बुजा सीमेंट लि०, एल० एंड टी० लि०, छत्तीसगढ़ डिस्टिलरीज लि०, मालवा काटन स्पिनिंग मिल्स लि०, मोदीपोन लि०, महाबली सीमेंट प्रा० लि० तथा जीवन सीमेंट एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड नामक आठ कम्पनियों ने हिमाचल प्रदेश में सीमेंट संयंत्र लगाने का प्रस्ताव रखा है। पर्यावरण और वन मंत्रालय में विचार के लिए अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सम्पदा निदेशालय द्वारा आबंटित दुकानों को किराये पर देना

831. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन दुकानदारों ने, जिन्हें सम्पदा निदेशालय द्वारा दिल्ली में दुकानें आबंटित की गई है, अपनी दुकानों के हिस्से को तथा अपनी दुकानों के सामने बरामदे को किराये पर दे दिया है तथा अपनी दुकानों के आसपास की जमीन के खाली हिस्से पर अतिक्रमण कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो बाजार-वार कितने दुकानदारों ने अपने दुकानों का एक हिस्सा किराये पर दिया है तथा अपनी दुकानों के आसपास खाली भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है, तथा दोषी दुकानदारों के विरूद क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आंध्र प्रदेश में लिफ्ट कैनाल स्कीम को स्वीकृति

832. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव वाडडे** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में कृष्णा जिले में नागार्जुन सागर लिफ्ट कैनाल सिस्टम के अन्तर्गत जकामपुडी और मचावरम बड़ी नहर योजनाओं से संबंधित कार्य शुरू करने की स्वीकृति दे दी है; और

(ख) यदि नहीं, तो इन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) इस मंत्रालय में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में कालम्बे गांव में नेत्र और सामान्य अस्पताल स्थापित करने के लिए सहायता

833. **प्रो० राम कापसे :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है कि ग्राम कालम्बे, जिला ठाणे, महाराष्ट्र में नेत्र और सामान्य अस्पताल स्थापित करने हेतु कल्याण सोशल सर्विस लीग महाराष्ट्र को वित्तीय सहायता दी जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) ग्राम कालम्बे, जिला ठाणे, महाराष्ट्र में नेत्र एवं जनरल अस्पताल की स्थापना करने के लिए कल्याण सामाजिक सेवा लीग महाराष्ट्र की ओर से वित्तीय सहायता के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । तथापि, इस संबंध में प्रो० राम कापसे की ओर से पत्र प्राप्त हुए थे और उनका उत्तर सहायतानुदान योजना की एक प्रति संलग्न करके दिया गया था और उनसे अनुरोध किया गया था कि संबंधित राज्य सरकार के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन जमा करने के लिए संस्था से कहें । संस्था की ओर से आवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है ।

ऊपरी वर्धा सिंचाई परियोजना

834. **प्रो० राम कापसे :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री अतारांकित प्रश्न सं० 246 के 28 दिसम्बर, 1990 को दिये गये उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक सूचना अब एकत्रित कर ली गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) राज्य सरकार से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है लेकिन 25 मार्च, 1991 को उनसे कुछ अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है तथा इस मामले को सूचना न भेजे जाने के कारण 25 अप्रैल, 1991 को नामंजूर कर दिया गया है ।

केरल में पानी की सप्लाई के लिए विश्व बैंक की सहायता

835. **श्री कोड्डीकुनील सुरेश :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को केरल से विश्व बैंक ऋण से राज्य के शहरी क्षेत्रों में पेय जल की भारी कमी को दूर करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) शहरों में जल आपूर्ति योजनाओं को पूरा करने के लिए पहले से चल रही विश्व बैंक सहायता प्राप्त केरल जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजना, जो कि प्रारम्भ में एल आई सी की सहायता से चलायी जा रही थी लेकिन निधियों की कमी के कारण पूरी नहीं की जा सकी, के लिए केरल सरकार ने एक पुनः संरचनात्मक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ।

(ख) प्रस्ताव में निम्नलिखित शहरों की नगर जल आपूर्ति योजनाओं को शामिल किया गया है :—

शहर	लागत (रुपये करोड़ों में)
कालीकट	14.929
मंजेरी	2.18
कन्नमकुलम-छावक्काड	4.844
पुन्नानी	3.863
अंगामली	0.454
कोथामंगलम्	0.871
थोडुपुझा	1.222
छंगान्नूर	1.494
पमनमथिट्टा	0.989

मामले को विश्व बैंक अनुमोदन के लिए भेजा गया है।

कालेजों में कम्प्यूटर की सुविधा

836. **श्री कोड्डीकुनील सुरेश** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कालेजों में कम्प्यूटर सुविधाओं के विकास के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके पहले चरण के कार्यान्वयन की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) क्या इस योजना में केरल के कालेज/विश्वविद्यालय शामिल हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन विश्वविद्यालयों के क्या नाम हैं जहां कम्प्यूटर केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, आयोग ने उन सभी कालेजों को, जो चरणबद्ध तरीके से वि० अ० आ० सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं, संसाधनों को संपूर्ण उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए संगणक प्रदान करने का निर्णय किया है। 7वीं योजना के दौरान 790 कालेजों को कुल 6.83 करोड़ रुपये की लागत पर संगणक और सहायक सामग्री प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। 8वीं योजना के दौरान, आयोग ने 10.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 800 और कालेजों को संगणक प्रदान करने की योजना बनाई है। अब तक 258 कालेजों को 8वीं योजना के दौरान 3.23 करोड़ रुपये की लागत पर संगणक प्रदान किए जा चुके हैं।

(ग) से (ङ) केरल में कालीकट विश्वविद्यालय, केरल विश्वविद्यालय और महात्मा गांधी विश्वविद्यालय को 29.00 लाख रुपये की अनुमोदित लागत पर संगणक प्रदान किए गए हैं। जहां तक

कालेजों का संबंध है, उपर्युक्त विश्वविद्यालयों से संबद्ध 91 कालेजों के नाम, जिन्हें 7वीं योजना के दौरान संगणक प्रदान किए गए थे, दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

केरल विश्वविद्यालय	1.	लोयोला सामाजिक विज्ञान कालेज, त्रिवेन्द्रम।
	2.	एस० डी० कालेज (अवर स्नातक) अलेपी।
	3.	एस० एन० महिला कालेज (स्नातकोत्तर)।
	4.	महात्मा गांधी कालेज, केशवदासपुरम, त्रिवेन्द्रम-695004।
	5.	सेन्ट जेवियर कालेज, थुम्बा, त्रिवेन्द्रम-695586।
	6.	श्री नारायण प्रशिक्षण कालेज, नोन्दनगन्डा।
	7.	आल सेन्टस कालेज, त्रिवेन्द्रम, केरल।
	8.	सेन्ट जोनस कालेज, आंचल।
	9.	मिलाद-ए शरीफ मेमोरियल कालेज, कयामुकुलुम।
	10.	टी० के० एम० कला और विज्ञान कालेज, क्वीलोन।
	11.	बिशपपुर कालेज, कल्लुमाला, मवेलीकारा, केरल।
	12.	सेन्ट जोसेफ महिला कालेज, अलेपी, केरल।
	13.	एन०एस०एस० कालेज, पन्डालम।
	14.	फातिमा माता राष्ट्रीय कालेज, क्वीलोन।
	15.	क्रिश्चियन कालेज, चेन्गन्नुर, केरल।
	16.	इकबाल कालेज, पेरिन्नामाला डाक।
	17.	श्री नारायण कालेज, चेम्पाजन्सी।
	18.	श्री नारायण कालेज, पुनालुर।
	19.	एन०एस०एस० कालेज, शेरतालै, केरल।
	20.	राजकीय कला कालेज, त्रिवेन्द्रम।
	21.	महिला कालेज, त्रिवेन्द्रम।
	22.	एन०एस०एस० कालेज, नीलामेल, केरल।
	23.	श्री नारायण कालेज, शिवगिरि, वरकला, केरल।
	24.	पीत मेमोरियल ट्रेनिंग कालेज, मवेलीकारा।
	25.	माऊटटाबीर प्रशिक्षण कालेज, पाटनापुरम।
	26.	सेन्टग्रेगोरीज कालेज, कोटराकारा।
	27.	टी०के० माधव स्मारक कालेज, नैगियारकुलन्गारा।
	28.	देवस्वम बोर्ड कालेज, सास्तमकोटा, केरल।
	29	मार इवानिओस कालेज, त्रिवेन्द्रम।
	30.	करमेला रानी प्रशिक्षण कालेज, क्वीलोन, केरल।
कालिकट विश्वविद्यालय	1.	एस० एन० कालेज, कन्नानोर-670007 (केरल)।

-विवरण—जारी

कालिकट विश्वविद्यालय —जारी	2.	एन० एस० एस० प्रशिक्षण कालेज, ओट्टापलम ।
	3.	एम० ई० एस० ममपाद कालेज (पी. जी), पो०आ० ममपाद कालेज-676542 (केरल) ।
	4	राजकीय विक्टोरिया कालेज (पी० जी०), पालघाट-678001 (केरल) ।
	5.	क्राइस्ट कालेज (पी० जी०), इरिजालाकुडा ।
	6	सेन्ट जोस्फस कालेज (पी० जी० महिला), इंरजिलाकुडा-680121 (केरल) ।
	7	नेहरू कला और विज्ञान कालेज, कनहगड, पो०आ० पदमेकट, कसरागोड, जिला केरल ।
	3.	सेन्ट मेरीज कालेज, सुल्तानस बेटरी, बेयानड, केरल ।
	9.	मरसी कालेज, पालघाट-6 (केरल) ।
	10.	पय्यानर कालेज, पय्यानर, कन्नानोर जिला ।
	11	सर सैय्यद कालेज, तलपरौटा-670142, कन्नानोर, जिला केरल ।
	12.	एम० ई० एस० कालंदी कालेज, मन्नरघाट, पालघाट जिला, केरल-678583 ।
	13.	राजकीय कालेज, कासारागोड ।
	14.	एम० ई० एस० असमाबी कालेज, पी० ओ० पी० वेमबलुर (एडाविलन्गु) ।
	15.	एम० ई० एस० पोन्नानी कालेज, डा० पोन्नानी, दक्षिण केरल ।
	16.	सेन्ट थामस कालेज, त्रिचुरा ।
	17.	फारूक कालेज, कालिकट ।
	18.	फारूक प्रशिक्षण कालेज, कालिकट ।
	19	एन० एस० एस० कालेज, ओटापलम, केरल ।
	20.	मालाबार क्रिश्चियन कालेज, कालिकट ।

कालिकट विश्वविद्यालय —जारी	21.	सेंट जोसेफ़ कालेज, देवगिरि, कालिकट (केरल)।
	22.	राजकीय के० के० टी० एम० कालेज, डाक० पुल्लुट, केरल।
	23.	निर्मलागिरि कालेज, *निर्मलागिरि, डाक० तेलीचेरी, कालिकट*
	24.	विमला कालेज, त्रिचुर-9, कालिकट।
	25.	प्रोवीडेन्स महिला कालेज, कालिकट।
	26.	राजकीय ब्रेनेन कालेज, तेलीचेरी।
	27.	दि जोमेनी गुरूवयुरपन कालेज, कोजीकोडे-673014।
	28.	पोकेर साहिब आर्फनेज मेमोरियल कालेज, तिरूरन्गोडी।
	29.	राजकीय कला और विज्ञान कालेज, कालिकट।
	30.	श्री व्यास एन० एस० एस० कालेज, व्यासगिरि, डाक. वडाकोनचारी, त्रिसुर जिला, पिन-680623।
	31.	राजकीय संस्कृत कालेज, प्रटम्बी, पलक्कड, पिन-679306।
	32.	लिटल फ्लावर कालेज, गुरूवयुर, पुथुनपली, डाक० पिन-680103।
गांधी विश्वविद्यालय	1.	नर्मदा कालेज, मुवाट्टुपुवा, केरल।
	2.	एन० एस० एस० प्रशिक्षण कालेज, चंगानाचेरी-२, कोट्टायम, केरल।
	3.	सेंट बर्चमैन्स कालेज, जि० चंगानाचेरी-686101।
	4.	सेंट जोसेफ प्रशिक्षण कालेज, मन्नानग।
	5.	सेंट थामस कालेज, पिल्लई।
	6.	सेंट थामस प्रशिक्षण कालेज, थिक्काकारा।
	7.	भारत माता कालेज, कोचिन-682021।
	8.	कुरयोकोस इलियास कालेज, मन्नयाम (केरल)।
	9.	मेडिकल कालेज, कोट्टायम।
	10.	सेंट जेवियर कालेज फार वुमेन, इरानकुजन, आलेव।
	11.	एजुकेशन कालेज, चंगानाचेरी।
	12.	न्यूमैन कालेज, थोडुपुजा।
	13.	यूनियन क्रिश्चन कालेज, आलवे, केरल।
	14.	टिटस II टीचर कालेज, तिरूवेल्ला, केरल।

विवरण—समाप्त

गांधी विश्व विद्यालय —जारी

15. महाराजा कालेज, इरनाकुलम ।
16. सेंट पेटर कालेज, कालेनचेरी ।
17. सेंट थामस कालेज, रानी पजावनगढी ।
18. श्री शंकर कालेज, कोलेनचेरी, कालाचरी ।
19. मार अथानारियस कालेज आफ इंजीनियरी कोथायंगलम, केरल-586660 ।
20. सी० एम० एस० कालेज, कोट्टायम, केरल-686001 ।
21. अलफोनसा कालेज, पलाई ।
22. दी कोचिन कालेज, कोचिन ।
23. सेंट थामस कालेज, केजेनचेरी ।
24. बिसहोप कुरियलाचेरी महिला कोलेज, अमलागिरि डा० कोट्टायम, केरल ।
25. सेंट अलवरेटो कालेज, इरनाकुलम, दक्षिण भारत ।
26. सेंट स्फिन कालेज, उजाबूर पो०, कोट्टायम जिला, केरल ।
27. सेंट जोसफ महिला प्रशिक्षण कालेज, कोविलवाट्टाम रोड, इरनाकुलम, कोचिन ।
28. मार थोमा कालेज, थिरूवला-3, केरल ।
29. कैथोलीकेट कालेज, पेथानमथिट्टा, केरल ।

अनुसूचित जातियों पर अत्याचार

[हिंदी]

837. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्रत्येक राज्य में विगत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के कितने लोग मारे गए और उनके कितने घर जलाए गए, और

(ख) इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री० सीताराम केसरी) : (क) अनुसूचित जातियों के लिए विवरण I तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए विवरण II संलग्न हैं ।

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों की रोकथाम हेतु अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 30-11-1990 से लागू हो गया है । यह अधिनियम अत्याचारों के अपराधों को निर्धारित करता है, शीघ्र परीक्षण के लिए विशेष लोक अभियोजकों सहित विशेष न्यायालयों का प्रावधान करता है, तथा इसमें कठोर सजा के प्रावधान शामिल हैं । अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ बराबरी (50 : 50) के आधार पर व्यय का हिस्सा बटाती है ।

विवरण I

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा यथासूचित 1988, 1989 तथा 1990 के दौरान मारे गए अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की संख्या तथा उनके जलाए गए मकानों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1988		1989		1990	
		हत्या	गृहदाह	हत्या	गृहदाह	हत्या	गृहदाह
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	26	12	41	10	56	16
2.	असम	—	—	02	—	—	—
3.	बिहार	69	129	56	88	27	43 (8/90तक)
4.	गुजरात	14	10	14	12	18	16
5.	हरियाणा	01	—	01	03	04	01
6.	हिमाचल प्रदेश	06	07	01	03	02	—
7.	जम्मू एवं कश्मीर	—	01	02	05	—	—
8.	कर्नाटक	22	40	08	23	सूचना नहीं	सूचना नहीं
9.	केरल	07	06	08	15	12	12
10.	मध्य प्रदेश	78	106	74	65	81	82
11.	महाराष्ट्र	15	16	19	10	18	04
12.	उड़ीसा	03	16	04	17	06	10
13.	पंजाब	10	—	05	—	07	—
14.	राजस्थान	27	50	34	57	25	51
15.	सिक्किम	—	03	—	01	—	—
16.	तमिलनाडु	33	34	15	32	25	27
17.	उत्तर प्रदेश	267	315	270	362	265	279
18.	पश्चिम बंगाल	—	—	01	—	02	—
19.	दादरा एवं नगर हवेली	01	—	—	—	—	—
20.	पाण्डिचेरी	—	—	01	—	—	—
	कुल	579	745	556	703	548	559

टिप्पणी :—अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित सूचना शून्य है ।

एन.आर.—सूचना नहीं दी गई ।

विवरण II

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा यथासूचित 1988, 1989 तथा 1990 के दौरान मारे गए अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की संख्या तथा उनके जलाए गए मकानों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1988		1989		1990	
		हत्या	गृहदाह	हत्या	गृहदाह	हत्या	गृहदाह
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	6	2	7	5	13	9
2.	अरूणाचल प्रदेश	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	असम	शून्य	शून्य	4	1	4	1
4.	बिहार	8	4	7	1	3	1
5.	गोवा	शून्य	शून्य	1	शून्य	शून्य	शून्य
6.	गुजरात	6	2	8	4	8	7
7.	कर्नाटक	शून्य	1	3	शून्य	1	1
8.	केरल	2	1	2	1	2	शून्य
9.	मध्य प्रदेश	58	58	38	19	62	31
10.	महाराष्ट्र	12	6	9	8	8	6
11.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1	शून्य(9/89 तक)
12.	नागालैण्ड	शून्य	शून्य	1	शून्य	शून्य	शून्य
13.	उड़ीसा	2	शून्य	4	4	2	शून्य
14.	राजस्थान	21	9	11	7	14	8
15.	सिक्किम	शून्य	शून्य	1	1	शून्य	4
16.	तमिलनाडु	2	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1
17.	पश्चिम बंगाल	शून्य	1	शून्य	शून्य	1	1
18.	दादरा एवं नगर हवेली	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
19.	दमन एवं दीव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	119	84	96	51	120	70

टिप्पणी :—अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित सूचना शून्य है।

नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा संचालित तरणताल

[अनुवाद]

838. श्री ब्राऊ दयाल जोशी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका राजधानी में तरणतालों का संचालन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तरणतालों की कुल संख्या क्या है और प्रत्येक ताल में कितने-कितने प्रशिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं कि ताल का पानी प्रदूषित नहीं है और तैरने के लिए उपयुक्त है;

(घ) इस सुविधा का उपभोग कर रहे पुरूषों और महिलाओं की कुल संख्या क्या है;

(ङ) क्या सभी तालों में महिलाओं के लिये अलग-अलग पारियां हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं तो महिलाओं के लिये अलग पारी शुरू करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बॅनर्जी) :(क) जी, हां ।

(ख) नई दिल्ली नगर पालिका अपने क्षेत्राधिकार में 5 तरणतालों का संचालन कर रही है । इन तरणतालों के संचालन के लिए नई दिल्ली नगर पालिका ने 16 प्रशिक्षकों सहित 74 कर्मचारी नियुक्त किए हैं ।

(ग) नई दिल्ली नगर पालिका ने प्रत्येक तरणताल में फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए हैं । जल को साफ और प्रदूषण रहित रखने के लिए इसमें आवश्यक रसायन और क्लोरीन भी मिलाया जाता है ।

(घ) प्रतिदिन कुल 1800 व्यक्ति इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं, जिनमें 50 महिलाएं और लड़कियां शामिल हैं जो तालकटोरा तरणताल में अलग शिफ्ट में यह सुविधा प्राप्त कर रही हैं ।

(ङ) महिलाओं के लिए पृथक शिफ्ट की सुविधा इस समय केवल तालकटोरा तरणताल में उपलब्ध है ।

(च) यदि पर्याप्त संख्या में महिलाओं/लड़कियों द्वारा मांग की जाती है तो नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा संचालित अन्य तरणतालों में भी अलग शिफ्टों की व्यवस्था नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा की जा सकती है ।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए जिला स्तर पर शिक्षण संस्था

839. श्री राम नारायण बैरवा : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि सिविल सेवाओं, बैंकिंग सेवाओं और राज्य प्रशासनिक सेवाओं

हेतु अनुसूचित जाती/जनजातियों के उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देने वाली संस्थाएं केवल राज्यों की राजधानी में कार्यरत है; और

(ख) क्या सरकार का इन प्रशिक्षण केन्द्रों को जिला स्तर पर स्थापित करने का विचार है ताकि ग्रामीण क्षेत्र के उम्मीदवार भी इनसे लाभ उठा सकें?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को सिविल सेवाओं, राज्य सेवाओं तथा बैंकिंग सेवाओं आदि के लिए कोचिंग प्रदान करने हेतु परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र राज्यों की राजधानियों सहित देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए गए है।

(ख) ये केन्द्र राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रस्तावित स्थानों पर स्थापित किए जाते है।

[अनुवाद]

आपरेशन के बाद के लिए उपकरणों का आयात

840. श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में विभिन्न अस्पतालों में आपरेशन के बाद चिकित्सा के लिए कुछ आधुनिक और अत्याधुनिक उपकरणों की आवश्यकता अनुभव की है;

(ख) क्या ये उपकरण विशेष रूप से विकसित देशों में उपलब्ध है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इन उपकरणों का आयात करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी॰ के॰ तारादेवी सिध्दार्थ) : (क) केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में इस्तेमाल करने हेतु आपरेशन के बाद की चिकित्सा के लिए अत्याधुनिक उपकरणों को अलग से निर्धारित नहीं किया है।

(ख) से (घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों का भविष्य निधि खाता

841. श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की कंपनी स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते की धनराशि नियोजकों तथा कर्मचारियों द्वारा अंशदान की राशि जमा न कराये जाने के कारण बकाया पड़ी है;

(ख) यदि हां तो खातों को अद्यतन बनाने के लिये क्या प्रयास किये जा रहे है; और

(ग) तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के॰ रामामूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में सायंकालीन कालेज

842. डा॰ कृपासिन्धु भोई : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सायंकालीन कालेज खोलने का मुख्य उद्देश्य रोजगार में लगे व्यक्तियों को शिक्षा उपलब्ध कराना है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि रोजगार में लगे ऐसे व्यक्तियों को कार्यकाल के पश्चात सायंकालीन कालेज में समय पर उपस्थित होने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो दिल्ली के सायंकालीन कालेजों में समय की पाबन्दी का पालन किस तरह किया जा रहा है और स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार दिल्ली में सांध्य कालेजों को खोलने का प्रारंभिक उद्देश्य मुख्यतया कामकाजी लोगों की अपेक्षाएं पूरी करना था। तथापि, दिवा-कालेजों में प्रवेश के बढ़ते दबाव को समाप्त करने के लिए विश्वविद्यालय ने सांध्य कालेजों को उन छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति प्रदान की जो रोजगार प्राप्त नहीं है।

(ख) तथा (ग) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार दिल्ली में सांध्य कालेजों द्वारा पालन किए जा रहे समय एक समान नहीं हैं। विभिन्न कालेजों में कक्षाएं 2.15—5.30 सायं बजे के बीच शुरू होती है और 7.15—9.30 रात्री तक चलती रहती हैं। विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि सांध्य कक्षाओं में आने में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों द्वारा तथाकथित किसी कठिनाई का सामना किये जाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। विश्वविद्यालय ने आगे कहा है कि रोजगार प्राप्त व्यक्ति भी गैर कालेजीय महिला शिक्षा बोर्ड और पत्राचार तथा सतत शिक्षा स्कूल में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं अथवा अपना अध्ययन विश्वविद्यालय के बाह्य छात्रों के रूप में जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

अनाथालयों में बच्चे

843. श्री तेज नारायण सिंह : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दिल्ली के अनाथालयों में अनाथ बच्चों की सही देख-भाल नहीं हो रही है;

(ख) यदि हां, तो उनके काम को सुचारू बनाने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है;

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान जनता द्वारा विभिन्न अनाथालयों से गोद लिये गये बच्चों की संख्या क्या है; और

(घ) सरकार ने इन अनाथालयों से बच्चों को गोद लेने के क्या मापदंड रखे हैं।

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिल्ली में छः मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक दत्तक ग्रहण एजेंसियां हैं। दत्तक ग्रहण के लिए बच्चे स्वैच्छिक दत्तक ग्रहण एजेंसियों के माध्यम से दिए जाते हैं। पिछले दो वर्षों के दौरान इन स्वैच्छिक एजेंसियों से देश के अंदर दत्तक ग्रहण हेतु दिए गए बच्चों की संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष	देश के अंदर दत्तक ग्रहण में दिए गए बच्चे
1989	229
1990	242

(घ) देश के अन्दर दत्तक ग्रहण के लिए कोई मापदंड निर्धारित नहीं किये गए हैं।

[अनुवाद]

उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लागू करना

844. **श्री अनादि चरण दास :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर शहर में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधा उपलब्ध कराने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिध्दार्थी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) मौजूदा मानदंडों के अनुसार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाएं केवल उन्हीं नए शहरों में प्रदान की जाएंगी जहां 7500 अथवा इससे अधिक केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी रहते हैं। इस समय भुवनेश्वर इस मानदंड को पूरा नहीं करता। अत: भुवनेश्वर में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाएं प्रदान करने पर विचार नहीं किया जा रहा है।

उड़ीसा में जाजपुर स्थित प्राचीन मन्दिरों का संरक्षण और रख-रखाव

845. **श्री अनादि चरण दास :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा के कटक जिले के जाजपुर स्थित प्राचीन मंदिरों (जैसे बराह, बिराज, त्रिलोचनेश्वर, जगन्नाथ) के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षण और रख-रखाव की मांग की गयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, यदि है, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। जाजपुर स्थित निम्नलिखित मंदिर संरक्षण के लिए सरकार के विचाराधीन हैं:

1. जगन्नाथ मंदिर
2. त्रिलोचनेश्वर मंदिर
3. वराहनाथ मंदिर

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विश्वविद्यालयों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और इंटरमीडिएट बोर्डों के पाठयक्रम में भिन्नता

846. श्री सुशिल चन्द्र वर्मा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न डिग्री और डिप्लोमा पाठयक्रमों के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों, हायर सेकेण्डरी और इंटरमीडिएट बोर्डों आदि के पाठयक्रमों में अत्याधिक भिन्नता है ;

(ख) क्या इस प्रकार की भिन्नताओं के कारण छात्रों को एक राज्य से दूसरे राज्य में अथवा एक ही राज्य में एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने में अनेक कठिनाइयां होती है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार सारे देश में समान पाठयक्रम और पाठयक्रम का समान स्तर निर्धारित करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) प्रत्येक विश्वविद्यालय शैक्षिक रूप से स्वायत्त है और अपने अध्ययन पाठयक्रम निर्धारित करता है । इसी प्रकार, प्रत्येक राज्य में उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में पाठयचर्या इसके ही माध्यमिक /उच्चतर माध्यमिक स्कूल बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाती है । अत: यह स्वाभाविक है कि विभिन्न राज्यों में विभिन्न विश्वविद्यालयों और स्कूलों में पाठयक्रमों तथा पाठयविवरणों में कुछ अन्तर होगा । तथापि, हो सकता है कि पाठयचर्याओं में पर्याप्त अन्तर न हो क्योंकि पाठयचर्याओं का एक केन्द्रीय ढांचा होता है जिसका पालन सामान्यतया कालेज और स्कूल, दोनों स्तरों पर किया जाता है । पाठयचर्याओं में अन्तर के अलावा छात्रोंकी अन्तर-राज्य और अन्तर विश्वविद्यालय गतिशीलता कुछ अन्य तथ्यों पर निर्भर करती है जैसे शिक्षा का माध्यम, आवासीय सुविधाओं की उपलब्धता, शैक्षिक सत्रों की निरन्तरता, आदि ।

(ग) तथा (घ) वि० अ० आ० ने देश के सभी विश्वविद्यालयों को 27 विषयों में मॉडल पाठयचर्याएं परिचलित की है । यह विश्वविद्यालयों पर निर्भर करेगा कि वे मॉडल पाठयचर्याओं को संशोधन सहित अथवा बिना संशोधन के स्वीकार करें । जहां तक उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में पाठयविवरणों का संबंध है, रा० शै० अ० प्र० प० ने राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मार्गदर्शन के लिए 1988 में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिए पाठयचर्या— एक ढांचा परिचालित किया है । रा० शै० अ० प्र० प० राष्ट्रीय पाठयचर्या ढांचे पर आधारित पाठयविवरणों तथा शैक्षिक सामग्री के विकास के लिए राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों को तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है । रा० शै० अ० प्र० प० द्वारा तैयार की गई पाठयपुस्तकों का उपयोग केन्द्रीय विद्यालयों, केन्द्रीय तिब्बती स्कूलों, सैनिक स्कूलों तथा नवोदय विद्यालयों सहित के० मा० शि० बो० से संबद्ध स्कूलों में किया जाता है जिससे स्कूल पाठयचर्या में एकरूपता लाने से योगदान मिलता है ।

कुष्ठ नियंत्रण हेतु मध्य प्रदेश को सहायता

847. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से 'राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम' के अंतर्गत कुष्ठ नियंत्रण के लिए पिछले तीन वर्षों में कितनी सहायता की मांग की है :

(ख) स्वीकृत धनराशि के मुकाबले केन्द्र सरकार ने कितनी सहायता राशि प्रदान की है ; और

(ग) बकाया राशि कब तक दे दी जायेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थी) :

(क) 1987-88 से 1989-90 तक की अवधि के लिए 439.77 लाख रुपये ।

(ख) इस राज्य को निम्नलिखित सहायता प्रदान की गई है ।

(लाख रुपये)

वर्ष	नकद	वस्तुओं के रूप में	कुल
1988-89	100.00	10.00	110.00
1989-90	123.00	0.55	123.55
1990-91	140.50	61.58	202.08

(ग) 439.77 लाख रुपये की धनराशि इस राज्य द्वारा कुष्ट नियंत्रण संबंधी कार्यकलापों पर किया गया कुल व्यय है । इस व्यय में राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के योजनेतर संघटकों का व्यय भी शामिल है जिसे राज्य द्वारा वहन किया जाना चाहिए । इस राज्य से कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के योजना संघटक पर व्यय के पूरे ब्यौरे विवरण और इस आशय का एक प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर बकाया धन राशि रिलीज करने पर विचार किया जाएगा और इस व्यय को अन्य स्वास्थ्य संघटकों के केन्द्रीय सहायता में से वहन नहीं किया गया है ।

बीड़ी श्रमिक कल्याण कोष

848. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1977 में एक बीड़ी श्रमिक कल्याण कोष की स्थापना की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो मार्च 91 तक इस कोष में कुल कितनी धनराशि एकत्रित की गई और इसमें से बीड़ी श्रमिकों के कल्याण पर कितनी राशि व्यय की गई ;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने सागर में इन श्रमिकों के लिए 50 बिस्तरों वाले एक अस्पताल के निर्माण हेतु 12 एकड़ भूमि उपलब्ध करा दी है ; और

(घ) यदि हां, तो इस अस्पताल को कब तक खोले जाने की संभावना है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. राममूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) 31-3-1991 तक एकत्र की गई कुल राशि 70.09 करोड़ रुपये है ।

31-3-1991 तक निधि के अंतर्गत किया गया कुल व्यय 42.13 करोड़ रुपये है ।

(ग) जी हां ।

(घ) अस्पताल के भवन के निर्माण में काफी समय लगता है क्योंकि निर्माण कार्य शुरू करने से पूर्व कई औपचारिकताओं को पूरा करना होता है जैसे कि परियोजना का अनुमान तैयार करना/अनुमोदन प्राप्त करना और अनुमति प्राप्त करना आदि । अतः कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती ।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश चाहने वाले जनजातीय छात्रों को शिक्षावृत्ति

[हिन्दी]

849. श्री दिलिप सिंह भुरिया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा

करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रवेश के इच्छुक जनजातीय छात्रों की कमजोर वित्तीय स्थिति को देखते हुए उन्हें पृथक केन्द्रीय शिक्षावृत्ति देने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है :

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है । तथापि "उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत भा० पौ० सं० के अवर-स्नातक पाठयक्रमों में अध्ययनरत अ० जा० और अ० ज० जा० के योग्य छात्रों की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के बदले नि:शुल्क भोजन तथा जेब खर्च भत्ता प्रदान किया जाता है ।

वजीराबाद बांध में गेटों की तोड़-फोड़

[अनुवाद]

850. **श्री राम विलास पासवान** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में एक ही रात को वजीराबाद बांध के कई गेट रहस्यमय परिस्थितियों में तोड़ दिए गए थे :

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है:

(ग) दिल्ली जल प्रदाय और मल निकासी उपक्रम को इससे कितनी अनुमानित हानि हुई है:

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में कोई जांच की है : और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले है तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है या करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) और (ख) दिल्ली जल आपूर्ति तथा मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि 2 जनवरी, 1991 को 17 में से 14 वीयर गेटों को झुका हुआ पाया गया था । ये 12 एम. एम. से 900 एम. एम. तक के अलग-अलग परिमाण तक झुके हुये थे । मरम्मत कार्य किया जा चुका है और गेट काम कर रहे हैं ।

(ग) वर्तमान गेटों की मरम्मत तथा सुदृढीकरण की लागत और सिविल कार्य सहित नये गेट, स्टाफलोग गेट लगाने की लागत का अनुमान 489 लाख रू० लगाया गया है ।

(घ) और (ङ) गेटों के झुकाव के कारणों की जांच करने के लिये मामला केन्द्रीय जल आयोग को भेजा गया है और रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डाक्टरों द्वारा चिकित्सा सहायता से इंकार करना

851. **श्री रामविलास पासवान**
श्री हरिकिशोर सिंह } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 जुलाई, 1991 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "ए० आई० आई० एम० एस० डाक्टर्स डिच एड्स वूमन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या संस्थान के स्त्री रोग तथा प्रसूति विभाग में एक ऐसी महिला का इलाज करने से इंकार कर दिया जिसका एड्स ग्रस्त होने का संदेश था; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) सरकार ने 3 जुलाई, 1991 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "ए० आई० आई० एम० एस० डाक्टर्स डिच एड्स वूमन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार को देखा है ।

एक महिला रोगी जो कि गर्भवती और एच० आई० वी० (ह्युमन इम्युनो डेफिशियन्सी वायरस) से संक्रमित थी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में पहली बार 24-5-91 को दाखिल की गई थी और उसे लगातार चिकित्सा परिचर्या दी गई थी । उसे 27-6-91 को दुबारा दाखिल किया गया था और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के प्रसूति और स्त्रीरोग विज्ञान के सेवानिवृत अतिरिक्त प्रोफेसर डॉ० एस. कुमार ने 30-6-1991 को उनका प्रसंव कराया था ।

सरकार ने उन तथ्यों और परिस्थितियों की, जिनके अन्तर्गत प्रसव के मामले को देखने के लिए डॉ० एस० कुमार की सहायता लेना आवश्यक था, जांच करने और इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से पता लगाए गए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान सहित सभी 13 अस्पतालों में एड्स/एच० आई० वी० के पाजिटिव रोगियों को देखने के लिए की गई व्यवस्था की समीक्षा करने हेतु विशेषज्ञों के सहयोग से उच्चस्तरीय जांच शुरू की है ।

खेतिहर मजदूर

852. **श्री एन० डेनिस** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में खेतिहर मजदूरों की जीवन-दशा सुधारने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० राममूर्ति) : खेतिहर मजदूरों के हितों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, मजदूरी संदाय अधिनियम, 1938, अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 जैसे विभिन्न श्रम कानून विद्यमान हैं । इसके अलावा निर्धनों और मजदूरी वाले नियोजन के उत्थान के उद्देश्य से आई० आर० डी० पी०, जवाहर रोजगार योजना, एन० आर० ई० पी०, आर० एल० ई० जी० पी० जैसी अनेक योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं । सरकार ने खेतिहर मजदूरों की दशाओं की जांच करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग गठित किया है और आयोग से उसकी रिपोर्ट इस महीने तक प्रस्तुत किये जाने की आशा है ।

खेतिहर मजदूरों के नियोजन, सेवा की शर्तें और कल्याण उपायों को विनियमित करने के लिए एक केन्द्रीय विधान बनाने पर भी सरकार विचार कर रही है ।

नवोदय विद्यालयों की स्थापना

853. **श्री के० मुरलीधरन** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1991-92के दौरान किन-किन स्थानों पर कितने नवोदय विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : वर्ष 1991-92 के दौरान चौदह नवोदय विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं जो इस प्रकार हैं :—

क्रम सं०	स्थान	जिला	राज्य/संघ शासित क्षेत्र
1.	धनगधरा	सुरेन्द्र नगर	गुजरात
2.	धारगढ़ी	राजकोट	गुजरात

क्रम सं.	स्थान	जिला	राज्य/संघ शासित क्षेत्र
3.	कालू खेड़ा	रतलाम	मध्य प्रदेश
4.	पारुल	सांगली	महाराष्ट्र
5.	नोंगतलांग	जयंतिया की पहाड़िया	मेघालय
6.	वोखा—	वोखा	नागालैण्ड
7.	बहराईच	गाजीपुर	उत्तर प्रदेश
8.	दलीप नगर	देवरिया	
9.	पिहानी	हरदोई	
10	ज्ञानपुर	भादोही	
11.	मारगैन	एटा	
12	जाफरपुर कलां	पश्चिम दिल्ली	दिल्ली
13.	तकुराइचरा	दक्षिण त्रिपुरा जिला	त्रिपुरा
14.	रुपैन	सीवान	बिहार

दिल्ली विकास प्राधिकरण में गैर-पंजीकृत लोगों को बिना बारी आवासों का आबंटन

854. **श्री राजनाथ सोमकर शास्त्री** : क्या शहरी विकास मंत्री तारांकित प्रश्न संख्या 1397 के 21 मार्च, 1990 तथा तारांकित प्रश्न संख्या 441 के 8 अगस्त, 1990 को दिये गये उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले कुछ वर्षों के दौरान ऐसे लोगों को बिना बारी के आवास का आबंटन किया गया है जो दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास पंजीकृत नहीं है, इस प्रकार आबंटन किये जाने के क्या कारण है ;

(ख) सरकार का दिशानिर्देशों के उल्लंघन के मामलों से किस प्रकार से निपटने का विचार है ;

(ग) क्या उल्लंघन के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरूध्द कार्रवाई करने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है; और

(घ) वर्ष 1989 के दौरान आबंटित किये गये 341 आवासों का ब्यौरा क्या है जिनके बारे में जानकारी सभा पटल पर भी रखी गई थी और 1989 से पहले के तीन वर्षों तथा उसके बाद के दो वर्षों के तत्संबंधी तुलनात्मक आंकड़े क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) से (ग) सरकार की नीति तथा मार्ग निर्देशनों के अनुसार एक वर्ष के दौरान आबंटित डी डी ए फ्लैटों की कुल संख्या का 2½% तक बिना बारी आबंटन अत्याधिक अनुकम्पा तथा कठिनाई के मामलों, विधवाओं तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियो और उनकी राय में विशेष रूप से विचार के योग्य अन्य ऐसे विशेष मामलों में जो पंजीकृत के साथ-साथ अपंजीकृत व्यक्तियों को किया जा सकता है। यद्यपि, अपंजीकृत व्यक्तियों को बिना बारी के आबंटन का अधिकार उप-राज्यपाल, दिल्ली को है और पंजीकृत व्यक्तियों को ऐसे आबंटन उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किए जा सकते है।

(घ) वर्ष 1989 के दौरान बिना बारी आधार पर आबंटित किये गए 341 फ्लैटों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I तथा II के अनुसार दिया गया है। पहले के तीन वर्षों तथा उसके बाद के दो वर्षों में बिना बारी आबंटन के तुलनात्मक आंकड़े नीचे दिए गए है :—

कैलेण्डर वर्ष	बिना जारी आधार पर आबंटित किये गए फ्लैटों की संख्या
1986	162
1987	250
1988	139
1990 -	166
1991 आज तक	30

विवरण I

1989 के दौरान बिना जारी के स्ववित्त पोषित श्रेणी के फ्लैटों के आबंटन का विवरण

क्र. सं० 1	आबंटी का नाम 2	आबंटित फ्लैट की श्रेणी 3
	(श्री/श्रीमती)	
1.	श्रीमती निशु मूपर	ii
2.	हरप्रित कौर	ii
3.	के० एन० चन्दाबानू	ii
4.	उपासना नाथ चोपड़ा	ii
5.	अनिना कक्कड़	ii
6.	जीवन दास गुलाटी	ii
7.	अवनीश चोपड़ा	ii
8.	सुशीला कुमार	iii
9.	परमल्ल राय	iii
10.	सुशीला बीना नाथ	ii
11.	कृष्णा साहनी	iii
12.	रवीदर राठौर	ii
13.	उधाराज खन्ना	iii
14.	आर० के० मलहोत्रा	ii
15.	मीना देवी	ii
16.	राजलखनी देवी	ii
17.	वी० के० मेहरा	ii
18.	शरद कालकर	ii
19.	ए० एम० जोयसी गुलजार	ii
20.	पी० के० जैन	ii
21.	एस० के० मिश्रा	ii
22.	पी० नरसीमा	ii
23.	सी० आर० सचदेवा	ii
24.	प्रकाश नारायण	iii

1	2	3
25.	श्रीमती एन० एम० सिंह	iii
26.	रीता बवेजा	ii
27.	हरविन्द्र सिंह	ii
28.	अमित भारगवा	iii
29.	आर० के० माथूर	ii
30.	ज्योती शर्मा	ii
31.	जी० बी० बिलिमोरिया	ii
32.	सुरेश सूरी	iii
33.	प्रेम लता	iii
34.	सी० एल० सेक्सेना	iii
35.	उमा पिपलानी	iii
36.	प्रदीप कुमार	iii
37.	पी० सी० कसना राव	ii
38.	कमलेश गेरा	ii
39.	सी० एन० नोहवाल	iii
40.	मुक्तयार कौर राव	iii
41.	ए० के० भारतिया	iii
42.	समसेर सिंह	iii
43.	राजीव आहुजा	iii
44.	के० एस० मेहता	ii
45.	अजीत सिंह	iii
46.	वस्टीस नरेश चन्द	iii
47.	जगदीश कौर	ii
48.	मोहरी सिंह	ii
49.	देवेन्द्र मोहन	ii
50.	देवीयानी शुक्ला	iii
51.	राविन्द्र सिंह बिस्ट	iii
52.	ओंकार सिंह थापर	iii
53.	प्रीत पाल कौर	iii
54.	पी० के० मोहन	iii
55.	एस० के० गुप्ता	iii
56.	रमा श्रीवास्तव	ii
57.	ओलीवर रावर्ट	ii
58.	प्रहलाद कुमार	iii
59.	मधुरीमा गुप्ता	ii
60.	आर० भवानी	iii
61.	सरोज रानी चोपड़ा	iii
62.	नरेश	ii
63.	मनमोहन सिंह	iii
64.	के० पी० पी० नाम्बीयार	iii
65.	गुरू हनुमान	iii

1	2	3
66.	सुरेन्द्र जीत	iii
67.	हेमा शर्मा	iii
68.	विजय के० टण्डा	iii
69.	शान्ति मित्रा	ii
70.	राज कुमारी	ii
71.	रेहमा तुलाखा	ii
72.	अजीत पाल सिंह	ii
73.	जफर इकबाल	ii
74.	वाई० एन० खुमानी	ii
75.	गुरविन्द्र कौर	iii
76.	डी० विजया पिलास	iii
77.	राज लक्ष्मी देवी	iii
78.	मीना मोगल	ii
79.	हितेश्वर सैकिया	iii
80.	राज कुमारी	iii
81.	खयान सिंह टकास	ii
82.	भरत टंडन	iii
83.	सजय मेहता	iii
84.	एस० के० मेहरा	iii
85.	जस बीर सिंह सोढी	iii
86.	ओ० पी० रहन	ii
87.	विवेक पांडे	ii
88.	शशि कपूर	ii
89.	के० के० कमरीया	ii
90.	वी० के० महाजन	iii

विवरण II

1989 के दौरान बिना भारी आधार पर एम० आई० जी०/एल० आई० जी०/जनता श्रेणी के फ्लैटों के आबंटन का विवरण

क्र. सं० 1	आबंटिति का नाम 2	आबंटित फ़्लैट की श्रेणी 3
1.	श्रीमती रजनी जैन	एम० आई० जी०
2.	श्री जयन्त कुमार खुराना	एम० आई० जी०
3.	श्री एल० डी० चंढा	एम० आई० जी०
4.	श्री देवेन्द्र कुमार कालरा	एम० आई० जी०
5.	श्रीमती कान्ता देवी	एम० आई० जी०
6.	श्री प्रेम लाला	एल० आई० जी०
7.	श्रीमती सरिता मलहोत्रा	एल० आई० जी०
8.	श्रीमती कमला देवी	एल० आई० जी०
9.	श्री डी० पी० बोस	एल० आई० जी०

1	2	3
10.	श्रीमती स्वर्णलता शर्मा	एल० आई० जी०
11.	श्रीमती श्री शांति प्रकाश	एल० आई० जी०
12.	श्री श्याम लाल	एल० आई० जी०
13.	श्रीमती कान्ता राणी	एल० आई० जी०
14.	श्री विजय कुमार तलवार	एल० आई० जी०
15.	श्री घनश्याम मेहता	एल० आई० जी०
16.	श्रीमती मुन्नी देवी	एल० आई० जी०
17.	श्री जीत सिंह	एल० आई० जी०
18.	श्रीमती संतोष देवी	एल० आई० जी०
19.	श्रीमती अंगूरी देवी	एल० आई० जी०
20.	श्री जी० के० भटनागर	एल० आई० जी०
21.	श्रीमती सकुन्तला राहेजा	एल० आई० जी०
22.	श्रीमती उषा आर्य	एल० आई० जी०
23.	श्री नारायण देव	एल० आई० जी०
24.	श्रीमती निर्मला देवी वासवाणी	एल० आई० जी०
25.	श्रीमती राजकुमारी	एल० आई० जी०
26.	श्रीमती स्वर्ण लता लुधानी	एल० आई० जी०
27.	श्रीमती तारा देवी	एल० आई० जी०
28.	श्री अशोक नागपाल	एल० आई० जी०
29.	श्रीमती भूपेन्द्र कौर	एल० आई० जी०
30.	श्रीमती निर्मल कपूरिया	एल० आई० जी०
31.	श्रीमती कान्ता शर्मा	एल० आई० जी०
32.	मोहम्मद इक माल	एल० आई० जी०
33.	श्री सतपाल जैन	एल० आई० जी०
34.	श्रीमती विमला देवी	एल० आई० जी०
35.	श्रीमती संध्या भाटिया	एल० आई० जी०
36.	श्री दीवान चंद	एल० आई० जी०
37.	श्रीमती [illegible]	एल० आई० जी०
38.	श्रीमती स्वर्ण जीत कौल	एल० आई० जी०
39.	श्रीमती निगम देवी	एल० आई० जी०
40.	श्री रामलोक शर्मा	एल० आई० जी०
41.	श्रीमती एस० एच० वती	एल० आई० जी०
42.	श्रीमती धनवंती रावत	एल० आई० जी०
43.	श्रीमती प्रेमलता	एल० आई० जी०
44.	श्रीमती अरविंद बाला	एल० आई० जी०
45.	श्रीमती एस० प्रसाद	एल० आई० जी०
46.	श्री आई० एस० कालरा	एल० आई० जी०
47.	श्री करतार सिंह	एम० आई० जी०
48.	श्रीमती संतोष कुमार शर्मा	एम० आई० जी०
49.	श्री अशोक कुमार सेठी	एल० आई० जी०

1	2	3
50.	श्रीमती कान्ता भाटिया	एम० आई० जी०
51.	श्रीमती अजीत कौर	एम० आई० जी०
52.	श्री गुरचरन सिंह	एम० आई० जी०
53.	श्री जी० डी० खरबन्दा	एम० आई० जी०
54.	श्री गुरविन्दर सिंह	एम० आई० जी०
55.	श्री दुर्गा प्रसाद	एम० आई० जी०
56.	श्री दर्शन लाल नंदा	एल० आई० जी०
57.	श्रीमती अन्नु दहिया	एम० आई० जी०
58.	डा० (श्रीमती) एस० मुखर्जी	एम० आई० जी०
59.	श्रीमती तारविन्दर बजाज	एम० आई० जी०
60.	श्रीमती सुदेश मलहोत्रा	एम० आई० जी०
61.	श्रीमती कुसुम कक्कण	एम० आई० जी०
62.	श्री सत्यनारायण	एम० आई० जी०
63.	श्रीमती रूपीन्दिर कौर	एम० आई० जी०
64.	श्रीमती एस० खरोड़ा	एम० आई० जी०
65.	श्रीमती शांति देवी	एम० आई० जी०
66.	श्री जगदीश चन्द प्रसाद	एम० आई० जी०
67.	श्री श्रीनिवास शर्मा	एम० आई० जी०
68.	श्री रमन कुमार चौधरी	एम० आई० जी०
69.	श्री परमानंद	एम० आई० जी०
70.	श्रीमती शान्ता आनंद	एल० आई० जी०
71.	श्री गिरीश चन्द जोशी	एल० आई० जी०
72.	श्रीमती सरला मलहोत्रा	एल० आई० जी०
73.	श्री कोकर नाथ शर्मा	एल० आई० जी०
74.	कुमारी रोजी लाल	एल० आई० जी०
75.	श्री पृथ्वीराज कपूर	एल० आई० जी०
76.	श्रीमती जोति खरोड़ा	एल० आई० जी०
77.	श्री कालूराम	एल० आई० जी०
78.	श्रीमती रजनी चोपड़ा	एल० आई० जी०
79.	श्रीमती बीना सहगल	एल० आई० जी०
80.	श्रीमती बलजीत कुकरेजा	एल० आई० जी०
81.	श्रीमती सतनाम कौर	निम्न आय वर्ग
82.	श्रीमती सावीत्री देवी	——वही——
83.	श्रीमती राज रानी	——वही——
84.	श्रीमती वीना रानी	——वही——
85.	श्रीमती प्रेम लता	——वही——
86.	श्रीमती मीरा देवी	——वही——
87.	श्रीमती कमलेश वेद	——वही——
88.	श्रीमती अस्सी देवी	——वही——
89.	श्रीमती अनुराधा मेहदीरात्ता	——वही——
90.	श्री प्रहलाद शर्मा	——वही——

1	2	3
91.	श्री मोहम्मद शरीफ	निम्न आय वर्ग
92.	श्रीमती चरण देवी	——वही——
93.	श्री रामपाल सिंह	——वही——
94.	श्री विनोद कुमार	——वही——
95.	श्रीमती आशा लता गुप्ता	——वही——
96.	श्री दिगेन्द्र सिंह	——वही——
97.	श्री ठम्मेद सिंह	——वही——
98.	श्री सुखदेव परमार	——वही——
99.	कुमारी रसमी सपरा	——वही——
100.	श्रीमती आदर्श लता	——वही——
101.	श्री गुरचरण सिंह	——वही——
102.	श्रीमती पी० आर० दास	——वही——
103.	श्रीमती सिरेया राठोर	——वही——
104.	श्रीमती पुष्पा कपूर	मध्यम आय वर्ग
105.	श्रीमती संतोष	——वही——
106.	श्रीमती कान्ता	——वही——
107	श्रीमती पुष्पा टंडन	——वही——
108.	श्रीमती सुधा मेहता	——वही——
109.	श्रीमती कैलाश वर्मा	निम्न आय वर्ग
110.	श्रीमती दुर्गा माखिजा	मध्यम आय वर्ग
111.	श्रीमती सुरेश रानी	——वही——
112.	श्रीमती सर्वीता मजुमदार	——वही——
113.	श्रीमती सुनिता चावला	मध्यम आय वर्ग
114.	श्रीमती ज्योति अरोड़ा	——वही——
115.	श्रीमती मंगला आहुजा	——वही——
116.	श्रीमती विधि बैनर्जी	——वही——
117.	श्री के० एस० सचदेव	——वही——
118.	श्री के० के० सहगल	——वही——
119.	श्री सुबोध कुमार	——वही——
120.	श्री संजय कुमार	——वही——
121.	श्री पी० एल० जग्गी	——वही——
122.	श्री वाई० आर० यादव	——वही——
123.	श्री झवर	——वही——
124.	श्री एस० एस० मेहता	——वही——
125.	श्री वीर फल सिंह	——वही——
126.	श्री सुष्मा सिंगल	——वही——
127.	श्रीमती संजीव भाटिया	——वही——
128.	श्री डी० पी० शर्मा	——वही——
129.	श्री हरीश चन्द	निम्न आय वर्ग
130.	श्री राजेन्द्र सिंह	——वही——
131.	श्रीमती राधा रानी	——वही——

1	2	3
132.	श्री वी० डी० उप्पल	निम्न आय वर्ग
133.	श्री सुरेश चन्द	——वही——
134.	श्री मूल चन्द तिवारी	——वही——
135.	श्री हर साहय	——वही——
136.	श्री राकेश कपूर	——वही——
137.	श्री बलराज	——वही——
138.	श्री गुरचरण सिंह	——वही——
139.	श्री भीमराज गुप्ता	——वही——
140.	श्रीमती मनवीर कौर कोहली	——वही——
141.	श्री मुल्ख राज	——वही——
142.	श्री रघुवीर सिंह	——वही——
143	विवेक शील	——वही——
144.	श्रीमती हरप्रीत कौर	मध्यम आय वर्ग
145.	श्री सुशील कुमार जैर	निम्न आय वर्ग
146.	श्री टी० जी० राजगोपालन	मध्यम आय वर्ग
147.	श्री उमा चरण शर्मा	——वही——
148.	श्री अवधेश कुमार	——वही——
149.	श्री संजीव मल्होत्रा	——वही——
150.	श्रीमती सविन्द्र कौर	——वही——
151.	श्री के० जे० एस० वैन्स	——वही——
152.	श्रीमती संगीता चड्ढा	——वही——
153.	श्रीमती रश्मि सेनी	——वही——
154.	श्रीमती नीलम गुप्ता	——वही——
155.	श्रीमती मौसी देवी नेगी	——वही——
156.	श्रीमती इन्दु बाला	निम्न आय वर्ग
157.	श्री जगत राम	——वही——
158.	श्री वी० डी० शर्मा	——वही——
159.	श्री पी० एल० बतरा	——वही——
160.	श्री तारा चन्द	——वही——
161.	श्री पी० सी० गुप्ता	——वही——
162.	श्रीमती मिथलेश अग्रवाल	——वही——
163.	श्री जनक राज भजाज	——वही——
164.	श्री कृष्ण लाल	——वही——
165.	श्रीमती पुष्पा शर्मा	निम्न आयवर्ग
166.	श्री गुलशन कुमार	——वही——
167.	श्री ओम प्रकाश शर्मा	——वही——
168.	श्री अर्जुन लाल	——वही——
169.	श्री आर० सी० निश्चल	——वही——
170.	श्री तीर्थ राम	——वही——
171.	श्री डी० एन० भाटिया	——वही——
172.	श्री एस० एस० शर्मा	——वही——

1	2	3
173.	श्री पी० रामा नायर	निम्न आय वर्ग
174.	श्रीमती कलावती	——वही——
175.	श्री राज कुमार	——वही——
176.	श्री पिरथू राम	——वही——
177.	श्रीमती रेणु बाला नारंग	——वही——
178.	श्री रांवे बरूआ	——वही——
179.	सुरक्षा	——वही——
180.	श्री ए० एस० पंवार	——वही——
181.	श्रीमती फिलिप मैसी	——वही——
182.	श्रीमती बिमला देवी	——वही——
183.	श्रीमती कलावती	——वही——
184.	श्रीमती शशि बाला संधु	——वही——
185.	श्रीमती राजरानी	——वही——
186.	श्रीमती संतोष कुमारी	——वही——
187.	श्रीमती रीतिका भादुड़ी	——वही——
188.	श्रीमती आशा शर्मा	——वही——
189.	श्रीमती प्रकाश ओरोड़ा	——वही——
190.	श्रीमती मंजु बंसल	——वही——
191.	श्रीमती सुशीला	——वही——
192.	श्रीमती सुरेश देवी	——वही——
193.	श्रीमती सुनीता कपूर	——वही——
194.	श्रीमती संतोष	——वही——
195.	श्रीमती ऊदो देवी	——वही——
196.	श्रीमती शीला देवी	——वही——
197.	श्रीमती सतवंत कौर	——वही——
198.	श्रीमती सत्या रानी	——वही——
199.	श्रीमती कृष्णा मिगलानी	——वही——
200.	श्रीमती सिन्दूरी देवी	——वही——
201.	श्रीमती शकुंतला खुराना	——वही——
202.	श्रीमती प्रिया देवी	——वही——
203.	श्रीमती रश्मि सरना	——वही——
204.	श्रीमती मुन्नी देवी	——वही——
205.	श्रीमती सरन देवी	——वही——
206	श्रीमती मधु	——वही——
207.	श्रीमती चन्द मेहता	——वही——
208.	श्रीमती माया देवी	——वही——
209.	श्रीमती द्रोपती देवी	——वही——
210.	श्रीमती पुष्पा देवी	——वही——
211.	श्रीमती अरूणा कपूर	——वही——
212.	श्रीमती मोतिया देवी	अनता
213.	श्री राजू	——वही——

1	2	3
214.	श्रीमती रामा देवी	——जनता——
215.	श्रीमती ओम वती	——वही——
216.	श्रीमती विद्या वती	——वही——
217.	श्रीमती कमला देवी	——वही——
218.	श्रीमती जीत कौर	——वही——
219.	श्रीमती सुशीला देवी	——वही——
220.	श्रीमती कमल वर्मा	——वही——
221.	श्रीमती छोटा देवी	——वही——
222.	श्रीमती अंगूरी देवी	——वही——
223.	श्रीमती रामरती	——वही——
224.	श्री हरीश चन्द	——वही——
225.	श्री प्रभाकर बोहरा	——वही——
226.	श्री कासी	——वही——
227.	श्री महेश चन्द अग्रवाल	——वही——
228.	श्री नारायण दास	——वही——
229.	श्री चरण दास शर्मा	——वही——
230.	श्रीमती रेवती देवी	——वही——
231.	श्री प्रकाश चन्द	——वही——
232.	श्री खेम चन्द	——वही——
233.	श्री प्यारा सिंह	——वही——
234.	श्रीमती झरना प्रकाश	——वही——
235.	श्रीमती सरोज चौहान	——वही——
236.	श्रीमती महेन्द्र कौर	——वही——
237.	श्री कुन्दन सिंह	——वही——
238.	श्रीमती शान्ति अन्थोनी	——वही——
239.	श्रीमती शकुंतला देवी	——वही——
240.	श्री किशन लाल	——वही——
241.	श्री विष्णु	——वही——
242.	श्रीमती सतिन्द्र कौर	——वही——
243.	श्रीमती दर्शना देवी	——वही——
244.	श्री सुरेश कुमार शुक्ला	——वही——
245.	श्रीमती चन्द्रलेखा	——वही——
246.	श्रीमती नीलम कपूर	——वही——
247.	श्री राजेन्द्र मल्होत्रा	——वही——
248.	श्रीमती उषा आर्य	——वही——
249.	श्री बाल किशन	——वही——
250.	श्रीमती पुष्पा भारती	——वही——
251.	श्रीमती शशि प्रभा	——वही——

केन्द्रीय विद्यालय के कक्षा 10 और 12 के छात्रों का परीक्षा परिणाम

855. **श्री संतोष कुमार गंगवार :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजुकेशन द्वारा मार्च-अप्रैल, 1991 में आयोजित कक्षा 10 और 12 की परीक्षाओं में दिल्ली और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के केन्द्रीय विद्यालयों के छात्रों का परीक्षा परिणाम कम रहा;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) केन्द्रीय विद्यालयों के छात्रों के परीक्षा परिणाम में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी नहीं । दिल्ली और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के केन्द्रीय विद्यालयों के सफल छात्रों का प्रतिशत, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मार्च-अप्रैल, 1991 में आयोजित कक्षा X और XII की परीक्षाओं में सफल हुए छात्रों के कुल प्रतिशतता से काफी ज्यादा है जैसा कि नीचे सारणी में दिया गया है:

कक्षा	1991 की परीक्षा में सफलता का प्रतिशत		के० मा० शि० बोर्ड
	दिल्ली क्षेत्र	उ० पू० क्षेत्र	के० मा० शि० बोर्ड सम्पूर्ण
X	85.74	85.48	62.80
XII	85.50	76.30	68.04

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रोहिणी में दिल्ली विकास प्राधिकरण के आवासों में बिजली के उपकरण लगाना

856. **प्रो० प्रेम धूमल :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को यह जानकारी है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली में रोहिणी के सेक्टर 18 के "बी" खण्डों में बिजली के शेड तथा बिजली के अन्य उपकरण अभी तक नहीं लगाये हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं जबकि रोहिणी के सेक्टर 18 के "ए" खण्डों में ऐसे उपकरण लगा दिये गये है; और

(ग) इस मामले में सरकार का क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) वास्तविक कब्जा सौंपने के वक्त फ्लैटों में विद्युत उपस्कारों की व्यवस्था की जाती है । करार में व्यवस्था के अनुसार रोहिणी सेक्टर 18, ब्लाक "बी" में उन सभी फ्लैटों में कांच के शेड तथा वॉश बेसिन लगा दिए गए हैं, जिनमें लोग रह रहे हैं । दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इस संबंध में संविदात्मक समस्याएं समाप्त कर दी गई हैं ।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए धन का आबंटन

857. श्री कोड्डीकुनील सुरेश : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1991-92 के दौरान राज्यवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए कितनी धनराशि का आबंटन किया गया;

(ख) क्या किसी राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए अधिक वित्तीय सहायता हेतु अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की उस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) विवरण I, II, III तथा IV संलग्न हैं।

(ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए इस वित्तीय वर्ष में और अधिक आर्थिक सहायता हेतु संघीय सरकार के कल्याण मंत्रालय से किसी भी राज्य सरकार द्वारा अनुरोध नहीं किया गया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

(रुपये करोड़ों में)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुसूचित जातियों के लिए 1991-92 के दौरान विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत आबंटन*
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	205.80
2.	असम	55.00
3.	बिहार	326.58
4.	गोआ	1.81
5.	गुजरात	58.98
6.	हरियाणा	87.30
7.	हिमाचल प्रदेश	61.16
8.	जम्मू और कश्मीर	32.28
9.	कर्नाटक	138.51
10.	केरल	74.87
11.	मध्य प्रदेश	240.62
12.	महाराष्ट्र	213.19
13.	मणिपुर	4.17
14.	उड़ीसा	210.60
15.	पंजाब	177.03
16.	राजस्थान	217.76
17.	सिक्किम	14.18
18.	तमिलनाडु	272.67
19.	त्रिपुरा	28.33

* :— स्वीकृत परिव्यय

विवरण I—जारी

1	2		3
20.	उत्तर प्रदेश		585.65
21.	पश्चिम बंगाल		165.07
22.	चंडीगढ़		10.25
23.	दिल्ली प्रशासन		108.01
24.	पांडिचेरी		14.00
		कुल	3303.32

विवरण II

(रुपये करोड़ो मे)(अनन्तिम)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुसूचित जनजाति के लिए 1991-92 के दौरान आदिवासी उप योजना के अन्तर्गत आबंटन
1.	आन्ध्र प्रदेश	116.63
2.	असम	94.39
3.	बिहार	587.90
4.	गुजरात	150.27
5.	हिमाचल प्रदेश	47.39
6.	जम्मू और कश्मीर	उपलब्ध नहीं
7.	कर्नाटक	19.24
8.	केरल	13.54
9.	मध्य प्रदेश	481.66
10.	महाराष्ट्र	202.71
11.	मणिपुर	122.68
12.	उड़ीसा	358.17
13.	राजस्थान	98.01
14.	सिक्किम	10.35
15.	तमिलनाडु	16.60
16.	त्रिपुरा	106.07
17.	उत्तर प्रदेश	3.21
18.	पश्चिम बंगाल	60.63
19.	अंडमान और निकोबार	36.52
20.	दमन और दीव	0.96
	कुल	2526.93

विवरण III

संघीय सरकार के अन्तर्गत कल्याण मंत्रालय में 1991-92 के लिए अनुसूचित जातियों हेतु योजनावार आबंटन

(रुपये करोड़ो में)

क्रम संख्या	योजना का नाम	वित्तीय परिव्यय
1.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां	40.00
2.	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	2.75
3.	अस्वच्छ व्यावसायों में लगे लोगों के बच्चों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां	4.00
4.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए पुस्तक बैंक	5.00
5.	अनुसूचित जातियों के लिए बालिका होस्टल	8.00
6.	अनुसूचित जातियों के लिए बाल होस्टल	5.33
7.	कोचिंग तथा सम्बद्ध योजना	1.75
8.	नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम का क्रियान्वयन	5.50
9.	सफाई कर्मचारियों की मुक्ति	50.00
10.	अनुसंधान और प्रशिक्षण	0.80
11.	राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम	20.00
12.	अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए आश्रम विद्यालय	1.00
13.	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता	225.00
14.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास निगम	10.00
	कुल	379.13

*प्रस्ताव के विस्तृत परीक्षण की शर्त के अधीन ।

विवरण IV

संघीय सरकार के अन्तर्गत कल्याण मंत्रालय में 1991-92 के लिए अनुसूचित जनजातियों हेतु योजनावार आबंटन

(रुपये करोड़ो में)

क्रम संख्या	योजना का नाम	वित्तीय परिव्यय
1	2	3
1.	आदिवासी उपयोजना के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विशेष केन्द्रीय सहायता (एस सी ए)	250.00
2.	केन्द्र प्रायोजित योजनाएं :	
	(क) स्वैच्छिक संगठनों को सहायक अनुदान	2.25
	(ख) बालिका छात्रावास	4.00

1	2	3
(ग)	ग्राम छात्रावास	2.67
(घ)	अनुसंधान और प्रशिक्षण	1.20
(ङ)	आदिवासी क्षेत्रों में तेल बीजों तथा वृक्ष-मूल तेलों का विकास	1.50
(च)	आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालय	2.00
(छ)	टाइफेड को समर्थन मूल्य अनुदान	1.00
(ज)	टाइफेड को सहायक अनुदान	2.00
(झ)	टाइफेड को अंश पूंजी अंशदान	8.00
(ञ)	अनुच्छेद 275(1) के प्रश्न परंतुक के अन्तर्गत योजनाएं	20.00
(ट)	असम राज्य सरकार को सहायक अनुदान (गैर-योजना)	0.14
	कुल	294.76

मरूस्थल बनाने की प्रक्रिया की रोक-थाम

[हिन्दी]

858. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान, हरियाणा और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली ऐसे क्षेत्र हैं जहां वनों का अत्यधिक कटान किया गया है;

(ख) क्या उक्त क्षेत्र मरूस्थल बनने की प्रक्रिया से प्रभावित हो गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो मरूस्थल बनने की प्रक्रिया की रोकथाम के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा 1981-83 और 1985-87 की अवधियों के लिए किए गए वन आच्छादन-मूल्यांकन के अनुसार राजस्थान और संघ क्षेत्र दिल्ली में वन आच्छादन में वृद्धि हुई है । लेकिन हरियाणा राज्य में वन आच्छादन में 81 वर्ग कि० मी० की कमी आई है ।

(ख) और (ग) मरूस्थलीकरण प्रक्रिया से यह क्षेत्र प्रभावित हुआ है अथवा नहीं, यह बताने के लिए पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । किन्तु 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा वन-रोपण के विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं । इसके अलावा, भारत सरकार ने हरियाणा राज्य में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता से "अरावली पहाड़ियों में सामान्य भूमि का पुनरूद्धार परियोजना" नामक एक परियोजना शुरू की है ।

आरक्षित वन क्षेत्र

859. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी द्वारा वर्ष 1972 से उपग्रह के माध्यम से आरक्षित वन क्षेत्र का अध्ययन किया जा रहा है;

(ख) क्या उक्त आरक्षित वन क्षेत्र में लगातार कमी आ रही है; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1972 में देश में कुल कितना वन क्षेत्र था और अब तक इसमें कितने प्रतिशत कमी आई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी ने 1984 में 1972-75 और 1980-82 के उपग्रह आंकड़ों का इस्तेमाल करते हुए भारत के वन आच्छादन का स्वतंत्र रूप से केवल एक बार मूल्यांकन किया था । भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून 1981-83 से दो वर्षीय चक्र के आधार पर वन आच्छादन का मूल्यांकन कर रहा है ।

(ख) भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून द्वारा 1981-83 और 1985-87 की अवधि के लिए किए गए वन आच्छादन के मूल्यांकन के अनुसार वन आच्छादन में लगभग 47,500 है० प्रति वर्ष की दर से कमी आई है ।

(ग) राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी द्वारा 1972-75 और 1980-82 की अवधियों के लिए मूल्यांकित कुल वन आच्छादन क्रमशः 55.51 मि० है० और 46.34 मि० है० था । वन आच्छादन के राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी द्वारा लगाये गये अनुमानों में कई गलतियां थी और बाद में एजेंसी द्वारा 1980-82 के संबंध में दिए गए आंकड़ों का भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा दिए गए आंकड़ों से मिलान किया गया और एजेंसी द्वारा दिए गए आंकड़ों को बदलकर 64.20 मि० है० कर दिया गया ।

भूखण्डों का विकास

[अनुवाद]

860. **श्री विजय नवल पाटील** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोहिणी योजना, 1981 के अंतर्गत अब तक कितने आवासीय भूखण्ड आबंटित किए गए हैं;

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष विकसित किये गये आवासीय भूखण्डों की संख्या क्या है;

(ग) आवासीय भूखण्डों के आबंटन के लिये अभी तक प्रतीक्षा कर रहे पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या क्या है;.

(घ) सभी पंजीकृत व्यक्तियों का आबंटन करने में विलम्ब के क्या कारण है; और

(ङ) प्रतीक्षा सूची के सभी व्यक्तियों को किस समय तक भूखण्डों का आबंटन कर दिया जायेगा ?

शहरी विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) 41,176 ।

(ख)

वर्ष	*रोहिणी*
1989-90	3,834
1990-91	3,768

(ग) 40,116 ।

(घ) आबंटन करने में पश्चिम दिल्ली में पेय जल की अनुपलब्धता, मल-निर्यास की सुविधाओं का अभाव और बिजली की अनुपलब्धता जो कि दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा मुहैया की जानी है, और भूमि की अनुपलब्धता के कारण भी विलम्ब हो रहा है ।

(ङ) भूमि की उपलब्धता की शर्त पर सभी विद्यमान पंजीकृतों को 1994-95 के अन्त तक प्लाट आबंटित किए जाने की आशा है ।

महानगरों में नशीली दवाओं की बिक्री पर रोक

861. **प्रो॰ राम कापसे** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 जून, 1991 के इंडियन एक्सप्रेस में "यूथ प्लेजेज टू शन ड्रग्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में नशीली दवाओं के सेवन पर रोक लगाने के लिए कोई कदम उठाए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा महानगरों में नशीली दवाओं के अवैध व्यापार में लिप्त कितने व्यक्तियों को गिरफ़तार किया गया ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) स्वापक औषधि तथा संवेदनमन्दक (साइको टैपिक) पदार्थ अधिनियम, 1985 तथा स्वापक औषध एवं संवेदनमन्दक (साईको टैपिक) पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 देश में लागू है और संबंधित एजेन्सियों द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे हैं । नशीले पदार्थों के दुरूपयोग से निपटने के लिए एक व्यापक बहुआयामी कार्यनिति अपनाई गई है । कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित मद्य निषेध तथा नशीले पदार्थों के दुरूपयोग की रोकथाम के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता की योजना के अन्तर्गत नशीले पदार्थों के व्यसनियों को परामर्श, निर्व्यसन तथा उत्तरवर्ती देखमाल सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में 112 परामर्श केन्द्रों, 44 निर्व्यसन केन्द्रों तथा 10 उत्तरवर्ती देखमाल केन्द्रों की स्थापना की गई है । इसके अतिरिक्त, सरकार स्वैच्छिक संगठनों तथा प्रचार माध्यमों के जरिए नशीले पदार्थों के दुरूपयोग के दुष्प्रभावों के सम्बन्ध में सार्वजनिक चेतना पैदा कर रही है ।

उपलब्ध सूचना के अनुसार जनवरी-जून, 1991 की अवधि के दौरान महानगरों में गिरफ़तार किए गये व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :

गिरफ़तार किए गए व्यक्तियों की संख्या

	भारतीय	*विदेशी*
दिल्ली	616	15
कलकत्ता	36	1
बम्बई	141	33
मद्रास	154	9

महानगरों में औद्योगिक प्रदूषण

862. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास, चार महानगर, औद्योगिक प्रदूषण से अत्यंत प्रभावित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन महानगरों में से प्रत्येक में प्रदूषण के लिए जिम्मेवार मिलों और फैक्टरियों के नाम क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसी दोषी पाई गई मिलों और फैक्टरियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार ने अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले 17 उद्योगों की पहचान की है, जिनमें सीमेंट, लौह और इस्पात, थर्मल पावर प्लान्ट, उर्वरक, जस्ता और प्रगालक (स्मेलटर), ताम्बा प्रगालक, एल्यूमिनियम प्रगालक, तेल शोधक कारखाने, लुगदी और कागज, अनिवार्य औषधियां, रंग और रंगाई इण्टरमीडिएट्स, कीटकनाशक, पेट्रो-रसायन, चर्मशोधनशालाएं, फार्मेस्यूटिकल्स, चीनी और मद्यनिर्माणशालाएं आते हैं। चार महानगरों में प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों के नाम सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 के तहत बहिस्राव और उत्सर्जन मानक निर्धारित किए गए हैं।
2. परिवेशी वायु गुणवत्ता और परिवेशी जल गुणवत्ता मानीटरिंग केन्द्रों के नेटवर्क स्थापित किए गए हैं।
3. उद्योगों के स्थान निर्धारण और प्रचालन के लिए पर्यावरणीय दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं।
4. बहिस्रावों और उत्सर्जनों के विसर्जनों को निर्धारित सीमाओं में रखने के लिए उद्योगों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की सहमति अपेक्षाओं का पालन करने के लिए कहा गया है।
5. अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले 17 उद्योगों के प्रदूषण नियंत्रण के लिए राज्य सरकारों के परामर्श से एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार की गई है और इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है जिसके अन्तर्गत प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों से 31 दिसम्बर, 1991 तक निर्धारित मानकों का पालन करने की अपेक्षा की गई है।

बंधुआ मजदूरों संबंधी आयोग

[हिन्दी]

863. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बंधुआ मजदूरों की समस्याओं पर विचार करने लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० राममूर्ति) : (क) और (ख) इस आशय के प्रस्ताव की जाँच की जा रही है।

पुष्कर घाटी में रेतीले टीलों का प्रभाव

864. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुलाबों की खेती के लिए प्रसिद्ध पुष्कर घाटी रेतीले टीलों से प्रभावित हो रही है;

(ख) यदि हां, तो रेतीले टीलों से कितना क्षेत्र प्रभावित हुआ है; और

(ग) इस बारे में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां ।

(ख) सुदूर संवेदी तकनीकों का उपयोग करके 1986 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार रेतीले टीलों से 665 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र प्रभावित हुआ है ।

(ग) इस संबंध में किए गए सुधारात्मक उपायों में घाटी में वनरोपण, मृ-संरक्षण, जल प्रबन्ध, पर्यावरणीय जागरूकता पैदा करना और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबन्ध के लिए अनुसंधान को बढ़ावा देना शामिल है ।

औद्योगिक इकाइयों में तालाबंदी

[अनुवाद]

865. श्री चन्द्रजीत यादव : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों के दौरान तालाबंदी घोषित करने वाली औद्योगिक इकाइयों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) तालाबंदी के कारण कितने श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं; और

(ग) इन इकाइयों को फिर से चालू करने और बेरोजगार हुए श्रमिकों को रोजगार देने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० राममूर्ति) : (क) और (ख) उपलब्ध नवीनतम सूचना के आधार पर जनवरी से जून, 1991 के दौरान 100 या 100 से अधिक श्रमिक नियोजित करने वाली औद्योगिक इकाइयों में घोषित की गई तालाबंदियों और उन तालाबंदियों से प्रभावित होने वाले श्रमिकों की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

(ग) औद्योगिक संबंध तंत्र केन्द्र तथा राज्य दोनों ही स्तरों पर मध्यस्थता, संराधन और माध्यस्थम के माध्यम से औद्योगिक विवादों का निपटान करने के लिए कार्रवाई करता है । केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें समुचित पुनर्वास पैकेजों के माध्यम से बंद पड़ी रुग्ण तथा बिमार इकाइयों को फिर से खोलने के लिए भी कार्रवाई करती हैं ।

विवरण

जनवरी-जून, 1991 के दौरान 100 या 100 से अधिक श्रमिक नियोजित करने वाली औद्योगिक इकाइयों द्वारा घोषित की गई तालाबंदियों और तालाबंदियों से प्रभावित श्रमिकों की राज्य वार संख्या

	तालाबंदियों की संख्या	प्रभावित श्रमिक
आन्ध्र प्रदेश	65	54,973
अरुणाचल प्रदेश	—	—
असम		

विवरण—जारी

बिहार		
गोवा	—	—
गुजरात	7	1,537
हरियाणा	1	5,000
हिमाचल प्रदेश		
जम्मू और कश्मीर		
कर्नाटक	2	2,300
केरल	2	965
मध्य प्रदेश	—	—
महाराष्ट्र	4	1,971
मणिपुर		
मेघालय		
मिजोरम	—	—
नागालैंड		
उड़ीसा	—	—
पंजाब	—	—
राजस्थान	3	802
सिक्किम		
तमिलनाडु	6	8,856
त्रिपुरा	—	—
उत्तर प्रदेश	7	3,105
पश्चिम बंगाल	6	19,558
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह		
चंडीगढ़		
दादरा और नगर हवेली		
दिल्ली		
दमन और दीव		
लक्ष्य द्वीप		
पांडिचेरी		
समस्त भारत	103	99,067

.. = उपलब्ध नहीं — = शून्य

मलेरिया नियंत्रण पर शोध

866. **श्रीमति गीता मुखर्जी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनेडा के एक वैज्ञानिक ने नारियल उप-उत्पाद को मच्छरों के लार्वाओं को कम करने में सहायक पाया है जैसा कि 16 जून, 1991 की राजस्थान पत्रिका में छपा है;

(ख) क्या सरकार का मच्छरों से उत्पन्न संकट से निपटने हेतु भारत में भी ऐसा शोध कराने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को डी० डी० टी० के प्रति मलेरिया मच्छरों में अत्यधिक प्रतिरोधी क्षमता विकसित होने तथा भूमिगत जल और पर्यावरण में डी० डी० टी० प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंचने के बारे में जानकारी है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में कौन से वैकल्पिक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थी) : (क) ऐसे नारियल उप-उत्पाद के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है जिसके इस्तेमाल से मच्छर लार्वाओं को कम किया जा सकता है। तथापि नारियल के कुछ उप-उत्पादों को बी० टी० आई०, ब्यूरिनजिएन्सिस (एच०14) नामक बैक्टीरिया को उगाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और इसका प्रयोग मलेरिया जैसे विभिन्न वेक्टर जनित रोगों के वेक्टर नियंत्रण के लिए लम्बे समय से किया जाता रहा है।

(ख) और (ग) भारत में पहले ही वेक्टर कन्ट्रोल रिसर्च सेंटर, पांडिचेरी में लार्वानाशक अनुसंधान किये जा रहे हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद मच्छरों को बढ़ने से रोकने हेतु विभिन्न पादपीय तत्वों का पता लगाने के विषय में शोध आयोजित कर रही है और उसे बढ़ावा दे रही है। भारत में प्रयोगशालाओं और संवर्धन (कल्चरिंग) का ढांचा उपलब्ध होते हुए इस बैक्टीरिया के बीजाणुओं को नारियल में इंजेक्ट करके बी० टी० आई० उगाने के नवीन तरीके अपनाना आवश्यक नहीं है, जैसा कि पत्रिका में बताया गया है।

(घ) जी, नहीं। डी० डी० टी० के प्रति मलेरिया मच्छरों में प्रतिरोधी क्षमता का विकास नहीं हुआ है परन्तु यह एक ऐसा मच्छर है जो ऐसे रोग को फैलाता है जिसमें डी० डी० टी० के प्रति प्रतिरोधी क्षमता विभिन्न स्तरों पर पाई जाती है।

(ङ) मलेरिया अनुसंधान केन्द्र, दिल्ली ने अनेक वर्षों के आधारभूत और व्यावहारिक अनुसंधान के परिणामस्वरूप मलेरिया नियंत्रण के लिए एक जैव-पर्यावरणिक नीति तैयार की है। इस तकनीक में कीटनाशकों का या तो बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं होता या केवल विशेष परिस्थितियों में होता है। इसमें लार्वा को कम करने के लिए मेकैनिकल तरीकों जैसे भराव, जलनिकास, भूमि का स्तर बराबर करना और बायोलॉजिकल कारकों का प्रयोग (जैसे लार्वा मछली) को अपनाकर मच्छरों की वृद्धि के स्थानों में कमी लाने पर बल दिया गया है। इस नीति की सफलता विभिन्न स्तरों के स्थानिकमारी वाले विभिन्न भू-पारिस्थितिकी के क्षेत्रों में देखी गई है।

[अनुवाद]

(व्यवधान)

श्री द्वारका नाथ दास (करीमगंज) : अध्यक्ष महोदय, यद्यपि ग्रामीण विद्युतीकरण राज्य का मामला है फिर भी केन्द्र इससे अपना उत्तरदायित्व एकदम अलग नहीं कर सकता । असम की बरक घाटी, विशेषकर दूरदराज के गावों तथा चाय बागानों में ग्रामीण विद्युतीकरण बहुत धीमा हो रहा है । दूसरी तरफ मिट्टी के तेल के मूल्य बदलते रहते है और कभी कभी तो यह स्थानीय बाजार में अनुपलब्ध रहता है ।

इसलिए ग्रामीण कल्याण योजना के तहत विद्युत प्राधिकरण ग्रामीण विद्युतिकरण की प्रक्रिया तीव्र करने के साथ साथ आम जनता के लाभ हेतु प्रत्येक घर में निश्चित खपत के साथ तीन-तीन प्वाइंट लगाए जाए ।

क्या माननीय मंत्री महोदय इस संबंध में यथा शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करेंगे ?

कावेरी जल विवाद के बारे में

श्री पी० जी० नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने कल कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अन्तरिम आदेश को उच्चतम न्यायालय के पास उसके विचार जानने हेतु भेजा है । सरकार को इसे भेजने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उच्चतम न्यायालय पहले ही इस मामले पर कार्यवाही कर चुका है ।

इस न्यायाधिकरण की शक्तियों और अधिकार-क्षेत्र की वैधता के बारे में उच्चतम न्यायालय पहले ही अपना फैसला दे चुका है । अब भारत सरकार ने यही मामला उच्चतम न्यायालय के पास भेजा है । यह व्यर्थ है ।

मैं समझता हूं कि यह प्रेषण तो बहानेबाजी है । इस मामले में देरी करने तथा तमिलनाडु को न्याय देने में देरी करने का यह एक बहाना है । प्रधान मंत्री ने तमिलनाडु के साथ बहुत अन्याय किया है । वह संविधान का उल्लंघन करके कर्नाटक सरकार की मदद कर रहे हैं जो कि पहले ही गलती पर है । प्रधान मंत्री को कर्नाटक सरकार के अध्यादेश को उच्चतम न्यायालय के विचार हेतु प्रेषित करना चाहिए था कि क्या यह कानून के तहत वैध है या नहीं उन्हें यह मामला उच्चतम न्यायालय को प्रेषित नहीं करना चाहिए था । तमिलनाडु के लोग प्रधान मंत्री की इस कार्यवाही से सन्तुष्ट नहीं हैं । इसके कारण अत्याधिक अशान्ति है । अगर इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय का मत प्रधान मंत्री को मिल जाता है तब भी इस बात की क्या गारंटी है कि कर्नाटक सरकार इस निर्देश का पालन करेगी ? इसे किस प्रकार लागू किया जाए ?

इसलिए इस स्थिति में भी प्रधान मंत्री हस्तक्षेप कर सकते हैं तथा पुनर्विचार करके संविधान के अनुच्छेद 256 का प्रयोग करते हुए कार्यकारी आदेश जारी कर सकते हैं ।

श्री एस० बी० सिदनाल (बेलगांव) : भारत सरकार ने इस देश की सर्वोच्च अदालत उच्चतम न्यायालय में इस मामले को प्रेषित करने के लिए कार्यवाही की है । मैं समझता हूं कि इस संबंध में तमिलनाडु के लोगों को कोई भय नहीं होना चाहिए, उन्हें देश में खराब वातावरण उत्पन्न नहीं करना चाहिए । इसलिए मैं समझता हूं कि इस मामले को भारत की उच्चतम न्यायालय में प्रेषित करने के लिए केन्द्र सरकार तथा प्रधान मंत्री सही हैं और उन्हें इसे मान लेना चाहिए ।

श्री के. वी. तंगबालू (धर्मपुरी) : कावेरी जल विवाद को कल उच्चतम न्यायालय को प्रेषित किया गया। इसके कारण तमिलनाडु राज्य को अत्यधिक क्षोभ हुआ है। तमिलनाडु के लोग इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। केन्द्र सरकार को संविधान के अनुच्छेद 256 के अन्तर्गत शक्ति प्राप्त है जिसके द्वारा वह एक राज्य सरकार को आदेश अथवा निर्देश जारी कर सकती है। यह बहुत स्पष्ट है। लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद है कि कथित कानूनविदों ने इस मामले को उच्चतम न्यायालय को प्रेषित करने के संबंध में सरकार तथा प्रधान मंत्री को गुमराह किया है। अन्तरिम आदेश दिए जाने के बाद कर्नाटक सरकार ने इसे मानने से इन्कार कर दिया है। कर्नाटक के मुख्य मंत्री ने एक वक्तव्य दिया है।

अध्यक्ष महोदय: इसका उल्लेख करना आवश्यक नहीं है।

श्री के. वी. तंगबालू : यह सच है। मैं इसे उद्धृत नहीं कर रहा। जब केन्द्र सरकार ने इस मामले को उच्चतम न्यायालय को प्रेषित किया है तो कर्नाटक के मुख्य मंत्री ने केन्द्र सरकार के इस अधिकार पर प्रश्न किया है। यह बहुत गंभीर मामला है। हम विनयपूर्वक केन्द्र सरकार से अपील करते हैं कि इस मामले पर आगे कार्यवाही न हो। संविधान के अनुच्छेद 256 के तहत एक अवार्ड को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने की शक्ति केन्द्र सरकार को प्राप्त है। अगर उच्चतम न्यायालय अपना निर्णय देता है तो क्या कर्नाटक सरकार इसे मानेगी ? कर्नाटक के मुख्य मंत्री के वक्तव्य के अनुसार यह असंभव है। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह कर्नाटक सरकार को तुरन्त 205 टी० एम० सी० जल छोड़ने का निर्देश दे। **(व्यवधान)**

श्री एस. मल्लिकार्जुनय्या (तुमकुर) : इस सभा में यह मामला बार बार उठाया गया है। न्यायाधिकरण ने एक अवार्ड पारित किया है। इस अवार्ड के आधार पर कर्नाटक सरकार ने संविधान के अनुसार अध्यादेश लागू किया है। अब यह मामला उच्चतम न्यायालय को प्रेषित कर दिया गया है। उच्चतम न्यायालय जो भी अन्तिम आदेश दे वह दोनों राज्यों के लिए अनिवार्य होगा। इसलिए इस मुद्दे पर इतना शोर क्यों है।

दूसरा, फिलहाल उनके पास पर्याप्त जल है। **(व्यवधान)**

श्री के. वी. तंगबालू : यह बिल्कुल गलत है; हमारे पास पानी नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री एस. मल्लिकार्जुनय्या : मैं समझता हूं कि उन्हें बंगाल की खाड़ी में पानी छोड़ना है। कर्नाटक सरकार के साथ एक सौ वर्षों से भी अधिक समय से अन्याय किया गया है और अब यह समझौता 1974 में समाप्त हो गया है। इन सब के बावजूद कर्नाटक सरकार बहुत उदार रही है और तमिलनाडु सरकार को जल दे रही है। इन बातों का फायदा उठाते हुए तमिलनाडु सरकार द्वारा कर्नाटक सरकार को बाध्य करना अनुचित है। इसलिए, चूंकि यह मामला उच्चतम न्यायालय के पास चला गया है तो अब उच्चतम न्यायालय इसका निर्णय करेगा।

श्री अन्बारासु इरा (मद्रास मध्य) : प्रधान मंत्री ने कर्नाटक के मुख्य मंत्री को पत्र लिखा और कानूनी मत को स्पष्ट किया कि यह अवार्ड दोनों राज्यों पर प्रभावी है और यह अवार्ड लागू करने की सलाह दी। पी० आई० ओ० के माध्यम से ये बातें जानने के बाद कर्नाटक सरकार ने प्रधान मंत्री से विचार विमर्श किए बगैर ही तुरन्त एक अध्यादेश लागू कर दिया। उन्होंने एक अध्यादेश पारित किया है जिससे भारत सरकार संकोच में पड़ गई है, और उन्होंने आलाकमान को सूचित किए बगैर ही अपने मंत्रिमंडल को इसे स्पष्ट किया है। देश के सम्मुख यही रास्ता बचा है कि इस याचिका के उच्चतम न्यायालय के माध्यम से यथासंभव शीघ्र निपटाया जाए। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह उनकी इन भावनाओं को व्यक्त करे कि उच्चतम न्यायालय प्रतिदिन के आधार पर इस मामले को तुरन्त निपटाए।

दूसरी बात यह है कि पी० आई० ओ० को यह जानकारी लीक नहीं होने देनी चाहिए थी । वह कर्नाटक सरकार के प्रवक्ता नहीं है । उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाए । पी० आई० ओ० ने सरकारी गुप्त जानकारी को लीक किया है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था । उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाए ।

श्री एच० डी० देवगौड़ा (हसन) : तमिलनाडु के हमारे मित्र इस मामले को उठा रहे हैं । यह बेबुनियाद है । उनके द्वारा दिए गए तर्क आधारहीन हैं । कर्नाटक सरकार ने एक अध्यादेश लागू किया है । भारत सरकार ने कर्नाटक सरकार द्वारा लागू इस अध्यादेश के गुण दोषों पर उच्चतम न्यायालय का मत मांगा है । मुद्दा कर्नाटक सरकार द्वारा लागू अध्यादेश तक सीमित है ।

अभी तक कर्नाटक राज्य सरकार ने केवल एक अध्यादेश लागू किया है जिसे उच्चतम न्यायालय का मत जानने हेतु उसको प्रेषित किया गया है । अन्तरिम आदेश को स्वीकार करने का प्रश्न अन्ततः इसके गुणों के आधार पर निपटाया जाना है । अब मुद्दा केवल अध्यादेश के बारे में है जिसे उच्चतम न्यायालय को प्रेषित किया गया है ।

हमारे मित्र जो दूसरा मुद्दा उठा रहे हैं वह कर्नाटक के मुख्य मंत्री द्वारा अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने की अनुमति मांगने के संबंध में है । उन्हें अपना मंत्रिमंडल का विस्तार करने का पूरा अधिकार है । मेरा मत इस मुद्दे पर आपसे भिन्न है, इसके लिए तमिलनाडु के संसद सदस्यों या किसी अन्य की अनुमति की जरूरत नहीं है । उन्होंने अपने अधिकार के तहत मंत्रिमंडल का विस्तार किया है और यह कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए ।

श्री वी० धनंजय कुमार (मंगलोर) जैसा कि हम देख रहे हैं यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है ।

अध्यक्ष महोदय : आप कह सकते हैं कि जो कुछ अभी कहा गया है मैं उसका समर्थन करता हूं ।

श्री वी० धनंजय कुमार : यह मामला पहले ही न्यायालय के विचाराधिन है । केन्द्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय का मत लेने का निर्णय लिया है । भारत के राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय का मत जानने के लिए इस मामले को पहले ही उसके पास प्रेषित कर दिया है ।

हम देखते हैं कि इस समस्या के तीन पहलू हैं । एक तो कानूनी मुद्दा है । दूसरा इस मामले के तथ्य हैं । तीसरा राजनैतिक मुद्दा है । तमिलनाडु से मेरे मित्र इस राजनैतिक पहलू पर अब अधिक उत्तेजित तथा चिन्तित हैं ।

यद्यपि भारत सरकार इस दुविधा में है कि कर्नाटक के मामले का समर्थन किया जाये या तमिलनाडु के, मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय प्रधान मंत्री जी—जो बहुत समर्थ नेता है—दोनों राज्यों को संतुष्ट करने में सफल होंगे । वे दोनों मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलायेंगे और बहुत उपयुक्त समझौता करेंगे । उन्हीं बातों को बार बार दुहराने के स्थान पर मैं यह कहूंगा कि इससे मुझे शाहलाक की कहानी याद आती है । मेरे मित्र अपना हिस्सा मांग रहे हैं किन्तु हम यह उन्हें रक्त की एक बूंद गिराये बिना देने के लिए विवश हैं ।

अध्यक्ष महोदय : वादविवाद में कटुता न लायें ।

श्री वी० धनंजय कुमार : हम न्यायाधिकरण के आदेशों का पालन करने के लिए तैयार हैं, न्यायाधिकरण का अन्तिम निर्णय चाहे जो भी हो । हम प्रतीक्षा करने के लिए तैयार है । **(व्यवधान)**

श्री मणिशंकर अय्यर (मइलादुतुरई) : यदि कर्नाटक कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अन्तरिम पंचाट की वैधता से संतुष्ट नहीं है: तो कर्नाटक सरकार को इस बात की छूट है कि वह अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाये । इसके स्थान पर भारत सरकार ने कर्नाटक सरकार का कार्य किया । हमें न केवल उस न्याय से वंचित रखा गया जो सर्वोच्च न्यायालय के विशिष्ट निदेशों के आधार पर न्यायाधिकरण हमें देने वाला था अपितु अब हमें भारत सरकार का न्याय भी नहीं दिया जा रहा है जो इसका कर्तव्य है । सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती । सभा में खड़े होकर मैं यह कहता हूं कि इसने न्यायाधिकरण के अन्तरिम पंचाट को अधिसूचित करना उचित इसलिए नहीं समझा क्योंकि न्यायाधिकरण का आदेश उसकी तिथि से ही बाध्यकारी था ? और जब तक या न्यायाधिकरण अपना आदेश या सर्वोच्च न्यायालय उस आदेश का र्म्यागत नहीं कर देते तब तक कर्नाटक सरकार और तमिलनाडु सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वे उस आदेश का पालन करें । भारत सरकार अब इस आदेश को लागू न करने के लिए स्पष्ट रूप से कर्नाटक सरकार के साथ सांठगांठ कर रही है । वे भी सभा में इस बात को स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि इस आदेश का पालन करना उनका कर्तव्य है । **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) श्रीमान्, ये केवल दो राज्यों का मसला नहीं हो सकता **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसड़ा) अध्यक्ष महोदय, मैं प्वायंट आफ प्रोपराइटी पर खड़ा हुआ हूं । मेरा इससे मतलब नहीं है । केन्द्रीय सरकार के एक मंत्री ने केन्द्र सरकार के डिसीज़न के खिलाफ वक्तव्य दिया है :—

अध्यक्ष महोदय : देखिए पासवान जी . . . .

(व्यवधान)

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) अध्यक्ष महोदय, मैं यह सवाल पूछना चाहता हूं कि मंत्रिमण्डल की, कैबिनेट की एक सामूहिक जिम्मेदारी है । असल में आपको ताज्जुब होगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एक सदस्य श्री राम मूर्ति ने बाक़ायदा सुप्रीम कोर्ट के कावेरी वाटर के बारे में लिखा हुआ है

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उस विषय में समाचार पत्रों में विरोधी खबरें थीं ।

[हिन्दी]

श्री रवि राय : वे इस्तीफा न देकर बाकायदा एक आम बयान दिया है सरकार के फैसले के खिलाफ । मैं भारत सरकार से जानना चाहता हूं हमारे हाउस के लीडर से कि क्या श्री राम मूर्ति जी इस्तीफा दिये हैं ? अखबार में कैबिनेट से इस्तीफा देने के बारे में कोई संभावना नहीं है लेकिन कैबिनेट की बाकायदा जो कलेक्टिव रेसपॉसिबिलिटी हुआ करता है, उसके खिलाफ जाकर के सरकार के खिलाफ आम बयान दिया है तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी आयें सदन में और बतायें कि सारा काम कलेक्टिव रेस्पॉसिबिलटी के खिलाफ जा रहा है । इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और यह जानना चाहता हूं कि श्रीराम मूर्ति कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सदस्य हैं या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : श्री पासवान जी और आपसे भी यही मुद्दा उठाना चाहते हैं ?

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, मैंने पहले भी कहा था जिस समय शुरू हुआ था कि मैं प्वाइंट ऑफ प्रोपरायटी पर खड़ा हुआ हूं । यदि मुझे सुन लिया होता तो डिस्कशन होने की ज़रूरत नहीं थी ।

हमारा सिर्फ इतना ही कहना है और साफ तौर पर उस दिन कहा था कि तमाम विपक्ष की तरफ से और मैं समझता हूँ कि ट्रेज़री बैंचेज़ के लोग भी सहमत थे और हम लोगों ने आग्रह किया था प्रधान मंत्री जी से कि स्टेट कौंसिल की बैठक बुला ले इम्मीजिएटली और इस समस्या का समाधान करें लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है . . . मैं प्वाइंट ऑफ प्रॉपरायटी पर खड़ा हूँ जिसके संबंध में श्री रवि राय ने ध्यान आकृष्ट किया है कि कैबिनेट के एक सदस्य ने खुले आम आज के समाचारपत्रों में सभी जगह पर हैडलाईन्स न्यूज़ छपा है कि केन्द्रीय सरकार के इस मामले में उन्होंने आलोचना की है । यह इनका मामला है और सरकार को निपटना चाहिये कि दोनों स्टेट्स में किस तरीके से बंटवारा हो न हो लेकिन केन्द्रीय सरकार की मंत्रिपरिषद् का एक सदस्य खुले आम सरकार की नीति की आलोचना करता है । मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि सदन के नेता यह बतायें कि मंत्रिपरिषद् में वे हैं या उन्होंने हस्तीफा दे दिया है ?

अध्यक्ष महोदय : श्री कापसे जी, आप भी इस विषय पर बोलना चाहते हैं ?

[अनुवाद]

श्री राम कापसे (ठाणे) : महोदय, मैं कौल व शकधर की पुस्तक के पृष्ठ संख्या 586 से एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य को उद्धृत करना चाहूँगा । इसमें लिखा है :—

> "इसी तरह यदि प्रधान मंत्री को पता चलता है कि उनके किसी सहकर्मी के विचार या गतिविधियां उन्हें असीम स्थिति में डाल रही है तो वे उनसे इस्तीफा मांग सकते हैं ।"

श्री राम मूर्ति पूरे मंत्रालय में उलझनें पैदा कर रहे हैं । श्री चिदम्बरम और श्री अरुणाचलम सभी उसी समस्या का सामना कर रहे हैं (व्यवधान) मैं मामले के गुणदोषों की जाँच करना नहीं चाहता । किन्तु मंत्री जी के बारे में क्या कहा जाए ? वे उलझनें पैदा कर रहे हैं । कृपया उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहें . . . . (व्यवधान)

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान निकोबार) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रेस रिपोर्ट में यह बताया गया था कि उत्तर प्रदेश के भारतीय किसान यूनियन के नेता ने हथियार प्राप्त करने के लिए पंजाब के उग्रवादियों से संपर्क किया है । (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, कावेरी मामले पर हमारे अपने विचार हैं . . . . (व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : हम इस मामले में सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं (व्यवधान)

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : कई लेखों ने उसके बारे में रिपोर्ट्स पढ़ी हैं । किन्तु मैं समझता हूँ कि सभा और स्वयं माननीय सदस्य के लिए यह उचित होगा कि पहले इस रिपोर्ट की जाँच कराये और तभी कोई टिप्पणी करें (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : यह बात सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है और इसका खण्डन नहीं हुआ है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मनोरंजन भक्त । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : केवल श्री भक्त की बात रिकार्ड की जायेगी

(व्यवधान)*

श्री मनोरंजन भक्त : प्रेस के एक अनुभाग में यह बताया गया है कि बी के यू नेता ने हथियार प्राप्त करने के लिए पंजाब के उग्रवादियों से संपर्क किया है . . . . (व्यवधान) मैं चाहता हूँ कि गृह मंत्री स्वयं इस संबंध में एक वक्तव्य दें । (व्यवधान)*

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

[हिन्दी]

श्री रवि राय : अध्यक्ष जी, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है । अर्जुन सिंह जी के बयान के बाद मैं सदन में इस बुनियादी सवाल को उठाना चाहता हूं क्यों कि 12 घण्टे हो गये हैं । राम मूर्ति जी कल रात को बयान दिये होंगे, जो आज के अखबारों में छपा है । अर्जुन सिंह जी अभी कह रहे थे कि उनके पास कोई संवाद नहीं है ।

श्री राम विलास पासवान : हेडलाइन्स में आया है वह समाचार ।

श्री रवि राय : इसका मतलब है कि कल उन्होंने बयान दिया होगा । राम मूर्ति जी कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सदस्य हैं और हमें लगता है कि वे दिल्ली में ही मौजूद हैं । कल उन्होंने जो आम बयान दिया है, जो आज सुबह सारे देशवासियों के सामने आ चुका है, प्रधान मंत्री जी सदन में मौजूद नहीं है और अर्जुन सिंह जी कह रहे थे कि उन्हें पता नहीं है कि उन्होंने ऐसा बयान दिया है या नहीं दिया है, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि यह एक अहम् सवाल है, बुनियादी सवाल है, राम मूर्ति जी कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एक सदस्य हैं, आप उन्हें सदन में बुलवाइये ताकि सारा सदन उनको सुने, सारा देश जान सके कि वास्तविकता क्या है, उन्होंने इस्तीफा दिया है या नहीं । यह बहुत अहम् सवाल है ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : अध्यक्ष जी, वीरो-ऑवर में बाकी जो सवाल उठाये जाते हैं, उनके जरिये जनरली ब्यू प्वाइंट एक्सप्रेस हो जाता है लेकिन आज जो सवाल उठा है, उसका सांविधानिक व्यवस्था से सीधा सम्बन्ध है । उसके बारे में केवलमात्र विपक्ष के लोग अपनी राय रख दें और मामला रफा-दफा मान लिया जाये, यह नहीं हो सकता । सदन के नेता ने जो बयान दिया है, वह भी संतोषजनक नहीं है । इस मामले में मैं कोट करना चाहता हूं कि "कलैक्टिव रैसपांसिबिलिटी" का अर्थ क्या है : मंत्रिमण्डल सामूहिक रूप से इस सभा के प्रति उत्तरदायी है और सामूहिक उत्तरदायित्व का सार यह है कि—

> "जब नीति चर्चा के स्तर पर हो तो कोई मंत्री अपनी विसहमति व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है । किन्तु जब कोई निर्णय ले लिया जाता है तो प्रत्येक मंत्री से आशा की जाती है कि बिना किसी आपत्ति के वह इसको माने । इसलिए किसी मंत्री, जो नीति संबंधी मामलों में प्रधानमंत्री से सहमत नहीं है या मंत्रिमंडलीय निर्णय को समर्थन करने को तैयार नहीं है, के लिए एक मात्र विकल्प त्यागपत्र देना है ।"

[हिन्दी]

वही एकमात्र विकल्प है । और इस स्थिति में मुझे विश्वास है कि पिछले 4-5 दिनों से लगातार इस विषय पर सदन में चर्चा होती रही है और सरकार में भी चर्चा होती रही होगी और सुप्रीम कोर्ट को यह मामला अनुच्छेद 143 के अधीन रेफर करने से पहले मंत्रिमण्डल में भी इसकी चर्चा हुई होगी, उस समय उन्होंने अपनी कोई राय दी होगी डिसेंट की, तो यह उनका अधिकार है, लेकिन एक बार यह निर्णय हो गया और सुप्रीम कोर्ट में जब यह चला गया, उसके बाद इस प्रकार का बयान देने वाले को इस्तीफा देने के अलावा कोई चारा बचता नहीं । या तो जैसा आपने कहा, इसके बारे में दो ओपिनियन हैं, दो रिपोर्ट हैं उन्होंने कहा कि नहीं कहा, अच्छा होगा कि तुरन्त उनको यहां पर बुलवाया जाए और उनसे स्पष्टीकरण लिया जाए, अन्यथा उनको इस्तीफा देना चाहिए ।

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष जी, आप इस सदन के गार्डियन हैं । आप सारे कर्तव्यों का पालन करने के लिए यहां उपस्थित हैं । आपके सामने सांविधानिक पहलू है और सबसे बेस्ट तरीका तो यह है कि जो श्रम राज्य मंत्री श्री राममूर्ति जी हैं जिनके नाम से स्टेटमेंट निकला है, क्योंकि सदन के नेता यदि साफ कहते कि नहीं, उन्होंने नहीं कहा, तो एक बात समझ में आती, लेकिन ये यह भी नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने

नहीं कहा है,बयान दिया है कि नहीं । कई अखबारों में उनका बयान निकला है और उसमें उन्होंने सरकार की साफ-साफ आलोचना की है । इसलिए अध्यक्ष महोदय, आप संरक्षक हैं, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि सम्बन्धित मंत्री को बुलाया जाए, उनसे यहां स्पष्टीकरण लिया जाए और वे यहां इससे हिनाई करें, यदि वे इससे हिनाई नहीं करते हैं कि बयान नहीं दिया है, तो फिर वे मंत्रीमण्डल के सदस्य हैं कि नहीं, यह सदन को बतलाना चाहिए ।

[अनुवाद]

श्री गुमानमल लोढ़ा (पाली) : श्री के० राममूर्ति ने मामले को सर्वोच्च न्यायालय को भेजने की आलोचना करके अवमानना की है । उन्होंने मंत्रिमण्डल के सामूहिक उत्तरदायित्व को भंग किया है । उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय की अवज्ञा की है । सर्वोच्च न्यायालय के पास मामले को भेजने के बाद मामला न्यायाधीन है और इसकी कोई भी आलोचना और वह भी किसी जिम्मेदार मंत्री द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना के बराबर है । क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में सर्वोच्च न्यायालय कावेरी जल विवाद, जो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है, के बारे में उठाये गए प्रश्न का उत्तर देने से इन्कार कर सकता है । इसलिए श्री राममूर्ति को मंत्रिमंडल से बहिष्कृत किया जाना चाहिए ।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष जी, सदन का समय बहुत लग गया है और जो सदन के नेता ने वक्तव्य दिया उसके सम्बन्ध में, मैं कहना चाहता हूं कि अगर तुरन्त उनको पता नहीं है निश्चित रूप से, तो कुछ बाद में ही आप समय दें, लेकिन आज सदन के सामने मंत्री जी, श्री राममूर्ति जी या प्रधान मंत्री, आज किसी वक्त वक्तव्य दे दें कि वे मंत्रिपरिषद में हैं या नहीं । आज के बाद इस में विलम्ब नहीं करना चाहिए । अभी आप खुद इस बारे में हिदायत दें और सरकार इसको कार्यान्वित करे । आज यहां सदन के नेता भी मौजूद हैं, अभी उनको पता नहीं है, तो थोड़ा समय वे ले लें और कुछ देर के बाद आकर वे सदन में वक्तव्य दिलाएं ।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, कावेरी जल विवाद मामले को सर्वोच्च न्यायालय को सौंपने का निर्णय मंत्रीमंडल में लिया गया था । निर्णय लोक लेखा समिती में लिया गया था जो मंत्रीमंडल से बढ़ कर हो । सरकार ने बाद में यह निर्णय लिया था कि इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाये । हम यह जानना चाहेंगे कि यह निर्णय कब लिया गया था । सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली के अंतर्गत क्या कोई मंत्री इस निर्णय से मतभेद रख सकता है और क्या वह सार्वजनिक रूप से वक्तव्य दे सकता है ? हम यह जानना चाहते है कि क्या उन्होंने इस संबंध में कोई वक्तव्य दिया है । सभी समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ है और अभी तक उन्होंनें इसका खंडन नही किया । सदन के नेता ने यह भी कहा है कि समाचार पत्रों में जो कुछ भी छपा है, उसकी जांच की जानी चाहिए, जैसे कि वे जानते ही न हों । सभा को इतना मामूली नहीं समझना चाहिए । हम चाहते हैं कि मंत्री जी आकर एक वक्तव्य दें । या तो वे अखबारों में छपी खबरों का खंडन करे या इस्तीफा दें । यह एक सांवैधानिक प्रश्न है, जो औचित्य का प्रश्न है ।

(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय सभा के संरक्षक हैं (व्यवधान)

श्री रूप चन्द्र पाल (हुगली) : सभा के संरक्षक के रूप में आपको चाहिए कि आप प्रधान मंत्री को सभा में आकर इस संबंध में वक्तव्य देने के लिए निदेश दें कि क्या श्री राममूर्ति अब भी मंत्रिमंडल में है या श्री राममूर्ति को आप कहें कि वे आकर वक्तव्य दें तथा अपनी स्थिति स्पष्ट करें ।

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, मुझे पूरी तरह से दूसरा स्पष्टीकरण चाहिए तथा सदन के नेता उपस्थित हैं । निश्चय ही यह प्रारम्भिक गृह युद्ध से सम्बंधित है जो कि अब हो रहा है । हमने यह खबर पढ़ी है

कि जिस भी उत्सव में मैं० चिदम्बरम अथवा अरूणाचलम उपस्थित होंगे, उसमें अन्ना द्र० मु० क० के संसद सदस्यों द्वारा भाग नहीं लिया जाएगा । यह भी संसद का एक उत्सव है तथा संसद का सत्र चल रहा है । सौभाग्य से वे यहां अभी उपस्थित नहीं हैं.....(व्यवधान) । कुमार मंगलम को उससे बाहर रखा गया है.....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : क्यों कि उन्होंने मौन धारण कर रखा था ।

श्री जसवंत सिंह : लेकिन यदि, उदाहरणार्थ, मै० चिदम्बरम और अरूणाचलम को सदन में संयुक्त रूप से उपस्थित होना होता तो क्या अ० द्र० मु० क० के सदस्य सदन का बहिष्कार करते ? महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है..,.(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस तरह के तर्क-वितर्क मत कीजिए श्री गुलाम नबी आजाद जी, आप बोलिए ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, चूंकी श्री राममूर्ति दिल्ली से बाहर तमिलनाडु में हैं, उनके सदन में उपस्थित होना सम्भव नहीं है.....(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : प्रधान मंत्री जी कहां है ?

श्री गुलाम नबी आजाद : महोदय,जब तक यह निर्धारित न हो जाए, और आप निर्धारित नहीं कर सकते है क्योंकि वह दिल्ली में नहीं है.....(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्री आडवाणी जी ।

(व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि मुझे भी इस पर अपनी राय देने का मौका दिया जाए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : एक महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दा सदन में उठाया गया है और पूरा सदन इसके बारे में चिन्तित है और उसका जवाब जब हमको यह मिलता है कि मंत्री इस सम्बन्ध में मद्रास गए हुए हैं, इसलिए मद्रास से जब आएंगें तब इसका निराकरण होगा । मैं समझता हूं कि यह उत्तर इस सदन को सन्तुष्ट नहीं कर सकता । तुरन्त एक घंटे के अन्दर-अन्दर इस बात की जानकारी की जा सकती है कि उन्होंने इस बारे में क्या कहना है क्योंकि जो सदन के नेता ने उत्तर दिया उससे मुझे लगा कि उन्होंने, जो कुछ अखबार में छपा है उसका कनट्राडिक्शन नहीं किया है, अगर कनट्राडिक्शन किया होता तो निश्चित रूप से सदन के नेता खड़े होकर कहते कि यह रिपोर्ट सही नहीं है । उन्होंने इस प्रकार से नहीं कहा है, लेकिन उनका यह न कहना एक प्रकार से मोटे तौर पर पुष्ट करता है कि उन्होंने बराबर ऐसा वक्तव्य दिया है । घंटेभर में इस बात की जानकारी सदन को मिलनी चाहिए अन्यथा मैं मानूंगा कि—

[अनुवाद]

सामूहिक उत्तरदायित्व का न केवल उल्लंघन किया गया है अपितु सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त को भी त्यागा गया है और संपूर्ण ढांचा छिन्न-भिन्न हो गई है ।

[हिन्दी]

इस प्रकार से सरकार अगर चलेगी तो यह सदन के लिए भी ठीक नहीं है और सरकार के लिए भी ठीक नहीं है ।

श्री अर्जुन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं विरोधी पक्ष के नेता के इस कथन से पूरी तरह से सहमत हूं, सदन सहमत है कि संयुक्त जिम्मेदारी की अपनी एक परिभाषा है, उससे हम सब लोग परिचित हैं । मैंने तो केवल इतना कहा था कि इस वक्तव्य के बारे में जब तक वैरीफाई नहीं किया जाए हम कुछ नहीं कह सकते हैं । **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री राम विलास पासवान : आप को कितना समय चाहिए ?

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ उन्हें कहना है । उन्हे पूरा करने दीजीए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें अपनी बात पूरा करने दी जाए....

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कालका दास (करोल बाग) : सारे देश को इसपर चिन्ता है लेकिन आपने अभी तक वैरीफाई नहीं किया है, आप सदन को गुमराह कर रहे हैं । **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें अपनी बात समाप्त करने दीजिए.....

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए । अब, वह अपना बयान दे रहे हैं । कम से कम उन्हें इसे तो पूरा करने दीजिए । आइए सुनें, उन्हें जो कुछ कहना है ।

[हिन्दी]

श्री अर्जुन सिंह : मैं यह कह रहा था कि उनसे वैरीफाई करने का सवाल है । सदन की ओर से जो बात यहां माननीय सदस्यों ने कही है उसकी अहमियत को देखते हुए वैरीफिकेशन होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए मैं इससे सहमत हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें । इस प्रकार से नहीं चल सकता है ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया, अभी नहीं

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इसके साथ-साथ दूसरे भी सबजैक्ट्स हैं । आप देख रहे हैं कि सोनकर साहब बार-बार कह रहे हैं कि मेरा भी सबजैक्ट है ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैं इसी के बारे में अपनी बात कहना चाहता हूं । **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए इस प्रकार से काम नहीं चलेगा ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कालका दास : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया है । इन्होंने गुमराह किया है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कालका दास जी, आप बैठ जायें । पहले सुन लें कि मैं क्या कह रहा हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अरे भाई, क्या चल रहा है, ऐसे कैसे चल रहा है ? मुझे बोलने तो दीजिये । क्या हो रहा है ?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कम से कम आप सुनिए तो सही कि मुझे क्या कहना है । यदि प्रत्येक वाक्य तथा प्रत्येक शब्द के बाद आप उठ खड़े होते हैं तो मैं क्या कह सकता हूं ? कृपया सुनिए कि मुझे क्या कहना है ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : हम लोग तो बहुत धैर्य से आपकी बात सुन रहे हैं ।

अध्यक्ष मह य : बहुत अच्छी बात है । सोनकर साहब बहुत ध्यान से सुनते हैं ।

[अनुवाद]

समाचार पत्रों तथा मीडिया में परस्पर विरोधी रिपोर्टें छपी हैं । सदन के नेता ने कहा है कि मामले का सत्यापन किया जाएगा । सदस्यगण तथ्यात्मक स्थिति जानना चाहते हैं । मुझे आशा है कि सरकार इस ओर ध्यान देगी तथा आवश्यक कार्यवाही करेगी ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : पासवान जी, आप बैठ जायें ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए । कृपया बार-बार यह मत दोहराइए, "आप अभिरक्षक हैं, आप अभिरक्षक हैं ।" मैं कह चुका हूं कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए तथा आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप मेहरबानी करके बैठ जायें ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री राव, पहले आप अपनी सीट ग्रहण कीजिए ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार से काम नहीं चलेगा । मैंने जब कहा है कि 'आवश्यक कार्यवाही कीजिए, इसका मतलब है 'उन्हें एक बयान देना चाहिए" ।

अब, यदि आपने इसे ध्यानपूर्वक पढ़ा है तो आप इसे समझ गए होंगे ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि आप किसी अन्य मामले पर चर्चा करना नहीं चाहते हैं तो मैं आपको इसे जारी रखने की अनुमती दे सकता हूं ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता को वैरिफाई करने में कितना समय चाहिये ? **—(व्यवधान)—**

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं ।

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, सदन की भावना का ध्यान रखते हुए आपने एक निर्देश दिया है सरकार को, मेरा एक रचनात्मक सुझाव है कि अगर आप उनको कह दें कि दोपहर के तीन बजे या चार बजे तक—**(व्यवधान)**—

अध्यक्ष महोदय : वह मद्रास में हैं या नहीं, या फिर बाहर गये हैं ।

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : कई बार ऐसा पहले भी हुआ है कि समय तय कर लिया गया है । आप भी समय तय कर लें कि दोपहर के चार बजे तक ये हो जाये । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अच्छा मैं पूछ लूंगा कि कितने बजे तक दे देंगे ?

श्री राम विलास पासवान : हाऊस के उठने से पहले वह इस पर अपना बयान दे दें ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहूंगा कि एक प्रश्न और स्पष्ट हो जाए । ऐसा प्रतीत होता है कि आप सभी लोगों ने एक अच्छा प्रश्न किया है । लेकिन आपसे मुझे यह जानना है कि यदि एक मंत्री कोई बयान देता है जो सरकार की नीतियों के सामेल नहीं है तो क्या आप सरकार से उसके खिलाफ कार्यवाही करने को कह सकते हैं ? क्या ऐसा कुछ है ? इस बारे में आप लोग ही मुझे बताइए ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, जो सवाल आपने छेड़ा है, उसका मैं जवाब देना

चाहता हूं । —(व्यवधान)—

[अनुवाद]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : मैं एक उदाहरण दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दम दम) : हम चाहते हैं कि वह या तो त्यागपत्र दें अथवा उन्हें मुअत्तल किया जाय । (व्यवधान)

[हिन्दी]

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष जी, यह आपके दूसरे पहलू पर चले गये । हम तो इतना ही कहते हैं कि सदन में किसी विषय पर चिन्ता प्रकट की जाय और सदन के नेता ने कह दिया कि मैं वेरीफाई करना चाहता हूं. . . . (व्यवधान) . . . . . आपने इसको नोट करके उनको कहा कि असरटेन करिये लेकिन मैं मानता हूं कि इस प्रकार की परिस्थिति में स्वयं असरटेन करते, सदन में मामला उठाये बिना और स्वयं आकर कहते कि यह बात गलत है, उन्होंने कही नहीं है या यह बात इस प्रकार से उन्होंने कही है और इस स्थिति में अच्छा होगा कि अगर आप स्वयं निर्णय कर लें कि क्या समय उचित है, क्योंकि, जिस प्रकार से एक मंत्री जी ने खड़े होकर कहा, वह तो मद्रास गये हुए हैं, इसका अर्थ है, मद्रास गये हुए हैं, उनको कॉण्टैक्ट करना सम्भव नहीं है (व्यवधान) आज इतनी उत्तेजना प्रकट हुई है, सदन में, मुझे लगता है कि आप ही को स्वयं एक रीजनेबल टाइम उनको बता देना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं पूछकर बता दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : सर, मैं आपके माध्यम से सदन के नेता से यह जानना चाहता हूं, आपसे नहीं सदन के नेता से जानना चाहता हूं कि आप सत्र समाप्ती के पहले क्या वह फैक्ट्स असरटेन करके सदन को बताने का कष्ट करेंगे (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं सोचता हूं कि आप पूरी कोशिश कर सकते हैं ।

श्री अर्जुन सिंह : मैं अपनी पूरी कोशिश करने का प्रयत्न करूंगा । (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यदि मंत्री महोदय उनके बयान से इनकार करते है तो क्या इसे तमिलनाडु के मुख्य मंत्री द्वारा प्रमाणित कराए जाने की आवश्यकता है । (व्यवधान)

श्री के० वी० तंगाबालू : महोदय, मंत्री महोदय किसी के अधीन नहीं हैं । उन्हें अवश्य ही वह बात समझनी चाहिए । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह इसे इतना महत्व नहीं दे रहे है । आप इसे कृपया गंभीरता पूर्वक मत लीजिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह तनाव कम करना चाहते है ।

(व्यवधान)

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान निकोबार) : अध्यक्ष महोदय, कुछ समाचार पत्रों में यह छपा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन के नेता ने हथियारों की खरीद फरोख्त हेतु पंजाब के खाड़कुओं से सम्बन्ध स्थापित किया है और यदि यह सही है तो मैं गृह मंत्री से चाहता हूं कि वह इस सबंध में बयान दें कि सत्य क्या है । उन्हें सदन में इसका खुलासा करना चाहिए क्योंकि हम जानते हैं कि आतंकवाद देश को अपनी गिरफ्त में जकड़ रहा है । गृह राज्य मंत्री यहां मौजूद हैं तथा उन्हें सही स्थिति के बारे में बयान देना चाहिए । आप निदेश दे सकते है । (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सूर्यनारायण यादव (सहरसा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को सूचना देना चाहता हूं . . .

अध्यक्ष महोदय : जल्दी-जल्दी कर दीजिए, क्योंकि, बहुत लोग बोलने वाले हैं ।

श्री सूर्यनारायण यादव : पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल बेग ने पिछले दो हफ़्तों से पाकिस्तान के अलग-अलग स्थानों पर सैनिकों को सम्बोधित करते हुए सीमा पर तनाव बढ़ाने की बारम्बार चर्चा की है । उन्होंने दावा किया है कि जम्मू-कश्मीर का संघर्ष अन्तिम चरण में पहुंच गया है । साथ ही यह चेतावनी दी है कि क्षेत्र में तेजी से बदलते हालात के कारण युध्द के बादल मंडराने लगे हैं । सियालकोट में तो जनरल बेग ने यहां तक कह दिया कि भारत निराश होकर पाकिस्तान के खिलाफ आक्रमण करने का दुस्साहस कर सकता है । बेनजीर भुट्टो ने इस तरह के बयान को संपुष्ट भी किया है । इससे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान किसी भी वक्त भारत पर आक्रमण कर सकता है, और कश्मीर में उग्रवादियों को प्रशिक्षण देना, हथियार देना इस बात का सबूत है ।

मैं प्रधान मंत्री और रक्षा मंत्री से मांग करता हूं कि सदन में इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें ।

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, दिल्ली मैट्रोपोलिटन काउंसिल और कारपोरेशन के तुरन्त चुनाव कराने और दिल्लीवासियों के डेमोक्रेटिक राइट्स को जो डिप्राइव किया गया है, उन्हें पुनः बहाल करने के लिए मैं यह मुद्दा उठाना चाहता हूं ।

अध्यक्ष जी, पांच फरवरी, 1983 को दिल्ली नगर निगम के चार साल के लिए और मैट्रोपोलिटन काउन्सिल के पांच साल के चुनाव हुए थे । जित दिन चुनाव होने थे, उसके तीन दिन पहले एक स्पेशल नोटिफिकेशन द्वारा एक सरकारीया कमेटीका गठन किया गया और यह कहा गया कि हम दिल्ली को एक ढांचा देना चाहते हैं, इसलिए चुनाव पोस्टपोन कर दिए गए । उसकी रिपोर्ट दो साल तक आने नहीं दी गई । श्री वीपीसिंह सरकारने आपके सामने, सदन के सामने बार-बार यह आश्वासन दिया था कि हम दिल्ली को स्टेट-हुड दे रहे हैं । इसलिए मैट्रोपोलिटन काउन्सिल और कारपोरेशन भंग कर दी गई । आज दिल्ली की कारपोरेशन, मैट्रोपोलिटन काउन्सिल भंग है । कोई निर्वाचित ढांचा नहीं है, जो दिल्ली की जनता के प्रति जवाबदेह हो सके । दिल्ली की अनेक समस्यायें हैं, जैसे बिजली, पानी, मकान, बसें आदि और ये समस्यायें बद से बदतर हो रही हैं । आज ही इसी सदन के अन्दर मिनिस्टर साहब ने बयान दिया है कि पांच सालों में तीन साल गरिबों के लिए एक भी मकान नहीं बनाया गया । आज जब यह बात हो रही है कि हम डेमोक्रेटिक बड़ी पार्टी हैं, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता की सहनशक्ति है, उस की सीमा है और उसकी ज्यादा परिक्षा न ली जाए । इसलिए मेरा निवेदन है कि दिल्ली में चुनाव जल्दी से जल्दी घोषित किए जायें, ताकि एक इलैक्टेड और दिल्ली के प्रति जवाबदेह ढांचा दिल्ली में स्थापित हो सके । यही मेरा आपसे आग्रह है । . . . (व्यवधान) . . .

श्री कालका दास (करोलबाग) : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में हम प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन उस पर कोई डिसीजन नहीं हुआ है । दिल्ली समस्याओं की नगरी बन गई है, यहां पर कोई पूछने वाला नहीं है । आप सरकार को निर्देश दें, सरकार हमको बताये कि कब दिल्ली में चुनाव होंगे । लीडर-आफ-दि-हाउस बैठे हैं, वे बतायें कि दिल्ली में चुनाव कब हो रहे हैं ? . . . **(व्यवधान)** . . .

श्री ताराचन्द खण्डेलवाल (चांदनी चौक) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की जनता को मौलिक अधिकार नहीं है । . . . **(व्यवधान)** . . . उनके अधिकारों पर यह कुठाराघात है कि उनको यह अवसर नहीं दिया गया । **(व्यवधान)**

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं तीन-चार दिन पहले आपके ध्यान में लाया था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश भयंकर सूखा पीड़ित है । वहां इतना ज्यादा सूखा पड़ा है कि आदमी के आंखों में आंसू हैं । विशेष तौर से तीन जिले—बनारस, जौनपुर और गाजीपुर हैं, जहां मेरा निर्वाचन संसदिय क्षेत्र सैदपुर भी है । मिर्जापुर में इतना जादा सूखा पड़ा है कि कुवों में पानी सूख गया है । वहां पर आदमी को पानी नहीं मिल रहा है । सारी की सारी रबी की फसल और खरीफ की फसल बर्बाद हो गई है । मैने इसी सदन में कहा था और अन्य माननीय सदस्यों—श्री राम निहोर और सत्यपाल यादव जी ने भी कहा था और तमाम लोगों ने भी यहां पर जिक्र किया तथा आपने भी हम लोगों को बड़े गौर से सुना, लेकिन यहां पर बात आई और चली गई । मैं कल अपने निर्वाचन क्षेत्र से आया हूं और मैने देखा है कि वहां के आदमियों की आंखों में आंसू हैं । खाना नहीं मिल रहा है । महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आप कृपया सदन के नेता, सत्ता पक्ष के, निर्देश दें कि वे इस पर कुछ कहें ।

अध्यक्ष महोदय : हर मेम्बर मेरा काम बहुत बढ़ा रहे हैं ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष जी, आप इस बात को बहुत गम्भीरता से लें ।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजम गढ़) : मेरा भी इसी से संबधित है ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : दर्दनाक स्थिति है । चन्द्रजीत यादव जी ने भी कहा था और सब लोगों ने कहा था । बड़ी गम्भीर चिन्ता व्यक्त की गई थी । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप उनको निर्देश दें कि वे हाउस में कुछ कहें कि कैसे वहां का होगा ।

श्रीमती वसुंधरा राजे (झालावाड़) : अध्यक्ष महोदय, माननीय पर्यावरण मंत्री जी ने पिछले दो सप्ताह में समाचार पत्रों मे काफी प्रशंसनीय टिप्पणियां की है । वह कहते हैं कि वह स्वयं तथा उनका मंत्रालय उचित परियोजनाओं के मार्ग में बाधा नहीं बनना चाहते हैं । उनका कहना है कि विकास तथा परिस्थिति को साथ साथ आगे बढ़ना चाहिए । लेकिन इसके साथ साथ ही उनके कृत्य उनके शब्दों से ज्यादा जोर से बोलते हैं । उनकी कथनी तथा करनी में बहुत बड़ा अंतर है ।

इस समय 15,000 मेगावाट से भी अधिक क्षमता वाले 49 जल तथा ताप विद्युत परियोजनाएं विभिन्न शेल्फों में धूल चाट रही हैं । इस सम्बन्ध में एक मामला धौलपुर ताप संयत्र का है जो पिछले बारह वर्षों से चल रहा है । बार-बार कई तरह के स्पष्टीकरण मांगे जाते हैं और राज्य सरकार को वापस भेज दिए जाते हैं इसके बावजूद भी राज्य सरकार द्वारा स्पष्टीकरण प्रदान किए जाते हैं । क्या आप विश्वास करेंगे कि उस परियोजना को प्रस्तावित मगरमच्छ अभयारण्य के कारण रोक रखा गया है जब कि वहां एक भी मगरमच्छ नहीं है । लेकिन माननीय मंत्री जी तथा उनके मंत्रालय ने इस अत्यंत प्रतिष्ठित परियोजना को रोक रखा है । राजस्थान बिजली के लिए मर रहा है । राजस्थान में बिजली का संकट है और हम इस परियोजना का इंतजार कर रहे हैं ।

मैं इसे सरकार की सनक कहती हूं । यह पर्यावरण मंत्रालय की असफलता है कि वह परियोजना को अपनी अनुमति न देकर इस तरह लटकाए हुए है ।

अत:, मैं माननीय मंत्री महोदय से एक स्पष्टीकरण चाहती हूं । मैं आपसे माननीय मंत्री महोदय को इस संबंध में एक बयान देने के लिए निर्देश देने का अनुरोध करती हूं **(व्यवधान)**

वन और पर्यावरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) माननीय सदस्या ने यह टिप्पणी की है कि यह परियोजना पिछले 12 वर्षों से अधर में लटकी हुई है । मैं यहां पर पिछले एक माह से हूं । मैं स्वीकार करता हूं कि अनेक परियोजनाएं लम्बित पड़ी है । लेकिन हमें एक तथ्य के बारे में सजग रहना चाहिए **(व्यवधान)** यदि आप असलियत जानना चाहते हैं तो कृपया मुझे सुनिए । जब तक ये परियोजनाएं पर्यावरणीय रूप से अनुकूल न हों तथा जब तक ये पर्यावरण और प्रदूषण संबंधी विधियों की विभिन्न शर्तों का पालन न करती हों तब उन्हें शुरू नहीं किया जा सकता।

लेकिन मैं माननीय सदस्या को आश्वासन देता हूं कि धौलपुर परियोजना को मैं न केवल खुली आंखों से देखूंगा बल्कि खुले मस्तिष्क से भी उस पर विचार करूंगा ।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की गंभीर समस्याओं की ओर अभी हमारे मित्रोंने ध्यान दिलाया । मैं विशेष तौर से पश्चिमी राजस्थान की विभीषिका के बारे में निवेदन करना चाहता हूं यह एक रेगिस्तानी ईलाका है जहां पर लगभग हर दो-तीन साल में सूखा ही सूखा रहता है और इन्द्र देव की कृपा बहुत कम होती है । पानी, बिजली और सिंचाई के अभाव में सारा पश्चिमी राजस्थान और वहां की जनता हमेशा तड़पती रहती है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन्दिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट जो विशेष तौर से अब तक पूरा नहीं हो सका, उसके बारे में प्रधानमंत्री के कार्यालय द्वारा विशेष अनुदान देकर उसे पूरा कराया जाए, क्यों कि ऐसा करने से राजस्थान नहर का निर्माण हो जाएगा और जवाई बांध का पानी मेरे पाली जिले को मिल सकेगा और अन्य स्थानों पर भी सिंचाई हो सकेगी तथा पेयजल के लिए भी लोगों को पानी मिल सकेगा । श्रीमान्, मेरा निवेदन है कि पार्टियों और क्षेत्रों से ऊपर उठ कर जो मंत्री महोदय राजस्थान से आए हुए हैं, विशेष तौर से पश्चिमी राजस्थान से श्री अशोक गहलोत, हमारे और अन्य मंत्री भी है । उनसे मैं विशेष तौर से निवेदन करूंगा कि उन्होंने बार-बार यह कहा था कि राजस्थान की समस्या को प्रधानमंत्री के कार्यालय से विशेष अनुदान देकर हल करा दिया जाएगा । अत: मैं चाहूंगा कि इसके लिए विशेष अनुदान देकर शीघ्र से शीघ्र इसे पूरा कराया जाए, धन्यवाद ।

[अनुवाद]

श्री टी० जे० अंजलोज (अलप्पी) : महोदय, केरल राज्य में बिजली का घोर संकट बना हुआ है । एक दशक से भी अधिक समय से इस राज्य मे कोई नई परियोजना शुरू नहीं की गई है । केन्द्र सरकार के पास से भी अधिक परियोजनाएं मंजूरी प्राप्त करने के लिए पड़ी है ।

कायानकलम विद्युत केन्द्र ही एक ऐसी विद्युत परियोजना है जिसे केन्द्र द्वारा हरी झंडी मिल चुकी है । परन्तु परियोजना को अभी तक पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं दी गई है ।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह बिना और किसी विलम्ब के इस परीयोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति दिलाने हेतु आवश्यक कदम उठाए ।

श्री पाला के० एम० मैथ्यू (इडुक्की) : महोदय, साम्प्रदायिक हिंसा तथा मारकाट, खास तौर से पिछले दो सप्ताह से, सभी राज्यों में बिना किसी बेरोकटोक के जारी है और समाचार पत्र इस खबरों से भरे पड़े है कि

ये घटनाएं प्रतिदिन हो रही हैं । दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है जहां एक ओर यह बेरोकटोक जारी है वहीं इस समस्या को हल करने के लिए अपेक्षित तत्परता की भावना सरकार में नहीं है । इस समय अधिकांश साम्प्रदायिक हत्याएं उ० प्र०, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार में हो रही हैं ।

मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस हिंसा को समाप्त करने के लिए शीघ्र कदम उठाए जिससे कि देश की मौजूदा कठिनाइयों से ज्यादा का सामना न करना पड़े । पिछले दो वर्षों से यही चलता रहा है । हम इन दो वर्षों से यह भयावह स्थिति देखते रहे है । हमें इसे तत्काल रोकना होगा । सरकार को समयबद्ध चरण में पूरा हो जाने वाला कार्यक्रम बनाना होगा ।

(हिन्दी)

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अभी श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री जी ने जिस गंभीर स्थिति के बारे में प्रश्न उठाया था, मैं बताना चाहता हूं कि आज देश में 30 करोड़ लोग भयंकर सूखे की चपेट में आ गए हैं । पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा बिहार..... ।

श्री शिवचरण माथुर (मिलवाड़ा) : 30 करोड़ नहीं 3 करोड़ ।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं 30 करोड़ कह रहा हूं । 12 करोड़, 13 करोड़ लोग तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में सूखे से पीड़ित हैं, इसी तरह से पूरा बिहार है, अभी बूटा सिंह जी बैठे हुए थे, पश्चिमी राजस्थान में है और देश के बड़े हिस्से में आज सूखा है ।

श्रीमन् यह स्थिति इसलिए है कि मानसून में एक महीना देरी हो गई है । आज किसानों को चिंता इस बात की हो गई है कि न केवल उनके खाने की समस्या है, आर्थिक संकट है, बल्कि उनके पशुओं के लिए भी चारा न मिलने से पशु मरने की स्थिति में हैं ।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन में मंत्री महोदय ने इतने बयान दिए हैं, लेकिन अभी तक किसी मंत्री ने इस संबंध में बयान देना उचित नहीं समझा है । आज पूरे देश में इतने बड़े पैमाने पर सूखा है, तो मंत्री महोदय कम से कम एक स्टेटमेंट द्वारा यह तो बता दें कि भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस संकट का मुकाबला करने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है ।

श्रीमन्, अभी सोनकर जी बता रहे थे कि लोगों में गहरी चिंता पैदा हो गई है और मुखमरी पैदा हो जाएगी, पशु मरने लग जाएंगे । पशु मरने लग जाएंगे, अगर इस बारे में तत्काल कदम नहीं उठाए गए । इसलिए मेरा निवेदन है कि कृषि मंत्री महोदय कम से कम एक स्टेटमेंट इस संबंध में सदन में दें । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय, पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के कुछ हिस्से, इन सारे के सारे क्षेत्रों में, करीब करीब सारे उत्तर भारत में बड़े पैमाने पर सूखे की स्थिति पैदा हो गई है । देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है । इस तरह से दोनों तरफ से संकट बढ़ रहा है, किसानों के लिए संकट बढ़ रहा है, किसान गहरी चिंता में पड़ गया है । इसलिए मेरा सदन के नेता से निवेदन है कि वे कृषि मंत्री जी से कहें कि देश में सूखे और बाढ़ की स्थिति पर, दोनों को मिला कर किसानों के लिए जो संकट पैदा हो गया है, खेतीहर मजदूरों के लिए पैदा हो गया है, उसका मुकाबला करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, कम से कम इस बारे में कृषि मंत्री जी एक स्टेटमेंट सदन में दें और सदन को विश्वास में लें ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है । इस बारे में आप सरकार से एक वक्तव्य दिलवाइए और अपनी ओर से कार्यवाही करवाइए । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि यह विषय ऐसा है जिसके संबंध में सब के मन में चिंता है। इसलिए मैं सरकार से कहूंगा कि मिटिरियोलाजीकल डिपार्टमेंट से बारिश की स्टेटिसटिक्स लेकर और राज्य सरकारों से मिलकर क्या कार्यवाही हो सकती है और सरकार क्या कार्यवाही करने के लिए सोच रही है, इसके बारे में 2-3 दिन में सुविधानुसार एक स्टेटमेंट इस सदन में दे।

मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह: ठीक है।

श्री चन्द्रजीत यादव: अध्यक्ष महोदय, आपने मिटिरियोलाजीकल डिपार्टमेंट के बारे में कहा है, लेकिन उनके द्वारा भी भ्रम पैदा किया जा रहा है। टी वी पर उनके डायरेक्टर ने बताया कि सामान्य वर्षा हो रही है, इससे और भ्रम पैदा हो रहा है।(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: चन्द्रजीत जी, देखिए ऐसा नहीं है, यह प्रश्न कोई राजनीतिक प्रश्न नहीं है यह सारे मनुष्यों के जीवन का प्रश्न है। मिटिरियोलाजीकल डिपार्टमेंट के पास आजकल ऐसे उपकरण उपलब्ध हैं, मैं स्वयं जानता हूं, जिनकी सहायता से 15-20 दिन में बारिश की क्या स्थिति होने वाली है, उसका भी अंदाजा लगा लिया जाता है। उसका वे हर रोज एक मैप बनाते हैं, वीकली और मंथली भी मैप बनाते हैं। उससे अंदाजा लगाकर सरकार के लिए अपनी नीति बनाना सुलभ होता है। उसको भी ध्यान में रख कर अगर किसी जगह पर कठिन स्थिति पैदा होने जा रही है तो उसके संबंध में भी हम सोच कर हम कार्यवाही कर सकते हैं। इसलिए उनके लिए भी सोचना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी सोचना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। यह सारी चीज ध्यान में रख कर जितना हो सके कंप्रीहेंसिव स्टेटमेंट बनाकर सुविधानुसार 2-3 दिन में सरकार दे दे तो अच्छा रहेगा।

(व्यवधान)

श्री सूर्य नारायण यादव: अध्यक्ष महोदय, पूरा बिहार सूखाग्रस्त हो गया है, बारिश नहीं हुई है।

अध्यक्ष महोदय: मैं सारे हिन्दुस्तान की बात कह रहा हूं।

1.00 म० प०

[अनुवाद]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर): श्रीमान जी, मैं आपके माध्यम से देश में पांच लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की न्यायोचित मांगों को पूरा करने में सरकार की असफलता की ओर सम्बद मंत्रालय का ध्यान दिलाना चाहती हूं। इस समय आंगनवाड़ी कार्य को स्वैच्छिक सेवा माना जाता है जिसके लिए अल्प मानदेय दिया जाता है जो कि इसके एवज में दिए गए समय और श्रम की किसी भी ढंग से क्षतिपूर्ति नहीं करता। प्रश्न केवल कार्यकर्ताओं के भरणपोषण का ही नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति की गरिमा का भी है। वे काफी समय से आन्दोलन करते रहे हैं। वे अपनी मांगों को एक के बाद दूसरे मंत्रालय के सामने रखते रहे हैं। 1989 में, जब इन्दिरा महिला योजना घोषित की गई थी, तब यह कहा गया था कि ग्राम सेविका और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। किन्तु कुछ भी नहीं किया गया है। बाद में, राष्ट्रीय मोर्चा शासन के समय तत्कालीन श्रम और कल्याण मंत्री माननीय पासवान जी इस बात से सहमत हो गए थे कि मानदेय राशि की दरों में परिवर्तन किया जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने भी न्यूनतम दर के बारे में कुछ नहीं कहा। अब, जबकि इन्दिरा महिला योजना के बारे में पुनः सुनाई दे रहा है, मैं सरकार से आग्रह करूंगी कि उन्हें अपने स्वर्गीय नेता द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से किए गए वायदे को पूरा करना

चाहिए और या तो उन्हें सरकारी कर्मचारियों का दर्जा दिया जाए अथवा उनकी मानदेय राशि को उनके द्वारा किए गए कार्य के महत्व के अनुसार किया जाए । (व्यवधान)

श्री मनोरंजन भक्त : यह एक महत्वपूर्ण समस्या है । मैं माननीय सदस्य का समर्थन करता हूं । सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए । (व्यवधान)

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : अन्यथा उन्हें पुनः दिल्ली आना पड़ेगा ।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान बिहार के अन्दर जो स्थिति है, खास तौर पर सूखाड़ और बिजली के अभाव की ओर दिलाना चाहता हूं । बिहार पिछड़ा हुआ इलाका है और बिजली की इतनी कमी है कि अब वहां बिजली मिल नहीं पाती है । वर्षा न होने के कारण किसानों को काफी दिक्कत हो रही है और उनकी फसल मारी जा रही है । जो फसल उन्होंने लगायी है वह सूख रही है ।

छोटे और मझोले उद्योगों पर भी बुरा असर पड़ रहा है । इसलिए मैं केन्द्र सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं और यह अनुरोध करना चाहता हूं कि बिहार वैसे भी आर्थिक संकट से गुजर रहा है, केन्द्र की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आर्थिक संकट को बढ़ाने में, मैं चाहता हूं कि सैंट्रल पूल से, बिहार की कम से कम जितनी आवश्यकता है उतनी बिजली अवश्य बिहार को दी जाए । बिहार और यू० पी० पूरे देश में सबसे ऊपर, पहले और दूसरे नम्बर पर आते हैं, इन जगहों के पार्लियामेंट के मैम्बर्स को बुला कर, क्योंकि यह मामला हर साल आ रहा है, यह राष्ट्रीय समस्या के रूप में पेश है, इसलिए कम से कम पार्लियामेंट के मैम्बर्स को कांफीडैंस में ले कर इस पर विचार किया जाना चाहिए और इसके स्थाई समाधान की ओर सरकार को कदम बढ़ना चाहिए ।

[अनुवाद]

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : माननीय अध्यक्ष, मैं आपका ध्यान बम्बई और दिल्ली में इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज से होने वाली स्थानीय कालों की गणना करने के लिए महानगर टेलीफोन निगम लि० के प्रस्तावित सख्त कदमों की तरफ दिलाना चाहता हूं और अपने दूरसंचार मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए आपसे अनुरोध करता हूं ताकि वह तत्काल कार्यवाही करके महानगर टेलीफोन निगम लि० के इस बेहद अतर्कपूर्ण प्रस्ताव को रद्द कर दें ।

विभिन्न समाचार पत्रों से मेरी जानकारी में यह बात आई है कि महानगर टेलीफोन निगम लि० स्थानीय कालों की गणना तीन-मिनट के आधार पर करने की योजना बना रहा है और वह भी केवल उन कालों के लिए, जो बम्बई और दिल्ली में इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज से होती है । यह लगता है कि इस प्रस्ताव के 1 सितम्बर, 1991 से लागू होने की सम्भावना है । प्रस्ताव का उद्देश्य ही अनुचित और तर्कहीन लगता है और यह इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज को प्रमोक्ताओं के साथ भेदभाव है । तकनीकी रूप से इस कदम से स्थानीय कालों को एसटीडी कालों के समकक्ष कर देना होगा । श्रीमान जी, अनुशासन की बात न करें तो, प्रमोक्ताओं के लिए नियमों के दो सैट कैसे हो सकते है ? क्या नियमों का एक सैट इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज प्रमोक्ताओं के लिए है और दूसरा गैर इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज प्रमोक्ताओं के लिए है ? श्रीमान जी बम्बई शहर का ही उदाहरण ले लीजिए जहां पर 27 लाख टेलीफोन में से केवल 48 प्रतिशत अर्थात 3,38000 टेलीफोन इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज से जुड़े हुए है और 52 प्रतिशत गैर इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज से जुड़े है । केवल 48 प्रतिशत प्रमोक्ता ही इस बोझ का वहन क्यों करें ? यह तो भेदभाव का बहुत बड़ा मामला है और हमारे संविधान के समानता के ही सिद्धान्त के विरूद्ध हो जाता है ।

अतः महोदय, मैं दूरसंचार मंत्री जी से बम्बई टेलीफोन प्रयोक्ता संघ जैसे विभिन्न उपभोक्ता निकायों के प्रतिनिधियों, संसद सदस्य, स्थानीय प्रतिनिधियों और आपके अपने प्रतिनिधियों से गठित एक व्यापक आधार वाली समिति बनाने का आग्रह करता हूं। यह समिति स्थानीय कालों का आर्थिक रूप से मूल्य निर्धारित करने के संबंध में एक अध्ययन करके एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इस तरह की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तक सरकार को नई योजना को मंजूरी नहीं देनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

1.06 म० प्र०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय; अलीगढ; इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल टी 177/91]

(3) (एक) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल टी 178/91]

(5) (एक) राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना तथा प्रसारण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना तथा प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला

एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल टी 179/91]

(7) (एक) भारतीय फिलोसोफिकल अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय फिलोसोफिकल अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल टी 180/91]

(8) उर्दू को बढ़ावा देने के लिए गुजराल समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन की जांच संबंधी समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल टी 181/91]

(9) राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखाओं* की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने मे हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल टी 182/91]

(11) मैन्टेड इंस्टिट्यूशन्स आफ यूनिवर्सिटी आफ दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल टी 183/91]

(13) (एक) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल टी 184/91]

(15) पांडिचेरी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 की धारा 44 की उपधारा (2) के अन्तर्गत पांडिचेरी विश्वविद्यालय के शैक्षणिक मामलों को शासित करने वाला प्रथम अध्यादेश, जो 23 जून, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल टी 185/91]

---

*वार्षिक प्रतिवेदन 23-4-1990 को सभा पटल पर रखा गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री सीताराम केसरी ।

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती के० कमला कुमारी) : श्रीमानजी .... **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : जब वरिष्ठ मंत्री का नाम पुकारा जाता है और वह उपस्थित हैं तो वह अपने उपमंत्री को सभा पटल पर पत्र रखने के लिए नहीं कह सकते, मंत्री महोदय आपको स्पष्टीकरण देना होगा कि वह पत्र क्यों नहीं रख सकते । यह सभा की गरिमा का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न ठीक है लेकिन वह अपने कनिष्ठ साथी को प्रोत्साहन दे रहे है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या उन्होंने आपकी अनुमती ली है ?

अध्यक्ष महोदय : जी हां, उन्होंने इसका संकेत दिया था ।

अली यावर जंग नेशनल इंस्टिट्यूट फार दि हियरिंग हैंडीकेप्ड, मुम्बई और केन्द्रीय वक्फ परिषद नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण के संबंध में समीक्षा आदि

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती के० कमला कुमारी): मैं श्री सीताराम केसरी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ:—

(1) (एक) अली यावर जंग नेशनल इंस्टिट्यूट फार दि हियरिंग हैंडीकेप्ड, मुम्बई के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)– तथा लेखा परीक्षित लेखें ।

(दो) अली यावर जंग नेशनल इंस्टिट्यूट फार दि हियरिंग हैंडीकेप्ड, मुम्बई के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए सं० एल० टी० 186/91]

(3) (एक) केन्द्रीय वक्फ परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) केन्द्रीय वक्फ परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) केन्द्रीय वक्फ परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए सं० एल० टी० 187/91]

(5) भारत में अल्पसंख्यकों के उपायुक्त के जुलाई, 1985 से जून, 1986 की अवधि तक के छब्बीसवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(6) उपर्युक्त प्रतिवेदन के संबंध में एक व्याख्यात्मक टिप्पण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी० 188/91]

(7) भारत में भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त के जुलाई, 1986 से जून, 1987 की अवधि तक के सत्ताईसवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त प्रतिवेदन के संबंध में एक व्याख्यात्मक टिप्पण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी० 189/91]

अध्यक्ष महोदय : श्री के० राममूर्ति।

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह चाटोवर) : महोदय, (व्यवधान)

श्री वी० धनंजय कुमार (मंगलौर) : मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है। मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या माननीय मंत्री श्री के० राममूर्ति ने पीठासीन अधिकारी से गैर हाजिर रहने तथा अन्य मंत्री के पत्रों को सभा पटल पर रखने के लिए प्राधिकृत करने की अनुमति ली है?

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता क्योंकि मुझे पत्र प्राप्त हुए होंगे तथा मैंने उनको अभी तक नहीं देखा है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : हमें बताया गया था कि श्री के० राममूर्ति मद्रास में है। साधारणतया, यदि उन्हें गैर हाजिर रहना था तो, उनको उसके लिये तथा सभापटल पर पत्र रखने के लिये किसी अन्य मंत्री को प्राधिकृत करने के लिये पीठासीन अधिकारी की अनुमति लेनी चाहिए थी।

अध्यक्ष महोदय : कम से कम सुबह मैंने पत्रों को नहीं देखा था।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : माननीय सदस्य एक वरिष्ठ सदस्य हैं तथा वे सदन की प्रक्रिया जानते हैं। कोई भी मंत्री किसी भी मंत्री की ओर से सीधे ही सभा पटल पर पत्र रख सकता है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मै यह जानता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : यह पत्र किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखा गया है जिसमें कहा गया है कि श्री राममूर्ति सदन में उपस्थित नहीं हो सकते तथा उन्होंने अनुमति मांगी है क्योंकि वे सदन में उपस्थित नहीं होंगे।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 तथा उपदान संदाय अधिनियम, 1972 आदि के अन्तर्गत अधिसूचना

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह चाटोकर) : श्री के० राममूर्ति की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 95 की उपधारा (4) के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) संशोधन नियम, 1991, जो 2 फरवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 76 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 195/91]

(7) (एक) अखिल भारतीय वाक् तथा श्रवण संस्थान, मैसूर के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अखिल भारतीय वाक् तथा श्रवण संस्थान, मैसूर के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) अखिल भारतीय वाक् तथा श्रवण संस्थान, मैसूर के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 196/91]

(9) (एक) भारतीय नर्स परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) भारतीय नर्स परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 197/91]

(11) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1986-87 के लेखाओं पर की गई लेखापरीक्षा टिप्पणियों के कारणों तथा उनके संबंध में उठाये गये उपचारात्मक कदमों के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 198/91]

(13) (एक) स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ अधिनियम, 1966 की धारा 19 के अन्तर्गत स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़, अधिनियम, 1966 की धारा 18 के अन्तर्गत स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 199/91]

(15) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 19 के अन्तर्गत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अधिनियम, 1956 की धारा 18 की उपधारा (4) के अन्तर्गत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 200/91]

1.08½ म०प्र०

मंत्री द्वारा वक्तव्य

कावेरी जल विवाद

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिकरण, 1956 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 2 जून, 1990 को अधिसूचना जारी करते हुए, एक अधिकरण गठित किया गया था और 6 जुलाई, 1986 को तमिलनाडु सरकार द्वारा किए गए अनुरोध को अधिनिर्णयन हेतु अधिकरण को भेज दिया गया था ।

कावेरी जल विवाद अधिकरण द्वारा 25 जून, 1991 को जारी किए गए अन्तरिम आदेश के पश्चात्, उस आदेश और उससे सम्बद्ध कई मुद्दों के विरुद्ध विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । कर्नाटक सरकार ने भी कर्नाटक के कावेरी बेसिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुरक्षा के वास्ते कुछ प्रावधान करने के लिए 25 जुलाई, 1991 को एक अध्यादेश जारी किया ।

सरकार ने इसके सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार किया और अधिकरण के अन्तरिम आदेश से सम्बद्ध कानूनी प्रश्नों तथा कर्नाटक सरकार के अध्यादेश को उच्चतम न्यायालय में भेजने का निर्णय किया है । सरकार की सलाह पर, भारत के राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 की धारा (1) के अन्तर्गत राय जानने के वास्ते उच्चतम न्यायालय को पत्र भेजा है, जिसे 28 जुलाई, 1991 को उच्चतम न्यायालय के महा पंजीयक (रजिस्ट्रार जनरल) को भेज दिया गया है ।

निम्नलिखित प्रश्न भारत के उच्चतम न्यायालय के विचारार्थ तथा उस पर रिपोर्ट देने हेतु भेजे गए हैं : अर्थात

(1) क्या अध्यादेश तथा उसके प्रावधान संविधान के अनुसार हैं,

(2) (i) क्या अधिकरण के आदेश रिपोर्ट के रूप में माने जा सकते हैं तथा इस निर्णय को अधिनियम की धारा 5(2) के अन्तर्गत मान्यता दी जा सकती है,

(ii) क्या अधिकरण के आदेश को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा प्रकाशित किया जाना अपेक्षित है

(3) क्या अधिनियम के अन्तर्गत गठित जल विवाद अधिकरण को यह क्षमता प्राप्त है कि वह विवाद से संबंधित पक्षों को कोई अन्तरिम राहत दे सकता है।

1.10 म० प्र०

समितियों के लिये निर्वाचन

(एक) भारतीय विज्ञान संस्थान परिषद, बंगलौर

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं: "कि भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के विनियम 3.1 और 3.1.1 के साथ पठित संस्थान के संपत्ति और निधि के प्रशासन और प्रबंध से संबंधित योजना के खंड 9(1) (ड) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, योजना और विनियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन भारतीय विज्ञान संस्थान परिषद, बंगलौर के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के विनियम 3.1 और 3.1.1 के साथ पठित संस्थान के संपत्ति और निधि के प्रशासन और प्रबंध से संबंधित योजना के खंड 9(1) (ड) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, योजना और विनियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन भारतीय विज्ञान संस्थान परिषद, बंगलौर के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

1.11 म० प्र०

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि प्रौद्योगिकी संस्थान, अधिनियम, 1961 की धारा 31(2) (ट) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद के सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु उनके निर्वाचन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि प्रौद्योगिक संस्थान, अधिनियम, 1961 की धारा 31(2) (ट) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद् के सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु उनके निर्वाचन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

1.12 म० प्र०

(तीन) दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद्

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : महोदय श्रीमती शीला कौल की तरफ से मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5(2) (ज) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद् के सदस्यों के रूप में चार वर्ष की अवधि के लिए कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें ।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5(2) (ज) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद् के सदस्यों के रूप में चार वर्ष की अवधि के लिए कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

1.13 म० प्र०

(चार) राजघाट समाधि समिति

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : महोदय, श्रीमती शीला कौल की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राजघाट समाधि अधिनियम, 1951 की धारा 4 (1) (घ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने की तारीख से आरंभ होने वाली अवधि के लिए राजघाट समाधि समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राजघाट समाधि अधिनियम, 1951 की धारा 4 (1) (घ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने की तारीख से आरंभ होने वाली अवधि के लिए राजघाट समाधि समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

1.14 म० प्र०

(पांच) कर्मचारी राज्य बीमा निगम

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवर) : महोदय, श्री के० राममूर्ति की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 के नियम 2क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 की धारा 4 (झ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 के नियम 2क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 4(झ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

1.15 म० प्र०

(छः) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 4(छ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 4(छ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

1.16 म० प्र०

(सात) भारतीय क्षय रोग संघ

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय क्षयरोग संघ के नियमों तथा विनियमों खंड (3) (सात) (क) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, भारतीय क्षयरोग संघ की केन्द्रीय समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय क्षयरोग संघ के नियमों तथा विनियमों खंड के (3) (सात) (क) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, भारतीय क्षयरोग संघ की केन्द्रीय समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

1.17 म० प०

(आठ) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के नियमों विनियमों तथा उपविधियों के नियम 15 के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के शासी निकाय के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय प्रश्न यह है

"कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के नियमों विनियमों तथा उपविधियों के नियम 15 के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के शासी निकाय के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

1.18 म० प०

(नौ) भारतीय नर्स परिषद, नई दिल्ली

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि भारतीय नर्स परिषद अधिनियम, 1947 की धारा 3 की उपधारा (1) (ण) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, भारतीय नर्स परिषद, नई दिल्ली के सदस्यों के रूप में पांच वर्ष की अवधि के लिए कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारतीय नर्स परिषद अधिनियम, 1947 की धारा 3 की उपधारा (1) (ण) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम अन्य उपबंधों के अध्यधीन, भारतीय नर्स परिषद, नई दिल्ली के सदस्यों के रूप में पांच वर्ष की अवधि के लिए कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

1.19 म० प्र०

(दस) स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ अधिनियम, 1966 की धारा 5(छ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ अधिनियम, 1966 की धारा 5(छ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

[हिन्दी]

श्री दाऊदयाल जोशी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, इस सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषय जोड़े जाने हेतु निवेदन करता हूं :—

राजस्थान पुरातात्विक दृष्टि से समृद्धशाली प्रदेश है। इसके बावजूद भी केन्द्र सरकार के पास कोई महत्वपूर्ण योजनायें प्रचुर मात्रा में उक्त पुरातात्विक महत्व के स्थानों को विकसित करने हेतु राज्य सरकार के पास धन की अनुपलब्धता है। इस हेतु अनेक काम्प्लेक्स की स्वीकृति के लिए केन्द्र सरकार के विचाराधीन हैं।

कृपया उक्त योजनाओं की चर्चा हेतु इस सप्ताह की कार्यसूची में जोड़ा जाये।

[अनुवाद]

श्री सोमनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : मैं इस सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय शामिल किए जाने हेतु निवेदन करता हूं :—

श्रीराम सागर और श्री सेलम राउट शाखा कैनाल परियोजनाओं में कार्य के 6 पैकेजों हेतु विश्व बैंक ने सहायता देने की मंजूरी दी थी। निर्माण कार्य हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई थी जिनकी अनुमानित लागत 153 करोड़ रूपये की थी। इन कार्यों के निष्पादन हेतु पांच फर्मों के प्रारम्भिक चयन और निविदाओं, जो अनुमानों से 40 से 100 प्रतिशत तक अधिक थी के लिए सरकार की स्वीकृति पर काफी अधिक होहल्ला हुआ था। यह आश्वासन दिया गया था कि निविदाएं रद्द कर दी जाएंगी। परन्तु अब ज्ञात हुआ है कि निविदाओं को अनुमोदित कर दिया गया है जिसके कारण राज्य को लगभग 90 करोड़ रूपये का नुकसान हुआ। लोकहित को ध्यान में रखते हुए और इस कठिन समय में सरकारी धन को बर्बाद होने से बचाने के लिए ये निविदाएं रद्द की जानी चाहिए। भारत सरकार और विश्व बैंक द्वारा इसके लिए अविलम्ब कदम उठाए जाने चाहियें।

[हिन्दी]

प्रो० राधा सिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष जी, निम्नलिखित विषय को इस सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाये

(1) राजस्थान राज्य के अजमेर जिले में ब्यावर नगर में स्थित कृष्णा मिल के विगत कई वर्षों से बन्द रहने के कारण हजारों मजदूर रोटी-रोजी को मुहताज हो गये हैं और उनका जीवन कठिन हो गया है। अतः कृष्णा मिल को अविलम्ब चालू कर हजारों श्रमिकों और उनके परिवारों को भुखमरी एवं बेकारी से बचाया जाए।

(2) हिन्दुओं के प्रसिद्ध तीर्थस्थल पुष्कर सरोवर में वर्षा के नालों के साथ बहकर आई जमा मिट्टी को युद्धस्तर पर निकलवा कर सरोवर की सफाई की जाये ताकि वर्षभर आने वाले लाखों तीर्थयात्रियों को स्नानार्थ जल उपलब्ध हो सके।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं एक सबमिशन रख रहा हूं और चाहता हूं कि इस विषय को इसी सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाये :—

(1) राजस्थान सरकार को वर्ष 1991-92 के लिए केन्द्रीय सहायता की राशि में बढ़ोत्तरी किये जाने के बाबत।

(2) राजस्थान सशस्त्र पुलिस को असम भेजने में हुए 1.46 करोड़ रूपये के व्यय का पुनर्भरण करने के बाबत।

[अनुवाद]

डा० वेंकटेश्वरलु उमारेड्डी (तेनाली) : अध्यक्ष महोदय मैं अनुरोध करता हूं कि इस सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मद शामिल की जाए :

यह अविलंबनीय लोक महत्व का विषय है। लोग बहुत समय से आंध्र प्रदेश में गुंटुर जिले में पेनुमुड़ी और कृष्णा जिले में पुलीगद्दा को जोड़ने के लिए कृष्णा नदी पर सड़क पुल बनाने का अनुरोध कर रहे हैं। हाल ही में नौका चलाने के लिए पानी बढ़ने, पूर्वी तट पर मछली पकड़ने और समुद्री मछली और इसके उत्पादों का व्यापार बढ़ने को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि उद्यमियों को यातायात की बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए शीघ्र पुल बनाया जाए। यह पुल पूर्वी तट के इस भाग में उत्पादित किए जाने वाले जल-उत्पादों की बड़ी मात्रा को शीघ्र भेजने में सहायक होगा। जल-उत्पादों द्वारा पर्याप्त विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है। यह न केवल ग्रिम्प उत्पादन बढ़ाने के लिए उपयोगी होगा बल्कि देश में विदेशी मुद्रा आय को बढ़ाने में भी सहायक होगा। यह उस क्षेत्र के मछुआरों और कमज़ोर वर्गों के लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगा। यह मछलीपत्तनम और मद्रास के बीच 100 कि० मी० सड़क दूरी को कम कर देगा।

इससे कमी बाद में टाडा से इदापुरम के बीच तटीय सड़क बनाने में भी सुविधा रहेगी क्योंकि यह आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र जो 975 कि० मी० लम्बा है, के लोगों की काफी समय से महसूस की जा रही आवश्यकता और इच्छा है। सरकार इस बारे में प्राथमिकता के आधार पर तत्काल कदम उठाए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुज़फ्फरपुर) : महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि इस सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मद शामिल की जाए :

लक्षद्वीप के अनेक द्वीपों में जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत लगभग नौ वर्ष के लिए सेवा में लिए गए बहुत से श्रमिकों को नौकरी से निकाल दिया गया है। उनको नौकरी से निकालने के परिणामस्वरूप उनके भूखों मरने की नौबत आ गई है। गृह मंत्रालय को भूतलक्षी प्रभाव से उन श्रमिकों को रोज़गार देने के लिए प्रशासन से तत्काल बातचीत करनी चाहिए।

महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उन्हें नौकरी से इसलिए निकाला गया क्योंकि पिछले चुनावों में उन्होंने कांग्रेस दल के विरुध्द मत दिया था।

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि इस सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मद शामिल की जाए :

कुवैत से आए 120,000 भारतीय शरणार्थीयों को क्षतिपूर्ति देने के लिए हमारी सरकार द्वारा इराक और कुवैत सरकार के साथ बातचीत न करने के कारण उनकी दयनीय स्थिति है।

आपकी अनुमति से मैं एक वाक्य जोड़ना चाहता हूं कि यह उपयुक्त समय है कि सरकार उन व्यक्तियों, जिन्होंने देश के लिए इतनी विदेशी मुद्रा अर्जित की, के पुनर्वास के लिए कुछ योजनाएं बनाए। सरकार को या तो संयुक्त राष्ट्र की सहायता से अथवा स्वयं उनके पुनर्वास के लिए सभी प्रयास करने चाहिएं।

अत:, मैं आशा करता हूं कि सरकार उनके पुनर्वास के लिए अविलंब कदम उठाएगी और संयुक्त राष्ट्र के साथ बातचीत करके उन्हें क्षतिपूर्ति दिलाएगी और उनकी समस्याओं का समाधान करेगी।

[हिन्दी]

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : अध्यक्ष जी, निम्नलिखित विषय को इस सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाये :—

उज्जैन में पैट्रोलियम प्रोडक्ट डिपो की स्थापना तथा एच.बी. गैस पाइप लाइन पर आधारित बिजली घर स्थापित करने हेतु।

(2) बम्बई-नई दिल्ली के बीच प्रारम्भ की गयी ए.सी. एक्सप्रेस का स्टॉपिज नागदा पर देने तथा रतलाम कोटा के बीच अवध एक्सप्रेस का किराया देहरादून एक्सप्रेस की तरह करने एवं उज्जैन नागदा यात्री रेल सेवा का विस्तार रतलाम तक किये जाने हेतु।

1.25 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2-25 म० प० तक के लिए स्थगित हुई

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.28 म० प० पर पुन: समवेत हुई

2.28 म० प

राव राम सिंह पीठासीन हुए

सभापति महोदय : सुबह जब चर्चा की जा रही थी उस समय एक माननीय सदस्य का नाम छूट गया था। अब वह अपनी बात कह सकते हैं। श्री संतोष कुमार गंगवार।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : सभापति महोदय, निम्नलिखित विषय को इस सप्ताह की

कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए:—

"केन्द्र के निर्देशों के अनुसार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण का कार्य किया जाता है। वर्तमान में जो निर्देश दिए गए हैं उनके अनुसार यदि ग्राम में एक भी विद्युत कनैक्शन है, तो उक्त ग्राम को विद्युतीकृत माना जाएगा। इस नीति के कारण ग्रामों का विद्युतीकरण वास्तविक रूप से नहीं हो रहा है, केवल ग्रामों की संख्या बढ़ रही है। मैं चाहता हूं कि केन्द्र इस ओर ध्यान दे और वास्तविकरूप से ग्रामों में विद्युतीकरण करवाए जाने हेतु नीति में परिवर्तन किए जाने की घोषणा करें।"

2.29 म० प०

दिल्ली नगर पालिका विधि (संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री एम० एम० जैकब दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 और पंजाब नगर पालिका अधिनियम, 1911 जो नई दिल्ली में लागू हैं, में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करें।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 और पंजाब नगर पालिका अधिनियम, 1911 जो नई दिल्ली में लागू हैं, में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय :प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली नगर अधिनियम, 1957 और पंजाब नगर पालिका अधिनियम, 1911 जो दिल्ली में लागू हैं, में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, अब विधेयक पुर: स्थापित करें।

श्री एम० एम० जैकब : मैं विधेयक पुर: स्थापित करता हूं।

---

* दिनांक 29-7-91 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 2, में प्रकाशित।

मंत्री द्वारा वक्तव्य

(एक) दिल्ली नगर पालिका विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1991

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : मैं दिल्ली नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश को तत्काल लागू करने के कारण बताने वाला स्पष्टीकरण वक्तव्य (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूं ।

[पंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 201/91]

2.31 म० प०

आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक*

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : महोदय, श्री एस० बी० चव्हाण की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अधिनियम, 1987 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अधिनियम, 1987 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करने के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । मैंने इसका विरोध करने के संबंध में सूचना दी है ।

यह सभा जानती है कि यह विशेष कानून सबसे पहले दो वर्ष के लिए लागू किया गया था और इस कानून को प्रस्तुत करने का कारण पंजाब में व्याप्त विशेष स्थिति बताई गई थी । उस समय सरकार ने यह सोचा था कि दो वर्षों की अवधि में वह पंजाब में उत्पन्न स्थिति से निपट लेगी । जबकि यह कानून पूरे देश के लिए है फिर भी इस सभा में बार-बार यही कहा गया कि यह कानून केवल पंजाब पर लागू होगा । महोदय, वह दो वर्ष समाप्त होने के बाद यह कानून में एक बार फिर संशोधन करने की मांग की गई । तत्कालीन गृह मंत्री, श्री बूटा सिंह, जो अब इस सभा के सदस्य हैं, ने 1989 में यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया था । उस समय, उद्देश्यों और कारणों के विवरण के अनुसार जो इस संशोधन विधेयक के साथ परिचालित किए जा रहे हैं, यह कहा गया था कि पंजाब में चल रही स्थिति से निपटने के लिए और दो वर्षों का समय चाहिए । अब हमें यह कहा जा रहा है कि इसके लिए और दो वर्ष चाहिएं इसलिए यह असाधारण और पूर्ण शक्तियां जो चार वर्ष पहले राज्य ने दो वर्ष के लिए प्राप्त की थीं अब उसे और दो वर्ष के लिए दे दी जाएं, इस प्रकार इस कानून की अवधि छ: वर्ष हो जाएगी ।

---

*दिनांक 29-7-91 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-2, खण्ड-2 में प्रकाशित ।

महोदय, मैं दो कारणों से इसका विरोध कर रहा हूं । सबसे पहले कि विशेष स्थिति से निपटने के लिए पहली बार ऐसे सख्त कानूनों का उन्हें अनुभव हुआ और अब इन कानूनों को बार-बार अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा रहा है । सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम की शक्तियों का फिर से उपयोग किया जा सकता है । यदि मुझे ठीक से याद है तो शायद यह कानून 1956 में लागू किया गया था । यह नागालैंड में उस समय प्रचलित स्थिति से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया था । तत्कालीन गृह मंत्री ने एक वक्तव्य दिया था कि उन्हें इसकी केवल छह मास के लिए आवश्यकता होगी । इसका कारण यह था कि उस समय, इस सदन में, दोनों पक्षों के सदस्यों—तब कांग्रेस पार्टी का शासन था—सतारूढ़ दल तथा इसके साथ-साथ विपक्ष ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, जिसके द्वारा सुरक्षा बलों को असाधारण शक्तियाँ प्रदान की जानी थीं, का विरोध किया था । इसलिए, तत्कालीन गृह मंत्री ने कहा था कि उन्हें इसकी केवल छह मास के लिए आवश्यकता है । उन्होंने कहा कि यह कठोर नियम संविधि पुस्तक में नहीं होना चाहिए किन्तु इसके बाद भी नागालैंड में असाधारण स्थिति में, जहाँ कहीं विद्रोह हो रहा है यह नियम लागू है, हमें केवल छह माह तक के लिए लागू रहने दें ।

महोदय, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम उन छह महीनों की अवधि पूरी होने के पश्चात् पिछले 35 वर्षों से संविधि पुस्तक में है । आज, यह नियम केवल नागालैंड अथवा भारत के उत्तर-पूर्वी भाग में ही लागू नहीं है बल्कि सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम के प्रावधानों को देश के दूसरे भागों में भी लागू किया गया था और इसके परिणामों का हमें पता ही है । एक कारण तो यह है जिससे मैं इसका विरोध कर रहा हूं क्योंकि किसी एक स्थान के लिए बनाए गए विशेष समय-अवधि के इस क्रूर नियम का अन्त नहीं होता और इसका दूसरे राज्यों में विस्तार होता चला जाता है ।

एक कल्याणकारी राज्य में, जैसा कि हमें होना चाहिए, अब हम राष्ट्रीय सुरक्षा राज्य बन गए हैं, आप बंदूक से राज करते हैं । आप पुलिस से राज करते हैं । आपके बजट में रक्षा भार हेतु प्रावधान में कमी आती जा रही है लेकिन पुलिस के लिए प्रावधान में वृद्धि हो रही है, और अब आप पूरे देश को, इस विशिष्ट नियम का विस्तार करके, कारागृह के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं । अब मैं दूसरे कारण पर प्रकाश डाल रहा हूं कि मैं क्यों इस प्रस्ताव के लाए जाने का विरोध कर रहा हूं । आतंकवादियों के लिए कुछ अधिक करने के लिए इसमें कुछ भी नहीं है । आतंकवादियों को स्वयं अपनी चिंता है और राज्य को स्वयं अपनी चिंता है । आज इस नियम का उपयोग विशेषकर मजदूर संघ कार्यकर्ताओं पर किया जाता है । मैं एक विशेष मामला बता सकता हूं जिसमें कुछ हद तक मैं भी शामिल था—मैं भाग्यशाली था कि नियम मेरे ऊपर लागू नहीं किया गया । अहमदाबाद में एक बड़ी धागा मिल है जिसका देश का एक बड़ा औद्योगिक घराना रिलायंस टैक्सटाइल्स मालिक है । मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता जो इसका मालिक है क्योंकि कई लोग उसके आभारी हैं । यह मिल औद्योगिक न्यायाधिकरण के सांविधिक निर्णय जिसमें कहा गया था कि मिल में कार्यरत श्रमिकों को राज्य की अन्य मिलों के अनुसार अंतरिम वेतन लाभ दिए जाने के निर्णय के क्रियान्वयन के लिए तैयार नहीं थी । श्रमिकों ने हड़ताल कर दी । मैं उनकी यूनियन से सम्बद्ध था और अभी भी मैं उनकी यूनियन से सम्बद्ध हूं । तीन महीने तक नियोक्ता लड़ते रहे और उन्होंने भाड़े के गुंडों के साथ श्रमिकों को भिड़ाया, और पुलिस के साथ भिड़ाया तथा अन्त में जब सभी तरह से असफल रहे तो इस विशेष नियम—आतंकवादी और विघटनकारी गतिविरोधि(अवरोधक) अधिनियम के तहत हमारे 18 सक्रिय कार्यकर्ताओं को पकड़वा दिया । यह निर्णय रिलायंस टैक्सटाइल्स के मालिक की मुख्य मंत्री के साथ हुई मुलाकात के बाद लिया गया था । अगले दिन, जब समाचार-पत्र ने प्रथम पृष्ठ पर छापा कि उद्योग के मालिक ने मुख्यमंत्री से बात करके और उन्हें खुश करके, तथा उसी रात में इस विशेष नियम को लागू किया गया और 18 श्रमिकों को पकड़ लिया गया ।

जैसा कि सदन को मालूम है और मुझे विश्वास है कि स्वयं आपको भी इसका पता होगा कि आपकी न्यायालय में भी जमानत स्वीकार नहीं की जाएगी । कोई भी विशिष्ट न्यायालय आपकी जमानत स्वीकार नहीं

करेगा । आप न्यायालय के सामने जाएंगे और न्यायालय कहेगा, 'खेद है', हम कुछ नहीं कर सकते । तब आप उच्च न्यायालय में भी नहीं जा सकते । इसलिए अहमदाबाद के इन गरीब श्रमिकों को उच्चतम न्यायालय में आना पड़ता है, उन्हें इतनी नीचे से इतनी ऊपर तक आना पड़ता है, श्रमिकों की बुरी दशा हो जाती है और अंततः उन्हें उच्चतम न्यायालय के आदेश पर छोड़ दिया जाता है । राज्य द्वारा श्रमिकों को हानि की क्षतिपूर्ति भी नहीं की जाती । वे लोग जो इस नियम के लिए जिम्मेवार हैं उन्होंने कहा था कि यह बहुत ही विशिष्ट स्थितियों में लागू होगा, जैसी कि पंजाब की स्थिति है, इसलिए, वे उन श्रमिकों की क्षतिपूर्ति नहीं करते । ऐसा एक ही बार नहीं हुआ है । इस विशिष्ट क्षण में जैसे मै यहां खड़ा हुआ हूँ, इसी प्रकार सैकड़ों सामाजिक कार्यकर्ता है सैकड़ो मजदूर संघ कार्यकर्ता है, सैकड़ों राजनैतिक कार्यकर्ता है, जो आतंकवादी नहीं हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी हाथ में पत्थर तक नहीं उठाया, उन्हें संघ के विभिन्न राज्यों—तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और अन्य राज्यों में इस नियम के तहत नजरबंद किया गया है । हम उन राज्यों के नामों की पूरी सूची बना सकते हैं, जो आज इस नियम का निवारक नजरबन्दी नियम के तौर पर प्रयोग कर रहे हैं । ऐसे भी उदाहरण है जहाँ इस नियम का राजनीतिक हिसाब निपटाने हेतु प्रयोग किया गया है ।

हम सभी के अनुभवों के आधार पर मेरा विचार है कि यह नियम कोई और अधिक समय के लिए संविधि पुस्तिका मे जारी न रखा जाए । जो अध्यादेश लागू किया गया है उसे समाप्त कर देना चाहिए । मैं इसलिए इस विधेयक के प्रस्तुतीकरण का विरोध करता हूँ ।

श्री याहमा सिंह युमनाम (आंतरिक मणिपुर) : मै इस विधेयक का विरोध करना चाहता हूँ ।

सभापति महोदय : मैं नहीं जानता कि हमे आपके पास से कोई सूचना प्राप्त हुई है । आपको पूर्व-सूचना देनी चाहिए जैसी कि श्री जार्ज फर्नांडिस ने दी है ।

मै माननीय मंत्री महोदय से वाद-विवाद का उत्तर देने का अनुरोध करूंगा ।

श्री एम० एम० जैकब : सर्वप्रथम मैं श्री जार्ज फर्नांडिस को इस विधेयक के सारगर्भित पहलू के वर्णन पर धन्यवाद देता हूँ । जिस प्रकार से उन्होंने इस समय इस पर प्रकाश डाला है, मेरा विचार था कि इन सब बातों पर हम उस समय बहस कर सकते थे जब विधेयक को वास्तविक रूप मे पुरःस्थापित किया जाता और हम सभी बातों पर गौर कर रहे हों । कोई भी तकनीकी आपत्ति इस समय नहीं उठाई जानी चाहिए । तथापि, हमें वास्तव में यह अध्यादेश पुरःस्थापित करना है, क्योंकि ऐसा न हो कि यह कालातीत हो जाए ।

आतंकवादी भय देश में अभी भी व्याप्त है, यह कई क्षेत्रों में फैल चुका है, और विशेषकर पिछले दो वर्षों के दौरान, इसकी अवधि दो वर्षों के लिए बढ़ानी आवश्यक हो गई थी, क्योंकि यह आकलन किया गया कि आतंकवाद का जहर पंजाब के अतिरिक्त दूसरे क्षेत्रों में भी फैल चुका है । उस समय एक अधिसूचना भी जारी की गई थी । निस्संदेह, मैं इसे नहीं देख रहा था । लेकिन इसके साथ-साथ, जब श्री बूटा सिंह गृह मंत्री थे तब इसे दूसरी बार लाया गया था और यह केवल पंजाब के लिए ही नहीं था । मेरे विचार से यह अधिसूचित क्षेत्र था, इसे अधिसूचित क्षेत्र ही कहना चाहिए, इसका अभिप्राय यह है कि अधिसूचित क्षेत्र वह है जो वास्तविक रूप से आतंकवादी खतरों से प्रभावित हो ।

आतंकवाद के जहर से स्वयं को तथा देश को बचाना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है । इस संदर्भ में हम हर तरह से प्रयास कर रहे हैं । इसलिए अब उद्देश्य बहुत सीमित है । मैं अपने किसी मानवीय साथी के साथ इसके गुणदोष पर बहस नहीं करना चाहता क्योंकि यह ऐसा क्षेत्र है जहाँ हमें गहराई में जाना होगा; और मैं इनमें से किसी भी प्रश्न का विरोध नहीं कर रहा हूँ । लेकिन इसके साथ-साथ, इस सभा को इस विधेयक पर बहस करने और इसके विभिन्न पहलुओं की जाँच करने का अवसर तो दिया जाना चाहिए । यह तभी सम्भव होगा जब हम इसे पेश करेंगे और आप इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे; और तब हम सब बातों पर विचार करेंगे । यह सीमित उद्देश्य के लिए था । हमने इसकी अवधि दो वर्ष बढ़ा दी । वह समय समाप्त हो चुका था । इसलिए, राष्ट्रपति को एक

अध्यादेश जारी करना था; संसद आरम्भ होने के छह सप्ताह के अन्दर हमें इसे दोबारा अनुमोदित करना है । नहीं तो, स्वाभाविक रूप से समस्याएँ उत्पन्न हो जाएँगी । यही सुस्पष्ट कारण है कि मैं इसे संसद के सम्मुख लाया हूँ । आतंकवादी खतरा अभी भी बना हुआ है और यह विभिन्न क्षेत्रों, अनेक अन्य राज्यों में फैल रहा है; और इसे कड़े उपायों और सभी दलों के सहयोग और सभी सम्बंधित लोगों के सहयोग से रोकना है । यही कारण है कि श्री जार्ज फर्नांडिस द्वारा दिए गए सुझावों का मैं स्वागत कर रहा था । मुझे आशा है कि यह प्रस्ताव लाने की अनुमति दी जाएगी और इसे पारित कर दिया जाएगा । धन्यवाद ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

: "कि आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय अब विधेयक पुर:स्थापित कर सकते है ।

श्री एम० एम० जैकब : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ ।

2.43 म० प०

मंत्री द्वारा वक्तव्य

(दो) आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अध्यादेश, 1991

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : श्री एस० बी० चव्हाण की ओर से मैं आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अध्यादेश, 1991 द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के लिए कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी 202/91]

2.44म०प०

जम्मू कश्मीर दंड विधि संशोधन (दूसरा) संशोधनकारी विधेयक*

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) श्री एस० बी० चव्हाण की ओर से मैं प्रस्ताव रखता हूँ कि जम्मू कश्मीर दण्ड विधि संशोधन अधिनियम 1983 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

"कि जम्मू कश्मीर दण्ड विधि संशोधन अधिनियम 1983 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए" ।

श्री जार्ज फर्नांडीज ने इस विधेयक को पुर:स्थापित करने का विरोध करने के लिए एक सूचना दी है ।

---

*दिनांक 29-7-91 के भारत के राजपत्र असाधारण भाग दो, खंड 2 में प्रकाशित ।

श्री जार्ज फर्नांडीज (मुजफ्फरपुर) : मैं इस विधेयक में संक्षिप्त सभी मुद्दों के बारे में पुन: सविस्तार विचार नहीं करना चाहता क्योंकि मेरा विश्वास है कि यह भी एक कठोर कानून है, और मुझे आश्चर्य नहीं है कि हमारे देश में आजकल इस तरह के कठोर कानून बड़ी संख्या में बनाए जा रहे है।

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इस चरण में किसी विधेयक का विरोध केवल कुछेक आधारों पर ही किया जा सकता है। श्री जार्ज फर्नान्डिज ने न केवल इसी विधेयक का, बल्कि पिछले विधेयक का भी गुणावगुणों के आधार पर विरोध किया था। हमका विरोध क्षेत्राधिकार अथवा तकनीकी पहलुओं के प्रश्न के आधार पर किया जा सकता है जिसे पुर:स्थापित किए जाने के चरण पर विधेयक का विरोध करते समय बताना होता है। अत: मेरे विचार मे गुण-दोष के आधार पर इस प्रकार की आपत्ति उठाने की इस अवस्था में अनुमति नहीं दी जा सकती।

सभापति महोदय : उन्हें वक्तव्य देने की अनुमति जब उन्होंने इस विधेयक का विरोध करने के लिए सूचना दी गई है।

श्री पी० सी० थामस: पुर:स्थापन के चरण पर यह बहुत सीमित होता है और इस चरण में कोई सदस्य जिस प्रश्न पर इसका विरोध कर सकता है वह क्षेत्राधिकार और संवैधानिक पहलू तक सीमित होता है।

श्री जार्ज फर्नान्डिज : जी नहीं।

श्री पी० सी० थामस : लेकिन सदस्य को उल्लेख करना पड़ता है कि वह किस संवैधानिक पहलू से विरोध कर रहा है।

श्री जार्ज फर्नान्डिज : उन्हें नियम का अध्ययन करने दीजिए।

सभापति महोदय : लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों का नियम 72 इस प्रकार है

"यदि किसी विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव का विरोध किया जाये तो अध्यक्ष, यदि वह ठीक समझे तो, प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य और प्रस्ताव को पेश करने वाले सदस्य द्वारा संक्षिप्त वक्तव्य दिये जाने की अनुज्ञा देने के बाद बिना अग्रेसर वाद-विवाद के प्रश्न रख सकेगा।"

अत: श्री जार्ज फर्नांडिज को विधेयक को पुर:स्थापित करने के विरोध में संक्षिप्त वक्तव्य देने की अनुमति दी गई है।

श्री जार्ज फर्नान्डिज : श्रीमानजी, धन्यवाद!

इस विधेयक के मामले में भी, मेरा प्रश्न यह है कि इस तथ्य के बावजूद कि यह एक कठोर विधेयक है, हम पुन: उसी आधार को लेने की कोशिश कर रहे है जिसे दूसरे विधेयक में लिया गया है।

इसमें राज्य ने यह पता लगाने के लिए कि वह जिस संगठन को अवैध घोषित करना चाहता है तथा यह कि क्या आदेश औचित्यपूर्ण है अथवा नहीं, राज्य के प्रशासन पर अपनी अंतिम राय देने के न्यायाधिकरण को समय देने के लिए शुरू में छह माह के लिए कहा था। इसके बाद राज्य ने पहली बार छह माह का समय बढ़ाने के लिए कहा और यह पिछले वर्ष दिसम्बर की बात है, तब एक अध्यादेश जारी किया गया था क्योंकि संसद का सत्र नहीं चल रहा था। जनवरी, 1991 और वस्तुत: 10 जनवरी, 1991 को लोकसभा ने इस मामले

पर विचार किया । तत्कालीन वित्त मंत्री, माननीय श्री यशवन्त सिन्हा जी ने इस सभा में इस विधेयक को पुर:स्थापित किया और जब इस पर वाद-विवाद चल रहा था तो उन्होंने निम्नलिखित कहा था :

"चूंकि जम्मू-कश्मीर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है और संसद का सत्र नहीं चल रहा था, इसलिए राज्यपाल ने न्यायाधिकरण का कार्यकाल छह माह से बढ़ाकर 'एक वर्ष' करने, ताकि वह ऐसी उद्घोषणाओं के संबंध में अपना कार्य पूरा कर सके, के लिए 17 दिसम्बर, 1990 को जम्मू-कश्मीर दण्ड विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1990 प्रख्यापित किया था । न्यायाधिकरण द्वारा इस मामले में अंतिम निर्णय लिया जाना अभी शेष है और वर्तमान विधान का आशय है कि न्यायाधिकरण उसे सौंपी गई अधिसूचनाओं के बारे में छह मास की अतिरिक्त समयावधि में निर्णय ले सके ।"

इस प्रकार, मुझे विश्वास है कि छह माह का अतिरिक्त समय, जिसमें उन्हें अपना कार्य पूरा करना था, मांगते समय उन्हें पता था कि वह क्या मांग रहे है और न्यायाधिकरण को भी अतिरिक्त समय मांगते समय पता था कि वह क्या समय बढ़वा रहा है और समय पूरा हो गया है । और मुझे इसके सिवाय कोई ठोस कारण नजर नहीं आता कि जम्मू-कश्मीर सहित देश के विभिन्न भागों में दमन को जारी रखने के लिए ही समय बढ़वाने की मांग कर रहे है और मुझे इसका कोई वैध कारण नहीं दिखता कि यह बढ़वाने की मांग की जाए और यह सभा पर यह समय प्रदान करें । इस विधेयक का विरोध करने का मेरा यही आधार है ।

सभापति महोदय : क्या मंत्री महोदय उत्तर देंगे ?

श्री एम० एम० जैकब : पुन: इस विधेयक के मामले में भी, मै विधेयक के गुणावगुणों का उल्लेख नहीं करना चाहता जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वयं उल्लेख किया है । लेकिन, इसी के साथ ही, माननीय सदस्य ने स्वयं स्वीकार किया है कि इस सभा ने देश के हितों के विरुद्ध कार्य करने वाले संगठनों अथ संस्थानों का पता लगाने के लिए जम्मू-कश्मीर दण्ड प्रक्रिया के अधिनियम चार के अन्तर्गत गठित किए गए न्यायाधिकरण के लिए समय बढ़ाया था । कतिपय संगठन, संस्थान और आंदोलन लगातार हिंसा और नफरत और एक धार्मिक उन्माद सा फैलाने की कोशिश करते हैं । इससे आतंक पैदा हो गया । राज्य में इससे समस्याएँ पैदा हो गईं । इस प्रकार, स्वाभाविक रूप से कुछ संगठनों पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक था और श्री जार्ज फर्नांडिज यह बात भली भांति जानते है । इन संगठनों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया । प्रश्न यह उठा कि इन संगठनों के बारे में क्या किया जाए ? हमें पता लगाना है कि क्या वे स्पष्टीकरण मांगकर कोई दोषी हो गए है इन संगठनों को प्रतिबन्धित करने के लिए हमें स्पष्टीकरण मांगना होगा और न्यायाधिकरण इसका निर्णय करें । सभापति महोदय तीन सदस्यों वाले न्यायाधिकरण ने इन बातों की जांच की । अब वास्तविक कारण यह है कि यह न्यायाधिकरण सभी आवश्यक जानकारी एकत्र नहीं कर सका क्योंकि कुछ दोषी व्यक्ति थे । उन क्षेत्रों में व्याप्त स्थिति उन सभी सम्बद्ध व्यक्तियों और एजेंन्सियों से सभी साध्य और जानकारी प्राप्त करने के लिए आदर्श अथवा अनुकूल नहीं थी । इसलिए न्यायाधिकरण के चेयरमैन ने बताया कि उन्हें सरकार से बाद में जानकारी प्राप्त हुई और उनके पास इस संबंध में सभी सम्बद्ध व्यक्तियों की जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए पर्याप्त समय नहीं था । इसीलिए उन्हें समय बढ़वाने की आवश्यकता पड़ी । वास्तव में यह अनुरोध चेयरमैन और राज्य सरकार का था । जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू है और इस समय वहाँ कोई विधान सभा नहीं है । स्वाभाविक रूप से संसद ही वहाँ संरक्षक और नियंत्रक शक्ति है । इसी कारण व समय बढ़वाने और अध्यादेश के स्थान पर विधेयक की मांग की गई है ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सभापति महोदय, क्या मै मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण ले सकता हूँ ?

क्या उन्हें विश्वास है कि न्यायाधिकरण को स्थायी बनाने के लिए प्रयत्न नहीं किया जा रहा है क्योंकि

सभी न्यायाधिकरणों की यही स्थितियाँ होती है ? क्या मंत्री जी को सभा में आने से पहले यह सुनिश्चित कर लिया था कि कोई भी व्यक्ति इसे स्थायी बनाने संबंधी अधिनियम के लिए चेष्टा नहीं कर रहा है ?

श्री एम० एम० जैकब : फर्नान्डीज जी, आप इन बातों के बारे में बेहतर जानते है क्योंकि आप इस जगह पर थे । इसी के साथ, ठीक इसी कारण से हमने सभा में वाद-विवाद के लिए समय की अनुमति दी है । आइए हम इस मामले पर वाद-विवाद करें कि वाद-विवाद के दौरान क्या न्यायाधिकरण पर बातचीत हो रही है अथवा नहीं ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : इसका अर्थ है कि आप इसे सुनिश्चित किए बगैर सभा में आए है (व्यवधान)

श्री एम० एम० जैकब : मेरे पास जितनी जानकारी है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि न्यायाधिकरण का समय बढ़वाने के लिए संसद के समक्ष आना औचित्यपूर्ण है ।

सभापति महोदय : मेरे विचार से श्री जार्ज फर्नान्डीज का आशय यह है कि क्या विधयक में संशोधन करने की वास्तव में आवश्यकता है और क्या यह न्यायाधिकरण के हित में है ?

श्री एम० एम० जैकब : यह सरकार अनुचित कारणों की पक्षधर नहीं है । हम सच्चाई के पक्षधर हैं ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

"कि जम्मू-कश्मीर दण्ड विधि संसोधन विधेयक, 1983 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय अब विधेयक पुरःस्थापित करें ।

श्री एम० एम० जैकब : श्रीमान जी, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ ।

2.52 म० प०

मंत्री द्वारा वक्तव्य

(तीन) जम्मू-कश्मीर दंड विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1991

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब : महोदय , मै जम्मू-कश्मीर दण्ड विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1991 द्वारा तुरन्त विधान बनाने जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए सं० एल० टी० 203/91]

2.54 म० प०

लेखानुदानों की मांगें (सामान्य) 1991-92*

सभापति महोदय : अब हम मद संख्या 23-वर्ष 1991-92 के लिए लेखानुदानों की मांगें (सामान्य) को सभा के मतदान हेतु रखे जाने को लेते हैं ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ-चार में मांग संख्या-1 से 28, 30, 31, 33 से 89, 91, 93 से 98 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए या के संबंध में, कार्य-सूची के स्तम्भ पांच में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से, लेखें पर, राष्ट्रपति को दी जाएं ।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1991-92 के लिए लेखानुदानों की मांगे (सामान्य)

मांग की संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए पेश किए जाने वाली अनुदानों की मांगों की राशि (लोक सभा द्वारा 11 मार्च 1991 को पहले से ही स्वीकृत की गई राशियों सहित)	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	2	3	4
	कृषि मंत्रालय		
1.	कृषि	1731,23,00,000	2,24,00,000
2.	कृषि और सहकारिता विभाग की अन्य सेवाएं	47,47,00,000	60,06,00,000
3.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	182,00,00,000	—
4.	पशुपालन और डेरी विभाग	102,62,00,000*	24,45,00,000*
	रसायन और उर्वरक मंत्रालय		
5.	रसायन और पेट्रो रसायन विभाग	6,22,00,000	10,70,00,000
6.	उर्वरक विभाग	3041,38,00,000	47,35,00,000
	नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय		
7.	नागर विमानन विभाग	21,41,00,000	13,92,00,000
8.	पर्यटन विभाग	32,00,00,000	13,20,00,000
	नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		
9.	नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	4,91,000	1,75,00,000
	कोयला मंत्रालय		
10.	कोयला मंत्रालय	20,80,00,000	371,50,00,000

* राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत ।

1	2	3	4
	वाणिज्य मंत्रालय		
11.	वाणिज्य विभाग	1215,78,00,000	787,29,00,00
12.	पूर्ति विभाग	15,72,00,000	—
	संचार मंत्रालय		
13.	संचार मंत्रालय	5,79,00,000	—
14.	डाक सेवाएं	762,55,00,000	31,45,00,000
15.	दूरसंचार सेवाएं	2115,74,00,000	1318,00,00,000
	रक्षा मंत्रालय		
16.	रक्षा मंत्रालय	554,60,00,000	56,38,00,000
17.	रक्षा पेंशनें	874,84,00,000	—
18.	रक्षा सेवाएं-थल सेना	4182,15,00,000	—
19.	रक्षा सेवाएं-नौ सेना	457,93,00,000	—
20.	रक्षा सेवाएं-वायु सेना	1060,39,00,000	—
21.	रक्षा आयुध निर्माणियाँ	350,00,00,000	—
22.	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	—	3087,46,00,000
	पर्यावरण और वन मंत्रालय		
23.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	166,12,00,000	3,73,00,000
	विदेश मंत्रालय		
24.	विदेश मंत्रालय	259,08,00,000	33,42,00,000
	वित्त मंत्रालय		
25.	आर्थिक कार्य विभाग	211,39,00,000	81,31,00,000
26.	करेंसी, सिक्का निर्माण और स्टाम्प	183,03,00,000	94,93,00,000
27.	वित्तीय संस्थानों को अदायगियां	279,58,00,000	2701,68,00,000
28.	पेंशन	274,42,00,000	—
30.	राज्य सरकारों को अन्तरण	2227,02,00,000	62,50,00,000
31.	सरकारी सेवकों आदि को उधार	—	110,40,00,000
33.	व्यय विभाग	4,22,00,000	1,97,00,000
34.	लेखा परीक्षा	134,68,00,000	—
35.	राजस्व विभाग	40,49,00,000	87,00,000
36.	प्रत्यक्ष कर	124,99,00,000	60,00,00,000
37.	अप्रत्यक्ष कर	200,98,00,000	73,57,00,000
	खाद्य मंत्रालय		
38.	खाद्य मंत्रालय	1374,87,00,000	68,20,00,000
	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय		
39.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	15,21,00,000	6,38,00,000
	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय		
40.	स्वास्थ्य विभाग	279,82,00,000	92,85,00,000
41.	परिवार कल्याण विभाग	425,01,00,000	43,00,000

11 मार्च, 1991 को स्वीकृत लेखानुदान राशि "कृषि" तथा "कृषि और सहकारिता विभाग की अन्य सेवाएं" की मांगों के संबंध में थी ।

1	2	3	4
	गृह मंत्रालय		
42.	गृह मंत्रालय	159,50,00,000	6,50,00,000
43.	मंत्रिमंडल	5,90,00,000	—
44.	पुलिस	886,19,00,000	164,82,00,000
45.	गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	179,57,00,000	57,39,00,000
46.	संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अन्तरण	48,50,00,000	26,71,00,000
	मानव संसाधन विकास मंत्रालय		
47.	शिक्षा विभाग	899,42,00,000	30,00,000
48.	युवा कार्य और खेल विभाग	56,10,00,000	1,10,00,000
49.	कला और संस्कृति	62,27,00,000	—
50.	महिला और बाल-विकास विभाग	218,82,00,000	50,00,000
	उद्योग मंत्रालय		
51.	औद्योगिक विकास विभाग	73,47,00,000	6,00,000
52.	भारी उद्योग विभाग	15,05,00,000	137,72,00,000
53.	सरकारी उद्यम विभाग	71,00,000	—
54.	लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग	157,74,00,000	141,43,00,000
	सूचना और प्रसारण मंत्रालय		
55.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	50,68,00,000	2,80,00,000
56.	प्रसारण सेवाएं	406,96,00,000	178,61,00,000
	श्रम मंत्रालय		
57.	श्रम मंत्रालय	205,68,00,000	37,00,000
	विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय		
58.	विधि और न्याय	107,45,00,000	—
59.	कंपनी कार्य विभाग	4,99,00,000	1,00,000
	खान मंत्रालय		
60.	खान मंत्रालय	70,85,00,000	9,90,00,000
	संसदीय कार्य मंत्रालय		
61.	संसदीय कार्य मंत्रालय	65,00,000	—
	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय		
62.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	26,09,00,000	57,00,000
	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय		
63.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	51,06,00,000	85,00,00,000
	योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय		
64.	आयोजना	27,14,00,000	8,45,00,000
65.	सांख्यिकी विभाग	26,18,00,000	—
66.	कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग	36,00,000	—
	विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय		
67.	विद्युत विभाग	227,91,00,000	1030,96,00,000
68.	गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग	72,73,00,000	2,50,00,000
	ग्रामीण विकास विभाग		
69.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	1760,01,00,000	25,00,000

1	2	3	4
	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय		
70.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	97.52.00.000	12.48.00.000
71.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	134.29.00.000	1.70.00.000
72.	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	24.97.00.000	3.00.000
	इस्पात मंत्रालय		
73.	इस्पात मंत्रालय	6.78.00.000	320.18.00.000
	जल-भूतल परिवहन मंत्रालय		
74.	जल-भूतल परिवहन	14.04.00.000	69.18.00.000
75.	सड़कें	201.78.00.000	271.22.00.000
76.	पत्तन, दीपस्तम्भ और नौवहन	64.24.00.000	126.39.00.000
	वस्त्रोद्योग मंत्रालय		
77.	वस्त्रोद्योग मंत्रालय	389.46.00.000	89.90.00.000
	शहरी विकास मंत्रालय		
78.	शहरी विकास और आवास	85.86.00.000	61.16.00.000
79.	लोक निर्माण कार्य	126.31.00.000	44.76.00.000
80.	लेखन सामग्री और मुद्रण	48.33.00.000	1.90.00.000
	जल संसाधन मंत्रालय		
81.	जल संसाधन मंत्रालय	169.25.00.000	11.36.00.000
	कल्याण मंत्रालय		
82.	कल्याण मंत्रालय	227.24.00.000	9.52.00.000
	परमाणु ऊर्जा विभाग		
83.	परमाणु ऊर्जा	241.97.00.000	276.33.00.000
84.	न्यूक्लीय विद्युत स्कीमें	173.85.00.000	68.25.00.000
	इलेक्ट्रानिकी विभाग		
85.	इलेक्ट्रानिकी विभाग	45.52.00.000	21.68.00.000
	महासागर विकास विभाग		
86.	महासागर विकास विभाग	19.42.00.000	3.44.00.000
	अंतरिक्ष विभाग		
87.	अंतरिक्ष विभाग	191.20.00.000	50.99.00.000
	संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के सचिवालय और संघ लोक सेवा आयोग		
88.	लोक सभा	10.12.00.000	—
89.	राज्य सभा	4.50.00.000	—
91.	उपराष्ट्रपति का सचिवालय	13.00.000	—
	बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र		
93.	दिल्ली	546.58.00.000	433.15.00.000
94.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	84.40.00.000	92.81.00.000
95.	दादरा और नागर हवेली	15.83.00.000	8.43.00.000
96.	लक्षद्वीप	20.00.00.000	6.20.00.000
97.	चंडीगढ़	95.50.00.000	25.77.00.000
98.	दमन और दीव	12.09.00.000	6.94.00.000
	जोड़	**31836.60.00.000**	**13087.71.00.000**

श्री जसवंत सिंह (चित्तोड़गढ़) : सभापति महोदय, मैं इस संबंध में एक बात कहना चाहता हूँ। हम, पूरा सदन सरकार की सुविधा और वित्त मंत्री के अच्छे स्वास्थ्य के लिए ताकि वह आज रात अच्छी तरह से सो सके, इन अनुदान मांगों को बिना वाद-विवाद के, केवल प्रक्रियात्मक रूप से पारित करने के लिए सहमत हुए हैं।

सभापति महोदय : मुझे विश्वास है कि आप बहुत सहयोग दे रहे हैं।

श्री जसवंत सिंह : यह बात स्पष्ट रूप से समझा ली जानी चाहिए कि यह बिना पक्षपात के है कि चाहे हम बाद में इसके ब्यौरे के बारे में जो कुछ भी रूख अपनाएं, और यह भी बिना पक्षपात के है कि पूरे बजट पर अथवा अनुदानों की विशिष्टता पर चाहे कोई भी रूख लें जो अब हम बिना वाद-विवाद के पारित कर रहे हैं।

सभापति महोदय : मुझे खेद है कि मैं नहीं समझता क्योंकि आप इसका विरोध नहीं कर रहे हैं वरन् आप इसे पारित करवाने में सरकार की सहायता कर रहे हैं। इससे आप भविष्य में सरकार की आलोचना करने के अयोग्य नहीं हो जाते हैं। आप सरकार से यह आश्वासन क्यों चाहते है कि आप भविष्य में इसका विरोध कर सकते हैं।

श्री लालकृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : मैं अपने साथी की बात में कुछ जोड़ना चाहता हूँ अर्थात् यह कि सामान्यतया लेखानुदान मांगों पर चर्चा होती है और तदनन्तर इन्हें पारित कर दिया जाता है। यह भविष्य के लिए पूर्व उदाहरण नहीं है। ऐसा केवल सीमित समय होने के कारण किया गया है। हमनें बजट सत्र को विलम्ब से शुरु किया और एक निश्चित समय सीमा के भीतर समस्त प्रक्रिया को पूरा किया जाना है। इसलिए सभी पक्ष इस पर सहमत हैं कि हम लेखानुदान मांगों को वाद-विवाद और चर्चा के बिना ही पारित करेंगे। यह भविष्य के लिए पूर्व उदाहरण नहीं है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कार्यसूची के स्तम्भ चार में मांग संख्या 1 से 28, 30, 31, 33 से 89, 91, 93 से 98 के सामने दिखाऐं गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए या के संबंध में, कार्यसूची में के स्तम्भ 5 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से, लेखे पर, राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

2.56 म० प०

विनियोग (लेखानुदान) संख्यांक 2 विधेयक, 1991*

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : "मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1991-92 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये"।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1991-92 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

*दिनांक 29-7-91 के भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2 खण्ड-2 में प्रकाशित।

श्री मनमोहन सिंह : मैं विधेयक को पुरःस्थापित* करता हूं।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, अब विचार के लिए विधेयक को प्रस्तुत करें।

श्री मनमोहन सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1991-92 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियां निकालने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1991-92 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियां निकालने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब हम विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 4 और अनुसूची विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 4 और अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड एक, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गये।

श्री मनमोहन सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.00 म० प०

बजट (सामान्य), 1991-92, सामान्य चर्चा

सभापति महोदय : सदन अब सामान्य बजट पर चर्चा आरम्भ करेगा। इसके लिए नियत समय 15 घंटे है, मेरा विश्वास है कि इस पर कार्य मंत्रणा समिति में विचार हुआ होगा।

श्री जसवंत सिंह (चित्तोड़गढ़) : सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने, वर्ष 1991-92 का बजट प्रस्तुत करते समय कई असाधारण कार्य किए है। लेकिन एक विशेष असाधारण कार्य था जो मेरे दिमाग में खटका था। माननीय वित्त मंत्री ने अपने आपको 1991-92 के बजट के प्रति समर्पित किया है। यह एक

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

अत्यधिक असामान्य टिप्पणी थी । फिर मैंने विचार करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला कि चूंकि दसवें आम निर्वाचन के संबंध में कई असामान्य बातें थीं और चूंकि हम अत्यधिक असामान्य समय में रह रहे हैं, और चूंकि स्वयं यह सरकार शासन का असाधारण असम्भाव्य प्रबन्ध है, इसलिए, मुझे भी किसी असाधारण चीज़ में आरम्भ करना चाहिए । और चूंकि मैं माननीय वित्त मंत्री की तरह अपना हस्तक्षेप करते समय अकेलेपन की किसी विचित्र भावना से मरा हुआ नहीं हूं, इसलिए मैं इस हस्तक्षेप को भारत के उस आम नागरिक को, भारत में उस अपरिचित आदमी और महिला को, समर्पित करता हूं, जिसने हमारी आज़ादी के विगत 44 वर्षों में कम से कम 40 कांग्रेस बजट दिए हैं और फिर भी जीवित हैं ।

जिस दिन बजट प्रस्तुत किया गया था, जो कि वित्तीय नीति का होता है, सरकार ने औद्योगिक नीति पर भी वक्तव्य दिया था । भाजपा ने औद्योगिक नीति पर विचार किया और औद्योगिक नीति का मोटे तौर पर समर्थन किया था ।

जहां तक बजट का संबंध है, जो कि, जैसा कि मैंने कहा था, वित्तीय नीति का विवरण है, इससे ऐसा आभास दिया गया कि हमने सरकार की औद्योगिक नीति का मोटे तौर पर समर्थन किया है, इसलिए उसी तरह से हम बजट का भी समर्थन करते हैं । मैं सबसे पहले उस गलत धारणा को दूर करना चाहता हूं । भाजपा इस बजट का विरोध करती है । और मैं शुरु से ही यह बताना चाहता हूं कि हम सिद्धान्ततः इस बजट का विरोध क्यों कर रहे हैं । अपने हस्तक्षेप के दौरान मैं इस संबंध में अपनी पांच या छः बातों की व्याख्या करूंगा ।

इस बजट के संबंध में हमारी पहली कठिनाई यह है कि यह बजट देश की आर्थिक प्रभुसत्ता को बनाए रखने में असफल रहा है । इस बजट का समर्थन करने में हमारी दूसरी कठिनाई यह है कि इस बजट में भारत की स्थाई वरीयताओं की ओर ध्यान नहीं दिया गया है । और मेरे विचार से स्थाई वरीयताएं, गरीबी उन्मूलन, बेरोजगारी को कम करना, जनसंख्या वृद्धि को रोकना और गरीब आदमी की क्रय शक्ति को बढ़ाना है ताकि वह इस समय जो पैसा खर्च कर रहा है उससे थोड़ा अधिक धन खर्च कर सके; संक्षेप में आम भारतीय नागरिक के जीवन स्तर को सुधारना । इस बजेट के बारे में हमारी एक समस्या यह है कि हमारे विचार में इसमें इन कृत्यों का पर्याप्त रूप से उल्लेख नहीं किया गया है ।

हमारी तीसरी समस्या भी है । हमारा विश्वास है कि उच्च-लागत वाली अर्थ-व्यवस्था को बदलने के लिये वित्त-नीति के विवरण के रूप में बजट में ही उल्लेख किया जाना चाहिये जिसके कारण उच्च पूंजी-उत्पाद अनुपात को बदलने के लिये इस बजट में किए गए कुछ उपायों से ऐसी स्थिति हो जाएगी जिससे ये चीजे और महंगी हो जायेंगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तथा औद्योगिक रूग्णता भी बढ़ जायेगी । हमारा विश्वास है कि बजट के इन सभी बातों की ओर पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं दिया गया है इसलिये हम इसका विरोध करते हैं ।

इस बजट के बारे में हमारी अगली समस्या यह है कि हमारा यह विश्वास है कि इससे मुद्रास्फीति और बढ़ेगी । मैं इस बारे में कुछ विश्लेषण करूंगा कि मैं ऐसा क्यों महसूस करता हूं कि इससे मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीतीकारक बढ़ेगी । कुछ क्षण के लिये यह कहना पर्याप्त है कि लगभग 6600 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आयात के बारे में, जिसका विवरण मैं बाद में दूंगा, मैं यह सोचता हूं कि उनकी अल्पाविधि या मध्यावधि लागतों में वृद्धि होगी और इस वृद्धि के लिए नागरिकों के पास अतिरिक्त धन नहीं होगा; सब चीजों की कीमतें बढ़ जायेंगी और इसलिये कठिनाई अवश्य होगी । इसलिये हम मुद्रास्फीति के कारण इस बजट का विरोध करते हैं ।

इस बजट से सम्बन्धित हमारी अन्तिम समस्या यह है कि आधारभूत संरचना, मुख्यतः उर्जा और यातायात सम्बंधी आधारभूत संरचना की तरफ पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है ।

सभी बजटीय हस्तक्षेप कठिन है । वे कठिन हैं क्योंकि वे आकड़ों से भरे हुये हैं, उनमें से कुछेक को समझ पाना कठिन है । उल्लिखित की गई राशि हजारों करोड़ रुपये में है । यह देखना कठिन है कि ये हजार करोड़ किस तरह लगते हैं । बजटीय हस्तक्षेप भी कभी आसान नहीं होते क्योंकि उनमें राजनैतिक अपील की कमी होती । इस हस्तक्षेप में मेरी समस्या और भी जटिल हो जाती है क्योंकि मैं माननीय वित्त मन्त्री का बहुत सम्मान करता हूँ । मैं सोचता हूँ कि माननीय वित्त मन्त्री बहुत ईमानदार हैं । राष्ट्र के प्रति उनका भावपूर्ण लगाव सुस्पष्ट है । वे बहुत विद्वान और अनुभवी व्यक्ति हैं । उनकी तुलना में मैं केवल अपनी कमियों के प्रति जागरूक हूँ । मेरा दृष्टिकोण अर्थशास्त्र के विद्वान प्रोफेसर का दृष्टिकोण नहीं है; मैं एक प्रेक्टिशनर हूँ, जैसा कि आप वर्तमान बदनाम राजनैतिक व्यापार को जानते ही हैं । लेकिन मैंने जो टिप्पणियाँ की हैं, मैंने सार्वजनिक जीवन और 25 वर्षों के सक्रिय राजनीतिक जीवन की कुछ बातों के आधार पर की हैं । इसलिये मैं माननीय वित्त मन्त्री को यह बताना चाहता हूँ कि यह बात ध्यान में रखे कि मेरे द्वारा की गई टिप्पणीयाँ व्यक्तिगत टिप्पणियाँ नहीं हैं । मैंने जो आलोचना की है, वह संस्थागत है; व्यक्तिगत नहीं ।

मैंने इस पर बहुत ध्यान दिया था और क्योंकि बजट सप्ताहान्त तक के लिए स्थगित कर दिया गया था, मैंने इस बात पर ध्यान दिया कि इस वाद-विवाद में या अपनी टिप्पणियाँ करते समय किन मानदण्डों का प्रयोग किया जाना चाहिये और किन-किन कार्य पद्धतियों का पालन किया जाना चाहिये । माननीय वित्त मन्त्री ने कांग्रेस (आइ) के चुनाव घोषणा-पत्र का बारम्बार और बहुत अधिक सहारा किया है । मैं मानता हूँ कि वे कांग्रेस विचारधारा के नये परिवर्तक हैं ।

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : कांग्रेस पार्टी के मन्त्री को ही यह करना चाहिये ।

श्री जसवन्त सिंह : हाँ । कुछ ऐसा ही है,

[हिन्दी]

नया मुल्ला ज्यादा नमाज पढ़ता है ।

[अनुवाद]

लेकिन यह सूक्ति है । मेरे विचार से माननीय वित्त मन्त्री यह मानेंगे कि मेरा हस्तक्षेप भाजपा घोषणा-पत्र के लिटमस पेपर परीक्षण के विरुद्ध होगा । क्योंकि यह स्पष्ट प्रयोग होगा । जहाँ कहीं भी हम यह पाते हैं कि आपकी बातें हमारे चुनाव घोषणापत्र के अनुरूप हैं—

श्री सन्तोष मोहन देव : यह प्रधान मन्त्री पर छोड़ दिया गया है ।

श्री जसवन्त सिंह : मापदण्ड प्रयोग करने के बाद, मैं नहीं जानता कि चुनाव घोषणापत्रों की तुलना करने में सत्ता पक्ष के मेरे मित्र उत्साहित क्यों होते हैं । लेकिन, उस मापदण्ड के प्रयोग के बाद . . .

श्री निर्मलकान्ति चटर्जी (दमदम) : वे समझौते पर उत्साहित हैं ।

श्री जसवन्त सिंह : मैं सोचता हूँ कि मैं आभारी हूँगा और केवल यही उचित होगा कि जहाँ कहीं भी हम यह महसूस करते हैं कि सरकार द्वारा उठाये गये कदम प्रशंसनीय हैं, तो बिना किसी हिचकिचाहट के मैं उनकी प्रशंसा करूंगा । और हमारे विचार में जहाँ हम यह महसूस करते हैं कि चेतावनी देना आवश्यक है, तो हम इस सरकार को चेतावनी भी देंगे । जहाँ हम यह महसूस करते है कि गुणावगुण के आधार पर आलोचना की जानी चाहिए तो हम आपकी आलोचना भी करेंगे । मैं इन तीनों'सी'—प्रशंसा, चेतावनी और आलोचना—को आपके बजट के कुछ पहलुओं पर स्पष्टीकरण मांगते समय चौथे 'सी' के साथ सम्मिलित करूंगा ।

श्री सन्तोष मोहन देव : जहाँ कहीं सम्भव हो, प्रशंसा करनी चाहिये।

श्री जसवन्त सिंह : अब मैं पहली प्रशंसा का वर्णन करूंगा और इसके साथ ही पहली चेतावनी भी दूंगा। बजट रूपी यह टोहका गड़ही, व्यापार नीति सुधार और औद्योगिक नीति विवरण—और मैं इसे जान बूझ कर टोहका कहता हूं क्योंकि जिस तरह से बजट वित्त नीति के दस्तावेज के रूप में नहीं है और औद्योगिक नीति विवरण और व्यापार नीति सुधार इसमें है इसलिए अपने आप में वित्त नीति के बिना ये दोनों अर्थात व्यापार और औद्योगिक नीति व्यर्थ है। उस के न होने से अन्य दो व्यर्थ ही होंगी। विस्तृत विवरण प्राप्त करने के पश्चात मैं इस तरह का कार्य करने के लिये सरकार की प्रशंसा करता हूं। मेरे विचार में यह तिकोण अपने आप में सम्पूर्ण है और इसमें नेहरु द्वारा प्रतिपादित आदर्श, उनके द्वारा प्रतिपादित विरासत और आर्थिक दर्शन तथा विचारधारा को जिसे हम पिछले 40 वर्षों से प्रयोग में ला रहे हैं, पूर्णरूप से नकार दिया गया है। मैं उस विरासत के पूर्ण रूप से नकारने के लिए सरकार की प्रशंसा करता हूं।

मैं यह क्यों करता हूं? यह छोटा-सा वाद-विवाद का प्रश्न नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि इसमें नेहरु द्वारा प्रतिपादित आर्थिक विचारधारा को अस्वीकार कर दिया गया है? उसके लिये मैं केवल माननीय वित्त मन्त्री का ही नाम लूंगा।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : क्या आप अब भी समर्थन नहीं करते?

श्री जसवन्त सिंह : मैंने कहा है कि जहाँ कहीं भी सम्भव होगा हम उनकी प्रशंसा करेंगे। माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा है और ये उनके अपने शब्दों में हैं, वे हमारी आर्थिक समस्या के बारे में कहते हैं कि "समस्या के शुरू होने के कारण प्रत्यक्ष रूप से निम्नलिखित हैं", "अत्यधिक और निरन्तर वीर्घ-आर्थिक असन्तुलन और व्यापार में पून्जी निवेश की कम उत्पादकता तथा विगत में की गई पूंजी निवेश पर लाभ की कम दरें" उन्होंने आगे भी बताया, "सरकारी व्यय में अवहनीय वृद्धि, सन्देहात्मक सामाजिक और आर्थिक प्रभाव वाली बजटीय सबसिड़ी," "कर प्रणाली जिसमें बहुत सी त्रुटियां है," "सार्वजनिक क्षेत्र जिनका प्रबन्ध इस तरह नहीं किया गया कि पून्जी लगाने योग्य बचतों का संवर्धन किया जा सके ...." "उद्योग को दी गई अत्यधिक और व्यर्थ सुरक्षा जो केन्द को ठोस निर्यात क्षेत्र का विकास नहीं करने देती। आय और व्यय में अत्यधिक अन्तर, अलाभकारी प्रभीण अर्थ-व्यवस्था", "सरकार की आय और व्यय में अन्तर जिसने अर्थ-व्यवस्था के आय-व्यय के अन्तर को और बढ़ा दिया है"।

महोदय, मेरे विचार में मैंने यह टिप्पणी करके गलती की है कि मैंने यह समझा है कि नेहरु द्वारा प्रतिपादित विरासत को नकार दिया गया है। मैं नहीं सोचता कि आगे उस विरासत का इससे अधिक और उचित प्रत्याख्यान होगा जिस के प्रति अन्यथा आप अब अपने झूठे दिखावे के लिये राजनैतिक प्रबन्ध के भाग के रूप में कोरी सहानुभूति देख रहे हैं। फिर मैं क्यों चेतावनी दूं? मेरे मित्र ने कहा है कि यदि आप प्रशंसा करते हैं, तो आप विरोध क्यों कर रहे हैं? श्रीमान जी, मैं विरोध कर रहा हूं क्योंकि हमें कथनी और करनी में अंतर नजर आ रहा है।

कुछ दिन पहले, सदन के नेता ने नेहरु की सामाजिक-आर्थिक विचारधारा की निरन्तर संगतता पर बात की थी और एक पंक्ति थी जिसे प्रधान मन्त्री को ही प्रस्तुत करना चाहिये था क्योंकि यह सूक्ति उन्ही से सम्बन्धित है और वे निरन्तरता सहित परिवर्तन की बात करते हैं। यह बैचेन करने वाली विचारधारा है क्योंकि आप दो पाटों के बीच फंस गये हैं। आप न तो परिवर्तन करते हैं और न ही निरन्तर रखते हैं। लेकिन हम इस सरकार की राजनैतिक मजबूरियाँ समझते हैं, दुर्भाग्यवश आर्थिक सुधार के राजनैतिक प्रबन्धन का कार्य ईमानदार (लेकिन राजनीति से अनभिज्ञ) व्यक्ति के हाथों में दे दिया गया था जो हमारे माननीय वित्त मन्त्री है। यह प्रधान मन्त्री की तरफ से सही कार्य था और मैं इस विचारधारा में भागीदार होना चाहता हूं। मेरे विचार से मैं गलती पर नहीं हूं क्योंकि जब कैलाधन ने राजकोष के चांसलर के रूप में अपनी नौकरी छोड़ी थी तो उन्होंने कहा था कि वित्त मन्त्री दो प्रकार के होते हैं—एक वे जो अपने कार्य-काल से पहले चले

जाते हैं या अपने कार्यकाल से पहले इस्तीफा दे देते हैं या अपराध में पकड़े जाने से पहले इस्तीफा दे देते हैं और दूसरे वे जो निकाल दिये जाते हैं । श्रीमान जी, माननीय वित्त मन्त्री एक ईमानदार व्यक्ति हैं, मैं उनसे यह आशा नहीं करूंगा क्योंकि उनको आर्थिक सुधारों के इस पैकेज के राजनैतिक प्रबन्धन में भेड़ियों की तरफ फैंका जा रहा है । हम राजनैतिक प्रबन्धन की मजबूरियां समझते हैं लेकिन हम सरकार से उन सुधारों के राजनैतिक प्रबन्धन में राजनैतिक ईमानदारी की अत्यधिक आशा करते हैं । यह सरकार की बेईमानी होगी कि निरन्तर के साथ-साथ परिवर्तन के अभिज्ञान का सुझाव देकर भारत की योग्यता का अपमान करें । श्रीमान जी, हम यह मत समझ सकते हैं कि आप भी स्वयं कांग्रेस (इ) पार्टी की योग्यता को अवमानना की नजर से देखते हैं लेकिन हम उसकी परवाह नहीं करते । मैं जिसका उल्लेख कर रहा हूं वह आच्छादन का अन्तर्निहित खतरा है क्योंकि यदि आप अधिक लम्बे समय तक आच्छादन करते हैं तो आप मूल और विस्तृत उद्देश्यों को अस्पष्ट करते हैं और मूल और विस्तृत उद्देश्य आर्थिक सुधारों से सम्बन्धित हैं क्योंकि वित्त मन्त्री ने स्वयं अपने शब्दों में कहा है कि,

> "अर्थ-व्यवस्था का संकट अत्यधिक और गहरा है । हमने भारत के इतिहास में पहले ऐसा संकट अनुभव नहीं किया" ।

ये उनके अपने शब्द है । यदि संकट गहराता है तथा मेरा विश्वास है कि संकट गहरा है, तथा मैं माननीय वित्त मंत्री से पूरी तरह सहमत हूं, यदि संकट गहरा है तो हम इस सरकार से सुसंगति चाहते हैं । कहने तथा करने के बीच सुसंगति । हमें सुसंगति की क्यों आवश्यकता है ? क्योंकि जिन सुधारों पर आप विचार कर रहे हैं वे तब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक आप विश्वसनीयता नहीं प्राप्त करते । तथा विश्वसनीयता की पहली आवश्यकता सुसंगति हो, आपके द्वारा बताए गए संकट की परिस्थिति में सुसंगति तथा जो आपने गहरा संकट बताया है । हम जानते हैं कि यह इस विश्वसनीयता की पूर्व शर्त है कोई भी सामाजिक समूह, विदेश में एजेन्सी के अलावा वह कोई अविश्वसनीय नीति नहीं अपनाएगा तथा बिना इस वायदे के आप सफल नहीं हो सकते । यदि आपके विचार तथा कार्य में कोई सुसंगति नहीं है तो आप इस प्रकार का कोई वायदा प्राप्त नहीं कर सकते ।

महोदय, बजट पर सामान्य परिचर्चा के दौरान, स्वाभाविक रूप से मैं विस्तार में नहीं जाऊँगा । परन्तु मैं संकट की रूपरेखा बनाऊँगा जैसाकि स्वयं माननीय वित्त मंत्री ने किया है । उन्होंने राजकोषीय पध्दति के संबंध में बहुत चतुराई से बताया था । उन्होंने भुगतान संतुलन के संकट के संबंध में बताया की उन्होंने मूल्य स्थिति की समस्याएं बताईं थीं । उन्होंने बाहरी तथा आंतरिक ऋण संकट के संबंध में बताया था तथा ऋण ब्याज की अदायगी से होने वाले परिणाम की समस्या के संबंध में बताया था । यह संकट की इस सूची के संदर्भ में मुझे अंग्रेजी भाषा के चार 'सी' वरण के तरीके का प्रयोग करना पड़ेगा 'प्रशंसा', 'चेतावनी', 'आलोचना' तथा 'स्पष्टीकरण' । संकट पर नियन्त्रण करने के लिए जो रूपरेखा बतायी गई थी उसमें सबसे पहली समष्टि आर्थिक प्रबंध की थी जिसके संबंध में स्वयं वित्त मंत्री ने बताया था । हम बिना किसी झिचक के घाटे को कम करने को कहेंगे चाहे वे इसे राजकोषीय, बजट सम्बन्धी राजस्व का या मुद्रा का कहते हों । मैं संक्षिप्त में स्वयं वित्त मंत्री को उध्दृत करूँगा ।

हम माननीय वित्त मंत्री के निम्नलिखित विचार से सहमत हैं:

> "मात्र वृहत-आर्थिक स्थिरीकरण और राजकोषीय समायोजन ही पर्याप्त नहीं है । इसके साथ ही समायोजन प्रक्रिया के एक अभिन्न मात्र के रूप में आर्थिक नीति और आर्थिक प्रबंध में सुधार किये जाने चाहिए ..."

तब उन्होंने यह कहा :

> "तौलोगिक विकास संबंधी नीतियों का व्यापार संबंधी नीतियों के साथ घनिष्ठ संबंध है ।"

हम इस विचार से भी सहमत हैं। तब उन्होंने आगे कहा :

"पिछले चार दशकों में आयात प्रतिस्थापन का काम किया गया, तो सब ही सुचारू नहीं रहा बल्कि कभी-कभी अविवेकपूर्ण रहा।"

हम इस विचार से भी सहमत हैं।

महोदय, मैं साहस के साथ वित्त मंत्री द्वारा परेशानी बताने की सराहना करता हूं। जब कि हम उनकी उसके लिए सराहना करते हैं जब वे करनी तथा कथनी में समानता लाने की बात करते हैं, मैं आपके लिए राष्ट्रपति गार्बाचोव का उदाहरण प्रस्तुत करता हूं जिन्होंने यह कहने का साहस किया था कि मेरी विरासत गलत रही है, जो विचार मैंने कम्युनिस्ट विचार या मार्क्सवादी विचार विरासत में पाया उसकी जड़ गलत थी जिसके कारण सोवियत संघ को परेशानी उठानी पड़ी है। हम भी आपसे किसी स्पष्टवादी स्वीकारोक्ती की आशा करते थे और भी खुली स्पष्टतावादिता की। जब तक आप ऐसा नहीं करते, तो आप आर्थिक सुधारों की संपूर्णता के संबंध में कार्यवाही नहीं कर सकते जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं।

महोदय, वित्त मंत्री द्वारा बताये गये अपने टोइका संबंधी अपेक्षा जिसकी चर्चा उन्होंने अपने बजट संबंधी भाषण में की है। जो औद्योगिक नीति तथा व्यापार नीति में सुधार लाने की है। आवश्यक रूप से इस प्रकार बजट पर सामान्य चर्चा करते हुए, उनका एक संक्षिप्त उल्लेख करना जरूरी है। परन्तु, उस पर विस्तृत चर्चा अभी होनी है। मैं उस विशेष संदर्भ को यह कहते हुए छोड़ता हूं कि मेरे लिए टोइका की अपेक्षाओं के संबंध में विस्तृत चर्चा करने का यह उपयुक्त अवसर तथा समय नहीं है।

हम भुगतान संतुलन के परेशान करने वाले प्रश्न पर आते हैं। हमारा व्यापार संतुलन खराब है। हमारी परोक्ष चीजें कम हुई हैं। हमारी ऋण सेवा का अनुपात ऊँचा है। परन्तु इसकी निश्चित प्रतिशतता के संबंध में कुछ मतभेद हैं। इसके साथ ही हमारा साख का स्तर कम है। भारत के संबंध में सामान्य विश्वास की हानि के साथ हमारे पास बहुत कम विदेशी मुद्रा के भंडार हैं तथा बहुत अधिक विश्वास की हानि अनिवासी भारतीयों में हुई है। अतीत की अपेक्षा हमारे पास देश में बहुत कम विदेशी निवेश है। वास्तव में हमने इसे हतोत्साहित किया है।

तत्पश्चात इनको ठीक करते हुए, इस सरकार ने तथा माननीय वित्त मंत्री ने अवमूल्यन के सुधार लागू किये हैं आई एम एफ से छोटी अवधि में बढ़ोतरी करने तथा तुरन्त ऋण प्राप्त करने के लिए सोने को संपार्श्विक संपत्ति के रूप में गिरवी रखा गया है। ये कुछ अल्पकालिक सुविधाएं हैं। अब यह बहुत बड़ा तथा उलझा हुआ मामला है। मैं इन बातों की विषय वस्तु की तकनीकी को स्पष्ट करने में सक्षम नहीं हूं क्योंकि मेरी योग्यता तथा अनुभव इतना नहीं है जितना कि डा० मनमोहन सिंह का है। यह संपूर्ण बजट के और अधिक विस्तृत परीक्षण के पश्चात ही किया जा सकता है। शायद इसके लिए यह उपयुक्त अवसर नहीं है। परन्तु इस संबंध में कुछ बातों के संबंध में मुझे बहुत अधिक चिंता है। पहला, बाहरी ऋण का मामला है। मैं इसे दोबारा नहीं दोहराऊँगा क्योंकि यह पहले ही कहा जा चुका है कि हमारे विदेशी संतुलन ठीक नहीं हैं क्योंकि व्यापार संतुलन तथा परोक्ष चीजें भी विपरीत हैं। यह विदेशी मुद्रा भंडार द्वारा संयोजित किया जाता है जिसके कारण बाहरी ऋण लेना पड़ता है चाहे वे आई एम एफ के कुछ भी पहलू हों—यह केवल थोड़े समय की ही व्यवस्था है। दूसरी सुविधाएं जो हमें आई एम एफ से प्राप्त होती हैं या जो सुविधाएं हमें अतीत में प्राप्त हुई हैं हमारी समस्या का हल नहीं है। यदि हम यह सोचते हैं तो हम गलती पर हैं यदि हम सोचते हैं कि केवल यही हमारी वर्तमान बीमारी का इलाज है। वास्तव में खाड़ी युध्द ने हमारी कठिनाइयों को बढ़ा दिया है तथा हमारे समक्ष ऐसी स्थिति है कि जिसमें वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर कुछ आंकड़े दिये गए हैं तथा कुछ अनुमानों के अनुसार जिसमें खाड़ी युध्द- अर्थात ईराक, वास्तव में यह भारत के लिए है।

मैं माननीय वित्त मंत्री से तीन स्पष्टीकरण चाहता हूं। मेरे पास जो आंकड़े हैं वे पिछले रेट पर आधारित हैं। मेरा केवल पिछला आंकड़ा 1989-90 का है। वर्तमान में देश पर कुछ अनुमानित बाहरी ऋण कितना है ? जो आंकड़े मैं बता रहा हूं ये 1989-90 के हैं तथा 1989-90 के रुपया डालर रेट पर आधारित

है । इस समय यह मोटे तौर पर 80,000 करोड़ रुपये था । कुछ आंकड़ों से पता चलता है कि वर्तमान में बाहरी ऋण 120 हजार करोड़ रुपये तक पहुँच गए हैं । मुझे सही आंकड़ों की जानकारी नहीं है । परन्तु मैं माननीय वित्त मंत्री से यह बताने का अनुरोध करूंगा कि देश की किस प्रकार की बाहरी ऋण ग्रस्तता है । तथा बाहरी वाणिज्यिक ऋण तथा बकाया ऋणों का प्रश्न आता है । अब विभिन्न खातों जैसे आई ही ए खाता, आई बी आर डी खाता, आई एम एफ (ई एफ) खाता आता है । मेरे पास 31 मार्च, 1990 के कुछ आंकड़े हैं जो अनुमानित आंकड़े हैं । बाहरी वाणिज्यिक ऋण लगभग 22,000 करोड़ रुपये के थे । मार्च, 1990 की समाप्ति पर वाणिज्यिक ऋण 21,912 करोड़ रुपये के हैं जिनको मैं 22,000 करोड़ रुपये प्रस्तुत कर रहा हूं । मार्च, 1990 को सरकार का आई बी आर डी का खाता 9,691 करोड़ रुपये का था, गैर सरकारी राशि 1083 करोड़ रुपये की थी, आई डी ए का खाता 21,038 करोड़ रुपये का था, आई एम एफ का 2362 करोड़ का तथा न्यास फंड 164 करोड़ रुपये के थे ।

हम अब उस तारीख के सही आंकड़े जानना चाहते हैं । बाहरी ऋण से संबंधित भी मेरी एक चिंता है । तथा गारन्टी के संबंध में संदेह है जो कि भारत सरकार द्वारा गारंटिया प्रदान की गयी हैं । या अभी और देते रहनी है । बजट पत्रों में ये सब बातें नहीं दी गई हैं । मेरा ऐसा विश्वास है । मैं नहीं जानता कि किसी भी बजट पत्र में गारन्टी को शामिल किया गया है । अतः मैं चाहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री इस सदन को विश्वास में ले तथा बतायें कि क्या मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़े गलत हैं । सरकार द्वारा समझौते में रखी गयी अधिकतम गारन्टी की राशि—दुर्भाग्य से मेरे पास 1988-89 के आंकड़ें 40,000 करोड़ रुपए के हैं । सरकार ने वर्ष 1988-89 के अंत में लगभग 40,000 करोड़ रुपये की जमानत दी थी । और इस धनराशि में से, उस वर्ष जमानत और बकाया राशि 33,200 करोड़ रुपये थी । और वर्ष 1984 से 1988-89 की अवधि के दौरान मूल रूप से देश को रेल मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय द्वारा दी गई जमानत के लिए 90 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ा । इस तरह लगभग पाँच वर्ष की अवधि में सरकार द्वारा दी गई गारंटीयों के लिये 90 करोड़ रुपए का भुगतान किया है । मेरे विचार से ये गारन्टीयाँ रेल और उद्योग मन्त्रालय से सम्बन्धित हैं । आप अच्छी तरह से कह सकते हैं कि जब हम एक लाख करोड़ या 1,50,000 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं तो भारत जैसे देश के लिये 90 करोड़ रुपये की राशि कोई बड़ी राशि नहीं है और हम इस धन का आसानी से भुगतान कर सकते हैं । हाँ, शायद हम कर सकते हैं । माननीय वित्त मन्त्री ने देश की वित्त व्यवस्था का बड़ी बारीकी से अध्ययन किया है और इसमें व्याप्त त्रुटियों को दूर करने के लिये उन्होंने अपनी शैली का प्रयोग किया है । मैं माननीय वित्त मन्त्री का आभारी रहूँगा यदि वे सदन में इन गारन्टीयों, जो जारी हैं, के प्रश्न पर प्रकाश डाले ।

अब मैं इस जटिल प्रश्न पर आता हूँ जो करार किये गये परन्तु अनुपयोगी विदेश के ऋणों के विवरण के बारे में है ।

मेरे पास 1989-90 के आंकड़े हैं और मुझे खुशी होगी यदि माननीय वित्त मन्त्री मेरे आँकड़ों को ठीक करें और उन्हें अद्यतन भी बनायें । वर्ष 1989-90 के आरम्भ में करार किया गया सकल विदेशी ऋण 36,594 करोड़ रु० था । उस वर्ष के दौरान केवल 2,757 करोड़ रु० का वितरण किया गया । इस लिये वर्ष 1989-90 में करार किये गये सकल विदेशी ऋण का लगभग 13 प्रतिशत ही उपयोग किया गया । चूंकि ऋण बढ़ता रहा, अनुदानें बढ़ती रही, वर्ष के अन्त में करार किया गया सकल अनुपयोगी ऋण 43,000 करोड़ रु० था । इस पर सैध्दान्तिक रूप से भी तर्क-वितर्क किया जा सकता है कि जब यह ऋण अनुदान और इक्विटी के बीच निर्णय लेने का प्रश्न है, यह शैक्षणिक निर्णय नहीं है कि कौन-सा श्रेयस्कर है । मेरा प्रश्न कुछ हद तक भिन्न है । हमारे विदेशी मुद्रा भण्डारों में कमी होने तथा व्यापार सन्तुलन के प्रतिकूल होने की स्थिति में 36,000 या 43,000 करोड़ रुपए की एक बड़ी राशि अनुपयोगी कैसे रह गई और उस विशेष वर्ष में हमारी उपयोगिता की प्रतिशतता केवल 13 प्रतिशत कैसे रह गई । मैं देश की अर्थ-व्यवस्था को ठीक करने के लिये वित्त मन्त्री द्वारा

किये गये प्रयासों से पूरी तरह वाकिफ हूँ । लेकिन कुछ ऐसे पहलू हैं जिनका उन्होंने उल्लेख नहीं किया है और जिनके बारे में हम चिन्तित हैं । सबसे अधिक चिन्ताजनक पहलू अनुपयोगी ऋण से अलग करार की गई लेकिन अनुपयोगी विदेशी अनुदानों का विवरण है । वर्ष 1988-89 के आरम्भ में अनुदान 1900 करोड़ रुपये की थी, वितरण 35 प्रतिशत के लगभग हुआ था और वर्ष के अन्त में लगभग 2640 करोड़ की राशि वितरित नहीं हुई । मैं वर्तमान वर्ष के ठीक आँकड़े और कारण जानना चाहता हूँ कि पिछले वर्षों में ऐसा क्यों नहीं हुआ ।

इससे भी अधिक चिन्ताजनक पहलू एक और है जो विदेशी ऋण के एक भाग के रूप में विदेशी सहायता के सम्बन्ध में है । सभी राष्ट्रों को विदेशी सहायता के अनुपयोगी भागों के लिये करारनामा प्रभार का भुगतान करना पड़ता है । मेरे पास जो आँकड़े हैं वे निम्नलिखित हैं ये करारनामा प्रभार है जिसका देश ने विदेशी सहायता के अनुपयोगी भागों के लिये भुगतान किया है । मेरे पास 1987-88 से 1989-90 तक के आँकड़े हैं । वर्ष 1987-88 में हमने 81.91 करोड़ रु० का करारनामा प्रभार के रूप में भुगतान किया है । वर्ष 1988-89 में 95.37 करोड़ रुपये और वर्ष 1989-90 में 81 37 करोड़ रुपये का करारनामा प्रभार के रूप में भुगतान किया है । इसलिये 1987 से 1990 तक तीन वर्षों में 258.65 करोड़ रुपये का केवल करारनामा प्रभार के रूप में भुगतान किया है क्योंकि भारत सरकार या कोई भी एजेन्सी उनके पास पड़ी हुई सहायता को उपयोग में लाने के सक्षम नहीं थी । यह तो दोहरी मार है । आपने न केवल वित्तीय सहायता का उपयोग नहीं किया बल्कि आपको इसे अनुपयोगी रखने के लिये बहुत थोड़े धन से भुगतान करना पड़ा । मैं माननीय वित्त मन्त्री से जानना चाहता हूँ कि वे इस विसंगति को और इस सम्बन्ध नवीनतम स्थिति को भी हमें स्पष्ट करें ।

चिन्ता का एक और कारण भी है जो विश्व बैंक को भुगतान किये गये करारनामा प्रभार के बारे में है । पुन: यह अनुपयोगी ऋण का प्रश्न है । इस मामले में, मेरे पास 1985-86 से 1989-90 तक के आँकड़े हैं । मैं इन्हें वार्षिक या वर्ष-वार नहीं बताऊंगा । मुझे विश्वास है कि माननीय वित्त मन्त्री के पास भी ये आँकड़े हैं । अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी के बीच वर्ष 1985 से 1990 तक सकल प्रभार 355 करोड़ रुपये का है । इसलिये इस अवधि में देश ने अनुपयोगी ऋण और अनुदानों पर करारनामा प्रभार के रूप में 613 करोड़ रुपये का भुगतान किया है—ये 614 करोड़ रु० के लगभग भी हो सकता है । माननीय वित्त मन्त्री ने हमें यह बताने का प्रशंसनीय कार्य किया है कि अर्थव्यवस्था में क्या गलत था और पिछली सरकारें कैसे अतिव्ययी रही हैं लेकिन भूतकाल का यह भाग जो मैंने बताया है 1985-87 से 1988 तक का है और जिसका एक ऐसी सरकार से सम्बन्ध है जिसकी माननीय वित्त मन्त्री प्रशंसा करते हैं । इसलिये क्या वे इस अतिव्ययता को स्पष्ट करेंगे ? क्या वे हमें ठीक आँकड़े भी देंगे ? क्या वे हमें नवीनतम आँकड़ें देंगे और ये बतायेंगे कि वे अनुपयोगी क्यों रहे ?

मैं अब अनिवासी भारतीयों के खातों के प्रश्न पर आता हूँ । मैंने विद्यमान दो लेखाओं रुपया संबंधी लेखा और विदेशी मुद्रा सम्बन्धी लेखा के बारे में जिक्र नहीं करता जो कि लगभग 17,600 करोड़ रुपये से सम्बन्धित है । माननीय वित्त मंत्री ने अनिवासी भारतीयों को देश में अधिक पूंजी निवेश करने की, यह चाहे आवास व्यवस्था करने में हो या अन्य मांड में हो या उपहारों के माध्यम से हो या जिस तरह भी हो, प्रोत्साहित करने के लिये अनेक कदम उठाये हैं । मेरे विचार से सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम प्रशंसनीय है । लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा है कि जहाँ कहीं भी आवश्यक होगा, मैं प्रशंसा के साथ चेतावनी भी दूंगा । अनिवासी भारतीयों द्वारा दी गई सहायता, जिसपर आप निर्भर कर रहे है, में निहित अस्थिरता के सम्बन्ध में मैं सरकार और माननीय वित्त मन्त्री को चेतावनी देना चाहता हूँ ।

जैसा कि मैंने यह कहते हुए अपनी बात आरम्भ की थी कि आपको सशक्त होना पड़ेगा जिससे आपकी विश्वसनीयता बनेगी । और अनिवासी भारतीय इस बात का समर्थन करते हैं कि आप अंतर्निहित नाजुक

श्री जसवन्त सिंह : वह ठीक है । जो सामान्य बजट पर वाद विवाद के दौरान हस्तक्षेप करेंगे वे इस बात को इतना तूल नहीं देंगें कि आपने बाहर क्या कहा था ।

अब अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और इसकी शर्तों को लेते है । जुलाई-सितम्बर, 1990 से जुलाई, 1991 तक, कृपया मुझे ठीक कर दें क्योंकि इनमें से कुछ आंकडे बजट सम्बन्धी पेपरों में भी है, हमने दो बड़े लेनदेन किये की जिनमें से एक 1173 करोड रु० या जुलाई-सितम्बर, 1990 के बीच हमारे कोटे का 22 प्रतिशत का है और दूसरा सी सी एफ एफ के अन्तर्गत 3334 करोड़ रु० का है । अब हमने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 5000 करोड़ रुपये लिये हैं । और अन्त में हमने जो 22 जुलाई को जो राशि ली थी मेरे विचार से 220 करोड़ रु० की थी । मुझे विश्वास है कि ये सभी शर्तें थी ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : नहीं . . . (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : मैं यह चाहता हूं कि माननीय वित्त मन्त्री यह कहें कि कोटे का 22 प्रतिशत और फिर 3344 करोड़ रु० जो सी सी एफ एफ के अन्तर्गत था और अब 220 करोड़ रु० 22 जुलाई को प्राप्त किये गये । मुझे विश्वास है कि इन सबके पीछे शर्तें थी । और जब हम शर्तों की बात करते हैं, तो हम स्वीकार करते है और हम यह समझते हैं । उदाहरण के लिये, यदि आज मैं कार खरीदने या किसी अन्य चीज के लिये ऋण के लिये बैंक जाता हूं तो बैंक मुझे वह एकदम ऋण नहीं देगा । यहाँ तक कि यदि वह मुझे वह ऋण देने की सोचेगा तो वह जमानत के अतिरिक्त जमानत मांगेगा और वह आपके व्यक्तित्व को देखकर उस पर शर्तें लगायेगा ।

इसके बाद वित्त मन्त्री के लिए यह कहना कि हम अपनी आर्थिक प्रभुसत्ता बनाये हुये है । हम इस पर आंच नहीं आने देंगे और किसी तरह की कोई शर्त नहीं हैं, महोदय, मुझे संदेह है कि यह वास्तव में हमारे देश के लोगों की योग्यता के लिए अपमानजनक है । निश्चित रूप से इससे हम सभी की योग्यता का अपमान हो रहा है । मेरे पास एक समाचार पत्र है — मैं नहीं जानता कि इसमें दी गई बातें सही हैं या नहीं मुझे यह भी नहीं मालूम की आप उन्हें मानेंगे या नहीं किन्तु श्रीमान वित्त मंत्रीजी, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप हमे बताये — जिसमें लिखा है कि— भारतीय रिज़र्व बैंक के एक भूतपूर्व वरिष्ठ अधिकारी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, ने कहा था कि भारत सरकार शर्तों के हिस्से के रूप में 1991-92 में सामंजस्य प्रक्रिया के प्रति वचनबद्ध है । स्पष्टत: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने निम्नलिखित शर्तें रखी हैं । अब यह बिल्कुल संभव है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने शर्तें रखी हैं जो आप स्वयं ईमानदारी से मानते हैं कि — वे ऐसी शर्तें या कदम है जो आप उठाना चाहते हैं । किंतु यह मेरा सवाल नहीं है । मेरा प्रश्न आर्थिक प्रभुसत्ता के बारे में है । क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने निम्नलिखित ऐसे कोई शर्तें लगायी है ?

(1) बजट संबंधी घाटे को कम करना तथा राजसहायता को न्यूनतम करना

(2) बाह्य तथा आन्तरिक ऋण सम्बंधी अधिकतम सीमा बनाना

(3) निर्यात को बढ़ाने के लिए नीतियों में ढील देना

(4) आयात घटाना

(5) व्यापार के अंतर को कम करना

(6) अक्षम एककों को समाप्त करके सरकारी क्षेत्र को बनाना, और

(7) निजी क्षेत्रो को ऋण देने पर कड़ा नियंत्रण रखना ।

अन्य देशों को दिए गए ऋणों पर भी इसी तरह की शर्तें लगायी गयी है । 94 नमूना मामलों में, जिनकी पुनरीक्षा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई० एम० एफ०) ने की थी, ये शर्तें सामने आयीं जैसाकि 1981 में

लिए ऋण के बारे में भारत का अपना अनुभव रहा है। जाँच करने पर यह पाया गया कि इसमें से कुछ शर्तें ऐसी है जिनको फिर से दुहराया गया है अब मेरा माननीय वित्त मंत्रीजी से अनुरोध है कि वे इस संबंध में प्रकाश डालें।

अब मैं कीमतों के प्रश्न पर आता हूँ। यह हमारे लिए सबसे बड़ी चिन्ता का विषय है। आरंभ में मैंने कहा था कि हम 5 या 7 कारणों पर बजट का विरोध कर रहे हैं और उनमें से एक कारण मुद्रा स्फीति है। आपकी नीति है और मेरे विचार से आपने बाद में हुए प्रेस सम्मेलनों और अन्य चर्चाओं में इस बात को स्पष्ट किया है कि आप घाटे को पूरा करना चाहते है। मुद्रा सप्लाई को रोकना चाहते है और उसके द्वारा दीर्घावधि में कीमतों पर अंकुश लगाना चाहते हैं। लेकिन अल्पावधि के लिए अथवा तत्काल आप क्या कर रहे हैं। हमारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पहले ही 13.6% बढ़ गया है और यह 13.6% का आंकड़ा भी कल का है। मेरे विचार से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का वास्तविक आंकड़ा करीब 14% है अब जब आपके सामने 14%की दर पर मुद्रास्फीति है — मैं इस आंकड़े पर एक मिनट बाद फिर आऊंगा। आपने रेल के, ईंधन-उर्वरक, चीनी और विद्युत के लिए क्या किया है, अनिवार्य रूप से यह अल्प अथवा मध्यम अवधि में मुद्रा-स्फीति की दर को और बढ़ायेगा।

मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी नहीं हूँ और मैंने यह कहते हुए शुरुआत की थी कि निश्चित रूप से मैं माननीय वित्त मंत्री के इस विषय में ज्ञान और अनुभव का मुकाबला नहीं कर सकता। किन्तु सार्वजनिक जीवन का मेरा पर्याप्त अनुभव है और उसके आधार पर मैं यह कहना चाहता हूँ कि देश मे बढ़ती हुई कीमतों के कारण वातावरण नाजुक हो गया है। और यह किसी भी समय विस्फोटक हो सकता है और इसके लिए विश्वास का वातावरण पैदा करने की आवश्यकता है।

मुझे खेद है कि वित्त मंत्री महोदय, इस संबंध में आपने जो कदम उठाये हैं चाहे वे कितने ही उपयोगी या अनुपयोगी हो मैं उनकी उपयोगिता के संबंध में यहां पर कोई निर्णय नहीं ले रहा हूं किंतु कीमतों के संबंध में उसने कोई विश्वास पैदा नहीं किया। दूसरी ओर उन्होंने अल्पावधि अथवा मध्यावधि दोनो में ही कीमतें स्थिर रखने के संबंध में विश्वास समाप्त कर दिया है। हमारे लिए यह पहलू इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसी कारण हम इस बजट का जोरदार शब्दों मे विरोध कर रहे हैं क्योंकि आपने आम भारतीय को अपनी जेब में एक भी पैसा बचाने के लायक नहीं रखा है। मध्यम वर्ग तथा गरीब लोगों के पास कोई अतिरिक्त धन नहीं है आपने कीमतें बढ़ा दी है लेकिन कोई अतिरिक्त धन नहीं दिया है। घाटे को कम करने के संबंध में आपकी दीर्घावधि नीति चाहे कितनी ही प्रशंसनीय क्यों न हो, तो भी आप इस स्थिति का किस प्रकार सामना करने जा रहे हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में मुझे अत्यधिक चिंता है क्योंकि मेरे विचार से माननीय वित्त मंत्री दो क्षेत्रों के संबंध में अपने आर्थिक सुधार के लिए अत्यधिक भयभीत रहे हैं और अपने समग्र बजट भाषण में वे बहुत भयभीत रहे हैं और ये दो क्षेत्र हैं — सार्वजनिक क्षेत्र और योजना आयोग।

इस समय 98 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान हैं जो कुल मिलाकर भारी घाटे में चल रहे हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। माननीय वित्त मंत्री उनके बारे में जानते हैं। इन 98 प्रतिष्ठानों में चाहे वे एयर लाइन से एफ सी आई हो, उर्वरक से परिवहन हो, कोयला क्षेत्रों से पेपर मिलें हो, रसायन से कपड़ा हो, होटल से फार्मास्यूति तक इनका सारा संभावित कार्यकलाप इसमें सम्मिलित हैं और ये सभी घाटे में चल रहे हैं। इन सार्वजनिक क्षेत्र के एककों—लगभग 60 एकको की लाभांश दर उसमें लगायी गयी पूंजी से की तुलना में 8% से भी कम है। इनके कारण निवेश पर कुल लाभांश में भी कमी आयी है। लगायी गयी पूंजी के सकल लाभ के अनुपात की गणना करने पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में वर्ष 1988-89 के निवेश पर लाभ केवल कुल 4.4% था। सार्वजनिक उद्यम विभाग अथवा योजना आयोग ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में पूंजी निर्माण और सकल घरेलु उत्पादन के संदर्भ में निवल वृध्दि उत्पादन अनुपात के बारे में कभी कोई

संगणना नहीं की है । इसका सबसे नाजुक क्षेत्र जिसमें व्यापार, विपणन परिवहन सेवाये आती हैं । वस्तुतः वित्त से उद्यमों के समग्र कार्य निष्पादन पर केवल महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि लगायी गयी पूंजी और उत्पादक सेवाओं के मूल्य का आपस में कोई संबंध नहीं है ।

इसलिए मैं यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि इससे केवल दो हजार अथवा उससे अधिक करोड़ मूल्य की ईक्विटी पूंजी को कोई भी ऐसी जगह डुबोना नहीं चाहेगा जहाँ से वह उसे वसूल न कर सके । आवश्यकता पड़ने पर आप रू० खर्च करने के लिए 2000 करोड़ वसूल कर सकते हैं । लेकिन इससे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमो में सुधार नहीं हो सकता । मैं चाहता हूं, माननीय वित्त मंत्री इस विषय विशेष पर अपने विचार व्यक्त करें लेकिन निर्भय हो कर ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि विभिन्न करार संबंधी ज्ञापनों के क्या परिणाम हैं । जिन पर 1985-90 की अवधि में विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ हस्ताक्षर करने का प्रयास किया गया था ।

मैं संपूर्ण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में और भी अधिक चिन्तित हैं । यह एक ऐसा पहलू है जिसके संबंध में संसद में नहीं बताया जाता और बहुत सारे उपक्रमों के संबंध में कुछ भी नहीं कहा जाता क्योंकि इनकी लेखा परीक्षा नहीं की जाती और ये विभिन्न राज्य सरकारों की सरकारी क्षेत्र के एकक हैं । यह सचमुच एक भयावह स्थिति है ।

श्री मनमोहन सिंह : संक्षेप में यही बात मैंने उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री से कही थी जब वे मुझे मिलने आये थे ऐसे उपक्रमों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है ।

श्री जसवंत सिंह : मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय वित्त मंत्री ने याद दिलाने पर मेरे साथ अपने विचारों का आदान प्रदान किया । मुझे उन्हें याद दिलाना है कि राज्य सरकार की यूनिटों के साथ क्या गड़बड़ है । कृपया इस तरफ ध्यान दें । पूंजी और ऋण द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों के सरकारी क्षेत्र के यूनिटों में कुछ पूंजी निवेश के आंकड़े और भी भयावह है । यह 11,21,890 करोड़ रू० है । मैं नहीं समझता हूं कि 11 लाख करोड़ रू० कैसे लगते है ! मैं इस बात को यूंही नहीं कर रहा । ये वे आंकड़े हैं जिनकी गणना नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक ने की है । नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने कहा है कि राज्य सरकारों की सरकारी क्षेत्र की यूनिटों में उन्हे बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनकी कभी लेखापरीक्षा नहीं की गई है और जब नियंत्रक और महालेखापरीक्षक कार्यालय के कर्मचारी इन जर्जर उपक्रमों में जाते हैं और लेखा परीक्षा करने का प्रयास करते है तो राज्य सरकार उन लेखापरीक्षाओं को स्वीकृति नहीं देती । अब मैं वास्तव में यह जानना चाहता हूँ कि हमारे पास 11,21,890 करोड़ रू० के आंकड़े है । इन कम्पनियों में से 206 कम्पनियों ने 131 करोड़ रू० का संचित काम दिखाया है । लगभग 11 लाख करोड़ रू० में से यह 131 करोड़ रू० है । 514 कम्पनियों अथवा राज्य सरकार की यूनिटों ने 2,01,965 करोड़ रू० का संचित घाटा दिखाया है । इस प्रकार आज की तारीख तक कुल घाटा 86,834 करोड़ रू० का है । लगाई गई पूंजी पर लाभ तो है ही नहीं । 31-3-1990 को 807 कम्पनियां थीं जिनकी प्रदत्त पूंजी 62,27,000 करोड़ रू० थी और ऋण 7000 करोड़ रू० था ।

माननीय वित्त मंत्री ने सभी संसाधनों का पता लगा लिया है । मैं इस विषय पर इसके बाद में कहूँगा । उन्होंने 1,500 करोड़ रू० के किसानो के कर्ज माफी के बारे मे कहा है । उन्होंने बार-बार कहा है कि 1500 करोड़ रू० की इस राशि ने अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान पहुँचाया है । [व्यवधान] मैं इस बात को समझता हूँ । मैं कर्ज माफी को उस बात के साथ जोड़ू जिससे यह संबंध रखती है ।

अब मैं बैंक और वित्तीपोषण क्षेत्र के संबंध में कहना चाहता हूँ । मेरे विचार से माननीय वित्त मंत्री ने जो कदम उठाये हैं उनके संबंध में उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए । मेरे विचार से माननीय वित्त मंत्री इस बात

को समझते हैं कि बैंकिंग क्षेत्र की हालत बहुत दयनीय है । यदि बैंकिंग क्षेत्र की वास्तविक तस्वीर देखनी है तो सरकारी क्षेत्र के अनेक बैंकों की स्थिति देखनी होगी और वे भी बैंक आफ क्रेडिट एण्ड कामर्स इन्टरनेशनल की भांति बंद हो जाएंगे और मैं नहीं जानता कि तब हमारा क्या होगा । ऐसा विचार है हालांकि आपके द्वारा उठाएं गए कदमों की हम प्रशंसा करते है परन्तु मुझे खेद है कि केवल आपके द्वारा सुझाए गए कदमों से ही सम्पूर्ण बैंकिंग क्षेत्र अपनी गलतियां नहीं सुधारेगा ।

मैं जानना चाहूंगा कि आप कौन-कौन से सुधार करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते है; क्या आप सभी संबंधित पहलुओं पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त करना चाहते है तो यह अच्छी बात है किन्तु क्या आप इस उच्च स्तरीय समिति को इन बैंकों की सरकारी क्षेत्र के बैंकों की वास्तविक स्थिति देखने का अधिकार भी सौंपेंगे ।

मेरे विचार से ब्याज दरों के संबंध में आपके द्वारा उठाया गया कदम प्रशंसनीय कदम है । हम इसका पालन करेंगे । हम डिबेचरों—दोनों परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय की बजाय दरों के बढ़ाने तथा साथ ही छोटी बचतों पर भी ब्याज दरों को बढ़ाने में आपके साथ हैं । आप सिबा (एस० इ० आई० बी० ए०) को सांविधिक शक्तियां देना चाहते हैं, वह भी प्रशंसनीय कदम है । जैसा कि आपने स्वयं कहा है कि प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम में संशोधन करना होगा । स्टाक एक्सचेंज के संबंध में भी सुधार करना चाहिए—यह ऐसा कदम है जिसका हम स्वागत करते हैं ।

जहां तक म्युचल फंड के सारे क्षेत्र को निवेश के लिए खुली छूट देने और उस पर राज्य का एकाधिकार लागू न करने की बात है । यह एक स्वागत योग्य कदम है । अनिवासी भारतीयों के संबंध में नीतियों और प्रक्रियाओं की व्यापक जांच की इच्छा के संबंध में मैंने पहले ही बोल दिया था । औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो का पुनर्गठन करने तथा इसे टेरिफ कमीशन में बदलने संबंधी आपकी इच्छा भी एक स्वागत करने योग्य कदम है ।

बैंकिंग तथा वित्त के संबंध में मैं पहले ही बात कर चुका हूं । श्रम तथा औद्योगिक रूग्णता के संबंध में, बजट भाषण में कुछ नहीं कहा गया है । राष्ट्रीय नवीकरण निधि के संबंध में आपने जो कुछ कहा है, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता । आपने राष्ट्रीय नवीकरण निधि के संबंध में जो कुछ कहा है यह एक प्रकार से श्रमिकों के हितों को ताक पर रखकर बी० आई० एफ० आर० का ही एक बड़ा रूप है । यदि इसके संबंध में मेरी समझ गलत है तो मुझे प्रसन्नता होगी यदि माननीय वित्त मंत्री हमें यह बताने की कृपा करें कि राष्ट्रीय नवीकरण निधि से वास्तव में क्या किया जायेगा ।

5.00 बजे म० प्र०

माननीय वित्त मंत्री के वक्तव्य में एक पहलू ऐसा है जिसके संबंध में हम भारतीय जनता पार्टी वाले पूरी तरह सहमत हैं । यह हमारे घोषणापत्र का हिस्सा है । हमने इस विषय पर निर्विरोध समर्थन दिया था । पश्चिम में व्याप्त नीरस उपभोक्तावाद के हम विरोधी हैं । मेरे विचार से माननीय वित्त मंत्री पश्चिम पंजाब के एक सूखाग्रस्त छोटे से गांव के संबंध में जो कुछ कहा है वह बहुत ही अर्थपूर्ण व भावपूर्ण था, वे इसी छोटे से गांव से आज भारत के वित्त मंत्री जैसे उच्च पद पर पहुंचे हैं । मैं भी गांव में पैदा हुआ हूं । यह केवल सूखा-ग्रस्त क्षेत्र ही नहीं है अपितु यह वास्तव में भारतीय मरुस्थल का ही एक हिस्सा है । मुझे यह समझाने की आवश्यकता नहीं कि उनका विचार क्या है, मैं सब समझता हूं कि उनका इससे क्या तात्पर्य है कि जीवन में वे कहां से कहां पहुंच चुके हैं । पहले वे क्या थे और अब किस स्थिति में पहुंच चुके हैं अतः जब वे उपभोक्तावाद के घटियापन और नीरसता की बात कहते हैं तो हम उनसे पूरी तरह सहमत हैं । क्योंकि यह उपभोक्तावाद ही है जो 1985-90 की अवधि के बीच फैला है । जब माननीय वित्त मंत्री न्यासधारिता की बात करते हैं तो हम उनसे पूरी तरह सहमत हैं क्योंकि जब तक हम पहले धन का उत्पादन नहीं कर लेते तब तक गरीबी को नहीं हटा सकते । भाजपा इस बात को मानती है कि वह धन अथवा धन का स्वामित्व अथवा

धन होना खोखले उपभोक्तावाद की दृष्टि से अंतिम उद्देश्य नहीं है । यह हमारे चुनाव घोषणा पत्र का हिस्सा है कि न्यासधारिता की कल्पना जिसकी गांधीजी ने भी बात की और जिसके बारे में माननीय वित्त मंत्री ने भी कहा है वह ऐसी बात है जिसके साथ हम पूरी तरह से सहमत है ।

मैंने पहले ही बहुत समय ले लिया है । किन्तु मैं ब्याज के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं । माननीय वित्त मंत्री ने स्वयं ही ब्याज के संबंध में काफी कुछ कहा है । मेरे विचार से वह इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि यदि आज सुधारात्मक कदम न उठाए गए होते तो हमारे राजस्व का 47% भाग ब्याज अदा करने में ही चला जाता ।

विदेशी ऋण की ही तरह मैं केवल एक बात जानना चाहता हूं कि हमें इस समय कुल कितना स्वदेशी ऋण देना है । जहां तक ब्याज की बात है इसका एक और पहलू है । मैं सांसद के रूप में—राज्य के एक प्रतिनिधि के रूप में बोल रहा हूं परन्तु हमारे देश हितों का मुझे ध्यान है । मेरी समस्या राज्यों से रियायती दरों पर ब्याज के बारे में है । यदि मेरे आंकड़े सही न हों तो उन्हें ठीक कर दें । मेरे विचार से संघ सरकार की 11.5 प्रतिशत औसत लागत की तुलना में राज्यों से केवल 10.25% ब्याज लिया जाता है । शेष राशि कहां से आती है ।

छोटी बचतों से लिए गए ऋणों पर राज्य सरकारों से 13% ब्याज लिया जाता है । संघ सरकार की लागत उस पर बहुत अधिक है क्योंकि राज्यों द्वारा उसकी अदायगी 25 वर्षों तक की जानी होती है जबकि संघ सरकार को उसकी अदायगी 6 वर्ष पश्चात करनी होती है ।

इसके अतिरिक्त विदेशी ऋणों की राशि जब आगे राज्य सरकारों को दी जाती है तो विदेशी मुद्रा के उतार-चढ़ाव के कारण होने वाले अंतर का भार संघ सरकार को वहन करना पड़ता है । आपने ब्याज की दरों की बात की और यह कहा कि इस बारे में काफी कुछ किए जाने की आवश्यकता है । अतः क्या आप इस ओर ध्यान देंगे ? यह एक बहुत बड़ी समस्या है परन्तु आपने रियायती दर पर ब्याज की समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है । मैं इसे राज्यों को ब्याज रियायत का नाम दूंगा ।

जहां तक रक्षा का संबंध है, माननीय वित्त मंत्री और माननीय रक्षा मंत्री दोनों ने विस्तृत रूप से सुरक्षा तैयारी की बात की है और कहा है कि "हम रक्षा तैयारियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने देंगे, आदि-आदि । हम अपनी रक्षा तैयारियों को उच्चतम स्तर तक बनाए रखेंगे" ।

माननीय वित्त मंत्री से मैं यह जानना चाहूंगा कि वे यह स्पष्ट करें कि वे ऐसा कैसे करेंगे । मैं रक्षा मंत्रालय के राजस्व बजट की बात नहीं कर रहा क्योंकि राजस्व बजट वस्तुतः स्थापना लागत है और रक्षा बजट का लगभग 65% व्यय स्थापन लागत के रूप में है । आपने रक्षा मंत्रालय के पूंजी बजट के लिए इस वर्ष 5211 करोड़ रु० का आबंटन किया है । एक क्षण के लिए इन आंकड़ों पर विचार करें । रक्षा मंत्रालय के लिए 1990-91 के बजट प्राक्कलनों में इस लेखे में 4829 करोड़ रु० का प्रावधान और उस वर्ष के लिए संशोधित अनुमान 4738 करोड़ रु० हो गए । इस प्रकार मुद्रा-स्थीति के बावजूद रक्षा मंत्रालय के पूंजी बजट में कमी हुई । मैं 1990-91 के बजट प्राक्कलनों की बात नहीं कर रहा हूं । मैं संशोधित प्राक्कलनों की बात कर रहा हूं । आपने उसे लगभग 4700 करोड़ रु० से बढ़ाकर 5200 करोड़ रु० कर दिया है । इस प्रकार रक्षा मंत्रालय के पूंजी व्यय में लगभग 520 करोड़ रु० की वृद्धि है । यदि मुद्रा स्थीति की दर इस समय 14% है और रु० के मूल्य में 20% का अवमूल्यन हुआ है तो यह 520 करोड़ रु० केवल एक ही खाते में चले जाएंगे । रक्षा मंत्रालय के पूंजी खर्चे में आधुनिकीकरण हथियारों का दर्जा बढ़ाए जाने और उनको सही हालत में रखना आवश्यक होता है । पूंजी व्यय के अंतर्गत बेर को, भंडारण सुविधाओं और सैनिकों के लिए आवास आदि पर व्यय भी सम्मिलित है । आज मकानों की बहुत कमी है तथा उस लेखे पर वास्तव में आपने रक्षा बजट में कटौती की है । और यदि आपने रक्षा बजट में कटौती की है तो आप यह समझाएं कि आप उस स्थिति को कैसे बनाए

रख सकेंगे जिसको आप "पूरी रक्षा तैयारी" कहते है । मुझे बहुत प्रसन्नता होगी यदि आप इस संबंध में पुन: आश्वासन दें ।

इसके बाद राजसहायता आती है । मुझे खेद है कि मैं कुछ अधिक समय ले रहा हूं । किन्तु मेरे लिए इस पहलू को भी शामिल करना आवश्यक है । मैं वित्त मंत्री द्वारा दी गई राजसहायता के संबंध में नहीं कहूंगा । उन्होंने चीनी उद्योग से कुछ रियायतें वापिस ली हैं और उर्वरकों से लगभग 2000 करोड़ रु० की रियायतें वापिस ली हैं । मैं रियायतों के बारे में निश्चित नहीं हूं । मैं अर्ध रियायतों और छद्म रूप से दी जा रही कुछ राजसहायताओं की बात कर रहा हूं । मेरे विचार से अर्ध रियायतों और छदम रुप से दी जा रही रियायतों के बारे में स्थिति बहुत ही गंभीर है । माननीय वित्त मंत्री महोदय द्वारा उर्वरकों पर दी जा रही 4000 करोड़ रु० की राजसहायता में से 2000 करोड़ रु० की राजसहायता वापिस ले ली गई है । निर्यात के लिए दी जाने वाली राजसहायता में से उन्होंने सी सी एस और प्रतिपूर्ति लाइसेंसों पर दी जा रही राजसहायता वापिस ले ली है । मेरे विचार से इस लेखे में उन्होंने लगभग 1300 करोड़ रु० की राजसहायता समझकर दी है । इसमें से कुछ राजसहायता बहुत आवश्यक है । तथापि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि क्या कुछ अन्य राज-सहायताओं को कम कर के उर्वरकों पर राज-सहायता दिया जाना जारी रखा जाना चाहिए था । उदाहरण के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा ब्याज और मूलधन की अदायगी में चूक को स्वीकार नहीं किया जा सकता और यदि उनको दूसरी तरह चलते रहने की अनुमति दी जाती है तो मेरे विचार से यह भी राजसहायता है ।

श्री मनमोहन सिंह : आपकी इन सभी बातों को एक ही दिन में कैसे ठीक कर सकते हैं ?

श्री जसवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री का कहना है "आप कैसे समझा करते ?" मैं जानना चाहता हूं कि पहले आपने इसे कैसे समाप्त किया । आपने केवल इंडिया और देश के मामले में हजारों करोड़ रु० की राशि वस्तुत: माफ कर दी और यह सब मार्च, 1986 और मार्च, 1989 के बीच किया गया । और अब वित्त मंत्री महोदय कहते हैं कि एक ही दिन में आप कैसे समाप्त करते ।

महोदय, कोल इंडिया की ओर लगभग 3700 करोड़ रु० के ऋण बकाया थे, जिसमें लगभग 500 करोड़ रु० मूलधन की अदायगी की चूक थी और लगभग 830 करोड़ रु० ब्याज के रुप में अदा किए जाने थे । मैं आपको 3 अन्य उदाहरण बताना चाहूंगा । डेसू की ओर 125 करोड़ रु० का ऋण बकाया है, 125 करोड़ रु० मूलधन के रुप में अदा नहीं किए गए और 154 करोड़ रु० ब्याज के रुप में नहीं दिए गए । मुझे खुशी है कि मेरे मित्र श्री खुराना यहां उपस्थित नहीं है अन्यथा उन्हें इन बातों से बहुत गुस्सा आता ।

श्री मनमोहन सिंह : आपको इस बारे में कुछ कहने से पहले श्री खुराना से परामर्श कर लेना चाहिए था ।

श्री जसवंत सिंह : वह दिल्ली के हितों की बात करेंगे परन्तु मुझे आपको इस बारे में बताना है । दिल्ली के हितों का वह बहुत अच्छी तरह से देखते हैं ।

श्री मनमोहन सिंह : श्री जसवंत सिंह जी, क्या आप जानते है कि आप जो कुछ कह रहे है, यदि उसे किया जाता है तो दिल्ली में रोयले और बिजली की कीमतों में और तीव्र वृद्धि होगी और फिर आज जिस कीमत वृद्धि की बात कर रहे हैं उस के बारे में हमें सोचना होगा ।

श्री जसवंत सिंह : मेरे विचार से, माननीय वित्तमंत्री जी मुझे को पूरी तरह से समझ नहीं रहे है, क्योंकि उन्होंने किसानों से 2000 करोड़ रुपये लिए है । कोल इन्डिया की स्थिति यह है । कोल इन्डिया की तरफ 3319 करोड़ रुपये बाकी है । यह मार्च, 1989 की स्थिति है । मेरे पास अद्यतन आंकड़े नही है । मैं यह बात स्वीकार

करता हूं और सम्भवत: वह हमे अद्यतन आंकड़े बता सकते है । 310 करोड़ रुपये की मूलराशि बकाया बनती है और 604 करोड़ रुपये ब्याज के बाकी है । अब, वास्तव में, कोल इन्डिया कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि जिसके बारे में मेरे माननीय साथी श्री मदनलाल खुराना को बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाना चाहिए । यह तो केवल एक दृष्टान्त है, डेसू तो उस अपव्यय का एक दृष्टान्त है जिसका उल्लेख आपने व्यापक रूप से किया है, मुझे दिल्ली परिवहन के बारे में कुछ आंकड़े मिले है जिन्हें मैं दोहराना नही चाहता । आप जब उस धन राशि को देखिए जिसे सरकार ने बट्टेखाते में डाल दिया है; इसके बावजूद डेसू 31 मार्च, 1989 को बदरपुर ताप विद्युत संयत्र को 1430 करोड़ रु० की राशि की देनदार है । महोदय, प्रश्न यह नही है कि विद्युत सप्लाई और महंगी हो जाएगी । प्रश्न तो उन चीजों को सम्भालने का है जो आपके हाथ में है । आप कोई बहाना नही बना सकते; आप यह भी कह सकते कि डेसू के लिए अपने कर्जे बट्टे खाते में हलवाते रहना; और सभी कुछ बट्टे खाते में डालने के बाद भी 1430 करोड़ रु० का ऋणी बने रहना ठीक बात है जबकि कोल इन्डिया के मामले में अपव्यय ठीक नहीं है ।

श्री मनमोहन सिंह : मै इस मामले में आपकी सलाह को गम्भीरतापूर्वक लूंगा ।

श्री जसवंत सिंह : मैं इसी बात का आग्रह नही करता रहूंगा । मैं वित्त मंत्री जी से वाद-विवाद में बाजी भी नही मारना चाहता । लेकिन यहां पर ऐसी वित्तीय स्थिति है कि कोल इन्डियाके मामले में धनराशि को बारम्बार बट्टे खाते में डाला गया है । मझगांव गोदी, कोल इन्डिया, खादी और ग्रामीण उद्योगों और भारत गोल्ड माइन्स को ब्याज छूट दी जा रही है । मैं जानना चाहता हूं कि आप राष्ट्रीय वस्त्र निगम को वार्षिक रूप से 230 करोड़ रु० की ब्याज छूट क्यों दे रहे है । उर्वरकों पर 4000 करोड़ रु० की राजसहायता से सरकार को चिन्ता होने लगी है । जब आप कोल इन्डिया और इन सभी के माफ किए गए कर्जों की बात करते है तो थोड़े से ऋण माफी से सरकार को चिन्ता होने लगी है । कोल इन्डिया के मामले मे 5000 करोड़ रु० से अन्यून ऋण माफ़ किया गया है । मैं चाहता हूं कि यदि इस सम्बन्ध में मेरे आंकड़े गलत है तो वित्त मंत्री जी मुझे सही आंकड़े बतायें ।

श्री मनमोहन सिंह : क्या आपका सुझाव यह है कि कोयले की कीमतें बढ़ाई जानी चाहिए थी ? मैं इस प्रश्न पर आपका उत्तर चाहूंगा ।

श्री जसवंत सिंह : श्रीमानजी, मैं तो यह उल्लेख कर रहा हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी यह कहकर पिछली सरकार में दोष निकाल रहे है कि उन्होनें किसानों के कर्जे माफ कर दिए लेकिन मैं इसके साथ ही वित्त मंत्री जी को दोषी ठहराता हूं जब वह कोल इन्डिया के लिए 5000 करोड़ रु० बट्टे खाते में डाले जाने में कुछ भी असामान्य नही देखते । श्रीमानजी, मैं माननीय वित्त मंत्री जी को उस समय दोषी मानता हूं जब उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था के किसान वर्ग को दी जा रही राजसहायता, जोकि सीधे किसानों को मिलती है, में कठिनाई नजर आती है, इसके विपरीत, उन्हें कोल इन्डिया के अपव्यय में कुछ भी गलत नजर नही आता ।

श्री मनमोहन सिंह : वह भी किसानों को ही मिलता है । यदि कोयले की कीमते उंची होंगी तो इससे बिजली के कीमते बढ़ेगी । इसके कारण भी किसानों को कष्ट होगा ।

श्री जसवंत सिंह : यह तो एक कमजोर सा अर्थशास्त्रीय तर्क है । भारत के अधिकांश भागों में किसानों को बिजली की सप्लाई के मामले में न्यूनतम वरीयता दी जाती है । किसान को बिल्कुल भी बिजली नही मिलती और यदि मिलती भी है तो यह रात के उस पहर मिलती है जो सबसे अधिक ठंढा होता है । खेतों में ठन्हें पसीने वह खड़ा रहता है । मैं यह बहस नही करना चाहता । जो बात मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि माननीय वित्त मंत्री को ऋण माफी में तो दोष नजर आता है लेकिन ऋण मेलो में उन्हें कोई दोष नही दिखता । उन्हें किसानों को दी जाने वाली राजसहायता में दोष लगता है लेकिन.....में दोष नही निकालते..... ।

श्री मनमोहन सिंह : मुझे खेद है कि आप मामलों को उलझा रहे है । कृपया मुझे एक अवसर दें । हम ऋण मेला किस लिए आयोजित करते है । लोग बैंक प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत करते है । लोग कहते है कि जब कोई छोटा किसान बैंक में जाता है, तो मनेजर उसका शोषण करते है । हम उस स्थिति को समाप्त

करना चाहते थे। हमने कहा कि चलिए यह सब दिन के समय करते है ताकि गरीब लोग कुछ मोलभाप करने की क्षमता प्राप्त करें। इसलिए, ऋण माफी और ऋण मेला में कोई भी तुलना नहीं है। (व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह: मैं ऋण मेलों के बारे में एक हाल ही के एक उदाहरण पर एक मिनट बाद बोलूंगा। मैंने यह कहते हुए तो शुरू ही किया था कि माननीय वित्त मंत्री राजनैतिक क्षेत्र में नये-नये आये हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार): वह राजनैतिक रूप से जागरूक व्यक्ति है।

श्री जसवंत सिंह: इसलिए, जब वह गलत बातों की वकालत करते है अथवा पूरी तरह से राजनैतिक ढंग से वाद-विवाद करने का प्रयास करते है और ऋण मेला जैसी पूरी तरह से अनौचित्यपूर्ण बातों को उचित ठहराने का जब प्रयास करते है तो मैं उन्हें ऐसा न करने के लिए कहूंगा। मैं उनका बेहद सम्मान करता हूं। मेरा उनकी दक्षता, आर्थिक दक्षता का मुकाबला करने के योग्य होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन कृपया राजनीति में मुकाबला न करें। बजट के साथ दूसरी कठिनाई यही तो थी। मूलभूत सुविधायों के सन्दर्भ में कठिनाई है। हमने कहा है कि इस बजट में ईंधन और परिवहन जैसी मूलभूत सुविधाओं की तरफ पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। स्थिति देखिए। विद्युत उत्पादन कम है, राजसहायता अधिक है। तेल अन्वेषण और तेल का उत्खनन भी असंतोषजनक है। और कच्चा तेल और संशोधनशालाओं से संसाधन और भी कम है। इन्हीं के साथ ही तेल की उंची कीमते, अधिक खपत 20 प्रतिशत के बावजूद सभी चीजें इसी तरह से है—आप इस श्रृंखला को कैसे तोड़ेंगे? इस संबंध में बजट मौन है। हम इनकी जानकारी चाहते है और इसीलिए मैंने कहा था कि हम इस बजट का विरोध करते हैं।

जहा तक कर उपायों का संबंध है, हमें इस पहलू पर बोलने के लिए और अधिक उपयुक्त अवसर मिलेंगे। वास्तव में, वित्त विधेयक पर विचार होगा। लेकिन राजस्व उपायों से मुझे कुछ परेशानी हुई है। मैं आपको ब्यौरा देता हूं। आपने नए करों से 6600 करोड रु० और जुटाने का प्रावधान किया है। आपको किसानों से 2000 करोड रु० के लगभग प्राप्त करेंगे। पैट्रोल से आप 1600 करोड रु० के प्राप्त करेंगे। 1000 करोड रु० वर्ष भर में रेलों से जुटाए जाएंगे। इस प्रकार यह सारी 6600 करोड रु० बनती है।

श्री मनमोहन सिंह: आप मूलभूत सुविधाओं के संबंध में शिकायत कर रहे है। आप रेलों से जो उम्मीदें करते है, वे तब तक कैसे पूरी हो सकती है जब तक उन्हें मूलभूत सुविधाएँ प्राप्त नही होगीं?

श्री जसवंत सिंह: मैं कठिनाइयों को समझता हूं। मैं वास्तव में यह चाहता हूं कि आप वित्त मंत्रालय के सलाहकार रहे होते न कि इसको राजनैतिक प्रबन्धन की जिम्मेदारी सम्मातित क्योंकि, उस समय सरकार को दोहरे ढंग से फायदा होता। उन्हें आपकी दक्षता का फायदा मिलता जैसाकि उन्हें मिलता रहा है। दूसरे वे अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर हमारे से प्रोत्साहन लेते। इसके बजाय, उन्होंने आपको खड़ा कर दिया है और आपने ठीक ही कहा है, "मैं कैसे इसको व्यवस्थित करूंगा"। क्योंकि वह एक अर्थशास्त्री की प्रतिक्रिया है, आप जीवन भर एक सिविल अधिकारी रहे है। लेकिन मेरी प्रतिक्रिय यह है कि आपने 6600 करोड रु० जुटाने की व्यवस्था की है और आपने इसे आज भारतीय पर थोप दिया है और कह रहे है कि कीमतें बढेंगी नही! कृपया हमें बताएँ कि वे कैसे नही बढेंगी।

श्री मनमोहन सिंह: मैं आपको बताउँगा।

श्री जसवंत सिंह: मैं कोई अर्थशास्त्री नही हूं। जहा तक कराधान प्रणाली में सुधारों की बात है यह समय है जब विभिन्न कर उपाय किए जाए और आपका ये सभी सुझाव कि किसी समय देश में 45 प्रतिशत से अधिक प्रत्यक्ष कर नहीं होने चाहिए, भा० ज० पा० इस विचार से पूरी सहमति रखती है—और हमें उस दिन की प्रतीक्षा है जब आप उन्हें क्रियान्वित कर देंगे। मुझे एक बहुत बड़ा कष्ट है।

श्री मनमोहन सिंह : आप इस बात मे मेरी सहायता कर सकते है । व्यापारी समुदाय से आपका काफी सम्पर्क है ।

श्री लाल कृष्ण आडवानी (गांधीनगर) : वह पिछले चालीस वर्षो से उत्तरदायी नही है । आपको इस बात का बचाव करना चाहिए ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आपकी अनेक कठिनाइयाँ है ।

श्री जसवंत सिंह : मेरी एक बहुत बड़ी कठिनाई है । माननीय वित्त मंत्री ने इस वित्तीय अभाव की स्थिति को ऐसा बताया है जो पहले कभी भी देश के सामने नही आई थी । जब खाद्य के लिए केवल 76 करोड रू० , खाद्य संसाधन के लिए 43 करोड रू०, युवा और खेलकूद को 74 करोड रू०, कला और संस्कृति को 74 करोड रू० ही आबंटित किए गए है, उस वर्ष ऐसे फाउंडेशन को 100 करोड रू० आबंटित करना उन्होंने उपयुक्त समझा जो अभी अपने अस्तित्व में आना है ।

श्री मनमोहन सिंह : अगर मैं अधिक कर सका तो करूंगा ।

श्री जसवंत सिंह : एक साक्षात्कार में, माननीय वित्तमंत्री ने कहा है कि वह इसको और अधिक राशि देना चाहते है । यह वाद विवाद में बाजी जीतने का प्रश्न नहीं है । इस फाउंडेशन के उद्देश्य कितने ही महान और प्रशंसनीय क्यों न हो इसके माध्यम से स्मरण किया जा रहा व्यक्ति चाहे कितना ही गुणवान और योग्य क्यों न हों मैं इस बेहद अस्वाभाविक बात को सहन नही कर सकता कि किसी निजी फाउंडेशन, मुझे बताया गया है कि वस्तुत: यह एक पारिवारिक फाउंडेशन है, को 100 करोड रू० की राशि दान दी जाए ।

श्री मनमोहन सिंह : उस फाउंडेशन से अतिविशिष्ट व्यक्ति जुडे हुए है । भारत के उप-राष्टपति से अधिक प्रतिष्ठित व्यक्ति कौन होगा ? भारत के प्रधान मंत्री से अधिक विशिष्ट व्यक्ति कौन हो सकता है, इस फाउंडेशन से जुडे न्यासी अति विशिष्ट व्यक्ति है

श्री जसवंत सिंह : मैंने माननीय वित्त मंत्री जी का वक्तव्य भी पढ़ा था जिसमें उन्होंने कहा है कि एक राष्ट के जीवन में भावनाओं का भी एक स्थान होता है । लेकिन भावनाओं को सदैव केवल एक दिशा में ही केन्द्रित नहीं किया जा सकता । मेरे विचार से माननीय वित्त मंत्री जब यह कहते है कि प्रधान मंत्री या देश के उप-राष्टपति को एक निजी फाउंडेशन में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण दिया है जिसको 100 करोड़ रुपये दिए गये है, तो उन्होनें एक बहुत कमजोर तर्क दिया है । उन्होंने जो कुछ लिया है उसके समर्थन में दिए गये तर्क बहुत ही कमजोर है । मैं यहां अपनी मंशा को स्पष्ट करना चाहता हूं: और ऐसा कहने से पहले मैंने अपने नेता की अनुमति ले ली है । मैं इसका विरोध करता हूं । मैं अपने नेता की अनुमति से इन 100 करोड़ रुपये पर एक कटौती प्रस्ताव रख रहा हूं । मैं विपक्ष में अपने मित्रों से इस पर विचार करने का अनुरोध करना चाहता हूं क्योंकि यह एक प्रकार का दोहरा फिजूल खर्च है जिसमें मैं समर्थन नहीं कर सकता । आप फाउंडेशन बना सकते है । इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि कई फाउंडेशन है, जिनमें कई सुयोग्य भारतीय है, और जिनमे अच्छे उद्देश्य है परन्तु यदि इस फाउंडेशन के साथ मेरा कोई संबंध होता, तो राष्टीय संकट के इस समय में यह धनराशि प्राप्त करने में अत्यधिक परेशानी महसूस करता । मैं इससे बिल्कुल विचलित हो जाता । इसलिए, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस विरोध मुद्दे पर मैं एक कटौती प्रस्ताव रख रहा हूं और सच्चे भारतीयों, साथी संसद सदस्यों से इस गलत सदस्य, माननीय वित्त मंत्री द्वारा पहले ही उठाऐं गयें या उठाये जानेवाले गलत कदम का विरोध करनें का अनुरोध करता हूं ।

बजट के द्वारा, संकट को दूर करने और आर्थिक सुधार करने का प्रयास किया गया है । यह अत्यधिक विस्तृत क्षेत्र है; और यह कार्य करने के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री के साहस और उनकी ईमानदारी की प्रशंसा करता हूं । क्योंकि मेरा विश्वास है कि केवल एक ईमानदार और साहसी व्यक्ति ही साथ-साथ संकट निवारण और आर्थिक सुधार की जिम्मेदारी ले सकता है ।

वित्त मंत्री महोदय मैं आपको अपनी शुभकामनाऐं देता हूं, और आशा करता हूं कि आपके प्रयास सफल होंगें, क्योंकि हम पर लाखों भारतीयों की भलाई निर्भर करती है। भगवान न करें, यदि आप असफल हो जाते है, तो इस में मैं व्यक्तिगत रूप से प्रसन्न नहीं होऊंगा। क्योंकि हम चाहते है कि आप सफल हों, हम चाहते है कि राष्ट्र प्रगति करता रहे।

तथापि, अन्त में मैं आपको एक चेतावनी देता हूं। आप जिस तरह से आर्थिक सुधारों का प्रयास कर रहे है, उनमें केवल सद्भावनाओं के अतिरीक्त कई और कारक भी अपनी भूमिका निभायेंगे। मेरे विचार से, भारत में, हमारी स्थाई वर्रायताओं को ध्यान में रखते हुऐ, हमें उस विचार के बारे में, जिसका समय आ गया है, विक्टर ह्यूगो के आपके उस उद्धरण को मान्यता देनी है। इसी वजह से मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि हमें अपनी राजनैतिक अर्थव्यवस्था के फोकस को बदलना हैं। तथापि यदि हम अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और राजनीति में एक विभाजन रेखा बनाते हैं, तो न तो हम सफल होंगे और न ही सक्षम होगें। वित्त मंत्री महोदय, जिस तरह की राजनैतिक अर्थव्यवस्था की आप या हम आकांक्षा करते है, उस पर विचार करते समय मैं चिन्ताग्रस्त हो जाता हूं। राजनैतिक और आर्थिक विकेन्द्रीकरण के लिए भाजपा एक लम्बे समय से प्रतिबद्ध है और यह अब भारत में अपरिहार्य है। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी में उस की भी पहचान करते है, जो आप की पार्टी नहीं करती; यह कि जो कोई विकेन्द्रीकरण की मांग करता है, उसको साथ-साथ प्रतियोगी बाजार के पक्ष में भी होना होता है। हालांकि ये तभी कार्य करेंगें जब अत्यधिक मात्रा में उपयोग होगा, इसका अर्थ यह है कि यदि आप ने भारत के गरीब को, हमारे देश के गरीब को उस के लिए खर्च करने के लिए धान-राशि प्रदान की है, और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि आप को इसके साथ-साथ केवल पर्याप्त स्थानीय उत्पादन को ही सुनिश्चित नहीं करना है, लेकिन एक सक्षम स्थानीय वितरण प्रणाली को भी सुनिश्चित करना है। मुझे चिन्ता इसलिए है कि साधन आपकी मंशा नहीं जिनकी सहायता से आप यह सब करना चाहते है, वे नहीं रहते है। आप वह नई उर्जा, वह नई उत्साहित नौकरशाही, वह नई उत्साहित राजनैतिक पार्टी कहां से प्राप्त करेंगे।

दूसरे शब्दों में, इन सब की कुंजी भारत की रचनात्मक प्रतिभा को पैदा करने की चुनौती में है। वित्त मंत्री महोदय, मेरी दूसरी चिन्ता यह है। राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक विकृति की लम्बी अवधि की प्रतियाओं के कारण, जो आपने स्वयं इंगित की है, हमारे देश की विगत चालीस वर्षों को देखते हुऐ, ऐसा प्रतियोगी बाजार केवल बाजार शक्तियों द्वारा अथवा राजनैतिक संग्रहक, जैसे कि बजट द्वारा नहीं बनाया जा सकता। उनके लिए ऐसी जटिल नीतियों की आवश्यकता है जिनका स्वरूप उदार हों। क्या आप या आपके दल के पास उस तरह की उदारता है? मेरे विचार से नहीं है। इसीलिए मैं इस बजट का विरोध करता हूं।

प्रो० के० वी० थामस (एरणाकुलम) : महोदय, बजट पर इस बहस में भाग लेने से पहले मैं राजीव गांधी न्यास के लिए 100 करोड़ रुपये प्रदान करने पर भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रियाओं पर दुःख और क्षोभ के साथ टिप्पणी करना चाहता हूं। इस पर कोई वाद-विवाद नहीं होना चाहिए, राजीव गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनसे केवल कांग्रेस सदस्य ही प्यार और सम्मान करते थे। श्री राजीव गांधी और श्रीमती इन्दिरा गांधी के बलिदानों को भुलाया नहीं जा सकता। यदि विपक्ष राजीवजी के न्यास को 100 करोड़ रुपये देने के प्रस्ताव को कम करने में सफल भी हो जाता है, तो भी मेरा विश्वास है कि हजारों व्यक्ति जो राजीवजी से प्यार करते थे, इस न्यास में 100 करोड़ रुपये से भी अधिक का दान करेगें।

महोदय, सामान्यतया जब सदन में बजट प्रस्तुत किया जाता है तो विपक्ष उसकी आलोचना करता है और सत्ता पक्ष उसका स्वागत करता है। लेकिन इस बजट का विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तियों ने स्वागत किया है। इस देश के समाचार पत्रों ने इस बजट और नई औद्योगिक नीति का व्यापक स्वागत किया है।

महोदय, मैं दिनांक 25-7-91 के 'दि टाईम्स ऑफ इंडिया' में प्रकाशित "टरयूलि डिस्टेरिक" नामक शीर्षक के अन्तर्गत सम्पादकीय से उद्धरण देना चाहता हूं। इसमें कहा गया है:

"भारत विश्व अर्थव्यवस्था में शामिल हो रहा है लेकिन अपनी शर्तों और अपनी गति पर। बजट और नई औद्योगिक नीति का यही मुख्य संदेश है. . . ."

इसमें आगे कहा गया है:

"औद्योगिक नीति से भारत में आर्थिक इतिहास में नया अध्याय प्रारम्भ होता है. . . ."

महोदय, स्वतन्त्रता से पूर्व के भारत के इतिहास में हमने ऐसी विदेशी मुद्रा घाटे का सामना नहीं किया है जैसा कि हम आज सामना कर रहे है। हमे संकट के इस दौर को हमारे राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय सम्मान को खतरे में डाले बिना पार करना है।

महोदय, आर्थिक स्थिरता और राजनैतिक स्थिरता एक ही सिक्के के दो पहलू है। हम एक को प्राप्त किए बिना दूसरे को प्राप्त नहीं कर सकते। जब मैं यह कहता हूं कि देश की आर्थिक स्थिति 1989 के अन्त से अब तक में गिरावट आई है तो मैं विपक्षी दलों पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। लेकिन तथ्यों को देखें। 1989 के बाद से, तीन आम चुनाव हुऐ है और तीन सरकारें सत्ता में आई है. महोदय, 1989 में, देश में सभी कांग्रेस विरोधी दल कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए एक हो गये थे। उस प्रयास में उनकी जीत हुई थी। श्री वी० पी० सिंह प्रधान मंत्री बने थे।

16.34 बजे

(श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य पीठासीन हुई)

लेकिन कांग्रेस पार्टी का यह वैकल्पिक राजनैतिक संगुटीकरण दिशा और दृष्टि दोनों से रहित है। 11 महीनों में ही यह हट गया। दूसरी सरकार भी सत्ता में आई। श्री चन्द्रशेखर प्रधान मंत्री बने। और वह सब बीच का एक बिदूषकीय प्रहसन था जो चार माह तक चला। पुनः सत्ता का भार कांग्रेस पार्टी के कंधों पर रखा गया है। कांग्रेस को राजनैतिक और आर्थिक स्थिरता पुनः स्थापित करनी है जो पिछले डेढ़ वर्षों में नियंत्रण से बाहर गयी है। यह कोई साधारण कार्य नहीं है। इसके लिए राजनीतिक इच्छा, राजनैतिक विवेक तथा राजनैतिक साहस की आवश्यकता है। पिछले 44 वर्षों के दौरान यह सिद्ध हो गया था कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें यह इच्छा, यह विवेक और यह साहस है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा खोले गए रास्ते, उसका अनुसरण शास्त्रीजी, इंदिराजी और राजीवजी द्वारा किया गया, का अनुसरण आगे भी श्री नरसिंह रावजी द्वारा भी किया जाएगा।

वर्तमान औद्योगिक नीति की एक अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि है। लाइसेंस-परमिट राज, जो सत्ता के गलियारों में भटकता रहा है और जो हमारे विकास के मार्ग में बाधा सिद्ध हुआ है, को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। अंत में उद्यमियों ने स्वतंत्रता की लाली देख ही ली है। मैं पुनः 'द टाईम्स ऑफ इण्डिया' का सम्पादकीय उद्धरण प्रस्तुत करता हूं जो कि इस प्रकार है:

"उद्यमी यह निर्णय करने के लिए स्वतंत्र हैं कि वह क्या निवेश करें, कहां करें और कितना करें"।

उदरीकरण ने भारतीय कंपनीयों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होड़ करने में सहायता पहुंचाई है। आधुनिक तकनीक के लिए दरवाजा हमेशा पुरी तरह से खुला है।

हमारे कुछ मित्रों का आरोप है कि उदारीकरण से केवल विश्व की एकाधिकार प्राप्त कम्पनियों को बढ़ावा मिलेगा। उनका आरोप है कि बहुर्राष्ट्रीय कंपनियां हमारे औद्योगिक क्षेत्र पर हमला कर देंगी और एक

वाइरस की तरह हमारे आर्थिक और राजनीति ढ़ाचे का खात्मा कर देंगी। मेरा प्रश्न यह है कि क्या हमारा औद्योगिक, आर्थिक और राजनैतिक ढाचा, जो पिछले 44 वर्षों से जीवित है, इतना कमजोर है कि यह बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा रौंद तथा कुचल दिया जाएगा?

आइए। अपने देश के राजनैतिक इतिहास की पृष्ठभूमि को देखा जाए। 1857 में जब महान बगावत हुई तो 21 करोड़ 50 लाख भारतीय ईस्ट इंडिया कम्पनी के 1000 शेयरधारियों के अधीन थे। जब ईस्ट इंडिया कम्पनी का स्थान 'ब्रिटिश क्राउन' ने लिया तो राजनीतिक और आर्थिक शक्ति का प्रयोग दमन के माध्यम के रूप में किया जाने लगा। यह वह था जो आजादी के पूर्व हुआ।

1947 में जब हम आजाद हुए और हमारी जनसंख्या सिर्फ 40 करोड़ थी उस समय हमें चावल, गेहूं, दालें खाद्य तेल, वस्त्र तथा अन्य कई चीजों का आयात करना पड़ता था।

अब, आजादी के 44 वर्षों पश्चात हम खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर है तथा हम अधिशेष खाद्यान्नों का निर्यात भी कर सकते है। खूबसूरती से तैयार किए गए हमारे वस्त्र अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। 1947 में हमें यहां तक कि पेपर पिन तथा मुद्रण मशीन का भी आयात करना पड़ता था। अब, हम देखते है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा उत्पादित मुद्रण मशीन का पश्चिमी जर्मनी तक निर्यात कर रहे हैं। हमने काफी उन्नति की है तथा हम काफी दूर निकल आए हैं। हमारी साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। शिशु क्षय की दर में कमी आई है। औसत आयु में वृद्धि हुई है। सड़क यातायात तथा रेलवे लाइनों को पहले ही दुगुना अथवा तिगुना किया जा चुका है। हमने इतनी तरक्की तेजी से की है। अतः 1947 की प्रारम्भिक अवस्था से हमारा आर्थिक ढांचा, हमारा औद्योगिक ढांचा काफी परिपक्व हुआ है और अब यही वह समय है जब हमें अपनी अर्थव्यवस्था तथा औद्योगिक ढांचे की शक्ति का परीक्षण करना है। मै यह तर्क नहीं दे रहा हूं कि - - कुछ अच्छा ही हुआ है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हम बहुत शक्तिशाली हो गए हैं। हमें और आगे बढ़ना है। महोदय, इस सम्बन्ध में मैं अपनी आर्थिक स्थिति की तुलना अपने पड़ोसी देशों की आर्थिक स्थिति से इसलिए करना चाहूंगा ताकि हमें पता चले कि हम कहां हैं। जब हम 1960 से 1988 तक के औद्योगिक उत्पादन को देखते हैं तो पाते हैं भारत का उत्पादन 5.5 प्रतिशत, हमारे निकटतम पड़ोसी पाकिस्तान का 10.8 प्रतिशत, थाइलैंड का 11.5 प्रतिशत, ताइवान का 13.2 प्रतिशत और दक्षिण कोरिया का 16.5 प्रतिशत था। इसी प्रकार 1970-89 के दौरान कृषि उत्पादन भारत के संबंध में 2.1 प्रतिशत, इण्डोनेशिया का 3.4 प्रतिशत, मलेशिया का 4.7 प्रतिशत, फिलीपीन्स का 3.7 प्रतिशत और थाइलैण्ड का 4.5 प्रतिशत था। इससे यह सिद्ध होता है कि यद्यपि हमारे कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है, फिर भी हमारे औद्योगिक क्षेत्र में हमारे पड़ोसी हमसे काफी आगे निकल गए है। अतः हमें उस विकास के साथ चलना है जो हमारे पड़ोसी राष्ट्रों में हुआ है और यह तभी हो सकता है जब हम अपने द्वार आधुनिक तकनीकी के लिए खोलें।

मै एक अर्थशास्त्री द्वारा की गई टिप्पणी को पढ़ना चाहूंगा। भारतीय अर्थव्यवस्था एक हाथी की भांति जो अत्यधिक सावधान, मद्दिम गति से चल रही है लेकिन इसके साथ ही उसके कदम बड़े सुनिश्चित, मजबूत तथा उद्देश्यपूर्ण है। इसे अपनी गति एक चीते की भांति बनानी है। महोदय, मैं 4 मई, 91 को लन्दन के एक समाचार पत्र 'लन्दन्स इकोनामिस्ट' द्वारा की गई टिप्पणी का उद्धरण प्रस्तुत करता हूं:

> "भारत चीते का एक पिंजड़ा है। खुला छोड़ देने पर यह चीता उतना ही स्वस्थ और बलशाली हो सकता है जितना कि एशिया का अन्य कोई चीता। हालांकि, इसे आजाद करना अत्यधिक कठिन कार्य होगा। जिस कार्य को किए जाने की आवश्यकता है वह बिलकुल स्पष्ट है — जो भारत के दुख को और अधिक कारुणिक बनाता है। चुनौती राजनीतिक है।"

यह आगे कहता है:

"भारत के पास प्रबल आर्थिक शक्ति है; सस्ते और सुप्रशिक्षित श्रम का तुलनात्मक लाभ इसे अनेक प्रकार की उत्पादित वस्तुओं हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्रोत बना सकता है। बम्बई जैसे भीड़ भाड़ वाले व्यापारिक केन्द्र पर आप जो कुछ देखते हैं वह आपको बतलाता है कि भारत महान प्रतियोगिताओं के जरिए काफी उन्नति करेगा तथा खुद को आश्चर्यचकित करने के साथ ही पूरे विश्व को विस्मय में डाल देगा।"

अतः यह प्रदर्शित करता है कि हम कहां हैं। क्या हमें अपने औद्योगिक क्षेत्र में उक्त विचारण करने के लिए एकाधिकारियों अथवा विदेशी प्रौद्योगिकी से भयभीत होना चाहिए?

जब हम अपने औद्योगिक तथा आर्थिक ढांचे में परिवर्तन करें तो हमें यह भी देखना चाहिए विश्व में क्या हो रहा है। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य क्या है? पूर्वी यूरोपीय देशों से साम्यवाद का सफाया हो रहा है तथा नारे बाजी की लड़ाई का समय खत्म हो चुका है। सोवियत संघ ने जो कि हमारा घनिष्ठतम मित्रों में से एक है 'पेरेस्त्रोइका' तथा 'ग्लासनोस्त' ने उनके राजनीतिक ढांचे तथा आर्थिक बुनियाद को बदल दिया है।

अतः महोदय, जबकि सम्पूर्ण विश्व आगे बढ़े पूरी दुनिया में परिवर्तन हो तो क्या हम कह सकते हैं कि हम अपने दरवाजों को बन्द करने के लिए बाध्य हैं। हमें अपने दरवाजों को और विस्तार से खोलना है। अतः परिदृश्यों को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। एक का सम्बन्ध अवमूल्यन से है। मैं कोई अर्थ शास्त्री नहीं हूं बल्कि यह प्रश्न मैं एक साधारण व्यक्ति की तरह पूछ रहा हूं। मैं कोचीन का हूं जहां से मछलियों का निर्यात होता है। अवमूल्यन के पूर्व एक विशेष प्रकार की झींगा (प्रॉन) मछली, जिसे टाइगर प्रॉन कहा जाता है, के लिए हमें 10 डालर प्रति कि०ग्रा० प्राप्त होता था, जिसका मतलब हुआ लगभग 140 रु०। 20 प्रतिशत अवमूल्यन के पश्चात इन दस डालरों के बदले हमें लगभग 168 रु० प्राप्त हो रहा है। अतः, हमारे कई समुद्री उत्पाद निर्यातकों ने, जिनके पास अच्छा भण्डार था, 70 लाख रुपए से लेकर एक करोड़ रुपए तक का व्यापार किया। लेकिन अब स्थिति क्या है। विदेशी खरीदारों को पता है कि भारतीय बाजार की स्थिति क्या है। उन्होंने प्रतिक्रिया स्वरूप इस टाइगर प्रॉन मछली की कीमत घटा दी है जिससे अब दस डालर के स्थान पर अब आठ या नौ डालर मिल रहे हैं। **(व्यवधान)** यह काफी विस्तृत पैमाने पर हो रहा है। मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि अवमूल्यन का यह निर्णय इसलिए किया गया है ताकि हमारा निर्यात बढ़े। हम जो कुछ देखते हैं वह यह है कि विदेशी खरीदार हमारी भारतीय बाजार की वास्तविक स्थिति को समझते हैं। हमें समुद्रीय खाद्यों के संबंध में थाइलैण्ड जैसे अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी है। अतः मैं सोचता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी को इस समस्या पर पुनः सोचना चाहिए कि क्या अवमूल्यन से हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को कोई सहायता मिलने जा रही है?

बैंकिंग क्षेत्र के बारे में बोलते हुए मैं कहूंगा कि मैं इस विषय में कोई तर्क नहीं देना चाहता। लेकिन इस देश में लोग यही सोच रहे हैं कि हमारा बैंकिंग क्षेत्र उस ऊंट की तरह है जो किसी भी समय फूट सकता है। ऋण प्रदान करने के साथ-साथ ऋण माफ करने से भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में पड़ने वाले प्रभाव पर गहराई से चर्चा होनी चाहिए। इस मामले पर हमें किसी के प्रति बिना किसी पूर्व भ्रांति के गहन और गंभीर चर्चा करनी चाहिए।

उर्वरकों पर दी जाने वाली सबसिडी को वापस लेने के संबंध में मेरे कुछ अपने सन्देह हैं। भारतीय किसान वर्ग उन लोगों का एक ऐसा समूह है जो उर्वरकों का प्रयोग बहुत कम करता है, और उर्वरकों के प्रयोग का उनका प्रतिशत दक्षिण एशिया में सर्वाधिक कम है। मैं किसी विशेष राज्य की बात नहीं कर रहा हूं। कुल मिलाकर, उर्वरकों का हमारा प्रयोग दक्षिण एशिया में सर्वाधिक कम है। अब जबकि आप सबसिडी हटा रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि होगी। मैं कोचीन का रहने वाला हूं जहां एफ ए सी टी ('फैक्ट') अमोनियम सल्फेट, यूरिया तथा उर्वरकों का उत्पादन करता है। अमोनिया सल्फेट का

मूल्य 1.650 रु० प्रति टन से बढ़ कर 3.500 रु० प्रति टन हो गया है । यूरिया का मूल्य 2.350 रु० प्रति टन से बढ़ कर 3,290 रु० हो गया है । यह बढ़कर दुगने से भी ज्यादा हो गया है । अत: उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि हो रही है । इसका तात्पर्य हुआ कि भारतीय किसान, जो अपने पड़ोसी देशों के किसानों की तुलना में पहले ही उर्वरकों का कम प्रतिशत प्रयोग कर रहा है, अब और कम उर्वरकों का प्रयोग करेगा जिसका परिणाम यह होगा कि हमारे कृषि उत्पादों का उत्पादन कम हो जाएगा यही मेरा भय है ।

दूसरे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उर्वरकों की कीमतों पर एक निगाह डालिए । उर्वरकों का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य भारत में सबसिडी दिए जाने के समय भी भारतीय उर्वरकों के मूल्य की तुलना में 10 से 15 प्रतिशत कम था । हमारे किसानों को पुन: कठिनाई में डाला गया है ।

महोदय, सदन में आश्वासन दिया गया है कि यद्यपि उर्वरक सबसिडी वापस ले ली जाएगी, तथापि खाद्यानों के खरीद मूल्यों को बढ़ा दिया जाएगा । मेरा प्रश्न यह है कि नकदी फसलों के लिए आप किस प्रकार सहायता प्रदान करेंगे । मैं केरल राज्य से सम्बन्ध रखता हूं जहां हम रबड़, मसाले और अन्य नकदी फसलों का उत्पादन करते हैं । आप हमें किस प्रकार सहायता पहुंचाएंगे ? आप खाद्यान्न उत्पादकों को खरीद मूल्यों में वृद्धि करके सहायता पहुंचा सकेंगे । आप नकदी फसलों के लिए किस प्रकार से सहायता प्रदान करेंगे ? मैं इस प्रश्न का उत्तर चाहता हूं ।

उर्वरक उद्योग को जिस दूसरी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, वह पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में की गई दस प्रतिशत की वृद्धि है । उर्वरक उद्योगों में से कई नैफ्था का आधारभूत कच्चे माल के रूप में प्रयोग कर रहे हैं । अमोनिया का उत्पादन इससे किया जाता है । लेकिन, जब आपने पैट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में दस प्रतिशत वृद्धि कर दी है, स्वाभाविक रूप से नैफ्था के मूल्यों में वृद्धि होगी और उर्वरक मूल्य और बढ़ जाएंगे ।

दूसरा मामला यह है कि हमें फास्फोरिक एसिड, रॉक फास्फेट आदि आयात करना होता है । रुपए के अवमूल्यन से, इस कच्चे माल की कीमत और बढ़ जाएगी । इसलिए वित्त मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वे देश में सम्पूर्ण उर्वरक मामले को किसानों पर और उर्वरक उद्योगों पर इसके प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में देखें ।

महोदय, नकद क्षतिपूर्ति सबसिडी वापस ले ली गई है और इसके स्थान पर आपने आर०इ०पी० लाइसेंस की अनुमति दी है । यह आर०इ०पी० लाइसेंस क्या है ? एक निर्यातक जो 100 रुपए मूल्य की चीजों का निर्यात करता है उसे आर०इ०पी० लाइसेंस के रूप में 30 रुपए मिलते हैं और आर०इ०पी० लाइसेंस की स्थिति अब क्या है ? इस वर्ष निर्यात-लक्ष्य 43,000 करोड़ रुपए के निर्यात का है और इसके 30 प्रतिशत का मोटे तौर पर मतलब है 12,000 करोड़ रुपए, और इन 12,000 करोड़ रुपए में से 6,000 करोड़ रुपए आभूषण निर्यात और रत्नों के निर्यात के ही होंगे । इस प्रकार आर०ई०पी० लाइसेंस के रूप में 6,000 करोड़ रु० और उपलब्ध हैं और निर्यातक को 40 प्रतिशत प्रिमियम प्राप्त है । यहां भी एक प्रकार का समानान्तर काला धन बन जाता है । हम इस पर किस प्रकार नियंत्रण करेंगे । आर०इ०पी० के इन 6,000 करोड़ रुपयों में से जब 40 प्रतिशत प्रिमियम लिया जाता है तो यह लगभग 9,000 करोड़ रुपए बन जाता है । और 9,000 करोड़ रु० की यह राशि अगले 18 महीनों में समानान्तर काला धन बन जाता है । इसलिए हमें उन उपायों का पता लगाना चाहिए जिस से इन पर भली भांति नियंत्रण रखा जा सके ।

दूसरी बात यह है कि निर्यात संवर्द्धन परिषद इस संदर्भ में किस प्रकार कार्य कर रही है । जब आपने प्रत्येक प्रक्रिया को उदार बना दिया है तो ऐसी स्थिति में निर्यात संवर्द्धन परिषदों का काम करना असंगत बन जाता है । मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं उनमें से एक यह है कि नि०सं०प० को उन औद्योगिक संगठनों के साथ मिला दिया जाए जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं । और ये नि०सं०प० संबंधित मंत्रालयों से धन प्राप्त करने के स्थान पर स्वयं अपने संसाधनों से धन प्राप्त करेंगे ।

हम सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की वृद्धि से चिंतित है । इस संबंध में मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने एक साधारण से अनुभव की ओर दिलाना चाहता हूं । 1984 में जब मैं साऊथ एवेन्यू से संसद भवन का किराया 4 रुपया देता था । वी० पी० सिंह ने बजट प्रस्तुत किया तो यह 5 रु० हो गया । और अब वह 6-7 रुपए तक है । यह असाधारण वृद्धि है । यह मेरा अनुभव है । महोदय, यह ऐसी चीज है जो पूरे देश में व्याप्त है ।

आवश्यक वस्तुओं की कीमतों के बारे में कहते हुए हम सभी इस बात पर सहमत है कि चाहे कोई भी आश्वासन दिया जाए, कीमतों में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है । उदाहरण के लिए माननीय मंत्री महोदय ने इस सभा को आश्वासन दिया है कि चीनी मिलों से राज-सहायता वापस ले ली जाएगी और लेवी चीनी के मूल्यों में केवल 85 पैसे प्र० किलो वृद्धि होगी । किन्तु वास्तविक स्थिति क्या है ? वास्तविक स्थिति यह है कि कीमतों में 2-3 रुपए तक वृद्धि हुई है । मैं केवल एक बात कह रहा हूं । यदि हमें वस्तुओं की कीमतों में कमी करनी है तो हमारे पास कारगर सार्वजनिक वितरण प्रणाली होनी चाहिए । मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे राज्य से आया हूं जहां कारगर वितरण प्रणाली है ।

5.00 म० प०

हमें एक निश्चित वित्तीय स्तर के लोगों को ही राशन कार्ड बांटने चाहिएं । जो उस स्तर से ऊपर हों उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली से राशन कार्ड लेने का हकदार नहीं बनाया जाना चाहिए । और ऐसा राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार से पर्याप्त सहायता लेकर सभी अनिवार्य वस्तुओं का जोकि एक सामान्य आदमी की आवश्यकताएं हों, का वितरण किया जाना चाहिए । इस प्रकार यदि हम कारगर सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु पर्याप्त कदम नहीं उठाते तो हम कीमतों की वृद्धि पर रोक नहीं लगा सकेंगे । जब मैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए बजट अनुदानों पर नजर डालता हूं तो इसे बहुत कम पाता हूं । अतः माननीय वित्त मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कारगर बनाने हेतु पर्याप्त बजट प्रावधान किया जाना चाहिए ।

सभापति महोदय : क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आपको कितना समय और चाहिए ।

प्रो० के० वी० थामस : महोदय, मैं आगे कल बोलूंगा ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य आगे कल बोलेंगे । अब हम नियम 193 के अधीन चर्चा आरंभ करेंगे ।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, आज सुबह आश्वासन दिया गया था कि आज शाम हाउस उठने से पहले राम मूर्ति जी के वक्तव्य के बारे में स्पष्टीकरण देंगे । इस बारे में हम चाहेंगे कि सदन के नेता या होम मिनिस्टर यहां बयान दें कि उन्होंने बयान दिया था या नहीं दिया था । यह आश्वासन दिया गया था । यहां कोई मिनिस्टर नहीं है जवाब देने वाला । . . . (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : सभापति महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है । सदन में सभी श्रेणियों के सदस्यों द्वारा इसकी मांग की गई थी । अध्यक्ष महोदय के निर्देश पर सदन के नेता ने कहा था कि मैं सदन को अवश्य सूचित करने हेतु पूरा प्रयास करूंगा । अब आज की बैठक समाप्त होने जा रही है । अब कोई आकर यह बताए कि क्या प्रयास किए गए हैं और स्थिति क्या है । वे इस सदन को गुमराह नहीं कर

सकते। एक और बड़ा आश्वासन दिए जाने के पश्चात, सदन को विश्वास में लाया जाना चाहिए। हम यह जानना चाहेंगे कि क्या सदन के नेता वक्तव्य देने के लिए आ रहे हैं अथवा नहीं।

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : सभापति महोदया, मैंने इस चीज को हाउस में इसलिए उठाया था, हाउस में करीब ४० मिनट इस पर बहस हुई। ... कर साहब ने जो इस पर फैसला दिया उसके अनुसार हाउस उठने से पहले सरकार इस बारे में बयान देगी। हाउस का जो मूड था उसमें सरकारी पक्ष वालों ने कोई आपत्ति नहीं उठायी। एक मंत्री जी जो मद्रास गए हैं उनसे इस बारे में जानकारी न मिल पाए तो यह सरकार की असफलता का सूचक है। मान लीजिए हाउस में कोई बयान नहीं देते है तो इसका मतलब है जानबूझ कर हाउस को गुमराह करना चाहते हैं। सारा देश इंतजार में है कि राम मूर्ति जी काउंसल ऑफ मिनिस्टर्स के सदस्य हैं या नहीं यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए मै आपसे अनुरोध करूंगा कि चव्हाण साहब यहा बैठे हुए हैं, वे गृहमंत्री हैं। वे मंत्री परिषद के वरिष्ठ सदस्य हैं। वे गृह मंत्री भी हैं। गृह मंत्री महोदय यहां बैठे हुए हैं। मेरे विचार से ये उनके पास किसी को भेज कर, उनसे सम्पर्क करके उनके विचार जान सकते हैं। यह बहुत सरल कार्य है। (व्यवधान)

श्री अन्बारासु हरा (मद्रास मध्य) सम्बंधित मंत्री की अनुपस्थिति में हमें उनके वापस आने तक इन्तजार करना चाहिए। उन्हें आने दें और अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने दें। जल्दी की क्या बात है?

श्री रवि राय : मैंने इस प्रकार की घटना पहले कभी नहीं सुनी। मंत्री परिषद के एक सदस्य, जिनके पास श्रम मैत्रालय का स्वतंत्र प्रभार है, ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वह सरकार के इस विचार से सहमत नहीं है कि कावेरी विवाद का मामला उच्चतम न्यायालय को भेजा जाए। इसका अभिप्राय यह हुआ कि उसके केन्द्रीय मंत्रीमंडल से मतभेद हैं। इस सम्बंध में सभा को जानकारी दी जानी चाहिए। मेरा मुद्दा यह है कि आप सरकार को निर्देश दें कि वह हमें आज सभा की बैठक समाप्त होने से पूर्व वर्तमान स्थिति से अवगत कराए।

ए० चार्ल्स (त्रिवेंद्रम) : मेरा आपसे निवेदन है कि आप कार्यवाही वृतान्त देखें। मेरी जानकारी यह है कि इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया गया था कि आज बताया जाएगा। उन्होंने कहा था, "जहां तक सम्भव है।" कोई आश्वासन नहीं दिया गया था।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : सारा सदन जानता है कि आश्वासन दिया गया था .... (व्यवधान) यह कहा गया था कि हाऊस उठने से पहले "एज फार एज़ पासिबल" हम करेंगे। क्या हो पाया। कांटेक्ट हो पाया या नहीं। .... (व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूं कि आफिशियली सरकार की तरफ से आना चाहिए कि क्या एफर्ट्स किये। श्री राममूर्ती मिले या नहीं, क्या कांटेक्ट किया, यह सदन के अन्दर आना चाहिए। क्या इतना लाइटली सदन को लेंगे। अध्यक्ष जी ने यह कहा था कि हाऊस उठने से पहले बयान दिया जाएगा। उस टाइम सदन का मूड था .... (व्यवधान) क्या हुआ, मैं यह जानना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : मंत्री की कार्यवाही उच्चतम न्यायालय की अवमानता है क्योंकि यह मामला न्यायालय में है। अत: किसी भी सदस्य को गलत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। यह एक गम्भीर

मामला है । यदि मंत्री महोदय जाकर इसकी निन्दा करेंगे तो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश कहेगा," यदि स्वयं मंत्री परिषद् का कोई सदस्य इसके विरुद्ध है तो "हम इस मामले की जांच नहीं करेंगे । यह उच्च न्यायालय की अवमानता है ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : वह न्यायालय से सम्बन्धित है । मैं लोगों को न्यायालय से सम्बंधित हूं ।

प्रातःकाल में एक वायदा किया गया था, हमें ठीक से पता नहीं है कि मद्रास, नई दिल्ली से कितना दूर है । चिदम्बरम महोदय हमें बता सकते हैं कि रेडियो अथवा दूरसंचार अथवा फैक्स द्वारा मद्रास पहुंचने में कितना समय लगता है । (व्यवधान)

आज सुबह काफी विचार विमर्श के पश्चात् सदन ने यह सर्वसम्मत विचार व्यक्त किया था कि आवश्यक कदम उठाये जायेंगे और दिन में ही संपर्क स्थापित किया जायेगा और सदन में एक वक्तव्य दिया जायेगा ।

अब हम एक ऐसा मुद्दा उठा रहे हैं जिसका संबंध तमिलनाडु से है परंतु सरकार की ओर से अभी तक हमें यह नहीं बताया गया है कि अभी तक इस दिशा में क्या प्रयास किये गये है और उनके क्या परिणाम रहे । अभी तक हमें यह भी नहीं मालूम कि मंत्री महोदय ने मंत्री परिषद के निर्णय का खंडन करने सम्बंधी कोई वक्तव्य दिया है अथवा नहीं । क्या यह सत्य है कि उन्हें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का समर्थन प्राप्त है, जोकि श्री चिदम्बरम को प्राप्त नहीं है और जिनका वह बहिष्कार कर रहे हैं । और उन्हें इस बात का बेहद अफसोस है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : श्री चिदम्बरम को इसका कोई अफसोस नहीं है ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदया, अधिकतर मंत्रीगण यहां उपस्थित है और एक अत्यंत वरिष्ठ केन्द्रीय मंत्री भी यहां उपस्थित है ।

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : क्या मुझे कुछ कहने की अनुमति है ? सभापति महोदया, आपने दोनों पक्षो के विचार सुने और आपने यह कहा है कि आप रिकार्ड की जाँच करेंगी और यह पता लगायेंगी कि क्या सदन की आज की बैठक स्थगित होने से पूर्व वक्तव्य दिया जायेगा अथवा अन्य किसी अन्य दिन जब सूचना उपलब्ध होगी । यदि सूचना उपलब्ध नहीं होगी, तो निश्चय ही सरकार की सूचना उपलब्ध होने के पश्चात् ही वक्तव्य देना होगा परंतु जब तक आप रिकार्ड की जाँच नहीं करेगी, मैं नहीं समझता कि हम इस विषय पर कोई बहस कर सकते हैं । नियम 193 के तहत इस चर्चा में कुछ समय लगेगा । उससे पूर्व, यदि सूचना उपलब्ध हो जाती है, तो वे अवश्य ही अपना वक्तव्य दे देंगे ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : एक घण्टे के बाद, हम आपसे स्थिति जानना चाहेंगे ।

श्री एस० बी० चव्हाण : उन्होंने बताया कि वे सूचना प्राप्त करने का यथासंभव प्रयास करेंगे ।

श्री के० वी० तंगाबालू (धर्मपुरी) : यदि सदन के आदरणीय नेता को संदेश प्राप्त हो जाता है, तो वे सदन में अवश्य उपस्थित होंगे । श्री राममूर्ति आजकल बाहर गये हुए हैं । यह बात सभी को पता है । वे मद्रास गये हुए हैं । जैसे ही वे वापस आते हैं, उन्हें सदन में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी जायेगी । यही ठीक है । सरकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वह यथासंभव प्रयत्न करेगी ।

श्री चन्द्रजीत यादव : यहां प्रश्न रिकार्ड की जांच करने अथवा किसी ऐसी अन्य बात का नहीं है । मैं यह नहीं जानता कि आप उस समय सदन में उपस्थित थे अथवा नहीं । पूरी बहस का मुद्दा यह था कि एक मंत्री ने सार्वजनिक वक्तव्य देकर मंत्री के रूप में अपनी सामूहिक जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या राष्ट्रीय महत्व के इतने महत्वपूर्ण तथा संवेदनशील विषय पर कोई मंत्री अपने पद से त्यागपत्र दिये बिना कोई वक्तव्य दे सकता है । विपक्ष के नेता ने भी तीन बार बीच में हस्तक्षेप किया और श्री रवि राय सहित सभी ने कहा कि यह अविलम्बनीय महत्व का एक मामला है । यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है । मद्रास यहां से बहुत दूर तो नहीं है । अपने मंत्री महोदय से संपर्क स्थापित करने के आपके पास और भी कई तरीके होंगे । कृपया इस बारे में पता लगवाइयें और आज ही सदन में वक्तव्य दीजिये । प्रमुख मुद्दा तो यही था कि आज ही यथाशीघ्र वक्तव्य दिया जाये । इसके उत्तर में, सदन के नेता ने कहा था कि "मैं यथासंभव प्रयास करूंगा" अब, उन्हें आकर यह कहने तो दीजिये कि उन्होंने प्रयास किया अथवा नहीं वे उस व्यक्ति से संपर्क स्थापित कर पाये अथवा नहीं, और उन्हें कोई सूचना प्राप्त हुई अथवा नहीं । उन्हें स्वयं आकर सदन को इस बारे में सूचित करने दीजिए यह सदन को गंभीरतापूर्वक लिये जाने का प्रश्न है । सदन की आज की बैठक स्थगित होने से पूर्व हमारी यही मांग है । हमें बस यही कहना है ।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : सभापति महोदया, मैं थोड़ी देर के लिये आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । मुद्दा यह है कि आज प्रातः सदन के नेता ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वे सूचना प्राप्त करने का यथासंभव प्रयास करेंगे और यदि संभव हुआ, तो आज ही सदन में जानकारी प्रस्तुत कर देंगे । इस समय हमारे पास जो सूचना उपलब्ध है वह यह है कि आदरणीय श्रम मंत्री आज शाम को दिल्ली पहुँच रहे हैं । वे मद्रास से चल चुके हैं । मेरे विचार से सामान्यतः हवाई जहाज शाम को 6 बजकर चालीस मिनट पर दिल्ली में उतरता है । यदि उनके यहां पहुँचने तक सदन की बैठक जारी रहेगी, तो हम सदन को सूचना उपलब्ध करा देंगे । अन्यथा, कल अवश्य यह सूचना दे दी जायेगी ।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं समझता हूं कि यह काफी है ।

सभापति महोदय : मेरे विचार में यह ठीक है ।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : विपक्ष के कतिपय आदरणीय नेताओं ने कहा है कि आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट रूप से यह कहा था कि आज ही हम सम्मानीय सदन में यह सूचना उपलब्ध करा दी जायेगी । यदि मेरी स्मरणशक्ति सही है तो ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था । अतएव कुछ आदरणीय सदस्यों ने सदन को गुमराह करने का प्रयास किया है । मैं आदरणीय सभापति महोदया से सदन की कार्यवाही की जांच करने का और हमें वस्तुस्थिति से अवगत कराने का अनुरोध करूंगा ।

सभापति महोदय : अब हम इस मुद्दे और अधिक समय नहीं लगायेंगे । यदि विपक्ष मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य में संतुष्ट है, तो मैं समझती हूं कि हमें अगले मुद्दे पर चर्चा आरंभ करनी चाहिए । उससे पूर्व, राज्यसभा में एक संदेश प्राप्त हुआ है । मैं महासचिव को वह संदेश सदन में पढ़कर सुनाने के लिये आमंत्रित करती हूं ।

5.15 म० प्र०

राज्यसभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मैं राज्यसभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देता हूं :—

आत्म-समर्पण कर दिया था । वह एस० आय० टी० या पुलिस द्वारा नहीं पकड़ा गया था । उसने स्वयं समर्पण किया था और उसे अपने जीवन तथा अपने परिवार के सदस्यों के जीवन को खतरा लगा था । जबकि स्थिति यह थी फिर भी उस व्यक्ति को अकेले कैसे बाहर जाने दिया गया ? और महोदय, यदि वह वास्तव में आत्महत्या करना चाहता था, तो उसने स्वयं पुलिस को आत्मसमर्पण नहीं किया होता । यदि यह हत्या है या किसी ने उसको मारा है, तो इसके पीछे काफी बड़ा कारण है क्योंकि यह व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण था । महोदय उस व्यक्ति को श्री प्रभाकरन और एल० टी० टी० ई० में 'कमांडर' का पद दिया हुआ था । कुछ अवसर थे । जब श्री प्रभाकरन ने इस व्यक्ति थणमुगम को 'कमांडर' सम्बोधित करते हुए कुछ पत्र लिखे थे । जब यह व्यक्ति इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था तो सी० आई० टी० अथवा सी० बी० आई० दल जो उसके साथ वह उसमें कितना सचेत था । अतः मैं माननीय गृह मंत्री से इस संबंध में एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि वे इस सदन को विश्वास में ले और तथ्य सामने लाए और इस देश को यह व्यथा नहीं होनी चाहिए कि पहले ही हमने भूतपूर्व प्रधानमंत्री को खो दिया है और अब ऐसा प्रतीत होता है कि कई छिपे हाथ है जो इस जांच कार्य से भी निबटने में सक्षम हैं । लोगों को काफी शंकाएं है कि इस जांच के क्या परिणाम होगें ।

इसलिए मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे सभी शंकाओं का समाधान स्पष्टता करें ।

सभापति महोदय : सभा की बैठक का समय सायं 7 बजे तक बढ़ाया गया था और अब भी काफी संख्या में सदस्य इस विषय पर बोलना चाहते हैं । चूंकि केवल 20 मिनट शेष है, मुझे गृह मंत्री से कहना पड़ेगा कि वे अब बहस का उत्तर दे, ऐसा न हो कि माननीय सदस्य और आगे समय बढ़ाने की मांग कर दें ।

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : महोदय, सभी दलों को इस विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए । **(व्यवधान)**

श्री गुमानमल लोढ़ा (पाली) : महोदय, समय बढ़ाया जाए । **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री दाऊदयाल जोशी (कोटा-बूंदी) : सभापति जी, अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक भी नहीं बोला, इसलिए हमको बोलने का मौका दिया जाय ।

सभापति महोदय : भारतीय जनता पार्टी से एक बोल लिये, आप यह कैसे कह सकते है कि एक भी नहीं बोले । श्री राम नाईक बोल चुके हैं और सब पार्टियों से एक-एक बोल चुके है ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपूर) : यह सवाल एक-एक आदमी के बोलने का नहीं है । यह सवाल बहुत गम्भीर है और जितने लोगों ने नाम दिये हैं, सब को बोलना है । आप इसपर कल बहस कराइये, अभी इसको छोड़ दीजिए, यदि समय नहीं है तो ।

सभापति महोदय : कल के प्रोग्राम के लिए मै नहीं बता सकता लेकिन मै बैठने के लिए तैयार हूं । आप भी अगर बैठने के लिए तैयार है तो आप बैठिये ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : यदि ऐसी कोई बात है तो हम बैठेंगे ।

श्री दाऊदयाल जोशी : इतनी महत्वपूर्ण चर्चा है, इसको कल तक के लिए स्थगित कर दीजिए । मंत्री महोदय कल जवाब दे देंगे । **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति : क्या हम समय को 15 मिनट या आधे घंटे बढ़ाएं ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : महोदय मैंने शाम 7.30 बजे किसी से भेंट करनी है । मैं अपनी

पेट के कारण सभा को बाध्य नहीं कर सकता लेकिन साथ ही, मैं अपनी कठिनाईयां बता रहा हूं।

सभापति महोदय : मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि माननीय गृह मंत्री ठीक सायं 7.00 बजे बहस का उत्तर देंगे। क्या यह आप के लिए ठीक है?

श्री एस० बी० चव्हाण : ठीक है। (**व्यवधान**)

श्री गुमानमल लोढ़ा : महोदय, अब तक उन्होंने सदन पटल पर पोस्ट मार्टम रिपोर्ट नहीं रखी है, जांच रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है और हमें नहीं पता कि यह आत्महत्या है या हत्या।

सभापति महोदय : इसे गृह मंत्री पर छोड़ दो। (**व्यवधान**)

श्री पीयूष तीरकी (अलीपुर द्वार) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं वह सूचना दूसरों को देना चाहता हूं जो प्रधान मंत्री के कार्यालय से आई है। मैं वह पत्र पढ़ना चाहता हूं। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। (**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या आप हम लोगों को बोलने की अनुमति नहीं देंगे?

सभापति महोदय : जितना समय दिया जाता है, उसमें...(**व्यवधान**)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : समय तो अभी बढ़ाया गया है। इसके पहले के चेयरमैन ने समय बढ़ाया। पूरा हाऊस आपसे निवेदन कर रहा है कि यह बहुत गम्भीर चर्चा है। हर आदमी के पास कुछ नई-नई चीजें हैं, वह यहां रखना चाहते हैं और ऐसी स्थिति में आप कह रहे हैं—नहीं।

सभापति महोदय : सोनकर साहब, जो आपको कहना है, आप वह कहिये लेकिन मेरे नाम से मत कहिये। मैं तो कह रहा हूं कि मैं तो 10 बजे तक बैठने के लिए तैयार हूं। होम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि उनकी साढ़े सात बजे कोई विशेष मीटिंग है। अब कल के लिए तो मैं स्पीकर साहब से निवेदन कर सकता हूं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : पहले हमारी बात होम मिनिस्टर साहब सुन लें और जब सब लोग बोल लें तब वह रिप्लाई दें।

[**अनुवाद**]

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : सभापति महोदय जांच रिपोर्ट और पोस्ट मार्टम रिपोर्ट को सभा पटल पर रखा जाना चाहिए। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। गृह मंत्री बोल रहे है।

श्री एस० बी० चव्हाण : यदि आप सहमत हों, तो आप सदस्यों को सायं 7.30 बजे तक बोलने की अनुमति प्रदान कर सकते है। मैं कल उत्तर दूंगा। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : जिस किसी का भी नाम सूची में है, मैं उसको बोलने की अनुमति प्रदान करूंगा। लेकिन मैं मेरे समक्ष रखी गई सूची के अनुसार चलूंगा। कृपया समय प्रत्येक के लिए 5 मिनट का रखिए ताकि प्रत्येक को बोलने का समय मिल सके। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : नहीं। कृपया बैठ जाईए। आप सिर्फ सदन का समय व्यर्थ कर रहे है।

श्री राजा रवि वर्मा।

श्री बी० राजा रवि वर्मा : सभापति महोदय, श्री षणमुगम की मृत्यु के बारे में गृह मंत्री द्वारा सदन में दिया गया वक्तव्य पूर्णतः अविश्वसनीय है। षणमुगम का भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या में हाथ था और उसने 17-9-1991 को स्वैच्छिक रूप से पुलिस को समर्पण कर दिया था। अतः यह बिल्कुल विश्वसनीय नहीं है कि वह 19-7-1991 को भाग निकला और उसने समर्पण के दो दिन पश्चात् आत्महत्या कर ली है। यदि वह उक्त मुद्दे में बचना चाहता था तो उसमे स्वैच्छिक आत्म समर्पण और फिर भाग जाने और आत्महत्या करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। अतः हम यह जानना चाहते है कि क्या यह आत्महत्या थी या हत्या थी।

जब षणमुगम अपने हाथ धो रहा था तो उस समय सिपाही उसके निकट नहीं थे। वे सी० बी० आई० और एस० आई० टी० अधिकारियों को भोजन दे रहे थे। मै यह जानना चाहता हूं कि क्या पुलिस जो वहां तैनात की गई थी वह षणमुगम पर नजर रखने के लिए थी या सी० बी० आई० और एस० आई० टी० अधिकारियों को भोजन प्रदान करने के लिए। सी० बी० आई० और एस० आई० टी० अधिकारियों ने हमारी राज्य पुलिस की सेवाओं का दुरुपयोग किया था।

यह बताया गया है कि षणमुगम अंधेरे का लाभ उठाकर भाग निकला। अंधेरे का प्रश्न भवन से भाग निकलने के बाद ही आ सकता है। इसलिए मैं सी० बी० आई० और एस० आई० टी० के अधिकारियों की इस मुद्दे के पीछे की भूमिका पर शक करता हूं।

तंजावुर जिले में वेदारनयाम में पर्यटन बंगला, जहां षणमुगम को हिरासत में रखा था, में वाश बेसिन और परिसर के अन्दर स्नानगृह जैसी सभी सुविधाएं थी। फिर, षणमुगम को अपने हाथ धोने के लिए बाहर जाने की अनुमति कैसे प्रदान की गई?

हमें इस बात पर आश्चर्य है कि हिरासत में किए हुए एक अपराधी के पास एक 15 फुट लम्बी रस्सी कैसे हो सकती है जिसकी सहायता से उसने स्वयं को फाँसी पर लटकाया?

वह लुंगी पहनने का आदि नहीं था, फिर भी उस स्थान पर लुंगी कैसे पाई गई?

महोदय, क्या यह सत्य है कि जब वह पेड़ से लटक रहा था तो उसके पैर जमीन को छू रहे थे? यदि हां, तो स्वयं को कोई इस तरह कैसे फाँसी पर लटका सकता है?

मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि पोस्टमार्टम नागपटिनम जनरल हस्पताल में क्यों किया गया, तंजावुर मेडिकल कालेज, जो वेदारनयाम से समान दूरी पर है और जहां नवीनतम परिष्कृत यन्त्र और विशेषज्ञ मत प्रकट करने के लिए न्यायिक विशेषज्ञ उपलब्ध थे?

क्या पोस्टमार्टम से यह निष्कर्ष निकला है कि श्वासावरोध पेड़ से लटकाने या अन्य किसी कारण से हुआ है? इसके अतिरिक्त, क्या यह सही है कि जिस स्थान पर वह लटका हुआ पाया गया था वह स्थान भी एक निजी व्यक्ति का था जो तस्करी संबंधी गतिविधियों से जुड़ा हुआ है? गृह मंत्री कहते है कि वह स्वयं एस० आई० टी० के अधिकारियों द्वारा दी गई रिपोर्टों और उत्तरों से सन्तुष्ट नहीं है। शक किस तरह का है? क्या आप उन्हें जानकारी देकर इस सदन को विश्वास में लेंगे?

जो अधिकारी इस घटना के लिए उत्तरदायी है उनका पता लगाया जाना चाहिए और शिवराजन से पहले उनसे पूछताछ की जानी चाहिए।

इसके साथ ही मै अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री गुमानमल लोढा (पाली) : सभापति महोदय, मुझे यह कहते हुए खेद है कि पोस्ट मार्टम रिपोर्ट और जांच रिपोर्ट जिसमें मृत्यु के कारणों को बताया गया हो, के बिना इस विषय पर हमारा बहस करना ठीक उसी तरह से है जैसे कि ऐसे स्थान पर पुल बनाना जहां पानी न हो बल्कि रेत ही हो।

(व्यवधान)

ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए प्रथम महत्वपूर्ण आधार यह है कि सदस्य को यह जानकारी होनी चाहिए कि उसका कारण क्या है। दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत मृत्यु के तुरन्त पश्चात की गई पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में मेडिकल रिपोर्ट और जांच रिपोर्ट के अनुसार ये दोनों दस्तावेज किसी भी जांच पड़ताल या चर्चा या बहस के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। दुर्भाग्य से समय दिए जाने के बावजूद, इस तथ्य के बावजूद माननीय गृह मंत्री द्वारा एक वक्तव्य दिया गया है, ये दोनों दस्तावेज गुम हैं और जब तक उनको नहीं देखा जा सकता, तो यह नहीं कहा जा सकता कि यह हत्या का मामला है या आत्महत्या का।

दूसरे, यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण मामला है जिसकी जांच की जानी चाहिए। माननीय गृह मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य में, यह लिखा गया है :

[हिन्दी]

उसके ऊपर वीर्य (सीमेन) के निशान थे।

[अनुवाद]

यह क्या है ? इससे एक नया आयाम जुड़ता है। समस्त मामला आश्चर्यचकित कर देने वाला है। मृत व्यक्ति के अन्डरवियर में यह वीर्य क्या है ? इससे क्या संकेत मिलता है ? क्या यह रहस्यमय परिस्थितियों में लगाया गया था ? यह समस्त मामला इतना रहस्यमय है कि ऐसा प्रतीत होता है उसको मारने तथा साक्ष्य को हटाने का, ताकि वास्तविक गड़बड़ का पता न चले, एक बड़ा षड़यन्त्र था।

जो व्यक्ति यहां हैं उनमें अनुभव के अनुसार, माननीय सदस्य काफी लम्बे समय से जेल में रहे हैं। मैं छह या अधिक समय जेल में रहा हूं। कहीं भी रात को एक अभियुक्त या व्यक्ति को बैरक या स्थान से बाहर पेशाब या शौच करने के लिए नहीं ले जाया जाता। इस प्रयोजनार्थ स्थान अन्दर ही होता है। ऐसे खतरनाक व्यक्ति को, जिस पर अत्यधिक गम था, जिसने जुर्म स्वीकार किया था, ऐसे साक्षी को कैसे छोड़ा जा सकता था और वहां भी, वे कहते हैं कि अन्धेरे में वह निकल भागा।

सभापति महोदय : शायद अन्दर पेशाबघर नहीं था।

श्री गुमानमल लोढा : वे कहते हैं कि इस बंगले या अतिथिगृह के निकट एक सूखी नहर थी जिसमें उसके दो कपड़े मिले थे। यह क्या है ? अतिथि गृह के नजदीक, दो कपड़े, एक धोती और एक बनियन पाई गई थी। इसका क्या अर्थ है ? हत्या की वह विशेष घटना डाक बंगले में या अतिथि गृह में या इसके बाहर बहुत ही योजनाबध्द तरीके से, अत्यधिक गम्भीर प्रकृति से अपराधियों द्वारा या हत्या करने को और साक्ष्य को हटाने में विशेषज्ञ व्यक्तियों द्वारा की गई थी।

मेरा निवेदन है कि संपूर्ण मामले पर रहस्य के बादल छाए हुए हैं। यह बहुत गम्भीर मामला है। इन पर जांच रिपोर्ट तथा पोस्ट मार्टम रिपोर्ट को सभा पटल पर रखने के पश्चात ही इस विषय पर सदन में चर्चा होनी चाहिए।

मैं यह भी अनुरोध करूंगा कि वीर्य संबंधी रासायनिक रिपोर्ट का सम्बन्ध पता लगाने के लिए एक मैडिकल बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। क्या यह ली गई थी, यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है।

इसी प्रकार, पहली मुख्य बात यह सुनिश्चित की जानी चाहिए कि क्या यह आत्महत्या का मामला था या हत्या का। यह कार्य मैडिकल बोर्ड के उन विशेषज्ञों द्वारा किया जाना चाहिए जो किसी से संबंध न हों तथा स्वतंत्र व्यक्ति हों। मेरा विनम्र निवेदन यह है कि जब तक यह रिपोर्ट सभा पटल पर नहीं रखी जाती तब तक हमारा संपूर्ण वादविवाद ऐसे पुल के निर्माण के समान है जहां पर पानी न हो।

सभापति महोदय : अब श्री पीयूष तीरकी बोलेंगे।

श्री पीयूष तीरकी : महोदय, मेरे पास तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री चन्द्रशेखर को संबोधित किया गया 23 नवम्बर, 1990 का एक अतिमहत्वपूर्ण पत्र है। पत्र का पता इस प्रकार है : 49, वेस्टर्न कोर्ट, नई दिल्ली। यह प्रधान मंत्री, श्री चन्द्रशेखर, नई दिल्ली को सम्बोधित है।

सभापति महोदय : श्री पीयूष तीरकी, आप क्या पढ़ रहे हैं?

श्री पीयूष तीरकी : यह प्रधान मंत्री को लिखा गया पत्र है। यह पूर्ण रूप से इस मामले से संबंधित है। मैंने यह पत्र प्राप्त किया है।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : क्या आप पत्र की एक प्रति देंगे?

श्री पीयूष तीरकी : हां जी। (व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री पीयूष तीरकी, यह पत्र किससे प्राप्त हुआ है। किसको संबोधित किया गया है? क्या यह प्रामाणिक है?

(व्यवधान)

श्री पीयूष तीरकी : मैं यह पढ़ रहा हूं। यह इस मामले से पूर्णतया संबंधित है। इसका पाठ इस प्रकार है। प्रिय प्रधान मंत्री, मैं कल इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे गया था

श्री ए० चार्ल्स : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जब तक एक पत्र सभा पटल पर नहीं रखा जाता, इस का हवाला किस प्रकार दिया जा सकता है। यह प्रमाणित होना चाहिए। मैं इस संबंध में नियम जानना चाहता हूं, उन्हें यह प्रमाणित करना है।

श्री पीयूष तीरकी : मैं केवल तीन चार पंक्तियां बताना चाहता हूं। यह काफी है। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : आपका नाम यहां नहीं है। चिन्ता न करें।

श्री पीयूष तीरकी : पत्र का पाठ इस प्रकार है। प्रिय प्रधान मंत्री, कल मैं बर्मिंघम से आये अपने मित्र को लेने इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गया था। वी० आई० पी० लोगों में ही एक मुसुरथ इकबाल था। मैं उसे अपने बर्मिंघम प्रवास से जानता था। (व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री पीयूष तीरकी, कृपया सुनिये। यदि आप कोई दस्तावेज पढ़ रहे हैं, आपको यह प्रमाणित करना चाहिए तथा हवाला देने से पहले इसकी एक प्रति देनी चाहिए।

श्री पीयूष तीरकी : मैं इसे यह पता लगाने के लिए उद्धृत कर रहा हूं कि क्या यह सही है या गलत। गृह मंत्री यहां हैं।

सभापति महोदय : आप कोई दस्तावेज पढ़ रहे हैं जो श्री चन्द्रशेखर को संबोधित किया गया है। गृह मंत्री किस प्रकार कह सकते हैं कि यह सही है या गलत। आपको यह प्रमाणित करना है कि क्या आपके ज्ञान में यह एक सही दस्तावेज है या नहीं।

(व्यवधान)

श्री पीयूष तीरकी : इसमें ऐसा लिखा है तथा हस्ताक्षर भी किए गए हैं। यह सूचित किया गया है कि यही दल श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या में शामिल था। (व्यवधान)

सभापति महोदय : आपको एक बात जाननी चाहिए । जब मैं अपनी बात कह रहा हूँ तो कृपया बैठ जाइये । मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूँगा कि यदि आप कोई दस्तावेज पढ़ते है तो इसे गृह मंत्री द्वारा प्रमाणित नहीं किया जाना है । आपको दस्तावेज के स्त्रोत का पता होना चाहिए । आपको यह पता होना चाहिए आपने यह कहां से प्राप्त किया है । आपको पता होना चाहिए कि यह प्रमाणित है या नहीं । क्या यह सत्य है तथा यदि आपको इस दस्तावेज की सत्यता पर कोई संदेह है, तो यह केवल वही व्यक्ति बता सकता है जोकि इसे पढ़ रहा है । आपको यह जानना चाहिए । आप इसे गृह मंत्री द्वारा प्रमाणित करने की अपेक्षा नहीं कर सकते है । अत इस दस्तावेज को प्रमाणित करने का दायित्व आपका है । यदि आप इससे संतुष्ट है कि यह सही है, सत्य दस्तावेज है, तब मैं हर प्रकार से इसे पढ़ने की अनुमति दूँगा । अब, आपको यह बताना है कि आप इस दस्तावेज की सत्यता से संतुष्ट है ।

श्री पीयूष तीरकी : मैं इसे सभा पटल पर रखूँगा ।

सभापति महोदय : आपको बताना है कि क्या आप संतुष्ट है या नहीं ।

श्री पीयूष तीरकी : हाँ, मैं संतुष्ट हूँ । **(व्यवधान)**

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : पहले उनसे इसे प्रमाणित करने के लिए कहो, इसे सभा पटल पर रखो । मैं नहीं समझता क्योंकि यह ठीक है । वह इसका हवाला दे सकते है । **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया बैठिए । माननीय सदस्य, मैं लोक सभा अध्यक्ष के निदेश से संबंधित नियम 118क पढ़ता हूँ, जिसका पाठ इस प्रकार है :

> "जब कोई सदस्य नियम 118 के अन्तर्गत किसी पत्र अथवा दस्तावेज को सभा पटल पर रखने के लिए अध्यक्ष की अनुमति मांगता है, तो वह उस पत्र दस्तावेज पर निम्नलिखित में से किसी एक प्रपत्र में यथास्थिति प्रमाणपत्र देगा
>
> (क) 'मैं अपनी व्यक्तिगत जानकारी से यह प्रमाणित करता हूँ कि यह मूल दस्तावेज है जो प्रमाणित है ।
>
> (ख) 'मैं अपनी व्यक्तिगत जानकारी से यह प्रमाणित करता हूँ कि यह मूल दस्तावेज, जो प्रमाणित है, की सही प्रतिलिपि है ;

7.00 म० प०

यदि आप इन प्रमाण पत्रों में से एक देने के लिए तैयार है तथा इसको सभा पटल पर रखते है, तो आप इस दस्तावेज को पढ़ सकते है अन्यथा मुझे खेद है कि मैं दस्तावेज के इस अवस्था में पढ़ने की अनुमति नहीं दे सकता । **(व्यवधान)**

श्री राम नाइक : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । अब सात बजे है । सदन का समय बढ़ाया जाना चाहिए ।

सभापति महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । समय बढ़ाया गया है । समय बढ़ाया जाना व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । **(व्यवधान)**

श्री पीयूष तीरकी : तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री चन्द्रशेखर को किसी ने 23 नवम्बर को एक पत्र द्वारा सूचित किया था कि बोफोर्स के कुख्यात दल को पुलिस के किसी वर्ग द्वारा तथा सरकार द्वारा समर्थन दिया जा रहा था । तथा यह समझा जा रहा था कि यही दल श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या में भी शामिल था । इस बात

की बहुत अधिक संभावना है कि यहां दल पुनः आ पहुंचा है । यही सूचना एक पत्र द्वारा प्रधान मंत्री को भेजी गई है कि वे मुसुरथ इकबाल के दल से सावधान रहें । इस दल को हवाई अड्डे तथा उसके बाहर वी० आई० पी० सुविधाएं दी गईं थी । तथा जो लोग दल की देखभाल कर रहे थे वे कुछ पुलिस अधिकारी तथा मंत्री थे । हमें संदेह है कि इसी दल ने पुनः श्री राजीव गांधी की हत्या की है । मैं नहीं जानता कि सरकार इस दल से इतना क्यों डरी हुई है जबकि उनके पास बहुत अधिक सेना तथा पुलिस बल है । मै नहीं जानता कि इस दल के साथ सरकार का किस प्रकार का संबंध है । उन्होंने इस दल का एक सदस्य भी नहीं पकड़ा है । शायद यह दल अभी भी भारत में कार्य कर रहा है । श्रीमती गांधी की हत्या के मामले में निर्दोष सिख मारे गए थे तथा इस संबंध में उनका हाथ होने का संदेह किया गया था । इस संबंध में एल० टी० टी० ई० पर संदेह किया जाता है । मैं कहता हूं कि एल० टी० टी० ई० को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए तथा एल० टी० टी० ई० के नाम लेने का कारण समझना चाहिए । मै जानना चाहता हूं कि क्या गृह मंत्री को इस की जानकारी है कि बर्मिंघम का मुसुरथ इकबाल का दल भारत में कार्य कर रहा है । मैं जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री आज या बाद में इस संबंध में कोई कड़ा कदम उठायेंगे ।

श्री एस० बी० चव्हाण : आपने क्या नाम लिया है ?

श्री पीयूष तीरकी : यह बर्मिंघम का मुसुरथ इकबाल दल है ।

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : सभापति महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मै आपको धन्यवाद देता हूं । श्री राजीव गांधी की हत्या इस शताब्दी का सबसे घृणित तथा पैशाचिक अपराध है । इसकी तुलना केवल कैनेडी तथा श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या से की जा सकती है । श्री षण्मुगम के हिरासत में होने तथा भागने तथा बाद में उसकी आत्महत्या या हत्या जो कुछ भी हम इसे कहे, के संबंध में बहुत कुछ कहा गया है परन्तु मैं कहना चाहूंगा सरकार सम्पूर्ण मामले को इसके पूर्ण परिप्रेक्ष्य में देखे । इसमें कमियां थीं । इसमें विभिन्न एजेन्सियों द्वारा भूल की गई थी । मैं सदन का ध्यान तीन कमियों की ओर दिलाना चाहूंगा । एक श्री पेरम्बुदूर में उस विनाशक रात में पुलिस का बुरा बर्ताव करना । यह बताया गया कि पुलिस कर्मचारी दृष्य से ओझल हो गये थे । उन्हें जीवन अपने कर्तव्य से अधिक प्रिय था । यदि खाकी वर्दी पहने नायक वहां होते तो कुर्ता पहने हुए खलनायक वहां से नहीं भाग पाते तथा वे पकड़ लिये जाते । यह पुलिस की ओर से गम्भीर कमी थी जोकि अपनी ड्यूटी पर तैनात थी । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उनके ऊपर 'जेड' वर्ग के व्यक्ति की सुरक्षा का जिम्मा था ।

दूसरे फोटोग्राफर हरिबाबू जोकि घटना में मारा गया था, द्वारा छोड़े गये कैमरे के संबंध में पुलिस की कमी सी०बी०आई० द्वारा सील करने से पहले वे फोटो लोगों ने देखे थे । पूरा दोष सी०बी०आई० को देना ठीक नहीं होगा । कुछ बातें जो सी०बी०आई० ने प्राप्त की हैं, जैसाकि मेरे माननीय मित्र ने ठीक कहा है उन पर बिना नजरअंदाज किये पूर्ण ध्यान देने की आवश्यकता थी । परन्तु उसी समय स्थानीय पुलिस द्वारा किये गये कुछ कार्य तथा बाद की घटनाओं से भी हमें विश्वास होता है कि जांच एजेन्सियों द्वारा भूलें की गईं । मेरे अनुसार तीसरी सब से अधिक कमी षण्मुगम का मामला है । मेरे बहुत से मित्रों ने इस पर विस्तार से प्रकाश डाला है । अतः मुझे इसके विस्तार में नहीं जाना है । केवल एक तथ्य मै गृह मंत्री को याद दिलाना चाहूंगा कि षण्मुगम ने कुछ उन पुलिस अधिकारियों के नाम गिनाये थे जिनकी अवांछनीय तथा गैर-कानूनी कार्यों में लगे लोगों के साथ तमिलनाडु में घटने वाली घटनाओं में सांठगांठ थी । जो कुछ वहां वास्तव में हुआ था उसका यह भी एक कारण हो सकता था । केवल हम लोगों का ध्यान ही षण्मुगम के भागने की तरफ नहीं है । मेरे अनुसार सरकार द्वारा दिये गए जांच के आदेशों की ओर ध्यान देना देश के सभी लोगों का विषय है । क्या मैं माननीय गृह मंत्री का ध्यान वर्मा आयोग गठित करने के संबंध में 27 मई, 1991 को जारी की गई अधिसूचना की ओर दिला सकता हूं ? बाद में हमारे प्रधान मंत्री ने हैदराबाद में विश्वास दिलाया कि जांच का क्षेत्र बढ़ाया जाएगा । अब मिलने वाली खबरें वास्तव में देश के नागरिकों को आश्चर्यचकित करने वाली हैं । एक रिपोर्ट

इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मैं अनुरोध करता हूं कि मैंने जो यहां उद्धृत किया है वह उचित मामला है और यह सही टिप्पणी है, यह उन परिस्थितियों की जांच किये जाने में अत्यन्त सहायक होगा जिनके कारण महान भारतीय और इस देश के लाखों लोगों के निर्विवाद नेता की हत्या हुई । इसलिये मैं आशा करता हूं कि गृह मन्त्री इसके बारे में अपने उत्तर में अवश्य कुछ कहेंगे ।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : सभापति जी, यह घटना इतनी ही आश्चर्यजनक है जितनी राजीव गांधी साहब की हत्या । यह षण्मुगम जो भाग गया गृह मंत्री जी ने इसके बारे में जो वक्तव्य दिया वह अत्यन्त ही गैर जिम्मेदारानापूर्ण है । मान्यवर, हम सब लोग जानते हैं और गृह मंत्री जी के वक्तव्य से यह बात स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आई है कि वह बहुत बड़ा तस्कर था । उसके पास हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा था और उसके पास करोड़ों रूपये थे । उसके पास एक समानान्तर सेना काम कर रही थी, इतना ही नहीं, वह लिट्टे के लोगों का प्रमुख व्यक्ति था तथा उसका यहां के राजनीतिक लोगों से सम्पर्क था । ये सब बातें प्रकाश में आ चुकी हैं । इन पर चर्चा करके मैं सदन का समय जाया नहीं करूंगा ।

हम गृह मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि एक औरत माला पहनाने के लिए राजीव गांधी के पास आई और उसी माला को पहनाकर उसने उनकी हत्या कर दी । यह व्यक्ति भी वहां गया था और यही व्यक्ति अर्थात् षण्मुगम आत्म समर्पण करने आया था । क्या सी०बी०आई० के लोगों को या सरकार को मालूम नहीं था कि यह व्यक्ति आत्मसमर्पण करने आ रहा है या अन्य किसी वजह से तो नहीं आ रहा है । यदि नहीं मालूम था तो वही बात यहां हो गई । अभी एक बात यह भी सामने आई है कि वह हाथ धोने के बहाने निकल भागा । जो इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति था, इतना महत्वपूर्ण अपराधी था तो उसके लिए उसकी सुरक्षा की तैयारी पुलिस वाले क्यों नहीं कर पाये और क्यों नहीं उसके साथ थे, जबकि वह इतना बड़ा हत्यारा था । क्या ऐसे भयानक आदमी को जिसकी पूछताछ की जा रही थी, जैसा हमारे साथी चन्द्रजीत यादव जी ने कहा क्या उसके पैरों में बेड़ी पहनाई गई थी । उसके हाथ में हथकड़ी डाली । यदि यह सब नहीं था तो क्यों नहीं ? अभी अभी हाउस में यह बात आयी कि नहर के किनारे उसके पास से बनियान, लुंगी बरामद हुई । वहीं बात आई कि धोती बनियान बरामद हुई । यदि उसके पास से लुंगी और बनियान बरामद हुई तो वह पेड़ पर लटका, उसके पास से रस्सी कहीं से आयी । यदि ऐसा नहीं तो यह शक उत्पन्न करता है कि सी०बी०आई० के लोग जो जांच कर रहे थे, उन्होंने कोई अपने इन्टेरेस्ट में जानबूझकर के उसकी हत्या तो नहीं की ? उसके बाद एक नाटक रचा गया । इसलिए मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं लेकिन समय कम है, मैं इस पर बहुत से सवाल पूछना चाहता था । आपने हमें इशारा किया लेकिन मान्यवर, मैं एक बात ही पूछना चाहूंगा कि 20 तारीख को उसका पोस्टमार्टम हुआ, 25 तारीख को माननीय गृह मंत्री जी वहां पहुंचे तो क्या आपके पास पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट आई कि नहीं ? पांच दिन में यह पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्यों नहीं आयी और उसका पोस्टमार्टम आर्डिनरी डाक्टर ने किया या जहां उसका पोस्टमार्टम किया गया, वह एक आर्डिनरी अस्पताल था तो इतना भयानक कांड और ऐसे जहां देश की प्रभुसत्ता का सवाल हो, जहां हमारी डेमोक्रेसी दांव पर लगी हो, जहां बड़े-बड़े लीडर्स की जिन्दगी और मौत का सवाल हो तो ऐसा अपराधी जो अपराध में सन्निहित था तो ऐसे व्यक्ति का पोस्टमार्टम एक आर्डिनरी अस्पताल में क्यों कराया गया । तो मैं चाहूंगा कि मंत्री जी बतायें कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से क्या हुआ, क्या क्या बातें निकलीं, यह हाउस को स्पष्ट रूप से जानकारी दें ।

मान्यवर, अन्तिम बात, बोफोर्स काण्ड में भी ऐसा हुआ था तो बहुत तुफान हुआ और अंत में भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने एक संसदीय समिति बैठा दी । यह काण्ड तो बोफोर्स से कम भयानक नहीं है । क्या गृह मंत्री जी कोई संसदीय समिति बनायेंगे जो इस मामले को देखेगी ? मान्यवर, अभी मैं बनारस गया था तो मालूम हुआ कि शिवरासन जो इसी हत्या से संबंधित है, दो दिन बनारस में रुका हुआ था और वहां की पुलिस को खबर आ रही है । वहां मूलूपुरा नामक एक स्थान है जहां एक मदासी होटल है वहां वह रुका, वहां की पुलिस को जब खबर थी तो वह सो रही थी और वह भाग रहा था । यहां तक कि मध्य प्रदेश के रामपुर में जिस रेल से

वह उतरा, वहां मालूम था लेकिन वहां की पुलिस ने इंटेरेस्ट नहीं लिया तथा कर्नाटक की पुलिस वाराणसी की पुलिस और रायपुर में शिवरासन देखा गया । वहां की पुलिस ने भी उसे नहीं पकड़ा । क्या ऐसा तो नहीं कि हमारी पुलिस इस अपराध में मिली हुई है । हम पुलिस पर शक नहीं करते लेकिन हम इस बात को सोचने पर मजबूर होते हैं, विवश होते हैं कि यह क्या मामला है ?

सभापति महोदय : मेरा ख्याल है पुलिस पर इलजाम लगाने की जरूरत नहीं है ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैं यह चाहता हूं कि एक संसदीय समिति बैठा दी जाये, इधर भी देखे कि इस मामले को हल्का तो नहीं कर रहे हैं ? यह देखें कि सी०बी०आई० में इतने बड़े बड़े अफसर थे और वह कैसे जाकर मर गया तो सी०बी०आई० शक के जाल में नहीं आती है ? यदि सी०बी०आई० शक के जाल में नहीं आती है तो प्रदेश पुलिस भी आयेगी । इसलिए मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी हाउस में स्पष्ट रूप से जानकारी दें । और जहां देश की एकता, अखण्डता का सवाल हो, हम चाहते हैं इस पर कड़ाई से ध्यान दें नहीं तो हो सकता है कि आगे चलकर इससे भी और दुष्परिणाम निकले दुर्घटनायें होती रहें ।

(अनुवाद)

सभापति महोदय : मुझे माननीय डा० (श्रीमती) पदमा से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है कि वह उसी स्थान से सम्बन्ध रखती हैं । जिस स्थान से षण्मुगम का सम्बन्ध था ।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान-निकोबार) : मैंने भी एक अनुरोध भेजा है ।

सभापति महोदय : आपका नाम काफी नीचे है ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं सूची के अनुसार कार्य कर रहा हूं । मैंने केवल डा० पदमा के मामले में परिवर्तन किया है क्योंकि वह उसी स्थान से सम्बन्ध रखती हैं जहां से षण्मुगम आया था । डा० पदमा कृपया आप पांच मिनट में अपना भाषण समाप्त करें ।

डा० (श्रीमति) पदमा (नागापट्टीनम) : सभापति महोदय, चूंकि अन्य सभी माननीय सदस्यों ने षण्मुगम की मृत्यु के बारे में काफी कुछ कहा है, मैं उनके द्वारा कही गई बातों को दोहराकर सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहती । इसके अतिरिक्त, मुझे बताया गया है कि मन्त्री को समारोह में उपस्थित होना पड़ता है ।

एक डाक्टर होने के नाते, मैं यह कहना चाहती हूं कि यह बहुत अच्छा होता यदि षण्मुगम के शरीर को पोस्ट-मार्टम के लिये किसी शिक्षण संस्थान को भेजा जाता । जहां तक पोस्ट-मार्टम की रिपोर्ट का सम्बन्ध है यह जानना कि यह हत्या है या आत्महत्या, क्या उन्होंने कण्ठ की हड्डी का एक्स रे लिया है और क्या उन्होंने कण्ठ की हड्डी को सुरक्षित रखा है । यही कुछ प्रश्न हैं जिन्हें मैं जानना चाहती हूं ।

श्री के० राममूर्ति टिण्डिवणम (टिण्डिवणाम) : महोदय, मैं बहुत छोटा सा भाषण दूंगा । यह हमारे लिये शर्म की बात है कि हम उस दुर्घटना के बारे में चर्चा करते हैं जो घट चुकी है अर्थात एक महान नेता की हत्या जिसने आत्म-विश्वास के साथ देश का नेतृत्व किया तथा देश की युवा पीढ़ी के जीवन में विश्वास पैदा किया । जहां तक जांच का सम्बन्ध है, मैं विषय-वार बोलूंगा ।

षण्मुगम ने उच्च न्यायालय के एक वकील के माध्यम से समर्पण किया था । जब उसने एक वकील के माध्यम से समर्पण किया था, तो इसका अर्थ है कि वह जीना चाहता था और सुरक्षा भी चाहता था । षण्मुगम का महत्व सबसे अधिक जांच दल द्वारा ही महसूस किया गया क्योंकि जब उसे वेदाराण्यम ले जाया गया, उसे

न तो सड़क द्वारा और न ही रेल द्वारा ले जाया गया बल्कि उसे हेलीकाप्टर द्वारा ले जाया गया था। और वेदाराण्यम पहुँचने के बाद इस प्रकार के व्यक्ति को न तो अधिक सुरक्षा दी गई और न ही देखभाल की गई। वह उस स्थान से भाग निकला जहाँ उसे रखा गया था। और उसके भाग निकलने के बाद उसके विरुद्ध पुलिस हिरासत से बच कर भाग निकलने का मामला दर्ज किया गया। फिर आत्महत्या या हत्या, जो भी थी जाँच दल के नोटिस में आई। तत्पश्चात षण्मुगम के विरुद्ध आत्महत्या का मामला दर्ज किया गया। लेकिन उसे बच कर भाग निकलने की अनुमति देने के लिये पुलिस के विरुद्ध कोई मामला नहीं है। उसे आत्महत्या करने या हत्या हो जाने की अनुमति देने का पुलिस के विरुद्ध कोई मामला नहीं है। जब वह बच निकला बहुत कम सिपाही उस स्थान की देख-रेख कर रहे थे जो यह कहते हैं कि वे उसके पीछे दौड़ने या उसे पकड़ने या उसका पता लगाने की स्थिति में नहीं थे। लेकिन उसके बच निकलने के तुरन्त बाद, घन्टों में ही, कई सौ आदमी उसका पता लगाने के लिये ड्यूटी पर लगा गये। जहाँ कहीं भी कोई व्यक्ति रखा जाता है, चाहे वह वेदाराण्यम में है या कोडीकरई में, पुलिस को बंगले या गैस्ट हाउस, जिसमें उसे रखा गया है, की निगरानी करनी चाहिये थी। मैं नहीं जानता कि जाँच उस दिशा में क्यों नहीं बढ़ाई गई और उस सम्बन्ध में कार्यवाही क्यों नहीं की गई। जैसा कि विशेष जाँच दल ने बताया है, षण्मुगम उस क्षेत्र का एक प्रसिद्ध तस्कर था और समुद्री तट कई तस्करों के लिये विख्यात है। इन तस्करों के बीच आपस में मुकाबला रहा होगा। जैसा कि मेरे अन्य मित्र ने कहा था कि उस क्षेत्र में अन्य व्यक्ति भी हैं जो लिट्टे या श्री लंका के उग्रवादियों जो वहाँ आये हैं, के साथ मिलीभगत है। समाचारपत्रों में भी एक रिपोर्ट छपी थी कि वहाँ बहुत से ऐसा राजनीतिज्ञ भी हो सकते है जो षण्मुगम के पे-रोल पर हों। यह कौन जानता है कि वे श्री षण्मुगम द्वारा उन तथ्यों के प्रकट किये जाने से डरे हुए थे जो श्री राजीव गांधी हत्याकाण्ड मामले को कुछ नये संकेत दे सकते हैं। स्थानीय पुलिस के सामने और उसकी सक्रिय सहायता से वहाँ तस्करी पहले की हो रही थी। यह बात नहीं है कि श्री षण्मुगम पुलिस हिरासत से अचानक भाग निकला हो। ऐसी आशा की जाती थी और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए विशेष जाँच दल को अत्यन्त सावधानी से उसकी रक्षा करनी चाहिये थी। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं किया गया था।

जब श्री करुणानिधि मुख्य मंत्री थे, उस समय राज्य सरकार ने माना था कि लिट्टे सरकार के वायरलैस सन्देशों को बीच में रोकता था। यदि यह सत्य है तो यह भी सम्भव है कि लिट्टे विशेष जाँच दल द्वारा सरकार को भेजे गये किसी भी सन्देश को बीच में ही रोक रहा था। इससे भी अधिक विशेष जाँच दल जो कुछ कर रहा था, उसका वे अत्यधिक प्रचार कर रहे थे। माना एक व्यक्ति पकड़ा जाता है, अगले ही क्षण प्रैस में एक बहुत बड़ा समाचार छपता है कि फलां-फलां व्यक्ति पकड़ा गया है, उसे फला-फला स्थान पर ले जाया जा रहा है और वहाँ से उसे कल अन्य स्थान पर ले जाया जायेगा। विशेष जाँच दल द्वारा इस तरह का प्रचार दिया गया। इसलिये जो व्यक्ति षण्मुगम में रुचि रखते थे, वे जो कुछ हो रहा था उस पर अच्छी तरह निगरानी रख सकते थे। विशेष जाँच दल द्वारा इस पहलू पर विचार नहीं किया गया।

एक अन्य मामला भी है। श्री शुभा सुन्दरम, फोटोग्राफर के बहुत घनिष्ठ राजनैतिक सम्बन्ध थे। यदि इस प्रकार के व्यक्तियों की गिरफ्तारी का इतना अधिक प्रचार किया जाता है तो हमें इसके परिणाम अच्छी तरह देख सकते हैं। ये कुछ समस्याएं हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिये था।

विशेष जाँच दल के कार्यकरण के सम्बन्ध में मैं उच्च अधिकारियों जो इस दल में कार्य कर रहे हैं, परन्तु जिनकी कार्यकुशलता पर संदेह है क्योंकि आज उनके अधीन कार्य करने वाले अधिकारियों द्वारा भी प्रभावी रूप से कार्य करने को देखने की उनकी उनमें योग्यता नहीं है। यदि एक व्यक्ति विशेष गलती करता है या वह कुछ नहीं करता जो उससे किए जाने की आशा की गई है तो उच्च अधिकारी को उसे ताड़ना चाहिये। यदि राजीव गान्धी हत्याकाण्ड मामले की जाँच इस तरह ही चलती रही तो मैं नहीं जानता कि आम आदमी के साथ क्या होगा। सरकार को इन सभी बातों पर ध्यान देना चाहिये।

बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने विगत 7 या 8 वर्षों में लिट्टे, श्री लंका के उग्रवादियों और तमिलों की तमिल स्कालर्स के रूप में श्री लंका के तमिलों उनकी आवभगत का आनन्द किया है और जिनके खर्चे पर वे सांस्कृतिक कार्यक्रम और तमिल सम्मेलनों में भाग लेने के लिये विदेशों में जाते रहे हैं। उन्होंने लिट्टे की गतिविधियों को बढ़ावा दिया है। मेरे विचार से उनकी गतिविधियों की भी जांच की जानी चाहिये। उनमें से बहुतों के उन तस्करों से सम्बन्ध हो सकते हैं।

नागापत्तनम और रामेश्वरम के बीच तमिलनाडु समुद्री तट उन तस्करों का छिपने का अड्डा बन चुका है जिन्हें हमारे राजनीतियों का सक्रिय सहायता प्राप्त है। इस समुद्री तट की सुरक्षा अवश्य की जानी चाहिये और तस्करों और विदेशी उग्रवादियों से इस समुद्रीतट की सुरक्षा के लिये विशेष व्यवस्था की जानी चाहिये।

सभापति महोदय : गृह मन्त्री महोदय कल सामान्य बजट पर चर्चा शुरु होने से पहले उत्तर देंगे और अब सभा कल 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित होती है।

7.30 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार 30 जुलाई, 1991/8 श्रावण, 1913 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

MGIPN—247 LSS/ND/91—17-7-92—225 Copies.